लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

[खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. 18 contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7—मंगलवार, 30 जुलाई, 1968/7 श्रावण, 1890 (शक)

No. 7—Tuesday, July 30, 1968/Sravana 7, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
181.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन — British India Corporation	1149
195.	ब्रिटिश इंण्डिया कारपोरेशन — British India Corporation	1150
182.	संकटग्रस्त कपड़ा मिल — Sick Textile Mills	1154
184.	लौह अयस्क का उत्पादन — Production of Iron Ore	1159
185.	पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक कारखाने — Industrial Units in West Bengal	1162

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या
Starred Questions

183.	भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड — Bharat Aluminium Co. Ltd.,	1163
186.	गाड़ियों का देर से चलना — Late Running of Trains	1164
187.	तालचेर औद्योगिक समूह — Talcher Industrial Complex	1164
188.	बोकारो इस्पात कारखाने की धमन भट्ठी — Blast furnace of Bokaro Steel Plant	1165
189.	इस्पात का मूल्य — Price of Steel	1165
190.	ड्रम और ढोल (बैरल) बनाने के लिये इस्पात का दिया जाना — Allotment of Steel for fabrication of Drums and Barrels	1166
191.	रेलवे के फायरमैनों की हड़ताल — Strike by Railway Firemen	1167

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
192.	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters . . .	1167
193.	कर्मचारियों का भारतीयकरण	Indianisation of Staff	1168
194.	राज्य व्यापार निगम द्वारा दवाइयों का आयात	Import of Pharmaceuticals by STC . .	1168
196.	गैर सरकारी सेवकों के लिए स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats for Private Attendants	1169
197.	अलाभप्रद रेलवे लाइनें	Uneconomic Railway Lines . . .	1169
198.	इस्पात मिलों को बेकार पड़ी क्षमता	Unutilised capacity of Steel Mills	1169
199.	सी०ए०सी०ओ०	CACO	1170
200.	औद्योगिक लाइसेंस नीति .	Indistrial Licensing Policy	1171
201.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हानि	Loss to NCDC.	1172
202.	पटसन के स्टाक	Jute Stocks	1173
203.	औद्योगिक नीति का पुनर्विलोकन	Revision of Industrial Policy . . .	1173
204.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	1174
206.	संयंत्र तथा मशीनों के आयात के लिये लाइसेंस	Licence for Import of Plant and Machinery	1174
207.	मंत्रियों द्वारा आयातित कारों का उपयोग	Use of Imported Cars by Ministers . .	1175
208.	आयातकर्ताओं को उधार की सुविधायें	Credit Facilities to Importers . . .	1175
209.	औद्योगिक क्षमता का अनधिकृत विस्तार	Unauthorised expansion of Industrial capacity	1176
210.	केरल में टिटेनियम डायोक्साइड उद्योग समूह का स्थापित किया जना	Setting up of a Titanium Dioxide complex in Kerala	1176

अतारांकित प्रश्न संख्या

Unstarred Question

1579.	स्टेनलेस इस्पात का आयात	Import of Stainless Steel	1177
1580.	इस्पात के अस्पताल के उपकरणों का बनाया जाना	Manufacture of Hospital Equipment from Stainless Steel	1177

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1581.	पारादीप पत्तन तक रेल लाइन	Rail Link to Paradeep Port . . .	1177
1583.	नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन द्वारा मद्रास को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity by Neyveli Lignite Corporation to Madras	1178
1584.	राज्य व्यापार निगम के लिये नियत की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange allotted to state Trading Corporation	1178
1585.	नाइलोन के धागे का आयात	Import of Nylon Yarn . .	1180
1586.	डिब्बों में बन्द वस्तुओं का अमरीका को निर्यात	Export of Canned Items to USA . .	1180
1587.	रूस के सहयोग से जूते और चमड़े का कपड़ा बनाने के कारखाने	Shoe and Leather Garments Factories in Collaboration with USSR . . .	1181
1588.	अम्बेसेडर तथा फियेट कारों में लगाये गये खराब शीशे	Defective Glass Fitted in Fiat and Ambassador Cars	1181
1589.	वर्धा स्टेशन पर प्लेटफार्म तथा पुल के ऊपर शेड	Sheds over Platform and bridge on Wardha Station	1181
1590.	रुई की कीमतें	Prices of Cotton	1182
1591.	गैस के सिलेण्डरों का निर्माण	Manufacture of Gas Cylinders . . .	1182
1592.	सिलिंडरों का आयात तथा निर्यात	Import and Export of Cylinders. . .	1183
1593.	गंगापुर शहर और दौसा स्टेशनों के निकट आऊट एजेंसियां	Out agencies near Gangapur city and Dausa Stations	1184
1594.	जापान द्वारा कोयले की खरीद	Purchase of coal by Japan. . .	1184
1596.	शोरानूर और नीलामबूर के बीच रेलगाड़ी	Train between Shoranur and Nilambur .	1184
1597.	कोराटी के निकट दुर्घटना	Accident near Koratty	1185
1598.	कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी विभागीय परिषद्.	Departmental Council for Staff Welfare. .	1185

अतां० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1631.	कास्टर पूलर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता	Caster Pooler and Company (Pvt.) Ltd. Calcutta	1201
1632.	अमरीका से आयात	Imports from USA	1202
1633.	विदेशी मिल्कियत वाले समवायों में नियोजन की रूपरेखा	Employment Pattern in Foreign owned Companies	1204
1634.	हटिया मजदूर यूनियन, रांची	Hatia Mazdoor Union, Ranchi . . .	1204
1635.	कपड़ा उद्योग में संकट	Crisis in Textile Industry	1204
1636.	एरणाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Metre Gauge Line between Earnakulam and Trivandrum into Broad Gauge	1206
1637.	चौथी योजना के अन्तर्गत उद्योग	Industries in Fourth Plan	1206
1638.	फर्मों को पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस देना	Grant of Registration Certificates and Industrial Licences to Firms . . .	1206
1639.	ढोलों और ड्रमों का निर्माण करने के लिये भारतीय तेल निगम को औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licence to I.O.C. for Manufacturing Barrels and Drums . . .	1207
1640.	हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी	Hind Galvanising and Engineering Co.	1208
1641.	काश्मीर में जिप्सम और अभ्रक के भण्डार	Deposits of Mica and Gypsum in Kashmir	1208
1642.	लोरेन्स आफ अरबिया लाइन का पुनः बिछाया जाना	Restoration of Lawrence of Arabia . .	1208
1643.	लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Raw Material for Small Scale Industries	1209
1644.	निर्यात किये जाने वाले भारतीय माल की किस्म	Quality of Indian Exports	1209
1645.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	1211
1646.	कोयले का भण्डार	Stock of Coal	1211
1647.	नई रेलवे लाइन बिछाना	Laying of New Railway Lines . . .	1212

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1599.	सिगनल उपकरण तथा दूर संचार वर्कशाप सिकन्दराबाद	Signal Equipment and Telecommunication Workshop Secunderabad . . .	1186
1600.	तालचेर (उड़ीसा) का उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Talcher (Orissa) . .	1186
1601.	अमृतसर में कृत्रिम रेशम बनाने के करखाने	Art Silk Weaving Units in Amritsar . .	1187
1602.	कृत्रिम रेशम का धागा	Art Silk Yarn	1187
1603.	दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के साथ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग	Regional Economic Co-operation with South East Asian Countries . . .	1188
1604.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	1188
1605.	पटसन को आग लगने सम्बन्धी जांच समिति	Jute Fire Enquiry Committee . . .	1189
1606.	दिल्ली में टायर तथा ट्यूबों का वितरण	Distribution of Tyres and Tubes in Delhi	1189
1607.	रबड़ जांच समिति	Rubber Enquiry Committee . . .	1190
1608.	कृषि उत्पादों का निर्यात	Farm Goods Export	1191
1609.	चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Fourth Five Year Plan	1191
1610.	दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाना	Delhi as Dry Port	1192
1611.	सशस्त्र सेवाओं के लिये गर्म वर्दियां	Woollen Garments for Armed Forces .	1192
1612.	मैसर्स इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा आयात लाइसेंस का उल्लंघन	Violation of Import Licences by M/s. Industrial Engineering Company, Bombay .	1193
1613.	ऊन तथा नाइलोन के रेशे के आयात के लिये लाइसेंस	Import Licences for wool and Nylon Yarn	1193
1614.	विदेशी कम्पनियों का विस्तार	Expansion of Foreign Cos. . . .	1194
1615.	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Afghanistan	1194

अता० प्र० संख्या

U.S.Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1616.	कठुवा जम्मू ब्राडगेज रेलवे लाइन	Kathua-Jammu B.G. Rail Link . . .	1194
1617.	सलाहकार समितियां तथा बोर्ड	Advisory Committees and Boards . .	1195
1618.	सरकारी खर्च पर विदेशों के दौरे	Visits Abroad on Government Account .	1195
1619.	अमींचन्द प्यारेलाल ग्रुप की कम्पनियों के इस्पात के सौदों की जांच	Enquiry into Steel Transaction of Amin-chand Pyarelal Group of Companies .	1195
1620.	धातु कार्मिक कोयला की मांग	Demand for Metallurgical Coal . . .	1196
1621.	औद्योगिक क्षेत्र में आयात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन . . .	Import Substitution in Industrial Sector .	1196
1622.	रेलवे पटरी के साथ लगे खम्भों पर मील के चिन्हों का किलोमीटर में बदलना	Conversion of Marking of miles into Kilo-metre on Poles on Railway Tracks . .	1197
1623.	कपड़े के मूल्य में वृद्धि	Increase in Prices of Cloth	1197
1624.	कारतूसों की कमी	Shortage of Cartridges	1198
1625.	एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों द्वारा यात्रा करने पर दूरी संबंधी प्रतिबन्ध	Distance Restrictions on Travels by Express or Mail Trains	1198
1626.	रेलगाड़ियों में खराब तथा इस्तेमालशुदा (डिसचार्ज) बैटरियां	Defective and Discharged Batteries in Trains	1199
1627.	रूस के साथ व्यापार	Trade with USSR	1200
1628	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में छंटनी	Retrenchment in Heavy Engineering Corporation	1200
1629	पूर्वोत्तर रेलवे में धनसिरी रेलवे स्टेशन के निकट रेल की पटरियों के नीचे विस्फोटक पदार्थों का पाया जाना	Recovery of Explosives Beneath Railway Tracks at Dhansiri, NEF Railway . .	1200
1630.	भारत अमरीकी वाणिज्य मंडल	Indo-American Chamber of Commerce	1201

अता० प्र० संख्या U.S Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1648.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम संबंधी समिति	Committee on N.C.D.C. . . .	1212
1649.	रूस के सहयोग से जूता निर्माण कारखाना	Shoe Factory in Collaboration with USSR .	1212
1650.	लघु उद्योग	Small Scale Industries	1213
1651.	हिमालय की खनिज सम्पत्ति	Mineral Wealth of Himalayas . . .	1213
1652.	भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	Bharat Barrel and Drum Manufacturing Company	1213
1653.	तेल के ढोलों और तारकोल के ढोलों का निर्माण	Manufacture of Oil Barrels and Bitumen Drums	1214
1654.	स्टैन्डर्ड वैक्यूम आयल रिफाइनरी	Standard Vacuum Oil Refinery . .	1215
1655.	स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल कम्पनी	Standard Drum and Barrel Company . .	1215
1656.	त्रिपुरा के लिये रेलवे सुविधायें	Railway Facilities for Tripura . . .	1216
1657.	रेलवे कर्मचारियों को रात्रि भत्ता	Night Allowance to Railway Employees .	1216
1658	पूर्वोत्तर रेलवे में वर्कशापों में पदों की वर्गोन्नति	Upgrading of Posts in Railway Workshops on N.E. Rly.	1217
1659.	पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों का कार्यकाल	Duty Hours of Railway Staff of N.E. Railway	1217
1660.	भारत का निर्यात व्यापार	India's Exports	1217
1662.	उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय . . .	Per Capita Income in Uttar Pradesh . .	1218
1663.	मीटर गेज डीजल इंजन	Metre Gauge Diesel Locomotive . . .	1219
1664.	नमक उद्योग के लिये केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड	Central and Regional Advisory Boards for Salt Industry	1219
1665.	रेलवे चिकित्सा अधिकारी	Railway Medical Officers' Associations . .	1220
1666.	रेलवे भवन (नई दिल्ली) में शिकायत अनुभाग	Complaint Cell at Rail Bhavan, New Delhi	1221
1667.	त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी तिरुनेलवेली रेलवे लाइन	Trivandrum Cape Comorin Tirunelveli Railway Line	1221

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
1668.	भारतीय माल का निर्यात	Indian Exports	1222
1669.	हापुड़ स्टेशन	Hapur Station	1222
1670.	हापुड़ से दिल्ली और नई दिल्ली के बीच रेलगाड़ी	Train Service from Hapur to Delhi and New Delhi Stations	1223
1671.	राज्य व्यापार निगम द्वारा सोयाबीन के तेल का आयात	Import of Soyabeen Oil by State Trading Corporation	1223
1672.	कांगड़ा तथा देहरादून को चाय के मानक निर्धारित करना	Fixation of Standards for Kangra and Dehradun Tea	1224
1673.	साइकिल के टायर और ट्यूब	Cycle Tyres and Tubes	1224
1674.	तालंगारा में पदीकुन्नू के निकट रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल	Overbridge across the Railway Line near Padikunnu at Talangara	1225
1675.	मद्रास में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Madras	1225
1676.	आन्ध्र प्रदेश में कोयले का न बिका स्टाक	Unsold Stocks of Coal in Andhra Pradesh	1226
1677.	जापानी व्यापारी दल की भारत यात्रा	Visit by Japanese Trade Team to India	1227
1678.	ग्रामोद्योग योजना समिति	Rural Industries Planning Committee	1227
1679.	उत्तर प्रदेश में उद्योग	Industries in U.P.	1228
1680.	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation	1228
1681.	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित कारों की बिक्री	Sale of Imported Cars by State Trading Corporation	1228
1682.	केन्द्रीय औद्योगिक सलाहकार परिषद्	Central Industrial Advisory Council	1229
1683.	कोयला उद्योग में वित्तीय संकट	Financial Crisis in Coal Industry	1230
1684.	रबड़ का आयात	Import of Rubber	1230
1685.	तकनीकी विकास महानिदेशक के कृत्य	Functions of D.G.T.D.	1230

अता॰ प्र॰ संख्या U.S Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1686.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक बोर्ड की नियुक्ति	Appointment of Board of Directors of Hindustan Steel Ltd..	1232
1687.	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्यालय, कलकत्ता	Office of Geological Survey of India, Calcutta	1232
1688.	एल्यूमीनियम की मांग	Demand for Aluminium	1233
1689.	चमड़ा उत्पादन सम्बन्धी समिशि	Committee on Leather Production .	1233
1690.	पटसन के माल पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Jute Goods . . .	1234
1691.	चौथी पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन	Production of Coal during Fourth Five Year Plan	1234
1692.	कारों के मूल्य में करों का योगदान	Tax Content in the Price of Cars . .	1235
1693.	साइकिल टायरों का स्तर गिरना	Deteriorating Quality of Cycle Tyres . .	1236
1694.	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation . . .	1236
1695.	रुपये में भुगतान वाले व्यापारिक करार	Rupee Payment Trade Agreements .	1237
1697.	इस्पात के मूल्य	Prices of Steel	1237
1698.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	1238
1699.	एरणाकुलम स्टेशन से चलने वाली प्रातःकालीन रेलगाड़ी का देरी से चलना	Late running of morning train starting from Ernakulam Station	1239
1700.	संसद् सदस्यों द्वारा कारों की पुनः बिक्री	Resale of Motor Cars by M.Ps. . . .	1239
1701.	बरौनी में रेलगाड़ी में यात्रियों का लूटा जाना	Looting of passengers in train at Barauni .	1241
1702.	पूर्वी यूरोप देशों को निर्यात	Exports to East European Countries . .	1241
1703.	रूस के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत	Talks with the Soviet Premier . . .	1241
1704.	मैसूर स्टोन वेयर पाइप्स एण्ड पाट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग एजेंन्ट	Managing Agents of Mysore Stoneware Pipes and Potteries Ltd..	1242

U.S.Q Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
1705.	इंजीनियरी वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता का अप्रयोग	Idle capacity of engineering items	1243
1706.	बीस अश्वशक्ति के देशी ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of 20 H.P. indigenous Tractors	1243
1707.	रेलवे कर्मचारियों के लिये मुफ्त पास	Free passes to Railway Employees	1244
1708.	मुफ्त रेलवे पास	Free Railway Passes	1244
1709.	दुर्गा काटन मिल्स, काडी (गुजरात) में सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना	Durga Cotton Mill, Kadi (Gujarat)	1245
1710.	डीसा कांडला रेलवे लाइन	Disa-Kandla Railway Line	1245
1711.	कोकोस्ट शोधपुर रेलवे लाइन	Kokost Shidhpur Rail Link	1246
1712	पेटलाड जंक्शन पर रेलवे प्लेटफार्म	Railway Platform at Petlad Junction	1246
1713	भावनगर तारापुर रेलवे लाइन	Bhavnagar--Tarapur Railway Line	1246
1714.	रूस को इंजीनियरी के सामान का निर्यात	Export of Engineering Products	1247
1715.	इस्पात का आयात	Import of Steel.	1248
1716	दक्षिण भारत में रेलवे कुली	Railway porters in South	1248
1717.	बेसिन ब्रिज (मद्रास) पर दुर्घटना	Accident at BaslnBridge (Madras)	1249
1718.	फलबनी जिला (उड़ीसा) में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Phulbani District (Orissa)	1250
1719.	खुदरा से बालगीर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Khurda to Balangir	1250
1720.	तालचेर से बरहामपुर तक रेलवे लाइन	Talchar Berhampur Railway Line	1250
1721.	पश्चिम रेलवे में बस तथा गाड़ी में टक्कर	Bus-Train Collision on the Western Railway	1250

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1722.	कोयले का उत्पादन लक्ष्य	Production Target for Coal . .	1251
1723.	वाणिज्यिक क्लर्कों की एसोसिएशन का अभ्यावेदन	Representation from Commercial Clerks' Association	1251
1724.	चंडीगढ़ से होकर लुधियाना और जगाधरी के बीच रेलवे लाइन.	Rail Link between Ludhiana and Jagadhri *via* Chandigarh	1252
1725.	भारतीय कोरे कपड़े का पुनः निर्यात . .	Re-Export of Indian Unbleached Cloth .	1253
1726.	उत्तर प्रदेश में कागज का कारखाना	Paper Factory in Uttar Pradesh . . .	1253
1727.	हिन्दी में कार्य . .	Work in Hindi	1253
1728.	किसानों के लिये ट्रैक्टरों की सप्लाई निर्माण	Supply and Manufacture of Tractors for Farmers	1254
1729.	रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात का खानों को हानि	Loss to Rourkela, Durgapur and Bhilai Steel Plants	1255
1730.	लोह अयस्क तथा रद्दी इस्पात का निर्यात	Export of Iron Ore and Steel Scrap .	1256
1731.	रेलवे क्रासिंगों के लिये सुरक्षा व्यवस्था	Safety Device for Railway Crossings . .	1256
1732.	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय तथा अन्य वस्तुओं की मांग	Demand for Indian Tea and other Commodities in International Markets . .	1257
1734.	गैर-सरकारी क्षेत्र में माल डिब्बों का निर्माण करने वाले उद्योगों के लिये मशीनें	Machinery for Wagon Building Private Sector Industry	1258
1735.	विदेशों में औद्योगिक प्रदर्शनियां	Industrial Exhibitions Abroad . . .	1258
1736.	अहमदाबाद में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Cotton Mills in Ahmedabad .	1259
1737.	हिन्दुस्तान कैमिकल्स लिमिटेड, पटना	Hindustan Chemicals Ltd. Patna . .	1259

U.S.Q. No. विषय	Subject	पृष्ठ/Page
1738. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अंशधारी	Share-Holders of British India Corporation	1259
1739. मुगलसराय लोको शेड में कार्य करने वाले खलासी	Khalasis in Mughal Saraj Loco Shed . .	1260
1740. हुम्मा साल्ट प्रोडक्शन एण्ड सेल्ज कोआपारेटिव सोसाइटी	Human Salt Production Sales Cooperative Society	1260
1741 अहमदाबाद में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Ahmedabad . . .	1261
1742. चमड़े का निर्यात	Export of Leather	1261
1743. भारत पाकिस्तान व्यापार सम्बन्ध	Indo-Pak Trade Relations . . .	1262
1744. लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	1263
1745. रूरकेला मिश्रित इस्पात कारखाना	Rourkela Ally Steel Plant . .	1263
1746. मैसर्स कपूर एलेन	M/s. Cooper Allen	1263
1747. बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना	Bailadila Iron Ore Project	1264
1748. एलजीयर्ज सम्मेलन	Algiers Conference	1264
1749. रूस से जस्ते और तांबे का आयात	Import of Zinc and Copper from USSR	1264
1750. खाने योग्य सुखाये हुए नारियल के लिये प्रयोगात्मक परियोजना	Pioneering Project for Edible Dehydrafted Coconuts	1265
1751. अफगानिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Afghanistan . . .	1265
1752. दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ व्यापार	Trade with South East Asian Region . .	1266
1753. सीमेंट का वितरण	Cement Distribution	1266
1755. अयस्कों पर निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना	Abolition of Export Duty on Ores . .	1266
1756. कोयला खान खनिकों के लिये महंगाई भत्ते का भुगतान	Payment of Dearness Allowance to Coal miners	1267

U. S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Page
1757. खादी तथा ग्रामोद्योग ग्रायोग में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees in Khadi and Village Industries Commission . .	1267
1758. कपास का सहायता प्राप्त मूल्य	Support Prices for Cotton . .	1267
1759. रुरकेला इस्पात कारखाना ग्रतिथिगृह	Rourkela Steel Factory Guest House . .	1268
1760. दण्डकारण्य में ग्रखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Plant in Dandakaranya . .	1268
1761. राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद	Purchase of Jute by STC	1268
1763. मद्रास बन्दरगाह स्टेशन से भेजे गये ग्रमोंनियम फास्फेट का गुम होना	Missing of consignment of Ammonium Phosphate despatched from Madras . .	1269
1764. लाइसेंस देने सम्बन्धी उदार नीति	Liberalised Licensing Policy . . .	1269
1765. मलशिया से व्यापार प्रतिनिधिमडल	Trade Delegation from Malaysia . .	1270
1766. ग्रायात तथा निर्यात लाइसेंस	Import and Export Licences . . .	1271
1767. लोहना रोड स्टेशन	Lohna Road Station	1271
1768. मेरठ ग्रौर दिल्ली के बीच यात्री यातायात का सर्वेक्षण	Survey of passengers Traffic between Meerut and Delhi	1271
1769. ग्राध्यात्मिक नगर हाल्ट पर 5 एम० डी० ग्रौर हापुड़ शटल गाड़ी का रुकना	Stoppage of 5 M.D. and Hapur Shuttle Trains at Adhyatmik Nagar Halt .	1272
1770. ऐस्वेटास चादरों का निर्माण	Production of Asbestos Sheets . . .	1272
1771. ट्रैक्टरों तथा कृषि सम्बन्धी मशीनों के मूल्य	Prices of Tractors and Agricultural Machinery	1273
1772. कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Collieries	1273
1773. क्षेत्रीय रेलों में ग्रंग्रेजी टाइप मशीनों को किराये पर लेना	Hiring of English typewriters in Zonal Railways	1273
1774. तांबे के तारों की चोरी	Theft of Copper Wire . .	1274

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1775.	औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates	1274
1777.	नई दिल्ली और दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर पड़ा सामान	Goods lying at New Delhi and Delhi Railway Stations	1275
1778.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड	Durgapur Project Ltd.	1275
1779.	जापान को चाय का निर्यात	Export of Tea to Japan . . .	1276
1780.	कोयले का मूल्य	Prices of Coal	1277
1781.	दुर्गापुर कोक भट्टी संयंत्र	Durgapur Coke Oven Plant . .	1277
1782.	रेल कर्मचारी कार्मिक संघों का सम्मलन	Conference of Railwaymen's Trade Unions	1278
1783.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant . . .	1278
1784.	विदेशियों के कारखानों में ऊंचे वेतन वाले पदों का भारतीयकरण	Indianisation in High salary group of Foreign Owned Units	1279
1785.	रेलवे में नियंत्रण पद्धति का स्वचालित किया जाना	Automation for Control System on Railways	1279
1786.	बोकारो इस्पात कारखाने में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति	Appointment of Chief Executive for Bokaro Steel Plant	1280
1787.	रेलवे उपकरणों का निर्यात	Export of Railway Equipment . . .	1280
1788.	उच्च अधिकारियों के सम्बन्धियों को बिड़ला उद्योग समूह में नौकरियां	Relations of High ups in Employment of Birla Group of Industries . .	1280
1789.	रेलगाड़ियों का डीजल से चलाया जाना	Dieselisation of Rail Traction . . .	1280
1791.	भारी अभियांत्रिक निगम रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi .	1281
1792.	इन्दुमिल समह	Indu Group of Mills . . .	1281
1793.	सुपर फाइन कपड़े पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Superfine Cloth . . .	1282
1795.	विदेशों में भारतीय प्रदर्शन कक्ष	Indian Show rooms in Foreign Countries .	1282
1796.	कन्नूर कोचीन यात्री गाड़ी	Cannanore-Cochin Passenger Train . .	1284
1797.	ब्रिटेन को रेशम का निर्यात	Export of Silk to UK . . .	1284

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1798.	औद्योगिक लाइसेंस नीति समिति	Industrial Licensing Policy Committee	1285
1799.	कोयले का उत्पादन	Coal Production . . .	1285
1800.	बिहार में तांबे के निक्षेप	Copper Deposits in Bihar . . .	1286
1801.	औद्योगिक लाइसेंसिंग अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन	Violation of Provisions of Industrial licensing Act	1286
1802.	मैसूर में सोने के निक्षेप	Gold Deposits in Mysore . . .	1286
1803.	रेलवे पर दबाव कम करने के बारे में राज्यों से बातचीत	Negotiations with States for relieving Pressure on Railways .	1287
1804.	काश्मीर की हथकरघा वस्तुओं का निर्यात	Export of Kashmir Handicrafts	1287
1805.	अमींचन्द प्यारेलाल का मामला	Aminchand Pyarelal Affair . .	1288
1806.	मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Madras-Delhi Janta Express .	1288
1807.	सोलोग मदारी स्टेशन पर मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train at Solog Madari Station	1288
1808.	बिना टिकट के यात्रा	Ticketless Travel	1289
1809.	रेलवे दुर्घटनायें	Railway Accidents . . .	1289
1810.	व्यापार संतुलन	Balance of Trade	1289
1811.	खेतरी तथा अगनिगुंडाला में तांबे, सीसे और जस्ते के निक्षेप	Copper, Lead and Zinc Deposits at Khetri and Agnigundala	1290
1812.	पूंजीगत उपकरणों का आयात	Imports of Capital Equipment . .	1290
1814.	लंका द्वारा भारतीय फिल्मों का आयात	Import of Indian Films by Ceylon .	1291
1815.	डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of Processed Food .	1291
1816.	खुरदा रोड रेलवे कालोनी में बहुमंजिली इमारत	Multi storeyed buildings at Khurda Road Railway Colony .	1291

1817. डिवीजनल सुपरिन्टेंडेन्ट कार्यालय, उत्तर रेलवे, लखनऊ के अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिये आवास स्थान — Accommodation for Scheduled Castes employees in Divisional Superintendent's Office, Northern Railway, Lucknow . . 1292

1819. मनीपुर में खनिज सम्पत्ति — Minerals Wealth in Manipur 1292

1820. मनीपुर में उद्योग — Industries in Manipur . . . 1293

1821. पूर्वोत्तर सीमावर्ती रेलवे पर सवारी डिब्बों की कमी — Shortage of Bogies on the North-east Frontier Railway . 1293

1822. राजस्थान में खनिज — Minerals in Rajasthan 1294

1823. चाय निर्यात के लिये नई मंडियां — New Markets for Tea Exports . . . 1294

1824. व्यापार में कदाचार — Malpractices in Trade . 1295

1825. पटसन तथा चाय उद्योग पर नियंत्रण — Control over Jute and Tea Industries 1295

1826. पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास — Industrial Development of Backward Areas 1295

1827. राजस्थान में नई रेलवे लाइनें — New Railway Lines in Rajasthan . . 1296

1828. राजस्थान में खेतरी तांबा परियोजना — Khetri Copper Project in Rajasthan . . 1296

1829. सरकारी क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं — Major Projects in Public Sector . . 1298

1830. त्रिपुरा में खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण — Survey of Minerals in Tripura . . . 1298

1831. धर्मनगर से अगरतल्ला तक रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना — Extension of Railway Line from Dharmanagar to Agartala 1299

1832. दिल्ली के बड़े स्टेशन पर स्कूटर साइकिल स्टैंड — Scooter/Cycle Stand at Delhi Main Station . 1300

1833. गंगापुर नगर (राजस्थान) में रेलवे माध्यमिक स्कूल — Railway Secondary School, Gangapur City (Rajasthan) . . . 1300

1834. कोटा डिवीजन में रेलवे अस्पताल — Railway Hospitals in Kotah Division 1301

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1835.	दिल्ली से कानपुर तक सब से तेज चलने वाली रेलगाड़ी	Fastest Train from Delhi to Kanpur .	1301
1836.	दक्षिण अमरीका के देशों को सहायता	Assistance to South American Countries	1302
1837.	रेलवे पुलों को क्षति	Damages to Railway Bridges .	1302
1838.	मोरक्को को हरी चाय का निर्यात	Export of Green Tea to Morocco	1302
1839.	नई दिल्ली स्टेशन पर केले से भरे माल डिब्बों के देर से पहुंचने के कारण हानि	Loss due to late arrival of Wagons of Bananas at New Delhi Station .	1302
1840.	मध्य प्रदेश के सजावटी वस्तुओं का निर्यात	Export of Decorative products from Madhya Pradesh . .	1303
1841.	धातुओं से बनी वस्तुओं के निर्यात	Export of Metallic Products	1303
1842.	मध्य प्रदेश के लिये लोहे तथा इस्पात का कोटा	Quota of Iron and Steel to Madhya Pradesh	1303
1843.	मध्य प्रदेश को लोहे तथा इस्पात का कोटा	Quota of Iron and Steel to Madhya Pradesh	1304
1844.	अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संस्था	All India Railway Commercial Clerks' Association	1305
1845.	छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास सम्बन्धी समन्वय समिति	Coordination Committee on small scale Industries .	1305
1846.	बड़े उद्योगों को लाइसेंस दिया जाना	Grant of Licences to Major Industries .	1306
1847.	नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Urban Areas .	1308
1848.	कारखानों के लिये भवन	Buildings for Factories . . .	1308
1849.	ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों का विकास	Development of Rural Industrial Estates .	1309
1850.	लघु उद्योग	Small Scale Industries	1309
1551.	इंजनिरा उद्योग	Engineering Industries	1310
1852.	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Project	1310

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1853.	उत्तर रेलवे में डाक्टरों का तबादला	Transfer of Doctors on Northern Railway	1311
1854.	पक्षियों का निर्यात	Export of Birds	1312
1855.	वारिस अलीगंज रेलवे स्टेशन	Waris Aleganj Railway Station . . .	1312
1857.	जमालपुर वर्कशाप में लोहे, तांबे और पीतल की चोरी	Theft of Iron, Copper and Brass at Jamalpur Workshop	1313
1858.	पन्ना खानों में हीरों का उत्पादन	Production of Diamonds at Panna . .	1313
1860.	माल के लदान के लिये माल-डिब्बों का नियतन	Allotment of Wagons for Loading Goods .	1314
1861.	मध्य प्रदेश में डाकुओं से आतंकित क्षेत्र का औद्योगिक विकास	Industrial Development of dacoit infested areas in M.P.	1314
1862.	पंजाब तथा हरियाणा के स्टेशनों पर पड़े अनाज का परिवहन	Transport of Foodgrains lying at Stations in Punjab and Haryana	1315
1863.	ईरान के साथ व्यापार	Trade with Iran	1315
1864.	रेलगाड़ियों का देरी से पहुंचना	Late arrival of Trains	1315
1865.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में अधिकारी	Officers in Khadi and Village Industries Commission	1316
1866.	जापानी किस्म के लाल चन्दन की लकड़ी का निर्यात	Export of Japanese Quality Red Sandalwood	1317
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1317
	लन्दन में मैसूर का एक व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त करने का कथित निर्णय	Reported decision to appoint a Trade Representative of Mysore in London .	1317
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	1320
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . .	1321
	राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक	Bills passed by Rajya Sabha . . .	1321
	(एक) विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक	(i) Special Marriage (Amendment) Bill	1321

अता० प्र० संख्या विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
U. S. Q. Nos.		
(दो) सरकारी भूगृहां (अवैध कब्जा निष्कासन) संशोधन विधेयक	Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill .	1321
सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक	Government (Liability in Tort) Bill .	1322
संयुक्त समिति नियुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Motions re appointment to Joint Committee	1322
शत्रु सम्पत्ति विधेयक	Enemy Property Bill .	1323
विचार के लिये प्रस्ताव	Motion to consider	1323
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh . . .	1323
श्री रा० रा० सिंह देव	Shri R.R. Singh Deo . .	1325
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan . .	1325
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhary .	1326
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D.C. Sharma .	1327
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yag Datt Sharma . .	1328
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh .	1329
श्री इसहाक साम्भली	Shri Ishaq Sambhali . .	1330
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य	Shri C.K. Bhattacharyya . .	1330
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes . .	1331
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	1332
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav . .	1333
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	1333
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrmati Ila Pal Choudhuri . .	1333
खंड 2 से 6	Clauses 2 to 6 . . .	1335
नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा	Discussion under Rule 193 . .	1337
समाचार पत्रों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by newspaer employees	1337
श्री एस० एम० जोशी .	Shri S.M. Joshi . . .	1337
श्री नारायण दांडेकर .	Shri N. Dandekar . .	1337
श्री शान्तिलाल शाह	Shri Shantilal Shah .	1338
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	1339

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh .	1339
श्री किरुतिनन	Shri Kiruttinan .	1340
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	1341
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	1341
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D.C. Sharma .	1342
श्री प० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti .	1342
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	1343
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy .	1343
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah .	1344
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J.B. Kripalani	1344
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte . .	1344
श्री हाथी	Shri Hathi	1345

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 30 जुलाई 1968 / 8 श्रावण, 1890 (शक)

Tuesday, July 30, 1968 / Sravana 8, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन

†181. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री नम्बियार :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के 42 प्रतिशत अंश सरकार के नियंत्रण में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्ध पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये सरकार का विचार ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के, प्रतिशत और अंश खरीदने का है;

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के वर्तमान प्रबन्धकों के दबाव के कारण सरकार अधिक अंश नहीं खरीद रही है और;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह समाचार ठीक है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जीवन बीमा निगम जिस के पास हिस्सों का 16.67 प्रतिशत है तथा यूनिट ट्रस्ट आफ़ इंडिया के 0.62 प्रतिशत हिस्सों के अतिरिक्त ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में, भारत के राष्ट्रपति के 22.21 प्रतिशत हिस्से हैं ।

(ख) सरकार के समक्ष हिस्सों का 9 प्रतिशत खरीदने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) तथा (ङ) इस प्रकार की रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है ।

श्री सी० के० चक्रपाणि : प्रश्न संख्या 181 के साथ ही प्रश्न संख्या 195 का भी उत्तर दे दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : हां ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन

*195. श्री चक्रपाणि : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रबन्धकों के विरुद्ध लगाये गये गबन और धोखधड़ी के आरोपों की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश-पद क्या हैं ;

(ग) उस के सदस्यों के नाम और व्यावसायिक पदनाम क्या हैं; और

(घ) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क), (ख) तथा (घ). पिछली वार्षिक बैठक के अवसर पर उपस्थित अनेक हिस्सेधारी, कम्पनी की ऊनी शाखाओं तथा कूपर एलन यूनिट के कार्य के विशेष पहलुओं, चीनी कम्पनियों के हिस्सों की बिक्री, श्री बी० एल० बाजोरिया की दी गई परिलब्धियां, परिस्थितियां, जिन के कारण कुछ निदेशक कम्पनी के जांचे गये लेखे पर हस्ताक्षर न कर सके, आदि को मिला कर अनेक इंगितों पर स्पष्टीकरण चाहते थे । कुछ हिस्सेधारियों ने, प्रश्नों की, जिन्हें वह बैठक में पूछना चाहते थे, अग्रिम सूचना भी दी थी ।

बैठक में, पूछे गये प्रश्नों पर विचार करने के लिये समय की न्यूनता की दृष्टि से, लेखे से संबंधित अथवा उस के बारे में उत्पन्न, पूछे गये प्रश्नों की परीक्षा करने के लिये बैठक में एक समिति नियुक्त की गई थी । समिति को इन प्रश्नों पर, कम्पनी के निदेशक मंडल को एक प्रति सहित, कम्पनी विधि बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है । समिति से, यथा-संभव शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा की जाती है ।

(ग) हिस्सेधारियों ने, निम्नलिखित को समंजिस करते हुए एक समिति नियुक्त करने का संकल्प किया :—

1. वस्त्र आयुक्त का एक मनोनीत व्यक्ति,
2. जीवन बीमा निगम का एक मनोनीत व्यक्ति,
3. कम्पनी विधि बोर्ड का एक मनोनीत व्यक्ति,
4. अल्प संख्यक हिस्सेधारियों का एक मनोनीत व्यक्ति,
5. एस० सी० मेहता, चार्टर प्राप्त लेखाकार, कलकत्ता,
6. बाजोरियों का एक प्रतिनिधि ।

कम्पनी विधि बोर्ड को, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, कुछ सांविधिक कार्यवाही करनी है । अतः कम्पनी के हिस्सेधारियों द्वारा नियुक्त की गई समिति के साथ कम्पनी विधि के प्रतिनिधि का संस्थित करना उचित नहीं होगा । कम्पनी को इस स्थिति की सूचना दे दी गई है ।

श्री विश्वनाथ मेनन : उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि से कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रबन्धकों के विरुद्ध कुप्रबन्ध के आरोप हैं क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों ने स्पष्ट रूप में कहा है कि वे ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के मामलों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। सरकार द्वारा किसी निदेशक की नियुक्ति जैसी कोई बात नहीं है। बहुसंख्यक अंश-धारियों, बाजोरिया तथा सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था ... (व्यवधान)। इलाहबाद उच्च न्यायालय में याचिका देने से पूर्व जिस के आधार पर नये प्रबन्धक नियुक्त किये गये थे, यह समझौता हो गया था कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार के अनुमोदन के पश्चात् होगी। इसलिये, अब भी इस समवाय में कोई निदेशक नियुक्त किया जाता है, सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त की ही जाती है। अतः सरकार द्वारा नियुक्त जैसी कोई बात नहीं है। यह एक परम्परा रही है कि कुछ निदेशकों का सुझाव हम देते हैं तथा जब उन का अनुमोदन मंडल द्वारा अथवा वार्षिक साधारण सभा द्वारा हो जाता है तब यह हमारे अनुमोदनार्थ आता है। अभी हाल ही में जिन निदेशकों का सुझाव दिया गया था वे हैं श्री हिम्मत सिंह तथा श्री बिलग्रामी इन के लिये मण्डल ने तथा वार्षिक सामान्य सभा ने भी अनुमोदन किया था अतः वे यह विचार प्रकट कर रहे हैं कि प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं चल रहा है तथा हानि हो रही है।

श्री विश्वनाथ केवन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि 6 जून, 1968 की कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कुछ सदस्यों द्वारा यह मांग की गई थी कि श्री हिम्मत सिंह को ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के मंडल से अपदस्थ कर दिया जाये क्योंकि उन्होंने सभापति श्री प्रकाश को एक अपमानपूर्ण पत्र लिखा था तथा स्वयं एक सरकारी निदेशक बनने की जाल साजी की थी ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : श्री हिम्मत सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उन्होंने पत्र सभापति को लिखा था तथा उन के द्वारा सभापति को लिखे गये पत्र की सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती।

श्री बी० के० चक्रपाणि : यह एक सर्व विदित तथ्य है कि बाजोरियों द्वारा ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन की एक एक ईंट बेची जा रही है। बाजोरियों के कु-प्रशासन तथा कु-प्रबन्ध के कारण पिछले वर्ष इस समवाय को 150 लाख रु० की हानि हुई। सरकार ने कुछ निदेशक नियुक्त किये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा नियुक्त ये निदेशक बाजोरियों के साथ मिल गये, और यदि हां, तो उन निदेशकों को हटाने तथा जनता के हित के लिये नये निदेशक नियुक्त करने के लिये सरकार क्या उपाय करेगी ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : निदेशकों का हटाया जाना समवाय कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत होता है। हम तो कुछ अनियमिततायें सामने लाकर, उच्च न्यायालय को इन को हटाने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं। हमें अभी हाल ही में एक निरीक्षक नियुक्त किया है जिस ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। वह रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: मंत्री महोदय ने अभी स्वीकार किया है कि वहां कुप्रबन्ध है तथा घाटा हो रहा है। वर्ष 1964-65 में वहां लगभग 3 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। वर्ष 1965-66 में भी उन्हें लाभ हुआ। परन्तु 1966-67 में उन्हें हानि हुई। मंत्री महोदय ने राज्य सभा में तथा यहां भी यह वायदा किया था कि कुप्रबन्ध को ठीक करने तथा समवाय को लाभ प्राप्त कराने की दृष्टि से सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इस समवाय ने पिछले कुछ वर्ष विभिन्न राजनैतिक दलों को कितने चन्दे दिये हैं ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम ने एक कार्यवाही तो यह की थी कि अपने निरीक्षक द्वारा समवाय के लेखे का निरीक्षण कराया। उस ने बड़ी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट पेश की है। हम विचार कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की जा सकती है। दूसरे, जहां तक कूपर एलेन एकक का प्रश्न है तथा जो कि हानि के लिये उत्तरदायी है, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यह कारखाना प्रतिरक्षा विभाग के द्वारा ले लिया जाये। हम ने पहले ही प्रतिरक्षा मंत्रालय से इस प्रश्न पर विचार करने को कहा है जिस के आधार पर इस एकक को अधीनस्थ किया जा सके।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मंत्री महोदय ने कहा कि वे प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। हमें ज्ञात है कि रिपोर्ट में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। क्या मंत्री महोदय इस रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ।

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य दृष्टि से कि ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं कि वे लोग भ्रष्ट उपाय अपना रहे हैं तथा बिक्री में धोखाधड़ी कर रहे हैं, तथा इस दृष्टि से भी कि कर्मचारी संघ ने भी इस बारे में सरकार को एक ज्ञापन पत्र दिया है तथा सरकार ने भी ब्रिटिश इन्डिया कार्पोरेशन में भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है, तो सरकार ने ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन के मामलों के बारे में एक स्वतन्त्र जांच का आदेश क्यों नहीं दिया, तथा तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : वह जांच कराई गई थी तथा उस की रिपोर्ट सरकार के सामने है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्या यह सत्य है कि जब बाजोरियों ने ब्रिटिश इन्डिया करपोरेशन को सम्भाला था, तो अंशधारियों को 15 प्रतिशत लाभांश दिया जाता था और इस के पश्चात् इस समवाय ने इस बुरी तरह कार्य किया कि उन्हों ने अपनी जमा पूंजी से पांच करोड़ रुपये अधिक राशि निकाल ली तथा बाजोरियों द्वारा अन्दर अन्दर ही आपसी समझौते के द्वारा कुछ सम्पत्ति भी बेच डाली गई।

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : यह सत्य है कि समवाय घाटे में जा रहा है तथा पिछले एक दो सालों से उस ने कोई लाभांश नहीं दिखाया है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं यह भी जानना चाहती थी कि क्या बाजोरियों द्वारा अन्दर ही अन्दर कुछ सम्पत्ति भी बेची गई है ? मैं इस सम्पत्ति की एक सूची चाहती हूं।

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : मुझे नहीं मालूम कि माननीया सदस्या किस सम्पत्ति के बारे में कह रही हैं। यदि वह चीनी-मिलों के कुछ अंशों के बारे में कह रही है तो वे समवाय के निदेशकों के अनुमोदन से बेचे गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी अभी दिये गये उत्तर के संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि समवाय और सरकार के मध्य यह समझौता क्यों नहीं है कि ये निदेशक, जो कि सरकार के अनुमोदन से नियुक्त होते हैं, यदि इस समवाय को थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, जैसा कि उन्होंने 6 चीनी मिलों के बारे में किया है, तो सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। दूसरे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह कूपर एलेन एकक तथा लाल इमली एकक प्रतिरक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले महत्वपूर्ण संभरणकर्त्ता हैं। इस तथ्य की दृष्टि से कि यह सारी मूल्यवान सम्पदा नष्ट-भ्रष्ट हो रही है तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन दोनों एककों को पूर्णतया अपने अधीनस्थ करने के लिये कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक कूपर एलेन का सम्बन्ध है वह मामला पहले ही से प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास पड़ा है तथा यह आशा की जाती है कि वह एकक जल्दी ही प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा ले लिया जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : कितनी जल्दी ?

अध्यक्ष महोदय : जितनी जल्दी सम्भव हो ।

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : दूसरे एककों के बारे में मामला विचाराधीन है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है कि ये निदेशक जिनकी नियुक्ति सरकार के अनुमोदन से होती है, एककों को बेचने के पूर्व सरकार की अनुमति क्यों नहीं प्राप्त करते तथा वे सरकार के अनुमोदन बिना चाहे जो कुछ क्यों बेच सकते हैं तथा सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता क्यों नहीं है ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : मैं नहीं जानता, कि माननीय सदस्य किस बिक्री के बारे में कह रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उन छः चीनी मिलों के बारे में कह रहा हूं ।

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : मैं स्पष्ट कर दूं कि चीनी के मिलों को बेचने जैसी कोई बात नहीं है । ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के हाथ में कुछ अंश तथा उन अंशों का निदेशकों की सिफारिश पर बेचा गया था ।

श्री शशि रंजन : यह सत्य है कि ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, और जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा है, कूपर एलेन एकक के कारण ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन को हानि होती जा रही है ? बाटा की ओर से कूपर एलेन एकक को खरीदने का प्रस्ताव भी था । सरकार कूपर एलेन को बाटा के हाथों क्यों नहीं बेच देती तथा इस प्रकार लाल इमली तथा धारीवाल को बन्द होने से बचाती । यदि इस निगम के मामलों को इसी प्रकार चलने दिया गया तो जो एकक देश के लिये मूल्यवान हैं वे निश्चय ही बन्द हो जायेंगे । सरकार द्वारा इस बारे में इतनी शिथिलता दिखाने के क्या कारण थे ? दूसरे, मामला अधिक बुरा नहीं होता जा रहा था । यहां घाटा होता जा रहा था तथा हालत आरम्भ से ही बुरी थी । जब सरकार को यह पता लगा कि उस ने कोई कार्यवाही करनी है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस समवाय के मामलों में हस्तक्षेप करना क्यों नहीं उचित समझा तथा उन्हें खराब क्यों होते रहने दिया ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद: यह निश्चय ही सत्य है कि यह समवाय कूपर एलेन एकक को बाटा के हाथों बेचना चाहता था लेकिन हमारे विचार से इस प्रकार का हस्तान्तरण समवाय अथवा जनता के हित में नहीं था । इसीलिये हमने इसे रोका क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण एकक है तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस का प्रबन्ध सरकार के हाथ में हो। यदि इसे बाटा को दे दिया जाता तो उस से और भी एकाधिकार उत्पन्न हो जाता, और हमने इसे आवश्यक नहींसमझा ।

श्री पीलू मोदी : मैं नहीं समझता कि आपको उन्हें ऐसा कहकर बच जाने देना चाहिये । यदि यह एकाधिकार की बात है तो इन्हें यह सिद्ध करना चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The whole affairs of the B.I.C. are being solved with political considerations. We are not interested either in the labour or the public. Previously the

Bajorias was the blue-eyed boy of the Government. Now they have fallen out on the appointment of the Directors. I have heard that there is some dispute on the issue of donations. The Prime Minister is taking interest in it. *The Indian Express* of the 18th July speakes:

"The future of British India Corporation in which the Government and the Life Insurance Corporation have together over 40 per cent shares was discussed by the Prime Minister informally with her cabinet colleagues. Among those who were present at this meeting were Mr. Chavan, Mr. Jagjivan Ram, Mr. Fakhruddin Ali Ahmed and Mr. Diwan Singh. As a result of todays' discussion, it is likely that Mr. Ahmed may bring forwared a Bill on the very first day of Parliament on Monday empowering the Government to take over the administration of B.I.C."

There are similar news-items which state that the Prime Minister was herself interested in taking it over earlier, the Government compelled the Bajorians to purchase the shares from Mundra as they were Government's pet. Would the Government set up a high-powered Committee to go into the affairs with a view to check the mismanagement in the Cooper Allen etc., as a result of which the labour is suffering ? Had the Government, at any time, assured the Bajorias that the Government will not purehase more shares ?

Shri F.A. Ahmed: First of all, I want to reply to certain allegations made. It has been said that we are giving political consideration while discussing this matter. It is quite wrong (interrruption). Government is not taking this action against them because of donations. or any sort of dispute. I want to tell that there is nothing wrong if the Prime Minister discusses this matter with the Minister. She had received a number of representations from the labour side and she wanted to discuss about the present position of the affairs as also what could be done better to take over the Cooper Allen Unit which is going to close down (interruptions).

Shri Kanwar Lal Gupta: When are you taking it over ?

Shri F. A. Ahmed: The hon. Member has, perhaps, not heard that we have asked the Defence Ministry to take over the Cooper Allen Unit. The Defence Ministry is considering it and I hope they will soon take it over.

It has been said that we, compelled the Bajorians to purchase the shares of the B.I.C. We have not compelled them in any way, they might have purchased the shares at their sweet will. We are not concerned with that.

Shri Kanwar Lal Gupta: Sir, my point was whether at any time you assured the Bajarorias that the Government would not purchase more shares.

Shri F.A. Ahmed: We never gave any such assurance.

Shri D.N. Tiwary :Mr. Speaker, shares have been purchased from the consolidated Fund of India, L.I.C. and also from Unit Trust of India, which means that the people of India too have shares and they too shall be responsible for any loss of so Previously this company was showing profit. So have the Government set up any agency to find out that when it was showing profit previously why there is any loss now and how much loss have the Government incurred so far ?

Shri F.A. Ahmed: I had just now submitted before the hon. Members that we had deputed an inspector whose report we have received and we will come to know all about. Secondly, the Company has recently passed a resolution to appoint a Committee which wil consider all the affairs and submit a report to us and we will consider it.

Shri S.M. Joshi: First of all I will say that it is a very good thing that the Defence Ministry is going to take over the Cooper Allen Unit, and we are satisfied. But it has also been said

that certain sugar-mills have been sold out and we want to know whether or not it is true that 5 of the factories have been sold out for Rs. 35 lakhs and Rs. 12 lakhs are yet to be received; and that this has been a 'benami' transaction. In whose name have those been sold and we want to say that it is a sort of mismanagement, fraud and looting. Therefore, as Mr. Gupta said, would the Government appoint a Commission to inquire whether it is not a loot ? In this transaction of selling out 4-5 factories which are a source of big profit owing to the Government's policy of de-controlling sugar ? Will the Govt. find out whether it was really a sale or not ? And if it is really a 'benami' transaction, then, whether the Mills may taken over or not ? It has been admitted that the Directors had approved it. But who are the Directors to do that ? The shares belong to the Govt. It is quite wrong. So will you appoint a Commission to inquire about all this ?

Shri F.A. Ahmed: I have already said and again repeat that no factory has been sold out . . . (*interruptions*).

Shri Rabi Ray: But the shares have been sold out . . . (*interruption*).

Shri F.A. Ahmed: You please hear the answer atleast. The hon. Member has stated that 5 factories have been sold out. I have said that no factory has been sold out. The B.I.C. had the shares of the sugar mills and they have sold those . . . (*interruption*).

श्री कार्तिक ओराओं : ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन 1950 के बाद वाले वर्षों में 2 करोड़ रुपये का लाभ कमाता रहा है परन्तु अब उसे एक करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है । इस सन्दर्भ में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस कारपोरेशन में कब हिस्सा लेना शुरू किया था और उस समय कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति क्या थी । इसे होने वाली हानि के लिये सरकार किस हद तक जिम्मेदार है ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : 1966 और 1967 में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को लगभग 130 लाख रुपये का घाटा हुआ, उससे पहले वर्ष लगभग 25.9 लाख रुपये का घाटा हुआ । उससे पहले इसे 20 लाख रुपये का लाभ हुआ था और 1960 में इसे 133 लाख रुपये का लाभ हुआ था ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री द्वारा दिये गये विभिन्न उत्तरों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विचार से सब दोषों को दूर करने का उपाय एक ही है और वह है राष्ट्रीकरण या सरकार द्वारा नियंत्रण का अपने हाथ में लिया जाना ? परन्तु मेरा विचार ऐसा है कि जिस काम में भी सरकार ने हाथ डाला है उसी में घाटा हुआ है । हमारी सरकार के लिये निम्नलिखित चोपाई बिल्कुल ठीक बैठती है :

'जहं जहं चरण पड़े संतन के तहं तहं होवे बंटाधार।'

क्या सरकार इस उद्योग में हस्तक्षेप करना छोड़ देगी और उसका प्रबन्ध-कार्य उद्योग के मालिकों को लौटा देगी जिससे इसे लाभ हो ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : वैसे तो माननीय सदस्य ने अपना निजी मत व्यक्त किया है । परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस समय इसका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथों में नहीं लिया था, उस समय भी इसे घाटा हुआ था ।

श्री तेन्नेट्टि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने यह कहा था कि सरकार निदेशकों को नियुक्त नहीं करती है । क्या यह सच है कि कम्पनी ने निदेशकों की एक सूची सरकार के पास भेजी थी जिसे सरकार

ने एक ओर उठाक ख दिया और श्री श्रीप्रकाश को तार द्वारा ये आदेश दिये गये कि श्री हिम्मत सिंह और श्री बिलग्रामी को निदेशक मंडल में रखा जाये। इस प्रकार क्या सरकार ने अपने दो निदेशक कम्पनी के ऊपर नहीं थोपे ? क्या यह स्वीकृति के बिना थोपने का मामला नहीं है। क्या अधिकांश हानि कूपर एलन के कुप्रबन्ध के कारण ही रही है ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : सरकार नियुक्त नहीं करती बल्कि वह स्वीकृति देती है दूसरे, उसमें हिस्सेदार होने के नाते सरकार नामों के बारे में सुझाव देने का हक भी रखती है। अतः कम्पनी द्वारा भेजे गये नामों को स्वीकृति देने का काम करके सरकार कोई गलती भी नहीं करती है। यह कहना भी गलत है कि कूपर एलन के कारण घाटा हो रहा है। यदि कूपर एलन के कारण होने वाले घाटे की 50 लाख रुपये की राशि को निकाल भी दिया जाये तो उसे 80 लाख रुपये का घाटा तो हुआ ही है।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि आधा घंटा समाप्त हो गया है और फिर भी श्री बनर्जी तथा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा जैसे अनेक वरिष्ठ सदस्य इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने को उत्सुक प्रतीत हो रहे हैं। अतः अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये।

श्री बलराज मधोक : यह आपका विशेष अधिकार है। यदि प्रश्न काल में और अधिक प्रश्न पूछे जाया करें तो अधिक अच्छा रहेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : जो सदस्य कानपुर से सम्बन्धित हैं उन्हें प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया गया। परन्तु बम्बई और कलकत्ता से आने वाले सदस्यों को प्रश्न करने की अनुमति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

संकटग्रस्त कपड़ा मिल

182. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि उन सभी संकटग्रस्त कपड़ा मिलों में जिनको अपने नियन्त्रण में लेने का कपड़ा निगम का विचार है, राज्य सरकारों को ऐसी कपड़ा मिलों के संचालन के लिये सहायक कपड़ा निगम स्थापित करके 50 प्रतिशत तक भाग देना होगा;

(ख) क्या पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण तथा पुराने तकुओं और करघों को बदलने के लिए वित्तीय सहायता देने का भी सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) माननीय सदस्य का अनुमान इस विषय पर केन्द्रीय सरकार की विचारधारा को व्यक्त करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय वस्त्र निगम सरकार द्वारा पहले ही हाथ में ली गयी अथवा भविष्य में ली जाने वाली मिलों के आधुनिकीकरण में सहायता करेगा ।

2. आधुनिकीकरण के लिये अन्य मिलें भी संस्थागत वित्त-पोषक अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं ।

3. हाल ही में बैंक दर 1/2 प्रतिशत घटाई गई थी :

4. भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने मिलों को पुन: स्थापन तथा आधुनिकीकरण के लिये आस्थगित भुगतान पर वस्त्र मशीनें दिलवाने के लिए एक योजना तैयार की है और उपयुक्त मामलों में आस्थगित भुगतान की अवधि 7 वर्ष तक बढ़ाई गई है । पुनर्बट्टा सुविधा में भी छूट दी गयी है ।

5. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने कपड़ा मिलों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण की सीमा तथा उधार की मात्रा में छूट के प्रश्न पर विचार किया है ताकि आधुनिकीकरण और कार्यकारी पूंजी के लिये अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था हो सके । इसके अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को हिदायतें जारी की है । दल का अंतिम प्रतिवेदन हाल में ही मिला है तथा उस पर विचार हो रहा है ।

Shri Yajna Datt Sharma: The problem of the sick mills is facing this Government since long. May I know in clear terms the policy of the Government in respect to these sick mills whether Government intend to take over all sick mills or intend to remove their sickness—relating to the machinery or raw material etc.—only ?

Shri Dinesh Singh : This question has been raised a number of times and it has been made clear that the Government have no intention of taking over all such mills. They will consider of taking over only such mills as may run efficiently after introducing some changes or investing some money in them. Government do not intend to run the whole industry.

Shri Yajna Datt Sharma: May I know whether Government have already taken over some mills like Bengal Nagpur Cotton Mills; whether there are chances of survival of this mill in the hands of Government; and the new remedial steps Government have taken to remove the sickness of the sick mills ?

Shri Dinesh Singh: The Government have taken over those mills, which were not running properly and some of them are running at loss while some of them are running at profit. We are going to make a new act on the basis of which Government will have power to take over such mills in full. Then, we will do every thing possible to modernize them and to see that they run at profit.

Shri M.A. Khan: May I know the number of mills which have been closed down and whether all such mills will be covered within the jurisdiction of the National Textile Corporation. Who has been appointed as the Chairman of this Corporation and what is the total amount to be incurred thereon ?

Shri Dinesh Singh: The expenditure of this Corporation will depend on the number of the mills Government will have to take. At the moment it will require five to ten crores of rupees. The question of the appointment of the Chairman has not yet been finalized. The number of closed mills is 55.

Shri Ramavtar Shastri: Sir, there are two cotton mills in Bihar—the Gaya Cotton Mills and the Phulwari Sharif Cotton Mills. The first had been close down some years ago and the

second one has been running at loss for the last 10 years. May I know whether Government intend to take over the first Mill and to give some aid to the second one ?

Shri Dinesh Singh: I will have to see about them.

Shrimati Jayaben Shah: Sir, there are about 80 mills which are lying closed in our country. Some of them are standing on the verge of liquidation. About 1 1/2 lakhs of labourers have been rendered unemployed on account of the closing down of mills. May I know the steps, apart from setting up of the National Textile Corporation, being immediately taken by Government to make the closed mills run and to give job to those rendered unemployed ?

Shri Dinesh Singh: It is a deep-rooted problem—and very important too. The crux of the problem is that modernization has not taken place in textile mills since their establishment. At the most I can say that all efforts will be made to see that this industry may again stand on its legs.

श्री सु० कु० तापडिया : मंत्री महोदय ने कहा है कि माननीय सदस्य समस्या को समझने का प्रयत्न करें । परन्तु अच्छा होगा यदि स्वयं मंत्री महोदय इसे ठीक प्रकार से समझें । मूल समस्या यह है कि मिलों के पास स्टाक बड़ी मात्रा में जमा हो गया है । यह तभी संभव है जब कि कपड़े की खरीदारी बढ़े और यह तब होगा जब कि कपड़े के मूल्य कम हों । कपड़े पर 22 प्रतिशत का उत्पादन शुल्क भी अधिक है । केवल राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना से समस्या हल होने वाली नहीं है । तो अगले दो तीन महीनों में कपड़े की कीमत कम करने, कपड़े की मांग को बाजार में बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है क्योंकि ऐसी कार्यवाही से ही मिलों में नवजीवन का संचार होगा ।

श्री दिनेश सिंह : ज्ञानार्जन की प्रक्रिया बड़ी जटिल है । माननीय सदस्य कितना समय इस समस्या को समझने में लेंगे यह मैं नहीं जानता । उनकी जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि पूंजी के अनुपात में उधार (ऋण) की मात्रा 1960–61 में 1:139 थी जो 1965–66 में बढ़ कर 1.323 हो गई । कपड़ा मिलों के संकट का यही मूल कारण है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: इस वर्ष की रूई की बहुत अच्छी फसल और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिलें इस वर्ष अधिक रूई खरीदने की स्थिति में नहीं हैं चूंकि उनके पास रूई बड़ी मात्रा में जमा पड़ी है सरकार रूई उत्पादन के लिये ऐसी क्या कार्यवाही करेगी जिससे उनके सामने कोई संकट न उपस्थित हो ?

श्री दिनेश सिंह : मैं यह बात नहीं मानता कि कपड़ा उद्योग में उत्पादन की भरमार है । दक्षिण भारत के धागे उद्योग के सामने अलबत्ता कुछ कठिनाई है । यदि उद्योगपति अपने माल के अधिकाधिक निर्यात का प्रयास करें तो ऐसा करना उद्योग के हित में होगा । जहां तक रूई उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की बात है ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि उनका माल खरीदा ही न जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : कानपुर का न्यू विक्टोरिया मिल्स भी बन्द मिलों में से एक है और कानपुर की यात्रा के दौरान श्री दिनेश सिंह को यह भी बताया गया था कि मिल बन्द होने के कारण लगभग 4000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं । ऐसे मिलों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी उसने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । यह मिल सरकार द्वारा कब तक अपने हाथ में लिया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : इस मिल को कम से कम आंशिक रूप में चलाने के सम्बन्ध में हम राज्य सरकार से परामर्श कर रहे हैं और यह शीघ्र ही चलता हो जायेगा ।

Shri Abdul Ghani Dar: The officers of the corporations are not appointed through U.P.S.C. May I know whether the officers of this Corporation will be appointed through the U.P.S.C. so that labour problems may be solved.

Shri Dinesh Singh: While making this Corporation we have taken the interests of workers into consideration.

Shri Abdul Ghani Dar: I asked about the appointments of the officers in this Corporation.

Shri Dinesh Singh: The rules applicable to Corporations will apply to it also.

श्री एस० आर० दामानी : यह वस्त्र निगम कब तक काम करना शुरू करेगा । क्या उन मिलों को जो छोटे कस्बों में स्थापित हैं सरकार अपने हाथ में पहले लेगी ताकि उन कस्बों की बेरोजगारी से ध्वस्त अर्थव्यवस्था पुन: सजीव हो सके ?

श्री दिनेश सिंह : हमें आशा है कि वस्त्र निगम 15 दिन के अन्दर ही काम करना शुरू कर देगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai: May I know the number of bales in the stock of mills last year and this year separately whether Government will declare the workers of such mills as the owners of those mills so that they may share the profit of the mills ?

Shri Dinesh Singh: Though we are not going to declare any such thing yet we will welcome any such arrangement if suggested.

Shri Hukam Chand Kachwai: What is about the number of bales ?

लौह अयस्क का उत्पादन

184. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा 1967–68 के दौरान लौह-अयस्क का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 के दौरान कितनी मात्रा में लौह-अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या उक्त वर्षों में निर्यात के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे ; और

(घ) वर्ष 1968–69 में उत्पादन और निर्यात के क्या लक्ष्य हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) कुल उत्पादन निम्न-लिखित था :—

1966–67	262·89 लाख मैट्रिक टन ।
1967–68	259·29 लाख मैट्रिक टन ।

(ख) और (ग) 1966–67 और 1967–68 के दौरान 142 लाख मैट्रिक टन तथा 146 लाख मैट्रिक टन के लक्ष्यों की तुलना में क्रमश: 132 लाख तथा 142 लाख मैट्रिक टन लौह-अयस्क का निर्यात किया गया था ।

(घ) 1968–69 के दौरान 158 लाख मैट्रिक टन का निर्यात करने का पूर्वानुमान लगाया गया है । 1968–69 के दौरान स्वदेशी इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता का अनुमान 146 लाख मैट्रिक टन है । अत: 1968–69 के लिये 304 लाख मैट्रिक टन के कुल उत्पादन का लक्ष्य है ।

Shri Prem Chand Verama : Mr. Speaker, I want to know from the hon. Minister whether it is a fact that it has been stated in page 11 of the Report for 1964-65 that an additional quantity of 2 crores and 50 lakhs tons will be produced by 1970-71 years and whether the target will be achieved as per schedule. If not, the reasons there of and who are responsible for it and whether it is also a fact that the company suffered a loss to the tune of 2 crores and 95 lakhs in the year 1966-67. If so, what are the main reasons ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi): Mr. Speaker, I think the hon. Member's reference is towards Kiriburn Iron ore Project. As far as the Kiriburn Iron ore Project is concerned there are various reasons for its loss. One of the reasons is that the Iron ore Mechanical Handling Plant could not be installed with the result the required export could not take place. There was also one reason for the decline in export as it was expected that the ratio between lump ore and Mines would be 60:40 but it could not be fulfilled. There were many other reasons due to which the plant could not work to its full capacity. Besides this there are also some other reasons for the loss. Keeping in view the operating cost and transportation cost it is sold at the rate of Rs. 56·94. While its total cost comes to Rs. 67·84. This way there is nearly a loss of Rs. 10 at per ton. As far as the production is concerned, there are many reasons for its shortage. The expected target could not be materialized. Efforts are being made to boost up the trade.

Shri Prem Chand Verma: I want to know from the hon. Minister that the production cost of iron ore is Rs. 16·48 while the private parties sell it to the Government at Rs. 16 and earn profit thereby, while the Government suffers the loss to the tune of Rs. 2 crores and 95 lakhs by selling it at Rs. 16.48 then whether the Government will consider the point that the N. M. D. C. may be divided into two Corporations. The one may deal in Export while the other may control the mines so that the defalcation whether it is in mines or in N.M.D.C. may be detected.

Shri P.C. Sethi: The operating cost of Kiriburn Iron ore is Rs. 10·11 paise and in this way there is no loss in it. But due to long load, Rs. 28 as railway freight has to be paid. Besides this interest at the rate of Rs. 2·17 is charged. There is a royalty and cess of Rs. 1·50. The depreciation charge of Kiriburn ore is Rs. 3·91 paise. The port charges are Rs. 9 and the export duty is Rs. 10·50 paise.

Shri Prem Chand Verma: Rs. 10 and 50 paise is nothing. There is Rs. 16 and 48 paise written in their book.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं नवीनतम आंकड़े दे रहा हूं ।

श्री ई० के० नायनार : पिछले प्रश्नों के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार भारत से लौह-अयस्क के निर्यात पर हानि के बारे में जांच करने जा रही है और लौह अयस्क के 1970–71 के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठायेगी । भूतत्वीय सर्वेक्षण ने यह सूचना दी थी कि 100 करोड़ रुपये मूल्य का लोहा कालीकट के तटीय क्षेत्रों में उपलब्ध है । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार लौह-अयस्क के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये विदेशी मित्र देशों से सम्बन्ध स्थापित करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण ने केरल के कोझीकोड क्षेत्र में 3300 लाख टन के भंडार का अनुमान लगाया है । ये मैगनेटाइट अयस्क हैं जिसमें 30–35 प्रतिशत लौह का अंश है । मैसूर के गोडरामुख क्षेत्र में इस किस्म के अयस्क का परीक्षण किया जा रहा है और अगर वह तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक सिद्ध हुई तो हम इस परियोजना को आरंभ कर देंगे ।

Shri Shiv Chandra Jha: I want to know the quantity of pig iron exported during the year 1966-67 and 1967-68 and the amount of foreign exchange earned by India. How much raw material was exported countrywise and how much foreign exchange was earned by them? On which terms and conditions the iron ore was exported. The hon. Minister may please state it countrywise.

Shri P. C. Sethi: The iron ore is exported in two ways. Firstly it is exported through M.M.T.C. and secondly in private sector through Goa mines. The countrywise break-up is not available with me in this time and if the honourable member gives a separate notice then I will give information about it.

Shri Kameshwar Singh: The hon. Minister should come here well prepared.

Shri Shiv Chandra Jha: What is the use of coming without preparation. He is a worthless Minister.

Mr Speaker: Shri Sharma.

श्री प्र० चं० सेठी : खनिज तथा धातु व्यापार निगम वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है।

श्री दी० चं० शर्मा : प्रत्येक देश भावी आयोजना बनाता है जिसके अनुसार वह यह देखता है कि उसके पास लौह अयस्क कब तक रहेगा और उसी आधार पर वह अयस्क के निर्यात करने की योजना बनाता है। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार की आयोजना के लिये कुछ किया है जिसके अनुसार यह जाना जा सके कि भारत में लौह अयस्क भंडार कब तक रहेगा जिससे हमारे इस्पात के कारखाने चलते रहेंगे।

श्री प्र० चं० सेठी : लौह अयस्क का कुल प्रामाणिक निक्षेप 11000 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। अप्रामाणिक निक्षेप अरबों टन में है। हमारे पास निर्यात के लिए पर्याप्त लौह अयस्क है और साथ ही साथ हम अपने देश की मांगों को भी पूरा कर सकते हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मैसूर राज्य के कुदरई मुख में लौह अयस्क का एक बड़ा भारी भंडार है और विदेशी सहयोग से कुछ प्रयोगात्मक सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। मैं जान सकता हूं कि कब यह परीक्षण की अवस्था समाप्त होगी और वहां से लौह अयस्क के निर्यात के लिए सरकार कब ठोस कदम उठायेगी।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक कुदरई मुख लौह अयस्क परियोजना का सम्बन्ध है यह सच है कि वहां 6000 लाख मीट्रिक टन का भंडार है। हम मारकोनी और तीन जापानी फर्मों के साथ मार्गदर्शी परीक्षण के लिए बातचीत कर रहे हैं। इन परीक्षणों में करीब 18 महीने लग सकते हैं क्योंकि इसके लिये हमें बहुत बड़ी मात्रा में तकनीकी आंकड़े एकत्र करने होंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं जान सकता हूं कि क्या लौह अयस्क का निर्यात इस्पात और कच्चा लोहा के निर्यात से अधिक प्रतियोगी है ? और यदि नहीं तो सरकार का कच्चा लोहा का निर्यात को कम करके और इस्पात तथा कच्चा लोहा के निर्यात में क्रमिक वृद्धि करने का क्या कार्यक्रम है।

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे पास लौह अयस्क के विशाल संसाधन हैं और हम इसका उत्पादन कर सकते हैं और हम और अधिक इस्पात भी उत्पादित कर सकते हैं। लौह अयस्क के निर्यात के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं और इस बात को देखते हुए लौह अयस्क का निर्यात कम करने की अपेक्षा इसको बढ़ाना पड़ेगा।

श्री प्र० के० देव : लौह अयस्क के निर्यात में और इसमें वृद्धि करने के मार्ग में मुख्य विघ्न परिवहन की अपर्याप्त सुविधाएं हैं। परादीप बन्दरगाह मुख्यत: जापान को लौह अयस्क निर्यात करने के लिये बनाया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए सरकार कटक और परादीप के मध्य और तालचेर से बरसूआ तक को रेल द्वारा सम्बन्ध जोड़ने के बारे में सोच रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सोचता कि मंत्री महोदय इसका जवाब दे सकते हैं।

श्री प्र० के० देव : उनको रेलवे मंत्रालय पर जोर डालना चाहिए।

श्री पे० वेंकटासुब्बया : हम लौह अयस्क के निर्यात के लिए अन्तराष्ट्रीय बाजार को धीरे-धीरे खो रहे हैं। इसका कारण मुख्यत: इसके उत्पादन व्यय को बढ़ाना है इसकी इस बात से पुष्टि हो जाती है कि रायल्टी भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग है। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन सब कारणों की जांच की है ? यदि हां तो सरकार निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिये लागत व्यय को कम करने के लिये क्या कदम उठा रही है।

श्री प्र० चं० सेठी : टन भार के आधार पर रायल्टी की व्यवस्था करने का प्रश्न सरकार के पास विधाराधीन है। विभिन्न राज्यों में रायल्टी की दर भिन्न नहीं है। जब किरीबुरा और बेलादिला परियोजना में अधिकतम उत्पादन होने लगेगा तब इसकी लागत व्यय कम हो जायेगी। परन्तु रेल का भाड़ा और अन्य शुल्कों पर भी विचार करना पड़ेगा।

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक कारखाने

†185. **श्री बेणीशंकर शर्मा** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में पश्चिमी बंगाल में 118 औद्योगिक कारखाने बन्द कर दिये गये थे ;

(ख) क्या इनके बन्द किये जाने के कारणों की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उनको पुन: कार्य आरम्भ करने योग्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) 1967 के कलेंडर वर्ष में 102 औद्योगिक एकक बन्द थे जिन में से 41 उसी वर्ष फिर से खुल गये और 36 स्थायी रूप से बन्द हो गये तथा 25 एकक 30-6-68 तक बन्द रहे थे। जनवरी 1968 से जून, 1968 की अवधि में 68 औद्योगिक एकक बन्द रहे जिनमें से 8 एकक 1968 में पुन: चालू हो गये, 23 स्थायी रूप से बन्द थे और 37 एकक 30-6-68 तक बन्द रहे। ये आंकड़े 30–6–68 की स्थिति बताते हैं।

(ख) और (ग). इसी सदन में 25 जुलाई, 1968 को मेरे साथी, श्रम तथा पुनर्वास मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 812 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। गठित की गई समिति अपना कार्य कर रही है।

Shri Beni Shankar Sharma: Mr. speaker, when the Bengal was under the rule of United Front, it was said at that time that the factories had been closed on account of "Gherao" but now it is under President's rule which in other words supposed to be the rule of the Congress then why the factories are still closed. Why they are not being opened.

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed): The labour Minister has said in Bengal that a Committee has been appointed to examine the reasons for the closure of these factories. The report will be out at the end of July. Then we will see what steps can be taken to open the factories. The report will disclose whether these factories have been closed due to non-availability of money, or industrial disputes or recession.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Bharat Aluminium Company Ltd.

***183 Shri Shashi Bhushan:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the time by which the work of the Bharat Aluminium Co. Ltd., is likely to start;

(b) when this scheme was finalised and the reasons for which it has not been completed so far;

(c) whether an aluminium factory has been started in the private sector since the Bharat Aluminium Project was initiated;

(d) whether it is a fact that the facilities which were to be extended to the Bharat Aluminium Co. Ltd., have been provided to other aluminium factories; and

(e) the action taken by Government to implement the schemes initiated by the Bharat Aluminium Co. Ltd.?

The Minister of state in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi): (a), (b) & (e): The Bharat Aluminium Company Ltd., a Central Government Company, was formed on 27th November, 1965. It has been entrusted with the implementation of two new aluminium project in the public sector, namely, the Korba Aluminium Project in Madhya Pradesh and the Koyna Aluminium Project in Maharashtra. The first phase of the Korba Project, viz. the alumina plant has been sanctioned and work has already started at site. Regarding the remaining parts of the Korba project, viz. aluminium smelter and fabrication facilities, and the integrated Koyna Project, negotiations for consultancy arrangements are in progress with Soviet and Hungarian parties respectively.

(c) No new aluminium factory has gone into production in the private sector since the formation of the Bharat Aluminium Company.

(d) No, Sir.

गाड़ियों का देर से चलना

*186. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गाड़ियों के समय पर चलने की बजाय, गाड़ियां अक्सर देर से चलती हैं यद्यपि 1947 से गाड़ियों के चलने का समय काफी बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या एहतियाती कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) यह सही नहीं है कि 1947 से रेल गाड़ियों का देर से चलना बढ़ गया है। कुछ मामलों के अलावा यह भी सही नहीं है कि 1947 से गाड़ियों का चालन-समय काफी बढ़ा दिया गया है। वास्तव में, 1947 की तुलना में कुछ एक डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों की यात्रा में लगने वाले कुछ समय में कमी की गयी है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) अपरिहार्य रूप से गाड़ियों के रुके रहने और देर से चलने के कारणों को समाप्त कर यात्री गाड़ियों के परिचालन में यथासंभव अधिकतम सुधार लाने के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है।

तालचेर औद्योगिक समूह

*187. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान उड़ीसा के गृह तथा उद्योग मंत्री श्री हरिहर पटेल द्वारा बम्बई में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उड़ीसा राज्य में तालचेर औद्योगिक समूह की मंजूरी देने में केन्द्रीय सरकार से विलम्ब से परेशान है ;

(ख) क्या परियोजना की मंजूरी देने के बारे में सरकार ने सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को ऐसी योजना के लिए, जो राज्य के उद्योगीकरण तथा कई लोगों के लिये रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करने में सहायता करेगी, अन्तिम रूप से अनुमति देने में भारत सरकार को क्या कठिनाई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) उड़ीसा के गृह तथा उद्योग मंत्री द्वारा बम्बई में दिये गये वक्तव्य की यथार्थ प्रति उड़ीसा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि राज्य सरकार ने सूचना दी है कि स्थानीय समाचार पत्रों में मई, 1968 में इस

विषय की खबरें निकली थीं ।

(ख) और (ग) क्योंकि प्रायोजना में नये तकनीकों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग प्रस्तावित है, अतः उड़ीसा सरकार को सूचित किया गया है कि किसी विश्वसनीय तथा सक्षम अधिकरण द्वारा कुछ और अधिक जांच करवा ली जाये जिस हेतु केन्द्रीय सरकार धन की मंजूरी के प्रश्न पर विचार करने के लिये तैयार होगी । योजना आयोग को भी इसके लिए बात की फिर से जांच करने के लिए प्रार्थना की गई है कि क्या इस प्रायोजना को नई चौथी योजना में समाविष्ट किया जा सकेगा ।

बोकारो इस्पात कारखाने की धमन भट्टी

*188. **श्री के० रमानी :**
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मई, 1968 के 'इंजीनियरिंग टाइम्स' में प्रधान मंत्री द्वारा, बोकारो इस्पात कारखाने की धमन भट्टी के उद्घाटन के लिए भारी व्यय के बारे में प्रकाशित हुए एक लेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस लेख में बताई गई बातें ठीक हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) प्रथम धमन भट्टी की बुनियाद रखने के लिए प्रधान मंत्री 6 अप्रैल, 1968 को बोकारो गई थीं । 1 मई, 1968 के "इंजीनियरिंग टाइम्स" में इस घटना पर हुए व्यय के स्वरूप और आकार को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है । यह पता लगाया गया है कि इस समारोह पर बोकारो स्टील लिमिटेड ने सब मिलाकर लगभग 27,000 रुपये व्यय किये थे जिसमें भोज तथा आमोद परमोद और प्रचार के लिये संवाददाताओं के आगमन की व्यवस्था पर होने वाला व्यय भी शामिल है जब कि लेख में 10 से 12 लाख रुपये बताये गये हैं । इन परिस्थितियों में सरकार ने इस मामले की जांच करना आवश्यक नहीं समझा है ।

इस्पात का मूल्य

*189. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री उमानाथ :
श्री गणेश घोष :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति ने इस्पात के मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) 24 मई, 1968 को हुई लोहा और इस्पात सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति की तीसरी बैठक में आम राय यह थी कि बाजार की स्थिति तथा कोयले के मूल्यों, रेलवे भाड़े, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, मजूरी, महंगाई भत्ते तथा रायल्टी आदि की दर में वृद्धि होने के कारण देखते हुए गत दो अथवा तीन वर्षों में उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को देखते हुए लोहे और इस्पात के मूल्यों में कुछ वृद्धि की जा सकती है ।

(ग) अन्य वस्तुओं के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका सही सही पता लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह विभिन्न अन्य बातों पर निर्भर करता है जैसा कि बढ़ी हुई उत्पादन लागत का प्रभाव उद्योगों से उपभोक्ताओं पर पड़ा कहां तक है, उत्पादन कितना बढ़ा है, उनके उत्पादों की कितनी मांग है, बाजार की स्थिति कैसी है, इस्पात के स्थान पर अन्य कच्चे माल आदि का कहां तक प्रयोग किया जा सकता है ?

ड्रम और ढोल (बैरल) बनाने के लिये इस्पात का दिया जाना

*190. **श्री सीताराम केहरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9903 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के लिए तेल के ढोलों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करना संभव था ;

(ख) क्या इन मूल लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं की क्षमताओं का मूल्यांकन करने के पूर्व उनके लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं की एक पूरी पारी के आधार पर ही उन्हें कभी इस्पात की चादरें आवंटित की गई थीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो दो पारियों के आधार पर इन कारखानों को इस्पात की चादरें आवंटित न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लोक सभा में 27 फरवरी, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 1852 तथा 5 मार्च, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2848 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिनमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पेट्रोल उद्योग तथा दूसरे उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक 4,700 मी० टन प्रति मास के सम्भरण को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक विद्यमान क्षमता को बढ़ाया न जाता या नयी क्षमता की स्थापना न की जाती । बैरल उद्योग की उस समय आंकी गयी कुल क्षमता लगभग 3,000 मी० टन प्रति मास थी ।

(ख) तथा (ग) इस उद्योग को इस्पात की चादरो का नियतन सदैव एक पाली के आधार पर ही किया गया है ।

रेलवे के फायरमैनों की हड़ताल

*191. श्री रा० कृ० सिंह :
श्री चक्रपाणि :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री राणे :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री द० व० राजू :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री जी० एस० रेड्डी :
श्री बलराज मधोक :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री कृ० ग० देशमुख :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलवे पर फायरमैनों की हड़ताल के कारण बहुत सी गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे और उसे समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) कितनी गाड़ियों पर हड़ताल का प्रभाव पड़ा और हड़ताल के फलस्वरूप अनुमानत: कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ; बहुत बड़ी संख्या में फायरमैनों की अनुपस्थिति के कारण इन दोनों रेलों के कुछ मण्डलों में सवारी और माल, दोनों तरह की गाड़ियां प्रभावित हुई थीं ।

(ख) इस अनुपस्थिति का कारण यह बतया गया था कि फायरमैनों की शकायतों को दूर नहीं किया गया । मालूम हुआ है कि यह आन्दोलन 18-7-68 को फायरमैनों की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार समाप्त कर दिया गया ।

(ग) प्रभावित गाड़ियों की संख्या के सम्बन्ध में एक विवरण सभा टल पर रख दिया गया है ।

अनुमानित हानि के बारे में क्षेत्रीय रेलें आंकड़े इकट्ठा कर रही हैं । किन्तु अनन्तिम रूप से अनुमान लगाया गया है कि यह हानि लगभग 163 लाख रुपये है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० —1511/68]

Manufacture of Scooter

*192 Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Ram Avtar Sharma:
Shir Shiv Kumar Shashtri:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri S.S. Kothari:
Shri Abdul Ghani Dar:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether any further progress has been made in regard to the productionn of scooters in the country;

(b) whether any scheme for issuing the licences to some more new companies is also under consideration; and

(c) the time by which the capacity for production of scooters will be increased?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) The production of scooters is steadily going up from year to year. It was 20971 in 1966, 30296 in 1967 and 17549 during the first six months of 1968.

(b) To meet the growing demand for scooters Government have decided to license one more unit of a suitable economic capacity. Three parties, whose schemes have been judged most attractive out of about 190 schemes received, have been asked to submit detailed project reports. After examining the projects, the most suitable schemes will be selected for licensing. This procedure, it is expected, will be completed by about the end of the year.

(c) The new unit may pe expected to go into production about two years after it is licensed.

कर्मचारियों का भारतीयकरण

*193. **श्री क० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी विदेशी फर्में भारतीयों को अपना वरिष्ठ कर्मचारी नियुक्त नहीं करना चाहती हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विदेशियों की फ़र्मों उनके द्वारा नियंत्रित फर्मों में 1,000 रुपये तथा उससे अधिक वेतन वाले ऊंचे पदों पर 1947 से जहां 7.9 प्रतिशत भारतीय कार्य कर रहे थे वहां 1967 में यह संख्या बढ़कर 90.5 प्रतिशत तक पहुंच गई । उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि से यह प्रकट होता है कि विदेशी फर्में ऐसे कदम उठा रही हैं कि ऊंचे पदों पर अधिक से अधिक संख्या में भारतीय रखे जायें ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा दवाइयों का आयात

*194. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965–66 में राज्य व्यापार निगम द्वारा 1.50 करोड़ रुपये के मूल्य की दवाइयों का आयात किया गया था;

(ख) क्या 80 लाख रुपये के मूल्य की दवाइयां बिल्कुल बेकार पाई गई थीं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच की गई है; और

(घ) जांच का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1965–66 के दो वर्षों में 1.16 करोड़ रु० मूल्य की दवाइयों का आयात किया । वर्ष 1965–66 में लगभग 28 लाख रु० के आयात किये गये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Reservation of seats for Private Attendants

*196. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether Government are aware that in the absence of reserved seats for private attendants travelling with first class passengers, the passengers often make them sit in the first class compartments or if these attendants sit far off, the first class passengers are put to great inconvenience;

(p) if so, whether Government propose to reserve seats for these attendants; and

(c) if not, the reasons therefor?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) A limited number of seats are earmaked in a third class compartment for attendants of first class passengers as near the first class compartments as possible. If instances of first class passengers making their attendants sit in first class compartments are detected, it would entail for the attendants the consequences of travelling in a higher class of carriage with a ticket for a lower class.

Third class seats/berths available for reservation on the trains for the public can also be reserved for the attendants under the normal rules applicable to such reservations.

For the convenience of first class passengers railway attendants are provided in full first class corridor type coaches.

(b) and (c) Do not arise.

अलाभप्रद रेलवे लाइनें

*197. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने, जिन्हें उनके प्रदेश में कतिपय अलाभप्रद लाइनों को बन्द करने के बारे में रेलव बोर्ड ने पत्र भेजा था, इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा): (क) चौदह अलाभप्रद लाइनों को बन्द करने के सम्बन्ध में आठ सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखा गया था । अभी तक सात राज्य सरकारों से दस लाइनों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हुए हैं । मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों ने इन लाइनों को बन्द करने के सम्बन्ध में आपत्तियां उठायी हैं ।

(ख) इस मामले की आगे छान-बीन की जा रही है ।

इस्पात मिलों की बेकार पड़ी क्षमता

*198. **श्री कंवर लाल गप्त** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में सरकारी क्षेत्र में सभी इस्पात मिलों की कुल कितनी क्षमता बेकार पड़ी रही;

(ख) क्या इस वर्ष स्थिति में सुधार हुआ है और यदि हां, तो कितना; और

(ग) इस क्षमता का उपयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों में लगभग 30 प्रतिशत पिण्ड-उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी रही।

(ख) यद्यपि अप्रैल–जून, 1968 की अवधि में इस क्षमता के वास्तविक उपयोग में कोई सुधार नहीं हुआ है, अगले कुछ महीनों में देशीय मांग बढ़ जाने और अधिक निर्यात की संभावनाओं से इसमें सुधार होने की आशा है।

(ग) क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करना कई बातों पर निर्भर करता है जैसे घरेलू मांग, निर्यात के आर्डर, अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध, तकनीकी त्रुटियों और दूसरी बाधाओं का दूर करना। भारत में और विदेशों में बिक्री को बढ़ाने के लिये किये गये उपायों के अतिरिक्त, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने रख-रखाव का सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाने, संतुलनात्मक सुविधाओं और प्रौद्योगिक सुधारों का काम हाथ में लिया है जिससे क्षमता का अधिक अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सके और यथासंभव मात्रा में उत्पादन का विपिन्नीकरण भी कर रहे हैं।

सी० ए० ओ०

199. **श्री बाबू राव पटेल**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट नियतन तथा समन्वय संगठन द्वारा 39.66 लाख रुपये का चुनावों के अवसर पर दिया गया दान राजनैतिक उपहार था अथवा सीमेन्ट आयोग के विकास के लिये किया गया व्यय;

(ख) क्या सीमेन्ट नियतन तथा समन्वय संगठन से धन प्राप्त करने वालों ने विनियंत्रण जारी रखते हुए इस संगठन के हितों को किसी प्रकार बढ़ावा देने के लिये मंत्रालय से प्रार्थना की थी;

(ग) यदि हां, तो यह प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सीमेन्ट नियतन तथा समन्वय संगठन के संस्था के अन्तर्नियमों [तथा इसके संविधान में कोई ऐसा उपबन्ध है कि वह समवाय विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किये बिना इतना भारी व्यय कर सकता है;

(ङ) यदि नहीं, तो सीमेन्ट नियतन तथा समन्वय संगठन के प्रधान तथा निदेशकों के विरुद्ध अब तक कानूनी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) यदि कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार है तो कब ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, 34,15,355.55 रुपये की राशि राजनैतिक दलों को दान दी गई थी, तथा 5,35,234.14 रुपये की राशि सीमेंट के विज्ञापन तथा विख्यापन एवं अन्य फुटकर खर्चों में व्यय की गई, बताई गई थी।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।]

(घ), (ङ) तथा (च) इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति परिक्षान्तर्गत है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति

*200. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् ने योजना आयोग द्वारा सुझाई गई औद्योगिक लाइसेंस नीति स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ग) इनको क्रियान्वित करने के लिये अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यह नई नीति देश के लिये कहां तक उपयोगी सिद्ध हो सकेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). "एप्रोच टू दि फोर्थ फाइव ईयर प्लान" नामक अपने प्रकाशन में योजना आयोग ने जो सुझाव दिये हैं उनका उद्देश्य यह है कि औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी विस्तृत नियमों से बंधी प्रणाली तथा कार्यकुशलता बढ़ाने एवं लागत अधिक न आने देने के लिये प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के दृष्टिकोण से निर्बाध व्यापार तथा उद्योग आरम्भ करने के उपायों के बीच, एक बीच का भाग ढूंढ निकाला जाये ।

(1) ऐसे सभी आधारभूत एवं सामरिक महत्व के उद्योगों के बारे में सावधानी पूर्वक योजना बनायी जानी चाहिए तथा उन्हें औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के अधीन लाया जाना चाहिये जिनके लिये काफ़ी मात्रा में पूंजी एवं विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो ।

(2) ऐसे उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से मुक्त रखा जाये जिनके पूंजीगत साज-सामान के लिये विदेशी मुद्रा के रूप में केवल सीमान्त सहायता (पूंजीगत सामान के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत या कम) की आवश्यकता हो ।

(3) जिन उद्योगों के लिये पूंजीगत सामान या दूसरे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न हो उन्हें औद्योगिक लाइसेंस देने की आवश्यकताओं से छूट दे देनी चाहिए ।

(4) ऊपर गैर-सरकारी क्षेत्र को जो अधिक स्वतंत्रता देने का विचार किया गया है उसके अन्तर्गत अनुचित प्रतिस्पर्धा से परम्परागत और छोटे उद्योगों को बचाने के लिये आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर जिन वर्तमान संरक्षणों में उपयुक्त फेरबदल की गई है, उन्हें जारी रखा जाये ।

यह विषय उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति की 2 जुलाई को हुई बैठक में रखा गया था ताकि इन सुझावों पर सदस्यों के विचार जाने जा सकें, बैठक के सदस्य इसके पक्ष में थे ।

(ग) उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् में व्यक्त किये गये विचारों के साथ-साथ सरकार उपरोक्त सुझावों पर भी विचार कर रही है ।

(घ) योजना आयोग की राय में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रतियोगिता की भावना पैदा हो जायेगी जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और उद्योगों में लागत सम्बन्धी जागरूकता आ जायेगी और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि लघु उद्योगों के विकास में कोई रुकावट न पैदा होने पाये ।

Loss to N.C.D.C.

***201. Shri Mrityunjay Prasad:**
Shri Nitiraj Singh Chaudhary:

Will the Minister of **Steel Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the reasons for the loss incurred by the National Coal Development Corporation in 1966-67 while there was not much difference in the figures of raising of coal and despatch therefrom;

(b) the reasons as to why the National Coal Development Corporation incurs loss or earns less profit in raising, processing and selling the coal as compared to the profit earned by private owners of coal mines; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi): (a) The reasons for the loss incurred by the National Coal Development Corporation during the year 1966-67 are as follows:

1. Production from revenue collieries fell by about 0·2 million tonnes as compared with the previous year, although three new collieries were brought on to revenue account during the year.
2. As the new revenue collieries were working well below their capacity, there was a loss of Rs. 32·83 lakhs on their working.
3. Maintenance expenditure amounting to Rs. 25·79 lakhs for mines where development activities have been suspended/closed has been charged to the revenue account instead of being capatalised as before.
4. The depreciation charge on first-class non-factory buildings has increased as it has been decided to charge depreciation on straight-line method for the period of the life of the project, instead of at the usual rate provided in the Income Tax Schedule. The additional charge on this account is Rs. 20.00 lakh approximately.
5. It has been decided to write off the capital expenditure on immovable assets for suspended/closed mines over a 10 year period. This has resulted in addition of Rs. 30.10 lakhs to the revenue account of the year.
6. The provision for doubtful debts has been increased by Rs. 5 lakhs and provision for deterioration in closing stocks by Rs. 5.21 lakhs.

(b) The earnings of the colliery depend on geological and roof conditions, depth and width of seams, quality of coal and method of working etc.

In order to meet the anticipated requirements of coal, according to the Five Year Plans, the Corporation opened a number of new mines to ensure that the planned development of the economy was not impeded in any way. In actual fact, the demand did not grow on the scale expected earlier, with the result that there has been considerable under-utilisation of the capacity built-up and no less than 10 projects undertaken have been closed or suspended. While con-

sidering the question of profitability of NCDC, the following factors are also to be taken note of:

1. The Corporation was started with 11 old ex-Railway collieries of which some were losing heavily from before and because of depleted reserves or other factors they could not be expected to yield much profit.

2. A large number of projects, including washeries, are under development and do not contribute to revenue.

3. By a Presidential directive, the Corporation was asked to continue to work the Giridih colliery in which it was losing heavily; and

4. The NCDC, as a Govt. Corporation has provided proper wages and amenities of various kinds on substantially larger scale than in private sector collieries and spent a sizable amount on welfare measures for its employees.

(c) Government have been conscious of the need to improve the performance of the National Coal Development Corporation and have appointed a Committee under the Chairmanship of Shri G.R. Kamat to enquire into its working and to suggest measures for mprovement. The Committee's report is expected to be submitted to the Government shortly.

पटसन के स्टाक

*202. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता के कुछ सटोरियों ने हाल ही में पटसन के भारी स्टाक जमा कर लिये हैं;

(ख) क्या इसके कारण कच्चे पटसन की बहुत कमी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अब तक प्राप्त हुई सूचनाओं से यह संकेत मिलता है कि चालू मौसम में पटसन तथा मेस्टा का उत्पादन आवश्यकता से कम होने की सम्भावना है ।

(ग) पटसन की 75,000 गांठों के आयात की पहले ही अनुमति दे दी गयी है । और भी आयातों के लिए मंजरी देने के प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा ।

औद्योगिक नीति का पुनर्विलोकन

*203. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बतानें कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य मण्डल ने सरकार से अपनी औद्योगिक नीति के पुनर्विलोकन के लिये अनुरोध किया है ताकि अर्थव्यवस्था में गिरावट की बजाय बढ़ोतरी हो सके;

(ख) क्या सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को अगस्त, 1967 में इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स कलकत्ता से 'ए पालिसी फार इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट' नामक पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त हुई थी जिसमें सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की गई थीं ।

(ख) और (ग) ये सिफारिशें नोट कर ली गई हैं ।

Foreign Collaboration

*204. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the **Minister of Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that foreign collaboration has been allowed in several fields in which requisite technical knowledge is available in the country and for which the required machinery and components can be manufactured in the country ;

(*b*) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government would reconsider their policy in regard to foreign collaboration ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) to (c). The general policy of Government is not to allow foreign technical collaboration in fields in which the requisite technical know-how is available in the country in a commercially exploitable form. As regards machinery and components also, all applications for imports are carefully scrutinised from the indigenous availabillty angle and only such machinery and components are cleared for import as are not manufactured in the country.

संयंत्र तथा मशीनों के आयात के लिये लाइसेंस

*206. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् उपकरण उद्योग तथा पोलिथीन और नायलोन उद्योग के लिये अपेक्षित संयन्त्र तथा मशीनों का आयात करने के लिये पिछले वर्ष कितने आयात लाइसेंस दिये गये और ये लाइसेंस किन-किन फर्मों को तथा पक्षों को दिये गये;

(ख) ये लाइसेंस देने में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त थी और ये लाइसेंस किन कारणों से दिये गये थे; और

(ग) जब देश में इस प्रयोजन के लिये देशी उपकरण उपलब्ध हैं तो ऐसे लाइसेंस देने का क्या औचित्य था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). 1967–68 में पोलीथीन उद्योग को पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था । 1967–68 में विद्युत् उपकरण उद्योग तथा नाइलोन उद्योग को जारी किए गए लाइसेंसों तथा विदेशी मुद्रा की राशि सम्बन्धी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । आयात लाइसेंस

देश में उपलब्ध उपकरण को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच करने के पश्चात् जारी किए जाते हैं और उन उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती जिनका देश में निर्माण होता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1512/68]

मन्त्रियों द्वारा आयातित कारों का उपयोग

*207. डा० रानेन सेन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर मन्त्री अपनी सरकारी हैसियत में आयातित कारों का प्रयोग करने के इच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो मन्त्रियों की कारों की मांग को पूरा करने के लिये प्रतिवर्ष कितनी कारें आयात की जाती हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) मन्त्रियों की मांगों को पूरा करने के लिये कारें आयात नहीं की जा रही हैं।

आयातकर्ताओं को उधार की सुविधायें

*208. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये अधिक आदेश प्राप्त करने की दृष्टि से जो अन्यथा उन देशों को प्राप्त हो जाते हैं जो उधार की काफी सरल शर्तें पेश कर सकते हैं विदेशी आयातकर्ताओं को सरल शर्तों पर उधार देने और ब्याज की दर कम करने के लिये वित्त मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा क्या-क्या निश्चित सुझाव दिये गये तथा उन पर अन्तिम निर्णय क्या किया गया; और

(ग) भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले एशिया के मुख्य निर्यातक देशों के नाम क्या हैं तथा उन देशों द्वारा विदेशी आयातकर्ताओं को दी गई उधार की सुविधायें भारत द्वारा दी गई उधार की सुविधाओं की तुलना में कितनी कम या अधिक हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रमुखतः ये सुझाव दिये गये थे :

(1) निर्यातकों को बैंकों से सरलता से ऋण प्राप्य होने चाहियें।

(2) ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर उचित होनी चाहिये।

(3) मशीनों जैसी मदों के निर्यात के मामले में अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के लिये आस्थगित भुगतान की सुविधा दी जानी चाहिये जो अन्य देशों के प्रतियोगी निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के अनुरूप हों।

सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा घोषित तथा कार्यान्वित किये गये विनिश्चय ये हैं :—

(क) पोत लदान पूर्व तथा पोत लदान के बाद की निर्यातकों की सभी वित्तीय आवश्यकताओं के लिये 6 प्रतिशत पर निर्यात ऋण उपलब्ध किया गया है।

(ख) बैंकों द्वारा निर्यातकों को दिये जाने वाले ऋण को सुग्राह्य बनाने के लिये रिजर्व बैंक ने ऐसे ऋणों पर वाणिज्यिक बैंकों को उपदान देने की एक योजना आरम्भ की है ।

(ग) मशीनों जैसी मदों के निर्यात पर रिजर्व बैंक ने भुगतान की अवधि 7 वर्ष तक और विशेष मामलों में 10 वर्ष तक भी बढ़ाने का अधिकार दिया है ।

(ग) भारतीय मदों के साथ प्रतियोगिता करने वाले प्रमुख निर्यातक एशियाई देश जापान, हांगकांग, चीन, पाकिस्तान तथा श्रीलंका हैं । हमारी उधार सुविधाएं, जापान को छोड़कर, उपर्युक्त देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की अपेक्षा अच्छी हैं ।

औद्योगिक क्षमता का अनधिकृत विस्तार

*209. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में औद्योगिक क्षमता के अनधिकृत रूप से विस्तार के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार के ध्यान में आये मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में उपकरणों का आयात भी हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई; और

(ङ) इन मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ). मामलों का इस दृष्टि से विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है कि क्या कार्यवाही करना आवश्यक है ।

केरल में टिट्टेनियम डायोक्साइड उद्योग समूह का स्थापित किया जाना

*210. **श्री अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टिटेनियम डायोक्साइड उद्योग समूह स्थापित करने के लिये भल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स कलकत्ता को कोई 'आशय पत्र' जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उद्योग समूह की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) योजना के अन्तर्गत हार्ड टिटेनियम स्लैग, टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, टिटेनियम मेटल स्पंज, टिटेनियम डायोक्साइ के टुकड़े, मेग्नेशियम मेटल और कच्चे लोहे (उपोत्पाद) और आक्सीजन ('केपिटव' प्रयोजनों के लिए) का निर्माण किया जायगा । देशी इल्मेनाइट, जिसका फिलहाल

व्यवहारिक रूप से कोई निर्यात नहीं हो रहा है, के प्रयोग के अतिरिक्त यह योजना उत्पादन के बहुत बड़े भाग के निर्यात से काफी मात्रा में विदेशी पूंजी कमाने के लिये बनाई गई है, इस योजना में विदेशी सहयोग की व्यवस्था है ।

(ग) 45 करोड़ रुपये ।

(घ) पूंजीगत वस्तुओं के आयात लाइसेंस जारी किये जाने के बाद लगभग 3 या 4 वर्षों में ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

स्टेनलैस इस्पात का आयात

1579. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में स्टेनलैस स्टील के आयात सम्बन्धी आयात नीति में क्या परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) 1967-68 में स्टेनलैस स्टील के आयात के लिए जारी किये गये या परिवर्तन किये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य क्या है; और

(ग) स्टेनलैस स्टील की आयात सम्बन्धी नीति में किन कारणों से परिवर्तन करने पड़े ?

इस्पात, खान तथा धातु उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). वर्ष 1967-68 के लिए स्टेनलैस स्टील की आयात नीति में, जिसकी मई 1967 में घोषणा की गई थी, दूसरी बातों के साथ-साथ अस्पतालों में काम आने वाले उपकरणों और यन्त्रों के निर्माण के लिए 18 गेज और इससे अधिक मोटी स्टेनलैस स्टील की चादरों के आयात की व्यवस्था थी । आवेदन-पत्रों के आधार पर जिनमें यह कहा गया था कि अधिक पतली गेज की चादरों का उपयोग करना अधिक मितव्ययी होगा और प्रायर्टी उद्योग होने से 20 गेज और 26 गेज में परिवर्तन करने की अनुमति दे दी गई । बाद में यह छूट निर्यात-प्रोत्साहन लाइसेंसों और इस नीति के अन्तर्गत अस्पताल के उपकरणों और यन्त्रों के निर्माण के लिए जारी किये गये नये लाइसेंसों के मामले में भी दे दी गई ।

(ख) वर्ष 1967-68 में स्टेनलैस स्टील के लिए 3.74 करोड़ रुपये के लाइसेंस जारी किये गये । परिवर्तित किये गये लाइसेंसों के बारे में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

इस्पात से अस्पताल के उपकरणों का बनाया जाना

1580. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टेनलैस स्टील से कितनी मात्रा में अस्पताल के उपकरण तथा सामान तैयार किया जाता है; और

(ख) इन वस्तुओं में प्रयोग होने वाले स्टेनलैस स्टील का मोटाई के आधार पर ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

पारादीप पत्तन तक रेल लाइन

1581. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन तक रेल लाइन बनाने में अब तक कोई प्रगति हुई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने भूमि की व्यवस्था कर दी है; और

(ग) रेल लाइन बनाने की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस बारे में देरी होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). कटक-पारादीप रेल-सम्पर्क पर निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया है और काम में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है ।

नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन द्वारा मद्रास को बिजली की सप्लाई

1583. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास बिजली बोर्ड को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से बिजली मुहैया की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो किस दर पर;

(ग) क्या बिजली की सप्लाई की दर संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के उपमंत्री (चौ० राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मूल दर, जो नवम्बर, 1964 में नियत की गई थी, 5.2 पैसे प्रति किलोवाट घंटा थी और इसे 1-4-1968 से बढ़ा कर 5.9 पैसे प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम के लिये नियत की गई विदेशी मुद्रा

1584. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम को अपने अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिये खुली अनुमति देने के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई ;

(ख) ऐसी विदेश यात्राओं के लिये राज्य व्यापार निगम ने यात्रा भत्ते के क्या मानक अपनाये हैं;

(ग) अधिकारियों से उपरोक्त भत्तों में 95 प्रतिशत खर्च के बिल और खर्च का ब्यौरा न मांगे जाने के क्या कारण हैं, जब कि अन्य नागरिकों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को इसका हिसाब देना पड़ता है ;

(घ) उस भत्ते के 95 प्रतिशत में से बचायी राशि का वे अधिकारी क्या करते हैं ;

(ङ) क्या उन्होंने यह राशि लौटा दी है; और

(च) यदि हां, तो पिछले वर्ष राशि लौटाने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किस-किस तारीख को तथा कितनी-कितनी राशि लौटायी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क)

अवधि	विदेशी मुद्रा की राशि
	रुपये
18-10-1965 से 17-4-1966	39,000
24-3-1967 से 31-3-1968	1,50,000
1-4-1968 से 30-9-1968	90,000

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा नियत भत्ते का मानदण्ड निम्नलिखित है :—

1967-68

देश	अध्यक्ष	निदेशक तथा अधिकारी, जिन का पद प्रभागीय प्रबन्धक से कम नहीं है	अन्य
(क) सं० रा० अमरीका तथा कनाडा	45 डालर प्रति दिन	35 डालर प्रति दिन	26-25 डालर प्रति दिन
(ख) ब्रिटेन, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेन्मार्क इज़रायल, गियाना, साइप्रस, मलावी जम्बिया, जमेका, ट्रिनिडाड, टोबागो, सीयरो, लिओन, द्वीप फिजी तथा हांगकांग	15 पौंड प्रतिदिन	10 पौंड प्रतिदिन	7-10-0पौंड प्रति दिन
(ग) कुवैत सहित फारस की खाड़ी के देश	13 पौंड	13 पौंड	8.15.0 पौंड
(घ) अदन, अफगानिस्तान, बर्मा, डच, न्यूगिनी, हिन्दचीन, इण्डोनेशिया, ईरान, मलयेशिया, पाकिस्तान, साउदी अरब, थाईलैंड तथा सिंगापुर	8.15.0 पौंड	8.15.0 पौंड	6 पौंड
(ङ) श्रीलंका	7.10.0 पौंड	7.10.0 पौंड	5.5.0 पौंड
(च) द्विपक्षीय लेखे वाले देश	315 रुपये	210 रुपये	160 रुपये
(छ) अन्य देश	17.10.0 पौंड	11.13.0 पौंड	8.15.0 पौंड

(ग) राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों को अनुमेय दैनिक भत्ते की दरें रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुमोदित हैं और राज्य व्यापार निगम रिजर्व बैंक आफ इंडिया को उन के द्वारा निर्धारित तरीके से प्रत्येक मामले में हिसाब देता है। दैनिक भत्ता संबद्ध अधिकारी के सभी खर्चों के लिये होता है जिन में आवास, भोजन, केबल प्रभार, डाक प्रभार, टैक्सी भाड़ा आदि शामिल हैं। केबल प्रभार

डाक प्रभार तथा अतिरित परिवहन के मामले में अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भत्ते के कम से कम 5 प्रतिशत के वाउचर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। यह राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्धारित आंतरिक प्रतिबन्ध है तथा रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित नहीं है ।

(घ) से (च). भत्तों की 95 प्रतिशत तक राशि अधिकारियों के यात्रा भत्ता संबंधी वास्तविक खर्च के लिये होती है और उन से बचत करने की आशा नहीं की जाती। ऐसी कोई राशि नहीं लौटाई गई है ।

नाइलोन के धागे का आयात

1585. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के नाइलोन के धागे का देश में आयात किया गया और किन-किन देशों से ;

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कितने मू य के नाइलोन के धागे का आयात किया गया और उन विदेशी फर्मों के नाम व पते क्या हैं जिन को राज्य व्यापार निगम ने आयात के क्रयादेश दिये और प्रत्येक के साथ वर्षवार कितने-कितने मूल्य का व्यापार किया गया;

(ग) भारत में उन फर्मों या व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं जो भारत में उपरोक्त विदेशी फर्मों के प्रतिनिधि हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में वर्षवार इन भारतीय प्रतिनिधियों को दी गई अथवा देय राशि या कमीशन की प्रतिशत का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है ।

(ख) तथा (ग). नाइलोन धागे के आयात नवम्बर, 1966 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही करने का निर्णय किया गया था और राज्य व्यापार निगम द्वारा दिये गये क्रयादेशों के आधार पर धागे के पौत लदान सितम्बर, 1967 में शुरू हुए थे, जिन में अपेक्षित जानकारी देने वाले विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न हैं ।

(घ) विदेशी संभरकों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय फर्मों को राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई कमीशन नहीं दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1513/68]

डिब्बों में बंद वस्तुओं का अमरीका को निर्यात

1586. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से डिब्बों में बन्द वस्तुओं का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल अमरीका को भेजा गया था;

(ख) क्या उस दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

रूस के सहयोग से जूते और चमड़े का कपड़ा बनाने के कारखाने

1587. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूते तथा चमड़े के कपड़े बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिये भारत और रूस के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस करार का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : रूस के सहयोग से जूते तथा चमड़े के कपड़े बनाने की योजनाओं पर अभी विचार किया जा रहा है । किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं ।

अम्बेसेडर तथा फियेट कारों में लगाये गये खराब शीशे

1588. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अम्बेसेडर तथा फिएट कारों में लगाये गये खराब शीशों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सम्बन्धित कम्पनियां सरकार के निर्देशानुसार सामने के विंडस्क्रीन बदल रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सामने के खराब विंडस्क्रीनो को कहां तक उचित बताया जा सकता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). इस समय अम्बेसेडर तथा फिएट कारों पर लगाए जा रहे विंडस्क्रीनों के शीशे देश के सम्भरणकर्ताओं से लिये जा रहे हैं । देशी शीशे के निर्माताओं ने जिन से इस विषय पर बातचीत हुई थी, कहा है कि कुछ त्रुटियों जैसे मामूली लहरियेपन को पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता यदि मुड़े हुए शीशे के निर्माण के लिए प्लेट के शीशे की बजाय शीशे की चादरों का प्रयोग किया जाय । प्लेट के शीशे का देश में निर्माण नहीं होता । विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण मुड़े हुए शीशे बनाने वालों को प्लेट के शीशे के आयात की अनुमति पहले नहीं दी जा सकी । फिर भी जन्हें अब प्लेट के शीशे के आयात की अनुमति दे दी गई है और आशा है कि देश में निर्मित होने वाले विंडस्क्रीनों के शीशे की किस्म में सुधार होगा । मोटर कार किस्म जांच समिति ने भी देश में निर्मित कारों में लगाय जाने वाले विंडस्क्रीनों के शीशे की खराबी के बारे में उल्लेख किाय है । आवश्यक सुधार संबंधी कार्यवाही करने हेतु समिति की सिफारिशें उत्पादकों के ध्यान में ला दी गई हैं ।

Sheds over Platform and bridge on Wardha Station

1589. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the shed over platform Nos. 3 and 4 of Wardha Station in Maharashtra is very small because of which passengers have to face great inconvenience in rainy and summer seasons ;

(b) whether it is a fact that a very large number of passengers travel from this important station to Nagpur, Itarsi, Delhi, Madras and Hyderabad and from these stations to Wardha and they have requested for the enlargement of the said shed ;

(c) whether there is no shed even over the bridge between platform Nos. 3 and 4; and

(d) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. At present an area of 100'x35' is covered on platform Nos. 3 & 4.

(b) The daily average number of passengers booked at Wardha Station is 2960 and the maximum number of passengers dealt with at any one time is 764.

(c) Only the stair-case portions of the foot-over-bridge connecting platform Nos. 3 and 4 are not covered. The portion spanning the tracks is covered.

(d) There is a proposal for covering platform Nos. 3 and 4 and the overbridge connecting them fully. This will be included in the future year's Works Programme subject to availability of funds.

Prices of Cotton

1590. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have withdrawn restrictions on the limits of cotton stocks in mills and credit provided by the Reserve Bank of India against the cotton stock and control on cloth;

(b) if so, the date from which these restrictions and controls have been withdrawn an whether the prices of cotton and raw cotton have improved sufficiently as a result thereof;

(c) whether it is a fact that the cotton growers have not gained much by this improvement in prices ; and

(d) if so, whether these measures benefited the businessmen and mill-owners only ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) & (b). Control over the entire area of cotton textile has not been withdrawn. There has been, however, some liberalisaion, and this liberalisation is effective from 2nd April and 27th April in the case of restrictions respectively on Bank credit and mills holding stocks of cotton, and from 2nd May 1968, in the case of price control on cloth. Prices of cotton have improved since this liberalisation. Improvement of prices is partly attributable to the normal seasonal factors.

(c) & (d). No, Sir.

गैस के सिलेंडरों का निर्माण

1591. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के आक्सीजन तथा तरल पैट्रोलियम सहित अन्य औद्योगिक गैसों के भरने तथा लाने ले जाने के लिये गैस सिलेंडर बनाने के लिये तीन फर्मों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो सिलेंडर बनाने वाले इन फर्मों के नाम क्या हैं; उन के कारखाने कहां पर स्थित हैं; उन की स्थापित उत्पादन क्षमता कितनी है और भविष्य में विस्तार की यदि कोई व्यवस्था है तो कितनी क्षमता के लिये;

(ग) देश में गैस सिलेण्डरों की वर्तमान मांग कितनी है और 1972 में मांग कितनी होगी;

(घ) क्या वर्तमान क्षमता पर्याप्त है, और यदि नहीं, तो मांग पूरी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां, एल० पी० गैस सिलेंडर बनाने वाले तीन कारखानों में उत्पादन हो रहा है ।

(ख) ब्योरा नीचे दिया गया है : —

पार्टी का नाम	स्थान	स्थापित क्षमता संख्या
1. मै०गैनान डन्करले एण्ड कं० बम्बई	बम्बई	50,400
2. मै० कोसन मडल प्राडक्ट्स, बम्बई	बम्बई	1,65,000
3. मै० हैदराबाद आक्सिजन, हैदराबाद	हैदराबाद	50,000 (अस्थायी)

इन एककों के विस्तार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) एल० पी० एवं एच० पी० गैस सिलेन्डरों की विद्यमान आवश्यकता क्रमश: लगभग 4 लाख और 1.67 लाख है । 1970–71 तक इन सिलडरों अर्थात् एल० पी० तथा एच० पी० गैस सिलेंडरों की मांग क्रमश: 2.79 लाख तथा 2.78 लाख तक पहुंच जायेगी । 1972 की मांग का अभी पता नहीं लगाया गया है ।

(घ) जितनी क्षमता के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है जितनी क्षमता का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है वह देश की इन सिलेंडरों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त होगी ।

सिलिंडरों का आयात तथा निर्यात

1592. श्री गा० शं० मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के सिलिंडर आयात करने के लिये कितने तथा लागत बीमा भाड़ा समेत कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये;

(ख) किस प्रकार के सिलेंडर आयात किये जाते हैं तथा उन की विशेषता क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगा लिया है कि इन सिलिंडरों का किन किन देशों को निर्यात किया जा सकता है ;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या क्या हैं; जहां एल०पी० जी० सिलिंडरों समेत विभिन्न प्रकार के सिलिंडरों का निर्यात किया जा सकता है;

(ङ) इन सिलिंडरों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने कौन से विशेष उपाय किए हैं; और

(च) यदि चालू वर्ष के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) अप्रैल, 1967 से आज तक विभिन्न प्रकार के सिलिंडरों के आयात के लिये कुल 1,15,87,819 रुपये मूल्य के 40 लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) औद्योगिक गैसों के निर्माताओं द्वारा गैसों को भरने के लिये उच्च दाव के खाली गैस सिलेण्डर आयात किये गये हैं ।

(ग) तथा (घ). जी, हां । वर्मा, हांगकांग, केन्या, कुवैत, इराक तथा पश्चिम जर्मनी प्रमुख बाजार हैं ।

(ङ) निर्यातों को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं : —

(1) लौह सिलेण्डरों के निर्यात पर निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर नकद सहायता दी जाती है ।

(2) जहां तक निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत की आयात प्रतिपूर्ति दी जाती है ।

(3) निर्यात के लिये सिलेण्डरों के निर्माण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर स्वदेशी लोहा तथा इस्पात दिया जाता है ।

(4) निर्यात वित्त पोषण के लिये ब्याज की रियायती दर दी जाती है । आस्थगित वसूलियों के लिये ऋण सुविधायें दी जाती हैं ।

(च) वर्ष 1967–68 में लगभग 7 लाख रुपये के गैस सिलेण्डर निर्यात किये गये । इस वर्ष के लिये कोई निर्यात लक्ष्य नियत नहीं किया गया है ।

Out-agencies near Gangapur city and Dausa Stations

1593. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have completed investigation in regard to the opening of out-agencies in Bamanbas town near Gangapur city station and in Lalsot town near Dausa station on the Western Railway ;

(b) if so, when out-agencies are expected to be opened there ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) & (b). Yes. It has been decided to open out Agencies at Bamanvas and Lalsot. They will be opened as soon as suitable contractors can be found. Tenders have been invited by the railway administration.

(c) In view of the answer to parts (a) and (b), the question does not arise.

जापान द्वारा कोयले की खरीद

1594. **श्री म० सुदर्शनम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत से बड़ी मात्रा में कोयला खरीदने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शोरानूर और नीलामबूर के बीच रेलगाड़ी

1596. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या रेलवे मंत्री 30 अप्रैल, 1968 के आतारांकित प्रश्न संख्या 8927 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के शोरानूर और नीलामबूर

के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति में सुधार करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : नीलाम्बूर-शोरानूर खण्ड पर गाड़ियों का समय-पालन असन्तोषप्रद होने का मुख्य कारण यह था कि इंजनों के "लिक" के लिए अपर्याप्त समयान्तर होता था। इस में संशोधन किया गया है जिसके फलस्वरूप इस खण्ड पर गाड़ियों के समय-पालन में सुधार हुआ है।

कोराटी के निकट दुर्घटना

1597. श्री विश्वम्भरन : क्या रेलवे मंत्री 7 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 981 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में कोराटी के निकट रेल दुर्घटना सम्बन्धी जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) यह दुर्घटना कोचिन हार्बर टर्मिनस से शोरानूर जाने वाली माल गाड़ी के साथ पुल नं० 143 के ऊपर से गुजरते समय हुई थी जहां से एक जले हुए स्लीपर को बदलने के लिये एक रेल की पटरी हटा दी गई थी। इस दुर्घटना के लिये गाड़ी के ड्राइवर और सेक्शन-मेट को जिम्मेदार ठहराया गया है।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी विभागीय परिषद्

1598. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 जुलाई, 1968 को उद्घाटित कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी विभागीय परिषद् से किस नये उद्देश्य की पूर्ति होने की कल्पना है ;

(ख) इस परिषद् को पहले स्थापित करने में क्या अड़चन थी; और

(ग) इस परिषद् के कार्यक्रम में कल्याण सम्बन्धी विभिन्न कार्यवाहियां क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ग). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये बनायी गयी संयुक्त परामर्श वार्तातंत्र और अनिवार्य पंचाट योजना के अंग के रूप में रेल कर्मचारियों के लिये 10-7-68 को एक विभागीय परिषद् का उद्घाटन किया गया। यह परिषद् सरकार और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने और समान हित के मामलों में तथा सार्वजनिक सेवा में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये अधिकतम सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से बनायी गयी है।

(ख) दो अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघों ने, जिन्हें रेलवे बोर्ड से बातचीत करने की सुविधा प्राप्त है, कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी आपत्तियां उठायी थीं। विभागीय परिषद् के उद्घाटन से पहले इन आपत्तियों का समाधान करना अपेक्षित था ।

सिगनल उपकरण तथा दूर-संचार वर्कशाप, सिकन्दराबाद

1599. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेट्टुगुडा, सिकन्दराबाद में स्थापित की गई सिगनल उपकरण तथा दूर-संचार वर्कशाप ने कितनी प्रगति की है; और

(ख) इस की स्थापना से अब तक भारतीय रेलवे को कितने मूल्य का सामान प्राप्त हुआ है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) अप्रैल, 1956 में मेट्टुगुडा स्थित कारखाने को सिगनल और दूर-संचार विभाग ने इंजीनियरिंग विभाग से ले लिया था। 1956 में इस कारखाने का वार्षिक उत्पादन 14 लाख था जो बढ़कर अब 42 लाख रुपए हो गया है। उत्पादकता और क्वालिटी कंट्रोल बढ़ाने तथा लागत घटाने के लिये सुधरे हुए तरीके अपनाये गये हैं और औजार कमरा, ऊष्मा उपचार अनुभाग, जिग और औजार रेखण कार्यालय और प्रयोगशाला जैसे नये अनुभाग खोले गये हैं।

(ख) इसकी स्थापना (अप्रैल, 1956) से अब तक 371 लाख रुपये की कीमत का सामान तैयार किया गया है।

तालचेर (उड़ीसा) का उर्वरक कारखाना

1600. श्री स० कुन्डू : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में तालचेर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ दल ने उड़ीसा का दौरा किया है तथा क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के उप-मंत्री (चौ० राम सेवक): (क) यूरिया का उत्पादन उड़ीसा में तालचेर के स्थान पर उद्योग समूह का एक भाग था जिसके सम्बन्ध में उड़ीसा की औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (उड़ीसा सरकार का उद्यम) द्वारा भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिसम्बर, 1964 में भेजा गया था। उद्योग समूह की स्थापना के संबंध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) 1966 में किये गये इस निर्णय के परिणामस्वरूप, कि उद्योग-समूह के पूंजीगत लागत के अनुमानों और वित्तीय पहलुओं की और अधिक जांच की आवश्यकता है, भारत सरकार और भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारियों का एक दल मई, 1966 में भुवनेश्वर गया और उस दल ने औद्योगिक विकास निगम के तकनीकी अधिकारियों के परामर्श के साथ प्रायोजना अनुमानों की जांच की।

(ग) दिये गये प्रतिवेदन में, दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रायोजना की आर्थिक क्षमता तैयार उत्पादन अर्थात् यूरिया और कच्चे लोहे के कल्पित मूल्यों पर निर्भर होगी। एक ऐसा पहलू है जिसे मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों द्वारा देखा जाना जरूरी होगा। प्रस्ताव के सब पहलुओं पर विस्तार में विचार करने के पश्चात् उड़ीसा सरकार को सूचित किया गया है कि क्योंकि प्रायोजना में नये तकनीकों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग प्रस्तावित है, अतः किसी विश्वसनीय और सक्षम अधिकरण द्वारा कुछ और अधिक जांच करवा ली जाये, जिस हेतु केन्द्रीय सरकार धन की मंजूरी के प्रश्न पर विचार करने के लिये

तैयार होगी। योजना आयोग को भी इस बात की फिर से जांच करने के लिये प्रार्थना की गई है कि क्या इस प्रायोजना को नई चौथी योजना में समाविष्ट किया जा सकेगा।

अमृतसर में कृत्रिम रेशम बनाने के कारखाने

1601. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि निर्यात संवर्धन योजना समाप्त होने तथा कृत्रिम रेशम के धागे के मूल्यों पर रेशम कातने वालों के एक गुट का नियंत्रण होने से उसमें वृद्धि के कारण अमृतसर के कृत्रिम रेशम बनाने वाले 1200 एककों में से 50 प्रतिशत से अधिक एकक, जिनमें लगभग 900 करघे लगे हुए हैं, बंद हो गये हैं।

(ख) क्या भारत में सामान्य रूप से तथा अमृतसर में विशेष रूप से बुनकर उद्योग को नष्ट होने से बचाने के लिये उस का उचित सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में टैक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऐसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ). टैक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऐसोसियेशन सरकार को कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर, जिनमें अमृतसर में बुनाई संस्थानों का बन्द होना शामिल है, अभ्यावेदन भेजता रहा है। यह सच है कि अवमूल्यन के पश्चात् कृत्रिम रेशम निर्यात प्रोत्साहन योजना के वापिस लेने से निर्यात में गिरावट के कारण पंजाब में कुछ बुनाई क्षमता बेकार हो गई थी। इस स्थिति का समाधान करने हेतु पंजाब के लघु बुनकरों के साथ निर्यात में सुधार करने के उपायों पर बातचीत करने के लिये राज्य व्यापार निगम से कहा गया था। इस बातचीत के फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम और रेशम तथा रेयन कपड़ा निर्यात संवर्धन के संयुक्त प्रयासों से 14.5 लाख मीटर के कृत्रिम रेशम कपड़े के आर्डर हुए हैं जो कि कनाडा, इराक और इटली को निर्यात के लिये अमृतसर तथा लुधियाना के बुनकरों को दिये गये हैं। कृत्रिम रेशम धागे के मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न के संबंध में स्थिति यह है कि यह मामला मानव निर्मित रेशे धागा उद्योग के लागत ढांचे की जांच के लिये टैरिफ आयोग को सौंप दिया गया है।

कृत्रिम रेशम का धागा

1602. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अभी हाल में कपड़ा उत्पादन संघ, अमृतसर की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह कृत्रिम रेशम के धागे को अनिवार्य वस्तु करार देने तथा उद्योग को कताई वालों के पंजों से बचाने के लिए सभी स्थानों के लिए एक रूप "रेल तक भाड़ा रहित" कीमतों की घोषणा करे;

(ख) क्या संघ ने यह भी मांग की है कि 80 प्रतिशत धागे का वितरण कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग के संघों द्वारा किया जाना चाहिए;

(ग) क्या संघ ने यह भी मांग की है कि कताई वालों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाये कि वे अपना उत्पादन ढांचा वर्ष 1964 के आधार पर रखें जब कि वे कम से कम 70 प्रतिशत 10 डेन या अन्य मोटे धाग का उत्पादन करते थे तथा शेष महीन काउन्ट के धाग का उत्पादन करते थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). कपड़ा उत्पादक संघ की ओर से हाल ही में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का सार यह है कि कृत्रिम रेशम धागे के कत्तिनों ने अपने मूल्यों में वृद्धि कर दी है तथा कृत्रिम रेशम कपड़े का उत्पादन अलाभकारी हो गया है। संघ ने सरकार से उचित मूल्य निर्धारित करने के लिये अनुरोध किया है। इस उद्देश्य से मानव-निर्मित रेशे/धागा उद्योग के लागत ढांचे की जांच करने के लिए टैरिफ आयोग से कहा गया है।

दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के साथ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग

1603. श्री एस० आर० दामानी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने चाय तथा आर्थिक सहयोग के बारे में हाल में भारत और श्रीलंका के बीच हुए करार की तरह के करार दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ करने की संभावनाओं का पता लगा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). इकाके जैसे अभिकरणों के माध्यम से सरकार पहले ही क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में भाग ले रही है। भारत के एक पर्यवेक्षक प्रतिनिधि-मण्डल ने अप्रैल, 1968 में सिंगापुर में हुई 'सीमिक' (Seamic) की बैठक में भी भाग लिया।

क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के मामले में सरकार सजग है।

विदेशी सहयोग

1604. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सभी विदेशी सहयोगों के बारे में कड़ी जांच करने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये हैं;

(ग) सरकार इस प्रकार की कड़ी जांच किस प्रकार करेगी; और

(घ) विदेशी सहयोग को सीमित करने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां। योजना आयोग ने अपने प्रकाशन "एप्रोच टु दि फोर्थ फाइव ईयर प्लान" में सामान्य रूप में सुझाव दिये हैं।

(ख) (1) उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए किन्तु जहां अधिक निर्यात की संभावना हो, वहां यह छूट दी जा सकेगी;

(2) जिन क्षेत्रों में देश अपने ही प्रयासों से तत्काल या कुछ ही समय के भीतर सेवाओं या वस्तुओं या उनकी स्थानापन्न वस्तुओं की व्यवस्था कर सके, वहां विदेशी सहयोग के लिये अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(3) विदेशी सहयोग योजनाओं के अन्तर्गत पूंजीगत सामान के आयात के लिए अनुमति देने से पूर्व उनके आयात के संबंध में बचत और कार्यकुशलता के दृष्टिकोणों से जांच की जानी चाहिए; और

(4) विदेशी सहयोग के अन्तर्गत तकनीकी एवं इंजीनियरी जानकारी के आयात पर इस प्रकार से रोक लगानी चाहिए जिससे उसके आयात से हमारे अपने तकनीशियनों पर बुरा प्रभाव न पड़े और वे हतोत्साह न हों ।

(ग) केवल विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक विदेशी विनियोग मंडल स्थापित करने का निश्चय किया गया है ।

(घ) यद्यपि सरकार विदेशी सहयोग का स्वागत करती है किन्तु इसके संबंध मे उसका रुख यह है कि वह कुछ विशेष मामलों में ही इसके लिये अनुमति देती है ।

पटसन को आग लगने सम्बन्धी जांच समिति

1605. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जारडिन हैंडरसन एण्ड कम्पनी के अधीन हावड़ा जूट मिल्स के सिक्योरिटी आफिसर श्री एम० आर० वासिफ़दार ने पटसन को आग लगने सम्बन्धी जांच समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में पटसन व्यापार के एकाधिपतियों के विरुद्ध कदाचार के आरोप लगाये हैं;

(ख) क्या श्री एम० आर० वासिफ़दार के समिति के समक्ष साक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि पटसन व्यापार के एकाधिपति स्वयं ही पटसन के गोदामों में आग लगाने के जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या मैसर्स जारडिन हैंडरसन एण्ड कम्पनी के प्रबन्धक श्री एम० आर० वासिफ़दार को, उनके पटसन में आग लगने सम्बन्धी जांच समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिये, सेवा से बर्खास्त करने की कोशिश कर रहे हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर सकारात्मक हैं, तो श्री एम० आर० वासिफ़दार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार यदि कोई कार्यवाही कर रही है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार ने कोईप टसन आग जांच समिति स्थापित नहीं की है । किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने पटसन के गोदामों में आग लगने की बढ़ती हुई घटनाओं के कारणों का पता लगाने तथा इस प्रकार की आग की घटनाओं को कम करने के लिये सुझाव देने के उद्देश्य से नवम्बर, 1964 में एक समिति की स्थापना की थी ।

Distribution of Tyres and Tubes in Delhi

1606. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two Officers of the Rationing Department have been suspended because of irregularities in the distribution of tyres and tubes in Delhi;

(b) if so, the names of the traders and other persons to whom tyres and tubes were supplied in an irregular manner;

(c) the reasons for which provision has not been made for registration for tyres and tubes in the new ration cards being prepared this year; and

(d) whether those persons whose names are already registered for this purpose would be required to get their names registered afresh and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) It is not a fact that any officers of the Rationing Department, Delhi have been suspended. Two Peons of the Rationing Department have, however, been suspended for assisting persons in incorrect registration on cards for cycle tyres and tubes.

(b) Names of traders are (i) M/s. Hitkari Brothers, 51, Chandni Chowk, Delhi; and (ii) M/s. National Cycle Co., Esplanade Road, Delhi.

Name of Ration Card Holders

The name of ration card holders are :—

Sarvashri Maidhan Dass, Boota Singh, Lala Ram, Pishori Lal and Prithvi Raj.

(c) Entries regarding possession of cycles as already endorsed on old ration cards are being transferred on the new ration cards. Card holders arriving newly can also get such registration made on their cards.

(d) No, Sir.

रबड़ जांच समिति

1607. **श्री अदिचन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के रबड़ वसूली प्रणाली का अध्ययन करने के लिये इस वर्ष मई में श्री टी० ए० अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारतीय रबड़ जांच समिति वहां गई थी, जिससे रबड़ के उत्पादकों को उनके उत्पाद का अधिकतम मूल्य सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) भारत के रबड़ क्रम प्रणाली में फेरबदल करने के बारे में क्या दल द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि श्रीलंका के अधिकारियों तथा रबड़ बागान प्रतिनिधियों ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि बरेली में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बनाया जा रहा है क्योंकि भारत में रबड़ के बहुत से बाग हैं और उनका पर्याप्त विस्तार किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) श्री टी० एम० अब्दुल्ला की अध्यक्षता में श्रीलंका का दौरा करने वाली समिति का उद्देश्य मुख्य रूप से वहां के छोटे बागानों की समस्याओं तथा उन पर काबू पाने के लिये उस देश द्वारा किये गये उपायों की, जिनमें उनकी वसूली प्रणाली भी शामिल है, जानकारी प्राप्त करना था। परन्तु मूल्यों के मामले में समिति द्वारा बातचीत नहीं की गई ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि उत्पादों का निर्यात

1608. **श्री हिम्मतसिंह का :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों, खलों, खाद्य पदार्थों, तम्बाकू तथा काजू जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की संभावना के बारे में हाल में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में इन वस्तुओं के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ग) इन वस्तुओं के संभावित क्रेता कौन-कौन हैं और इन वर्षों में इनमें से प्रत्येक देश को प्रत्येक वस्तु का कितना निर्यात किये जाने की संभावना है; और

(घ) निर्यात के अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख)

वस्तु	निर्यात वर्ष 1966–67	1967–68	मूल्य लाख रु० में 1968–69 (प्राक्कलित)
1. तिलहन	35	180	500
2. खलियां	5002	4547	5050
3. साधित खाद्य	631	569	700
4. अनिर्मित तम्बाकू	2152	3485	2800
5. काजू गिरी	4552	4303	4500

(ग) इन वस्तुओं के हमारे मुख्यत: खरीदार हैं : सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चेकोस्लावाकिया, इटली तथा पोलैण्ड । इस अवस्था में गन्तव्यवार निर्यात-वृद्धि बताना सम्भव नहीं है ।

(घ) अपने निर्यात बढ़ाने के लिये, जहां भी आवश्यक हो, नकद सहायता तथा आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान किये जा रहे हैं । इनमें से कुछ मदों के निर्यात बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के लिये उप-समितियों का गठन किया गया है । विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिये बिक्री दल भेजे जा रहे हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास

1609. **श्री अदिचन :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के मुख्य उद्देश्य निर्धारित कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित औद्योगिक विकास के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख 'एप्रोच टु दि फोर्थ फाइव ईयर प्लान' नामक पुस्तिका में किया गया है जो योजना आयोग द्वारा हाल ही में प्रकाशित की गई है ।

दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाना

1610. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1243 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह घोषित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). शुष्क पत्तन (ड्राई पोर्ट) की स्थापना के लिये चुंगियों की व्यवस्था, गोदामों की सुविधाओं, विशेष परिवहन व्यवस्था, आदि जिनके लिये काफी पूंजी तथा अनुरक्षण व्यय चाहिए, की व्यवस्था करना आवश्यक होता है । अतः किसी शुष्क पत्तन की स्थापना करने का निर्णय, प्रस्तावित शुष्क पत्तन को यातायात सम्भाव्यताओं, पूंजी तथा संचालन लागत, संस्थात्मक व्यवस्थाओं आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के पश्चात् ही लिया जा सकता है । प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

सशस्त्र सेनाओं के लिये गर्म वर्दियां

1611. **श्री श० ना० माइती** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962–63 में सशस्त्र सेनाओं की गर्म वर्दियों के लिये आयात की गई करोड़ों रुपये के मूल्य की ऊन, जो आवश्यकता से बहुत अधिक थी, के बारे में इस बीच जांच पूरी हो गई है;

(ख) क्या जांच अधिकारियों ने किसी प्रतिरक्षा अधिकारी को इसके लिये दोषी ठहराया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या आरोप लगाया गया है तथा दोषियों को क्या दण्ड दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्ष 1962–63 में किये गये ऊन के आयात के संबंध में जांच पूरी हो गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा आयात लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन

1612. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री 16 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7413 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने मैसर्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कम्पनी, बम्बई के विरुद्ध, जिसने गन्धक की बजाय भेड़-बकरी की चर्बी का आयात किया था, इस बीच अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) जांच कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा मामले की अब भी जांच की जा रही है ।

(ख) जांच में विभिन्न सुदूर कार्यालयों के रिकार्डों तथा अनेकों व्यक्तियों की पड़ताल करनी है। संदिग्ध व्यक्तियों की लिखावट के नमूने भी एकत्र करने हैं और विशेषज्ञों की राय लेनी है, जिनमें समय लगेगा । केन्द्रीय जांच विभाग जांच को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है ।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि जांच पूरी होने में कितना समय लगेगा । यह उन तथ्यों पर निर्भर रहेगा जो जांच के समय प्रकाश में आएं ।

Import Licences for Wool and Nylon Yarn

1613. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have issued licences for the import of wool and nylon yarn during the last ten years to persons who have set up or propose to set up their factories only this year ;

(b) the number of other cases where licences have been granted to certain companies but they have not started their factories so far and whether their respective quotas have also been mentioned in those licences ;

(c) whether Government have fixed any specified period in respect of them for starting their factories and on the expiry of which the licences issued to them would lapse ; and

(d) if so, the number of such cases and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) Government are not aware of any case in which a company has been granted licences for import of wool and nylon yarn even before the factories were started. The respective quotas are not mentioned in the import licences.

(c) Licences issued under the Industries (Development and Regulation) Act indicate the periods within which 'effective steps' should be taken and the project completed. If any unit fails to take 'effective steps' or does not complete the project within the prescribed periods, the licences are revoked after giving the due notice to the party to show cause against such revocation.

(d) The information will be collected and laid on the Table of the House.

Expansion of Foreign Cos.

1614. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign factory owners who have been recommended by his Ministry to expand their factories ;

(b) the number of foreign companies who have been permitted to set up new factories in India and the facilities recommended for and assured to them by Government ?

The Minister of Industrial Development Company Affairs (Shri Fakhurddin Ali Ahmed) : (a) and (b). The information will be collected for the years 1966 and 1967 and laid on the Table of the House.

Trade with Afghanistan

1615. **Shri Shashi Bhushan :** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) the value of goods to be imported from and exported to Afghanistan this year ; and

(b) the items of imports and exports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b). A Trade Delegation from India is currently in Afghanistan for negotiating Indo-Afghan Trade Arrangement for the priod 1968-69. It is not possible to indicate at this stage the value of trade exchanges that may be agreed to by the two countries as also the commodities, to be imported from, and exported to, Afghanistan.

कठुआ-जम्मू ब्राडगेज रेलवे लाइन

1616. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कठुआ-जम्मू ब्राडगेज रेलवे लाइन के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का कार्य कब आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या इसके निर्माण के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो निश्चित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना का काम कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) भूमि-अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है और कुछ निर्माण-कार्यों के लिए टेण्डर मांगे गये हैं ।

(ग) आशा है, 1971 के अन्त तक यह लाइन बन कर तैयार हो जायेगी ।

सलाहकार समितियां तथा बोर्ड

1617. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बन्धित संगठनों की विभिन्न सलाहकार समितियां तथा बोर्डों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को क्या-क्या कार्य सौंपे गये हैं ;

(ग) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड के सदस्यों में सामाजिक कार्यकर्ता कितने हैं और उनमें अधिकारी कितने हैं ;

(घ) क्या सदस्यों को केवल एक ही पदावधि के लिये नाम-निर्देशित किया जाता है, और यदि नहीं, तो उनको कितनी पदावधियों के लिये पुनः नाम-निर्देशित किया जा सकता है और एक पदावधि की अवधि कितनी होती है ; और

(ङ) वर्ष 1967–68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन खर्च किया गया ?

इस्पात, खान और धातु उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी खर्च पर विदेशों के दौरे

1618. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में अब तक उनके मंत्रालय की ओर से सरकारी खर्च पर कितने शिष्टमंडल, मंत्री, अधिकारी या अन्य विशेषज्ञ विदेशों में गये ;

(ख) प्रत्येक ने किन-किन देशों का दौरा किया तथा उनके दौरों की अवधि कितनी-कितनी थी ;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी तथा उसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी;

(घ) प्रत्येक दौरे के परिणामस्वरूप सरकार को वास्तविक लाभ क्या हुआ है, और क्या कोई करार किये गये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अमीचन्द प्यारेलाल ग्रुप की कम्पनियों के इस्पात के सौदों की जांच

1619. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमीचन्द प्यारेलाल ग्रुप की कुछ कम्पनियों के इस्पात के सौदों के सम्बन्ध में प्रमाणित जानकारी प्राप्त न होने के कारण सरकार समिति द्वारा अनिर्णीत छोड़े गये मामलों का निबटारा करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार ने विशेष सचिव के पद का एक विशेष कार्य अधिकारी और उसकी सहायता के लिये कुछ दूसरे कर्मचारी नियुक्त किये हैं जो बड़े-बड़े लाइसेंस/परमिट देने से सम्बन्धित उन शेष मामलों की जांच करेगा जो सरकारी समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल थे परन्तु जिनकी उस समिति ने जांच नहीं की थी । ऐसी संभावना है कि इन मामलों की जांच करने में छः मास के लगभग समय लगेगा ।

धातु कार्मिक कोयले की मांग

1620. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु कार्मिक कोयले की मांग में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1968–69 की अनुमानित मांग कितनी है ; और

(ग) उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (चौ० राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) 1967–68 वर्ष की 110.7 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 1968–69 के दौरान इस्पात यंत्रों की मांग का अनुमान 113.3 लाख मैट्रिक टन तक है । अन्य उपभोक्ताओं की मांग के बहुत ही कम मात्रा तक बढ़ने की आशा है ।

(ग) इस मांग की पूर्ति के लिये आगे ही पर्याप्त क्षमता मौजूद है ।

औद्योगिक क्षेत्र में आयात होने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का उत्पादन

1621. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के उत्पादन से गत वर्ष 30.92 करोड़ रुपये की बचत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पूंजीगत माल के आयात के पुनरीक्षण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि ऐसी मदों का पता लगाया जा सके जिन्हें देश में बनाया जा सकता है ; और

(ग) भविष्य में आयात कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । वर्ष 1966–67 में 32 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत हुई ।

(ख) और (ग) : जो चीजें देश में ही उपलब्ध हैं अथवा जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है उनके आयात के लिये सिफारिश नहीं की जाती। जिन चीजों के आयात के लिये अनुमति दी जा चुकी है और जिनके सम्बन्ध में ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया है कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा उन पर पुनर्विचार करने के लिए भी कार्यवाही की गई है ताकि जो मशीनें और पुर्जे देश में उपलब्ध किये जा सकते हैं उनके आयात के लिए अनुमति न दी जाये।

अभी हाल ही में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों दोनों के सभी प्राधिकारियों से यह निवेदन किया गया है कि वे उन संयंत्रों एवं उपकरणों आदि का आयात रोकने के लिये सक्रिय और ठोस कदम उठायें जो देश में ही प्राप्त किये जा सकते हैं।

रेलवे पटरी के साथ लगे खम्भों पर मील के चिन्हों का किलोमीटर में बदलना

1622. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे पटरियों के किनारे पर लगे खम्भों पर मील के चिन्हों को किलोमीटर में बदलने का निर्णय कब किया गया था ;

(ख) अब तक कितने मील पटरी पर इस प्रकार चिन्हों को बदला गया है तथा इस पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) कितने मील लम्बी पटरी पर यह परिवर्तन करना शेष है और उसका अनुमानित व्यय क्या है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1957 में, जब रेलों पर मीटरिक प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में विनिश्चय किया गया था।

(ख) सभी भारतीय रेलों पर सम्पूर्ण मार्ग मील चिन्हों को मार्ग किलोमीटर चिन्हों में बदला जा चुका है जिस पर 9,14,248 रुपए खर्च हुए हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कपड़े के मूल्य में वृद्धि

1623. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से कपड़े पर से नियंत्रण हटाया गया है तब से लेकर अब तक फाइन और सुपर फाइन कपड़े के मूल्य में क्या कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). 2-5-68 से पहले नियंत्रण के अधीन फाइन कपड़े की किस्मों के मूल्य में सामान्यतया कोई वृद्धि नहीं हुई है । हां, सुपर फाइन किस्मों के मूल्य के मामले में कुछ सामान्य किस्मों में 5 प्रतिशत तक तथा कुछ चुनी हुई किस्मों में 17 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । सरकार उस क्षेत्र के मूल्यों का विनियमन नहीं करती जिन पर से नियंत्रण हटा दिया गया हो ।

कारतूसों की कमी

1624. **श्री रणधीर सिंह :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री बलराज मधोक :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ किस्मों की लोकप्रिय राइफलों के कारतूसों की बहुत अधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) तथा (ख). चालू लाइसेंस अवधि में गोला बारूद तथा बन्दूकों के सुस्थापित आयातकों को 4 प्रतिशत के कोटे पर मंजूर किये गये आयात के अतिरिक्त, विक्रेताओं को खुले बाजार में बिक्री के लिये 12 बोर के छर्रे वाले बन्दूक (लोक-प्रिय किस्म) के लिये 25 लाख देशी कारतूस दिये गये हैं ।

एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों द्वारा यात्रा करने पर दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध

1625. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल जैसे नगर जो राज्यों की राजधानियां हैं में भी ग्रांड ट्रंक तथा सदर एक्सप्रेस जैसी कुछ एक्सप्रेस अथवा डाक गाड़ियों से यात्रा करने के बारे में दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि झांसी स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण, स्टापेजों के रेलवे टिकट न तो प्रथम दर्जे के यात्रियों को दिये जाते हैं और न ही उनके परिचारकों को;

(ग) क्या यह भी सच है कि मन्त्रियों तथा प्रथम श्रेणी के बहुत दूर तक जाने वाले यात्री तक भोपाल में झांसी के लिये परिचारक टिकटें नहीं खरीद सकते; और

(घ) यदि हाँ, तो रेलवे प्रशासन को इन प्रतिबन्धों से क्या लाभ है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) पहली जून, 1968 से मध्य रेलवे द्वारा नयी दिल्ली और बल्हारशाह के बीच जी० टी० एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ियों पर उन प्रतिबन्धों के अलावा कुछ अतिरिक्त दूरी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जो इस तारीख से कई वर्ष पूर्व से लागू हैं । इन प्रतिबन्धों से मार्ग के अन्य स्टेशनों के साथ भोपाल स्टेशन पर भी प्रभाव पड़ा ।

(ख) चूंकि लगाये गये नये प्रतिबन्ध पहले दर्जे पर भी लागू होते हैं, इसलिए पहले दर्जे के यात्रियों और उनके परिचरों के लिए निर्धारित सीमा से कम दूरी जैसे भोपाल से झांसी तक की दूरी के लिए टिकट नहीं दिये जा सके।

(ग) जिस समय प्रतिबन्ध लगाया गया, किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता गया। जहाँ प्रतिबन्ध लागू नहीं था, वहाँ टिकट दिये जा रहे थे।

(घ) मध्य रेलवे द्वारा यह प्रतिबन्ध लम्बी दूरी की गाड़ियों पर कम दूरी के यात्रियों द्वारा भीड़भाड़ कम करने की दृष्टि से लगाया गया था ताकि लम्बी दूरी के यात्रियों को आराम पहुंचाया जा सके। सरकार द्वारा इन प्रतिबन्धों के विरुद्ध प्रतिवाद मिलने पर वे 30 जून, 1968 से हटा लिये गये और पूर्व स्थिति कायम कर दी गयी।

रेलगाड़ियों में खराब तथा इस्तेमालशुदा (डिस्चार्जड) बैटरियां

1626. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्री गाड़ियों में तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के कुछ डिब्बों में खराब अथवा इस्तेमाल शुदा बैटरियां नियमित रूप से पाई जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को प्रायः प्रतिदिन अंधेरे में रहना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी नहीं। यह सही नहीं है कि सवारी गाड़ियों में खराब और काम में लायी गयी बैटरियाँ नियमित रूप से पायी जाती हैं। लेकिन सवारी गाड़ियों की बैटरियों में टियों और खराबियों के कुछ मामले अवश्य पाये गये हैं। इन मामलों में बिजली की खराबी मुख्यतः उपस्कर के पुर्जे की चोरी और गाड़ी में रोशनी के उपकरणों में खराबी के कारण होती है।

(ग) सवारी डिब्बों में रोशनी की समुचित व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनेक प्रतिकारक उपाय किये गये हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

(i) गाड़ी में रोशनी उपस्कर के अनरक्षण के स्तर में सुधार करने के लिए पर्याप्त देख-भाल की जाती है।

(ii) प्रस्थान स्टेशनों से गाड़ियों के छूटने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाड़ी में रोशनी और पंखे और अन्य सुविधाएं ठीक हालत में हैं, उपयुक्त स्तरों पर आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

(iii) उपस्कर से अनधिकृत छेड़छाड़ की घटनाओं को कम करने के लिए चोरी और उठाईगीरी रोकने के सम्बन्ध में कुछ उपाय आरम्भ किये गये हैं।

(iv) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बटरियों को चार्ज करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है।

(v) विशेष रूप से बैटरी, बल्ब, डायनमो आदि महत्वपूर्ण उपकरणों के सन्तोषजनक स्तर के फालतू पुर्जे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किये जाते हैं।

(vi) स्टेशनों, यार्डों और साइडिंगों आदि में सवारी डिब्बों के उपस्कर की संरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा दल द्वारा सुरक्षा के उपाय अपनाये गये हैं।

रोशनी और पंखों की सुविधाओं को ठीक हालत में रखने के लिए सभी सम्भव उपायों द्वारा यह समस्या सुलझायी जा रही है।

रूस के साथ व्यापार

1627. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस दोनों देशों के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से व्यापार हेतु एक स्थल मार्ग बनाने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम व्यवस्था की गई है और इस मार्ग को अपनाने के परिणामस्वरूप दोनों देशों को क्या लाभ पहुचने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में छंटनी

1628. **श्री क० हाल्दर:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष ने यह मत व्यक्त किया है कि सरकारी क्षेत्र को फालतू कर्मचारियों की छटनी नहीं करनी चाहिये जैसा कि गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारी इंजीनियरी निगम में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों तथा सिविल इंजीनियरों की कुछ श्रेणियों जिनमें आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, की चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने प्रेस सम्मेलन में यह कहा था कि सरकारी क्षेत्र में छंटनी का प्रश्न गैर-सरकारी क्षेत्र में छटनी से भिन्न होता है क्योंकि छटनी करने में सामाजिक जटिलताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे में धनसिरी रेलवे स्टेशन के निकट रेल की पटरियों के नीचे विस्फोटक पदार्थों का पाया जाना

1629. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जून, 1968 को पूर्वोत्तर रेलवे के धनसिरी स्टेशन पर रेल की पटरी के नीचे लगभग 25 किलोग्राम शीघ्र-विस्फोटक पदार्थ पाए गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या तोड़फोड़ के इस प्रयास के बारे में कोई जाँच की गई है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) रेल की पटरियों पर तथा रेल गाड़ियों में विशेष कर उपरोक्त रेलवे पर तोड़फोड़ की ऐसी घटनाओं को कारगर ढंग से रोकने के उद्देश्य से इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 23 जून, 1968 को सवेरे धनसिरी स्टेशन पर रेलवे लाइन के निकट 14 किलोग्राम सरेस, दो पटाखे और विस्फोटक पदार्थ से लगे 2 सेफ्टी फ्यूज वायर पाये गये थे ।

(ख) इस मामले की जाँच की जा रही है ।

(ग) लामडिंग-दामछड़ा और लामडिंग-सापेखाटी में सुरक्षा व्यवस्था सेना के नियन्त्रण में है । सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को अधिक सावधान रहने के लिए सचेत कर दिया गया है ।

भारत-अमरीकी वाणिज्य मण्डल

1630. **श्री रमानी :** **श्री नायनार :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत-अमरीकी वाणिज्य मण्डल बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित वाणिज्य मण्डल की शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मण्डल बनाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

कास्टर पूलर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता

1631. **श्री रमानी :** **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री अब्राहम :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्क लिफेट ट्रक बनाने वाली कास्टर पूलर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के पूर्णतया बन्द हो जाने का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत तीन वर्षों में कुछ अन्य फर्मों को फर्क ट्रक बनाने के लाइसेंस दिये गये थे;

(ग) यदि हाँ, तो ये लाइसेंस किन किन फर्मों को दिये गये थे; और

(घ) इस कम्पनी को बन्द होने से बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मेसर्स कास्टर पूलर एण्ड कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड, कलकत्ता ने जो 3, 4 टन की क्षमता तक के इंजन चालित फोर्क लिफ्ट ट्रकें बनाती रही हैं, सूचित किया है कि कारखाने को चालू रखने के लिए उनके पास इस समय आर्डर नहीं है।

(ख) तथा (ग) मेसर्स गोदरेज एण्ड बोइस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई, जिन्हें अगस्त, 1960 में 1 टन क्षमता की बैटरी से चलने वाली फोर्क लिफ्ट ट्रकें तथा 3 टन क्षमता तक के इंजन से चलने वाली फोर्क लिफ्ट ट्रकें बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया था। अब अक्तूबर, 1965 से 2 टन क्षमता तक की बैटरी से चलने वाली फोर्क लिफ्ट ट्रकें बना कर अपने उत्पादन में विविधता लाने का लाइसेंस दे दिया गया है।

नवम्बर, 1965 में मेसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी, बम्बई को अपने उत्पादन में विविधता लाने के लिए 5—6 टन तक की क्षमता की इंजन से चलने वाली फोर्क लिफ्ट ट्रकों का निर्माण करने का लाइसेंस दिया गया था।

(घ) देश के उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए देश में निर्मित होने वाली क्षमता तक की फोर्क लिफ्ट ट्रकों के आयात की अनुमति नहीं है। उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के लिए प्रतिबन्धित सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और इस क्षेत्र में अतिरिक्त एककों की स्थापना की अनुमति नहीं है। माँग में कमी का कारण इंजीनियरी उद्योग में मन्दी है। चौथी पंचवर्षीय योजना लागू किए जाने से औद्योगिक गति विधि पुनः बढ़ जाने से फोर्क लिफ्ट ट्रकों की माँग बढ़ जाने की आशा है।

अमरीका से आयात

1632. **श्री रमानी :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी पत्रिका "इन्टरनेशनल कामर्स" के 8 जुलाई, 1968 के अंक में प्रकाशित हुए इस लेख की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1966—67 में भारत ने अमरीका से 100 करोड़ डालर की मूल्य के सामान का आयात किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो आयात किये गये सामान का पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस देश से आयात कम करने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1966—67 में अमरीका से आयात होने वाले सामान का ब्योरा दिया गया है।

(ग) आयात के ब्योरे से स्पष्ट है कि अमरीका से अधिकांशतः आयात देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक खाद्यान्नों, मशीनों, परिवहन उपकरणों, उर्वरकों, अलौह धातुओं, कपास तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का किया गया था। सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में 1970—71 तक अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कृषि उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मशीनों तथा उपकरणों के आयात की अनुमति भी उनकी आवश्यकता की कड़ी जाँच करने के पश्चात दी जाती है।

विवरण

अमरीका से भारत द्वारा किया गया आयात

क्रम संख्या	वस्तु	अमरीकी मिलियन डालर में मूल्य 1966-67
1	अनाज/तथा अनाज के पदार्थ	587.601
	(एक) गेहूं	423.319
	(दो) चावल	10.699
	(तीन) बिना मशीन कुटा अनाज	141.125
	(चार) बिना मशीन कुटी मक्का	6.946
2	मशीनों तथा परिवहन उकरण	183.333
	(एक) बिजली की मशीनों के अतिरिक्त मशीनें	131.901
	(दो) बिजली की मशीनें, उपकरण तथा पुर्जे	30.161
	(तीन) परिवहन उपकरण	21.271
3	निर्मित उर्वरक	47.154
4	विदेशी रुई	21.516
5	अलौह धातुएं	25.399
	(एक) ताँबा	15.638
	(दो) एल्युमीनियम	7.041
	(तीन) टिन	2.147
6	लोहा और इस्पात	14.114
7	पेट्रोलियम उत्पाद	11.572
8	रसायन, तत्व और मिश्रित रसायन	12.706
9	दवाइयां तथा औषध	7.489
	ऊपर का योग	910.884
	अन्य मदें	88.672
	कुल आयात	999.556

विदेशी मिल्कियत वाले समवायों में नियोजन की रूपरेखा

1633. **श्री के० रमानी :** **श्री उमानाथ :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने विदेशी मिल्कियत अथवा नियंत्रण वाले समवायों में नियोजन की रूपरेखा के बारे में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) ऐसे समवायों में विदेशियों की नियुक्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

(ग) समझाने बुझाने की नीति अपना कर सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों के लिये काफी बड़ी संख्या में पद प्राप्त कर लिये हैं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1514/68 ।]

हटिया मजदूर यूनियन, रांची

1634. **श्री मुहम्मद इस्माइल:** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अनिरुद्धन: **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय -कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हटिया मजदूर यूनियन, राँची से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हतिया मजदूर संघ को सम्मिलित कर विभिन्न संगठनों से ज्ञापन अगस्त, 1967 में प्राप्त हुए थे ।

(ख) ज्ञापन इन विषयों के सम्बन्ध में था :—(1) मजूरी मण्डल की अन्तरिम सहायता की सिफारिश का लागू किया जाना, (2) कर्मचारियों की पदोन्नति की समान नीति, (3) उत्पादन बोनस की माँग, (4) 7 जनवरी 1967 के पश्चात भर्ती किये गये कर्मचारियों को परियोजना भत्ता न दिया जाना, (5) आवश्यक वस्तुओं की सहायता प्राप्त दरों पर व्यवस्था करना, (6) चिकित्सा सुविधायें ।

(ग) ये सभी माँगें निगम के प्रबन्धकों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं ।

कपड़ा उद्योग में संकट

1635. **श्री श्रीधरण :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग की समस्याओं के समाधान के मार्गोपायों के बारे में सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई बातचीत की है ;

(ख) यदि हाँ, तो इनके फलस्वरूप क्या सुझाव आये हैं ; और

(ग) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हाँ । कपड़ा उद्योग की समस्याओं पर कुछ मुख्य मंत्रियों के साथ, जब वे राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के लिये मई, 1968 में दिल्ली आये थे, बातचीत हुई थी ।

(ख) बैठक बुलाने की व्यवस्था इस मामले में विचार-विमर्श के लिये की गई थी । कोई औपचारिक विनिश्चय तो नहीं किये गये थे, परन्तु कुछ निष्कर्ष निकाले गये थे । एक विवरण संलग्न है जिसमें वे निष्कर्ष दिये गये हैं ।

(ग) उपर्युक्त विवरण के निष्कर्ष (ए), (सी) तथा (एच) पहले ही क्रियान्वित किये जा रहे हैं, जबकि (वी) तथा (डी) तथा (आई) के निष्कर्षों की क्रियान्विति सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है । निष्कर्ष (ई), (एफ) तथा (जे) के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं और (जी) के अन्तर्गत मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण

(क) नवीकरण तथा बदलाव को छोड़ कर इस समय उद्योग का आगे विस्तार बन्द कर दिया जायेगा ।

(ख) राज्य कीटनाशी दवाईयाँ छिड़कने सम्बन्धी केन्द्रीय योजना को बढ़ावा देने में अधिक सक्रिय रुचि लेंगे और कीटनाशी दवाईयों तथा उर्वरकों के लिये ऋण सुविधाओं तथा सब्सिडी का प्रयोग करके कपास की प्रति एकड़ उपज तथा कुल उत्पादन बढ़ाने में सहायता करेंगे ।

(ग) इस समय राष्ट्रीय कपड़ा मिल निगम उन्हीं मिलों को हाथ में लेगी जिन्हें उचित धन देकर आर्थिक दृष्टि से चलने योग्य बनाया जा सकता है ।

(घ) राज्य सरकारें सहायक निगमें स्थापित करेंगी जिनमें केन्द्र राज्य सरकारों के साथ पूंजी की जरूरियात में हाथ बटाने के लिये तैयार होगा ।

(ङ) सहकारी समितियों द्वारा हथकरघा कपड़े की बिक्री के लिये 5 प्रतिशत की सामान्य छूट के साथ-साथ 5 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जायेगी बशर्ते कि राज्य इसके कारण पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार में वर्तमान अनुपात में हाथ बटाएं । आरम्भ में यह छूट माँग में तत्काल वृद्धि करने की दृष्टि से चार सप्ताह या इससे कुछ अधिक समय के लिये होगी । इसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है । समय का वितरण राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जायेगा ।

(च) अपेक्स सहकारी समितियों को अधिक ऋण देने की बात सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई ताकि वे सूत खरीद तथा जमा कर सकें ।

(छ) केन्द्रीय सरकार सूत का रक्षित भण्डार बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये सहमत हो गई जिसका संचालन दक्षिण भारत की दो मिलमालिक संस्थाओं द्वारा किया जायेगा और केन्द्रीय सरकार उचित सीमा तक वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार करने के लिये भी सहमत हो गई बशर्ते कि संस्था उस प्रयोजन के लिये एक योजना तैयार करे ।

(ज) संगठित तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों के बीच, संगठित क्षेत्र में सहकारी एककों तथा अन्य एककों के बीच क्षमता के वर्तमान अनुपात में परिवर्तन न करने का निर्णय किया गया ।

(झ) बढ़िया माल का उत्पादन करने तथा निर्यात ऋयादेशों पर समय पर माल भेजने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से निर्यात संवर्धन में सहायता देने के लिये अनुरोध किया गया।

(ञ) कपड़ा उद्योग को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार मुनाफे के अंश को कम करने की संभावना पर विचार करेगी।

एरणाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1636. **श्री श्रीधरन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में एरणाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम के बीच छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस काम के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

चौथी योजना के अन्तर्गत उद्योग

1637. **श्री श्रीधरन** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में किन उद्योगों के स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) चौथी योजना के अन्तर्गत केरल में किन उद्योगों के स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). चूंकि चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया, अतः इस समय यह बता सकना सम्भव नहीं है कि चौथी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में कितनी नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी और उनमें से कौन सी केरल में स्थापित होंगी।

फर्मों को पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस देना

1638. **श्री सीताराम केसरी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग स्थापित करने के लिये किसी फर्म को पंजीकरण प्रमाणपत्र औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत अचल आस्तियां निर्धारित की जाती हैं;

(ख) क्या बाद के वर्ष/वर्षों में फर्मों की अचल आस्तियों के मूल्य में वृद्धि का उन फर्मों पर कोई प्रभाव पड़ा है, जिन्हें पहले ही पंजीकरण प्रमाणपत्र दिये जा चुके हैं; और जिन्होंने उद्योग आरम्भ कर दिये हैं; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में अपने निर्णय को बदल सकती है, यदि उसे यह पता लगे कि जिन फर्मों को उद्योग स्थापित करने के लिये पंजीकरण प्रमाणपत्र दिये गये थे, उनकी अचल आस्तियां निर्धारित करने में कोई गलती हो गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नये उद्योगों की स्थापना के लिये पंजीकरण के प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किये जाते हैं। अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस दिये जाने अथवा विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों को पंजीकरण प्रमाणपत्र मंजूर करते समय भूमि, इमारत तथा मशीनों के आधार पर उपक्रम की अचल आस्तियों का हिसाब लगाया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि नये उद्योग चालू करने के लिये पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी ही नहीं किये जाते।

ढोलों और ड्रमों का निर्माण करने के लिये भारतीय तेल निगम को औद्योगिक लाइसेंस

1639. श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने ढोलों और ड्रमों के निर्माण के लिये मद्रास में एक कारखाना स्थापित करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी तेल कम्पनियों की मांग को पूरा करने के लिए, देश के लाइसेंस प्राप्त वर्तमान कारखानों के पास इन वस्तुओं के निर्माण के लिये काफी क्षमता है और कच्चे माल की कमी के कारण उस क्षमता का पूरा सहयोग नहीं किया जा सकता;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम की मांग को पूरा करने के लिये वर्तमान निर्माताओं ने अपनी कुछ क्षमता के कारखानों को मद्रास ले जाने का प्रस्ताव पेश किया है;

(घ) यदि भारतीय तेल निगम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, तो क्या इससे विदेशी मुद्रा की भारी हानि होगी और वर्तमान कारखाने अधिक बेकार रहने लगेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित की दृष्टि से भारतीय तेल निगम के प्रस्ताव को अस्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). भारतीय तेल निगम के आवेदन पर विचार करते समय इन सभी पहलुओं तथा पेचीदगियों को ध्यान में रखा गया है और इस आवेदन पर अभी अंतिम निर्णय किया जाने को है।

हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी

1640. **श्री सीताराम केसरी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी ने हिन्द कन्टेनर्ज के नाम से विशाखापतनम में तारकोल के ढोल बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है तथा नई क्षमता को स्वीकार कर लिया है, जब कि यह उद्योग प्रतिबंधित सूची में है;

(ग) यदि नहीं, तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण उस फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उन्होंने देशी अथवा आयातित मशीनें किस स्रोत से खरीदी हैं; और

(ङ) उन्हें कच्चा माल किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी मेसर्स हिन्द कन्टेनर्जप्राइवेट लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापतनम में तारकोल के ढोल बनाने का एक छोटा कारखाना लगाया है । इस कम्पनी के निदेशक मेसर्स हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं । यह एक एकक लघु क्षेत्र में होने के कारण उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के क्षेत्र में नहीं आता है ।

(घ) तथा (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

काश्मीर में जिप्सम और अभ्रक के भण्डार

1641. **श्री सीताराम केसरी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में अभ्रक और जिप्सम के विशाल भण्डार पाये गये हैं;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है कि इन निक्षेपों को निकालना लाभप्रद होगा अथवा नहीं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (चौ० राम सेवक) : (क) जम्मू तथा काश्मीर में जिप्सम के विशाल निक्षेप पाये जाते हैं । सरकार को जम्मू तथा काश्मीर में अभ्रक के विशाल निक्षेपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). जिप्सम की उपलब्ध राशि का अनुमान लगभग 900 लाख मैट्रिक टन लगाया गया है । इन निक्षेपों का राज्य में सीमेन्ट संयंत्रों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है ।

लौरेन्स आफ़ अरबिया लाइन्स का पुनः बिछाया जाना

1642. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे लौरैन्स आफ़ अरबिया रेलवे के पुनः बिछाने में तकनीकी सहायता देती रही है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गयी है; और

(ग) क्या किसी अन्य देश को भी ऐसी सहायता दी गयी है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : होम्स से पालमीरा तक हेजाज़ रेलवे लाइन की मरम्मत और उसे फिर चालू करने में सहायता देने के लिये राजनयिक सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हेजाज़ रेलवे (सीरिया) के महानिदेशक के अनुरोध पर सिविल इंजीनियरी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को, इतर सेवा की शर्तों के अनुसार, एक साल के लिये रेल-पथ बिछाने के विशेषज्ञ इंजीनियर के रूप में हेजाज़ रेलवे में प्रतिनियुक्त किया गया है ।

इस परियोजना पर अमल करने से सम्बन्धित कुछ मामलों के अध्ययन के लिये भारतीय रेलों के चार अधिकारियों का एक दल भी तीन सप्ताह के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था ।

(ग) सहायता के लिये ऐसे अनुरोधों पर हमेशा विचार किया जाता है ।

लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल का विकेन्द्री करण

1643. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल के वितरण के विकेन्द्रीकरण के लिये कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वितरण कार्य किन-किन अभिकरणों को दिया जायेगा और इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु उद्योग समन्वय समिति की 5 तथा 6 जुलाई, 1968 को नई दिल्ली में हुई 15वीं बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय अभिकरण की बजाय राज्य लघु उद्योग निगमों का कच्चा माल कारखाने से निकलते समय के मूल्य पर दिये जाने की सम्भावनाओं की जांच की जाये । इस सुझाव की जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Quality of Indian Exports

1644. **Dr Surya Prakash Puri** :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any new decisions have been taken with a view to increase the consumption of Indian goods in the foreign countries ;

(b) whether Government have also received some complaints to the effect that the quality of goods exported from India is good in the first instance but it deteriorates later on ; and

(c) if so, whether any effective steps are proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A statement showing the steps taken to increase exports is placed on the Table.

(b) & (c). Certain complaints with regard to quality of goods are inevitable in international trade, which may be for genuine reasons or otherwise. However under the Export (Quality Control and Inspection) Act, compulsory pre-shipment inspection is being carried out on major export commodities. This is being gradually extended to cover more and more export commodities.

Steps taken to promote exports :

(a) To improve the quality of export products, Export (Quality Control and Inspection) Act, was enacted in 1963 and brought into force with effect from 1-1-1964.

(b) Over 85 % of exportable goods have been covered under compulsory quality control and or pre-shipment inspection schemes. These range from raw agricultural produce to semi-processed and manufactured items.

(c) No consignment of commodities brought under compulsory quality control and or pre-shipment inspection schemes can be shipped unless accompanied by a certificate of exportworthiness.

(d) Export duties have been reduced in the case of selected manufactured products, such as jute manufactures, coir products, tanned leather of bovine animals but excluding calf skins, and finished leather, with effect from February 7, 1968.

(e) Exporters can obtain the imported raw materials required for export production under the policy of import replenishment.

(f) Priority is extended in the matter of supply of indigenous raw materials needed for export production.

(g) Important indigenous raw materials like iron and steel for engineering industry and some raw materials for the plastics industry are made available for export production at international prices.

(h) Cash assistance is allowed on exports of selected products to develop marketing competence and to neutralise the disadvantages inherent in the present state of development of the economy.

(i) Concessional railway freight is allowed on the movement of a large number of export products from centres of production to the ports of exports.

(j) Drawback of customs and central excise duties is allowed on exports of various products.

(k) Credit, both pre-shipment and post-shipment, is made available, to exporters at the concessional rate of 6 %. Other facilities like guarantees by the Export Credit & Guarantee Corporation enable exporters to secure advances from banks readily.

(l) The time limit for receipt of payment against exports of industry machinery has been raised from 5 to 7 years, which may be extended up to 10 years in special cases. Insurance cover and guarantee from the Export Credit and Guarantee Corporation are also available for such extended period.

(m) The minimum limit to qualify for obtaining blanket permits of foreign exchange has been reduced to Rs. 5 lakhs of exports per year in the case of non-traditional goods and Rs. 25 lakhs in the case of traditional goods.

The blanket permit of foreign exchange will under the latest policy, be made valid not only to cover expenditure on business travels abroad but also other approved expenditure like market studies, advertising, participations in fairs, etc.

(n) Export Houses recognised by the Government of India have heen made eligible to obtain grant-in-aid for an increasing range of activities that promote marketing efficiency and overseas market research. The sale of assistance has also been liberalised.

(o) Government consider extending additional assistance needed for exporters to bid for and secure contracts for export, for high value not less than Rs. 50 lakhs. Each case is considered on merits.

(p) Foreign exchange requirements for import of capital goods and equipment required by export oriented units are met on a preferential basis.

Hindustan Steel Ltd

1645. **Dr. Surya Prakash Puri:** **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Ram Avtar Sharma: **Shri Prakash Vir Shastri:**

Will the **Minister of Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the income from the Hindustan Steel Limited is much less in proportion to the capital invested therein;

(b) whether any private industrialists have also been consulted to find out the ways to increase its income; and

(c) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak): (a) to (c). The Paper entitled "Performance of Hindustan Steel Ltd." placed on the Table of the House on 5th April, 1968, bo the Minister for Steel, Mines & Metals gives information about the low capital output ratio of Hindustan Steel Ltd. and analyses the factors responsible therefor. It also indicates the remedial measures which are in hand or are proposed to be taken to improve its working results. Private industrialists have not been consulted in this matter.

Stock of Coal

1646. **Dr Surya Parkash Puri:** **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Ram Avtar Sharma: **Shri Prakash Vir Shastri:**

Will the **Minister of Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a huge stock of coal is accumulating due to the entire quantity of coal not being transported from the coal fields;

(b) whether it is also a fact that coal is being sold at higher prices at some places due to its irregular supply;

(c) if so, Government's decisions in the matter; and

(d) the time by which adequate transportation facilities for coal would be made available

The Deputy Minister in the M uistry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) There has been a slight increase in pit head stocks as on 31-5-68, as compared to the earlier months. The increase is partly due to increased production and difficulties in transportation in certain section.

(b) Consequent upon decontrol of coal prices from 24-7-67, prices are mutually agreed upon between the producers and consumers and specific complaints of higher prices of coal owing to its irregular supply have not come to the notice of Government.

(c) & (d). Railways are considering the problem. Of late they have agreed to increase rates for coal in certain areas.

Laying of New Railway Lines

1647. **Dr Surya Prakash Puri:**
Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether any further decisions have been taken in regard to the laying of new railway lines;

(b) if so, the policy adopted in that regard; and

(c) the time by which this work would be started?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

राष्ट्रीय कोयला-विकास निगम सम्बन्धी समिति

1648. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्य संचालन पर प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति गठित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान, तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 17 फरवरी, 1968 को दी ।

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशों/निष्कर्षों पर अभी विचार हो रहा है ।

रूस के सहयोग से जूता निर्माण कारखाना

1649. **श्री क० लकप्पा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी सहायता से स्थापित किये जाने वाले जूते बनाने के प्रस्तावित कारखाने को कानपुर से रायबरेली बदल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). रूसी सहायता से स्थापित किये जाने वाले जूते के कारखाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है तथा इसके ब्यौरे अभी तैयार नहीं किये गये हैं । अत: कारखाने को कानपुर से रायबरेली बदलने का प्रश्न नहीं उठता ।

लघु उद्योग

1650. **श्री क० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में छोटे पैमाने के उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्हें ठोस आधार पर खड़ा करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं, स्वयं अपनी इच्छा से पंजीबद्ध होने वाले लघु औद्योगिक कारखानों की संख्या 1954 में एक छोटी सी संख्या से बढ़ कर 1964 में 60,000 तक पहुंच गयी तथा इस समय इनकी संख्या 1,20,000 है जिससे यह प्रकट होता है कि देश में लघु उद्योग समाप्त नहीं हो रहे हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिमालय की खनिज सम्पत्ति

1651. **श्री क० लकप्पा** : क्या **इस्पात, खान, तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय की छिपी हुई खनिज सम्पत्ति का पता लगाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख) हिमालय का व्यवस्थित आधारभूत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज संसाधनों का निर्माण, ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन और भूप्रदेश का मूल्यांकन का कार्य भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी

1652. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9871 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के पास यथोचित लाइसेंस प्राप्त डामर के ढोल बनाने का एक संयंत्र है, किन्तु यह कई वर्षों से प्रायः बेकार पड़ा हुआ है क्योंकि उनको कच्चे माल के आवंटन के लिये कोई सिफारिशें नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डामर के ढोल बनाने के संयंत्र की क्षमता का निर्धारण 1964 में किया गया था, किन्तु अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी निर्धारित क्षमता कितनी है और उनको इसके अनुसार माल न देने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार को यह भी पता है कि संयुक्त संयंत्र समिति ने भी उन के लिये कच्चे माल का नियतन करने से इंकार कर दिया है, क्योंकि सरकार ने न तो उनके लिये सिफारिश की है और न ही उनकी निर्धारित क्षमता बताई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख) मेसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मेन्युफक्चरिंग कम्पनी (प्रा० लिमिटेड, बम्बई जिन्हें तारकोल के ढोल बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है अब अपने उत्पादन की जो थोड़ी मात्रा में ही होता है, सूचना दे रहे हैं । चूंकि तारकोल के ढोल की चादरें तेल शोधक कारखानों/तेल कम्पनियों को उनके तारकोल को उत्पादन की पैकिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर दी जाती हैं । इसलिए इस कम्पनी या दूसरे किसी निर्माता को कच्चे माल के आवंटन की सिफारिश का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). इस कम्पनी की तारकोल के ढोल बनाने की एक पाली के आधार पर लाइसेंस प्राप्त क्षमता 7,84,000 संख्या प्रति वर्ष है । इनकी क्षमता को आंकने के लिए इस कारखाने का निरीक्षण 1964 में किया गया था किन्तु इस निरीक्षण के परिणाम के आधार पर स्वीकृति की दृष्टि से विचार नहीं किया गया क्योंकि इसी बीच 1965 में तेल कम्पनियों की आवश्यकता को आंकने सम्बन्धी तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसमें दी गई कुछ बातों पर आगे जांच करना आवश्यक था । कम्पनी को भी सूचित कर दिया गया था कि उनकी तारकोल के ढोल बनाने की क्षमता का पुनरीक्षण करना सम्भव नहीं है ।

(ङ) सभी तारकोल के ढोल निर्माताओं को पता है कि कच्चे माल का आवन्टन उपभोक्ताओं के हाथ में है जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) में बताया गया है इसलिए संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा इस कम्पनी को कच्चे माल का सीधे आवन्टन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल के ढोलों और तारकोल के ढोलों का निर्माण

1653. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 के वर्ष 1967–68 तक की अवधि में तेल के ढोलों और तारकोल के ढोलों के निर्माण के लिये क्रमश: 18 गेज और 24 गेज इस्पात की चादरों के लिये प्रत्येक तेल समवाय को अलग अलग कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये ;

(ख) देशी इस्पात की चादरें देने और उन उपभोक्ताओं की बजाय जिनके पास निर्माण करने के संयंत्र नहीं हैं, केवल लाइसेंस प्राप्त निर्माण संयंत्रों के मालिकों को ही आयात लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर सरकार को विचार करने में क्या आपत्ति है ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि देशी इस्पात की अथवा आयात की गई इस्पाती चादर जो ऐसी तेल कम्पनियों को मिलती हैं, जिनके पास निर्माण संयंत्र नहीं हैं, अपनी पसन्द के निर्माण

संयंत्रों के मालिकों में बांट दी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ कारखानों में तो पूरी क्षमता से काम होता है और कुछ कारखाने बेकार पड़े रहते हैं और अलाभकारी रहते हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री ((श्री राम सेवक): (क), (ख) और (ग) प्रश्न में पूछी गई सभी बातों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल रिफाइनरी

1654. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल रिफाइनरी के बारे में 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9870 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारी जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) अभी अपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है और इसकी भी कई बातों पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इनके पूर्ण विवरण, जो तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और जिसके शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है, सभा पटल पर रख दिया जायगा।

स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल कम्पनी

1655. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 7 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल कम्पनी को उसके वर्तमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिये लाइसेंस दिये जाने से पहले उसने औद्योगिकीय उपक्रम पंजीकरण तथा लाइसेंसकरण नियम 1952 के नियम 7 के अन्तर्गत सभी अपेक्षित औपचारिकताओं का पालन किया था ;

(ख) उसे, अपना तेल ढोल निर्माण कारखाना संकरी से ट्राम्बे ले जाने के लिये अनुमति कब दी गई थी तथा उस कारखाने को कब वहां ले जाया गया ; और किस मास और किस वर्ष तक उसने तेल के ढोलों का निर्माण किया ; और

(ग) ट्राम्बे में तेल के ढोल और डामर के ड्रम बनाने का काम उसने किस महीने और किस वर्ष आरम्भ किया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा 11 अगस्त, 1958 में प्रचुर विस्तार तथा कारखाने को सेबरी से ट्राम्बे स्थानान्तरित करने के लिए आवेदन दिया गया था। स्थानान्तरण की अनुमति कम्पनी को 31 अक्टूबर, 1958 को भेज दी गई थी और इसके पश्चात् प्रचुर

विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस 20 जुलाई, 1959 को भेजा गया था शेष जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

त्रिपुरा के लिये रेलवे सुविधायें

1656. **श्री समर गुह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे संघ राज्य त्रिपुरा का आसाम के साथ तेल-सम्पर्क स्थापित करना बहुत आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो अगरतला सहित त्रिपुरा के सभी महत्वपूर्ण नगरों में रेलवे सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) त्रिपुरा तक रेलवे की सुविधा देने के उद्देश्य से तीसरी योजना में कलकालीघाट से धर्मनगर तक एक नयी लाइन बनायी गयी थी । अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में त्रिपुरा में किसी नयी लाइन के निर्माण की संभावना नहीं है ।

रेलवे कर्मचारियों को रात्रि भत्ता

1657. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री 23 अप्रैल 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी, समस्तीपुर, सोनपुर, दरभंगा, मुज्जफरपुर और नरकटियागंज के कैरिज और मैकेनिकल विभागों के कर्मचारियों को रात्रि भत्ते की बकाया राशि देने के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा: (क) जी हाँ ।

(ख) 1-8-62 से 1-4-1967 तक सवारी और माल डिब्बा डिपो के नामित कोटियों के कर्मचारी रात की ड्यूटी भत्ता पाने के पात्र थे बशर्ते उन्होंने जाने वाली या यात्रा समाप्त करने आने वाली 16 से अधिक मालगाड़ियों की जाँच कर ली हो । इस मापदंड के आधार पर बरौनी जंकशन, समस्तीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और नरकटियागंज स्थित सवारी और माल डिब्बा डिपो के कर्मचारी शुरू में भत्ता पाने के पात्र नहीं थे । बाद में, इस सम्बन्ध में जो छानबीन की गयी, उसके फलस्वरूप यह देखा गया कि गाड़ियों की संख्या बढ़ जाने के कारण नरकटियागंज और दरभंगा स्थित सवारी और माल डिब्बा डिपो के कर्मचारी क्रमशः 1963 और 1965 से भत्ता पाने के हकदार थे । कर्मचारियों की संख्या और उनको दी जाने वाली रकम का हिसाब लगाया जा रहा है और आशा है सितम्बर, 1968 के अन्त तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा ।

जिस आधार पर रात की ड्यूटी का भत्ता दिया जाता है, उसे 1-4-1967 से और उदार बना दिया गया है । अब 470 रुपये तक वेतन पाने वाले श्रेणी III और IV के सभी कर्मचारी जो काम के घंटों से संबंधित विनियमों के अन्तर्गत "निरन्तर या "टहन" कोटि में वर्गीकृत किये गये हैं रात्रि का भत्ता पाने के पात्र हैं और इसके अनुसार उन्हें भत्ते की अदायगी की जा रही है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे में वर्कशापों में पदों की वर्गोन्नति

1658. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेलवे मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8176 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर, गोरखपुर और इज्जतनगर वर्कशापों में 20 प्रतिशत पदों की वर्गोन्नति करने के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ ।

(ख) गोरखपुर और इज्जतनगर के यांत्रिक कारखानों के संबंध में, कुछ कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर, वर्गोन्नति के आदेशों को क्रियान्वित किया जा चुके है, लेकिन समस्तीपुर के यांत्रिक कारखाने के मामले में कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण उन आदेशों को पहले क्रियान्वित नहीं किया जा सका । अब जल्दी ही उनके क्रियान्वित हो जाने की आशा है

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों का कार्यकाल

1659. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेलवे मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है

(ग) सवाल नहीं उठता ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1515/68]

भारत का निर्यात व्यापार

1660. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वाणिज्य मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9940 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंदी के आरम्भ से हमारे निर्यात संवर्धन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप समाजवादी अफ्रेशियाई तथा विकसित पूंजीवादी देशों के सम्बन्ध में क्या तुलनात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या पेट्रोलियम के बदले में अरब तथा अन्य मध्य-पूर्व देशों को कपड़ा, इंजीनियरी का सामान तथा अन्य वस्तुएं निर्यात करने के लिये, जिनकी उन्हें आवश्यकता है, क्या प्रयत्न किये गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उनका क्या परिणाम निकला और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) यद्यपि हमारे निर्यात सबर्धनात्मक उपायों के प्रभाव को उन अन्य तत्वों के प्रभावों से अलग करना कठिन है जो निर्यात पर असर डालते हैं जैसे देश तथा विदेश दोनों में ही माँग और पूर्ति की स्थिति में परिवर्तन, और उन्हें व्यापारिक मंदी के पूर्व उसके आरम्भ से किये गये प्रयत्नों से सम्बद्ध करना कठिन है, तथापि विभिन्न देश समूह को हमारा निर्यात निष्पादन पटल पर रखे गये विवरण (अग्रेज़ी में) से देखा जा सकता है ।

(ख) यद्यपि हमारे निर्यातों के माध्यम से भारत तथा मध्य-पूर्व के देशों में अपने व्यापारिक भागीदारों की आयात आवश्यकताओं को जिनमें कपड़ा, इंजीनियरी माल आदि शामिल है, पूरा करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है तथापि वस्तु विनिमय के आधार पर इन्हें पेट्रोलियम के बदले नहीं दिया जाता जैसा कि सम्भवत: प्रश्न में अभिप्रेत है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इन देशों के साथ विद्यमान व्यापार व्यवस्थाओं को जिन में व्यापार विन्यास में कुछ लचीलापन रखा गया है और जो अपनी अपनी व्यापारिक पद्धतियों के अनरूप है, समुचित रूप से सन्तोषजनक माना गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1516/68]।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

1662. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से भी कम हो गई है जबकि कुछ ही वर्ष पूर्व यह आय औसत से बहुत अधिक थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले 17 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इस प्रति व्यक्ति आय की कमी का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश को केन्द्र द्वारा उद्योगों में लगाई गई पूंजी का उचित भाग नहीं मिला है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार चतुर्थ पचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देने का है, ताकि वह राज्यों के समकक्ष आ सके; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) 1960–61 से उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय औसत राष्ट्रीय आय से कम रही है। 1951–68 के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर लगाई गई कुल 2449·7 करोड़ रु० की धन राशि मेंना उत्तर प्रदेश के भाग में 147.9 करोड़ रुपये आये केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए स्थानों का चुनव आर्थिक बातों को ध्यान में रख कर दिया जाता है, इन बातों को ध्यान रखकर नहीं कि प्रत्येक राज्य को कुल पूजी में से आनुपातिक अंश मिलना चाहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना अभी भी विचाराधीन है और इस बात की जानकारी योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही दी जा सकेगी कि इस योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग आरम्भ किये जाने की संभावना है।

मीटर गेज डीजल इंजन

1663. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल इंजन निर्माण कारखाना वाराणसी में मीटर गैज डीजल इंजनों का निर्माण आरम्भ किया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी हाँ ।

(ख) वर्तमान योजना के अनसार डीजल रेल इंजन कारखाने में 1968–69 के दौरान मीटर गेज डीजल रेल इजनों का उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है ।

नमक उद्योग के लिये केन्द्रीय तथा प्रादेशिक समवाय-कार्य

1664. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नमक उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सलाहकार बोर्डों को पुनर्गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय और प्रादेशिक सलाहकार बोर्डों के नाम क्या है?

(ग) इन बोर्डों पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इन बोर्डों के विस्तृत कृत्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हाँ ।

(ख) नमक के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड है और छः प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड हैं। उदाहरण के लिए :—

(1) नमक का मद्रास प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड;

(2) नमक का आंध्र-प्रदेश प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड,

(3) नमक का पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड,

(4) नमक का गुजरात प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड,

(5) नमक का महाराष्ट्र प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड,

(6) नमक का राजस्थान प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड ।

(ग) उपर्युक्त बोर्डों का पुनर्गठन पिछलीबार 14–6–1968 को किया गया था और 14–6–68 के बाद अभी तक इन पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया । इन बोर्डों पर पहले किया गया वार्षिक औसत खर्च निम्न प्रकार है :—

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	2700 रुपये
समस्त प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड	2800 रुपये

(घ) बोर्डों के कार्य निम्न प्रकार है —

नमक का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

भारत सरकार को नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 3 के अधीन लगाये गए नमक उपकर से होने वाली आय की व्यवस्था करने के बारे में सलाह देना और नमक उद्योग के विकास के उपयुक्त उपाय करने के लिए सामान्य रूप से सिफारिश करना जैसे :—

(1) अनुसंधान केन्द्रों, आदर्श फार्मों तथा नमक के कारखानों की स्थापना करना और उसकी देख-भाल करना,

(2) नमक की श्रेणियाँ निर्धारित करना और उसकी किस्म में सुधार करना,

(3) निर्यात बढ़ाना,

(4) नमक निर्माताओं में सरकारी प्रयत्नों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना,

(5) नमक उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना, और

(6) नमक उद्योग के सामान्य विकास के सम्बन्धित कोई अन्य मामला ।

नमक के प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड

जहाँ तक उनके अपने संबंधित क्षेत्रों का संबंध है नमक के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को इन्हीं आधार पर सिफारिशें करना ।

रेलवे चिकित्सा अधिकारी संघ

1665. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:** क्या रेलवे मन्त्री 2 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे चिकित्सा अधिकारी संघ की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि उस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). 1-1-1966 से रेलवे सहायक सर्जनों के ओहदे, वेतन-मान, प्रैक्टिस बन्दी भत्ते आदि में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए किये गये संशोधन के अनुरूप एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था जिसके अनुसार 1400 सहायक सर्जनों का ग्रेड श्रेणी III के 335—650 रुपये के वेतन-मान से बढ़ा कर श्रेणी II के 350—900 रुपये के वेतन-मान में कर दिया गया । इसके बाद रेलवे के डाक्टरों की सेवा सम्बन्धी शर्तों में और सुधार किये गये हैं जो इस प्रकार हैं:—

(i) लोक सेवा आयोग के परामर्श से 350—900 रुपये (श्रेणी II) वेतन क्रम में सहायक चिकित्सा अधिकारियों के लिए भर्ती के नियमों में यह व्यवस्था की गयी है कि इस वेतन क्रम की 25 प्रतिशत रिक्तियों को 335—650 रुपये (श्रेणी III) के वेतन क्रम वाले वर्तमान लाइसेंसधारी सहायक सर्जनों की पदोन्नति करके भरा जाना चाहिए ।

(ii) रेलवे में अवर प्रशासनिक ग्रेड के चिकित्सा अधीक्षक के चार और स्थायी पद (1300—1600 रुपये तथा विशेष वेतन 100 रुपये) बनाये गये हैं।

(iii) 350—900 रुपये के ग्रेड में (द्वितीय श्रेणी) काम करने वाले सहायक चिकित्सा अधिकारियों को (700—1300 रुपये) (प्रथम श्रेणी) के डिवीजनल चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत करने के वर्तमान $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कोटे को बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त रेलवे डाक्टरों की पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करने के लिये कुछ और प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

रेलवे भवन (नई दिल्ली) में शिकायत अनुभाग

1666. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने रेल भवन, नई दिल्ली में, जनता की शिकायतों, कठिनाइयों और सुझावों पर विचार करने के लिये एक शिकायत अनुभाग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) अभी तक कितनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव प्राप्त हुए हैं तथा किसके विरुद्ध; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) रेल भवन स्थित रेलवे बोर्ड के कार्यालय में 11 अगस्त, 1964 से एक शिकायत कक्ष काम कर रहा है।

(ग) 11-8-1964 से 30-6-1968 तक रेल भवन के शिकायत कक्ष में प्राप्त कुल शिकायतों और सुझावों की संख्या इस प्रकार है:—

(i) संयुक्त सदाचार समिति तथा अपर सचिव और आयुक्त, सार्वजनिक शिकायत गृह मन्त्रालय से प्राप्त शिकायतों की संख्या—369

(ii) शिकायत कक्ष में सीधे और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों और सुझावों की संख्या—8,771.

सामान्यतः ये शिकायतें किन्हीं निर्दिष्ट रेल कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होतीं।

(घ) शिकायत कक्ष में प्राप्त सभी शिकायतों और सुझावों पर रेलवे बोर्ड कार्यालय के सम्बन्धित निदेशालयों में कार्यवाई की जाती है।

त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी-तिरुनेलवेली रेलवे लाइन

1667. **श्री विश्वम्भरन्** :
श्री मंगला थुमाडोम :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी-तिरुनेलवेली रेलवे लाइन के बारे में जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन की कुल अनुमानित लागत क्या होगी; और

(ग) सरकार का विचार इस लाइन का निर्माण कब आरम्भ करने का है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 8·6 करोड़ रुपये ।

(ग) जांच से पता चला है कि इस लाइन के लाभप्रद होने की सम्भावना नहीं है । इसलिए तूतुक्कूडि बन्दरगाह के विकास के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में और अधिक विकास के संकेत दिखायी देने तक इस परियोजना पर विचार करना उठा रखा गया है ।

भारतीय माल का निर्यात

1668. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967–68 में 2,000 करोड़ रुपये के माल के आयात की तुलना में केवल 1,199 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1965–66 में अर्थात् अवमूल्यन से पहले वर्ष में 1,269 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया था;

(ग) यदि हां, तो हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या यह सच है कि योजनाकर्त्ताओं को चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमारे निर्यात में 6 से 7 प्रतिशत तक वृद्धि होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1967–68 के वर्ष में भारत से कुल निर्यात (पुन-निर्यात सहित) 1,198·67 करोड़ रुपये मूल्य का हुआ जबकि कुल आयात 1974·28 करोड़ रुपये मूल्य के थे ।

(ख) 1965–66 के वर्ष में निर्यात का मूल्य तब 1,268·88 करोड़ रुपये हो गया जब अवमूल्यन के बाद रुपयों में व्यक्त करने के लिए उसमें 57·5 प्रतिशत की वृद्धि हो गई ।

(ग) अपना निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण अतारांकित प्रश्न संख्या 465 के भाग (ङ) के उत्तर में 23 जुलाई, 1968 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(घ) आयोजना आयोग ने सुझाव दिया है कि यदि चौथी योजना के कुछ उद्देश्यों को पूरा किया जाना है तो हमें अपने निर्यात में प्रतिवर्ष 6-7 प्रतिशत की वृद्धि करना आवश्यक होगा । इस पर विचार किया जा रहा है कि इसे कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है ।

Hapur Station

†1669. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received any estimate from the Divisional Superintendent, Northern Railway, Moradabad in regard to making Hapur Station a terminus;

(b) if so, when Government propose to make that station a terminus; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri C. M Poonacha) : (a) and (b). A proposal for providing additional terminal facilities at Hapur Station is under examination.

(c) Does not arise.

Train Service from Hapur to Delhi and New Delhi Stations

1670. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no adequate facility of train service from Hapur to Delhi and New Delhi Stations for persons coming to Delhi and New Delhi for work so as to enable them to reach their offices in time ;

(b) whether it is also a fact that the people of Hapur have been asking for this facility for a long time and they have also given a represenation to Government in this connection ; and

(c) if so, the details thereof and the time by which Government propose to provide this facility ?

Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a). No.

(b) and (c). Some representations have been received for introduction of an additional train from Hapur to Delhi/New Delhi, which has not been found feasible owing to lack of traffic justification and for want of terminal facilities at Hapur.

राज्य व्यापार निगम द्वारा सोयाबीन के तेल का आयात

1671. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री उमानाथ:**
श्री नायनार : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने अमरीका से सोयाबीन का तेल आयात करने के लिये हाल ही में एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कुल कितने तेल का आयात किया गया है;

(घ) अब तक कुल कितना तेल बेचा गया है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' हो तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) आन्तरिक मूल्यों को स्थिर करने तथा देश में खाद्य तेलों की पूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष सरकार ने 50,000 मे० टन सोयाबीन तेल का एक समीकरण भण्डार रखने का निश्चय किया था और भारत में

सोयाबीन तेल का आयात करने के लिए उसके नियतन हेतु अमरीका सरकार से बातचीत की। उसके अनुसार, अपने पास वर्तमान भण्डार तथा वनस्पति फैक्टरियों को अनुमानित बिक्री को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम ने सरकार के अनुमोदन से, अमरीका सरकार द्वारा जारी किये गये 165 लाख डालर के लगभग 17,000 मे० टन के क्रय-प्राधिकरण में से लगभग 56 लाख डालर के जहाज तक निःशुल्क मूल्य का 26,920 मे० टन सोयाबीन तेल खरीदा। उपरोक्त क्रय-प्राधिकरण के अप्रयुक्त मूल्य के बदले में अमरीका सरकार ने अब 108·4 लाख डालर का एक नया क्रय-प्राधिकरण जारी किया है।

(ग) अब तक 1,44,579 मे० टन सोयाबीन तेल का आयात किया गया है और 26,920 मे० टन अभी समुद्री मार्ग में है।

(घ) 1,15,909 मे० टन।

(ङ) सोयाबीन तेल का आयात समीकरण-भण्डार बनाने के उद्देश्य से भी किया जाता है; और उद्योग की समस्त आवश्यकताओं, आन्तरिक पूर्ति की स्थिति तथा मूल्य-स्तरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर वनस्पति निर्माताओं को उसकी निकासी की जाती है।

कांगड़ा तथा देहरादून की चाय के मानक निर्धारित करना

1672. **श्री हेम राज** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय के मानक निर्धारित करने के लिये चाय बोर्ड ने कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) और देहरादून की हरी तथा काली चाय के परीक्षण किये हैं; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

साइकिल के टायर और ट्यूब

1673. **श्री हेम राज** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साइकिल के टायर और ट्यूब कितनी मात्रा में तैयार किये जा रहे हैं; और

(ख) देश में उनकी कितनी मांग है तथा उनको कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गत तीन वर्षों में साइकिलों के टायरों और ट्यूबों का उत्पाद निम्न प्रकार हुआ :—

वर्ष	साइकिल टायर	साइकिल ट्यूबें
1965–66	18,453,686 संख्या	19,178,462 संख्या
1966–67	20,354,463 संख्या	20,771,202 संख्या
1967–68	22,792,072 संख्या	19,858,595 संख्या

(ख) देश में साइकिल के टायरों तथा ट्यूबों में से प्रत्येक की कुल अनुमानित आवश्यकता 2 करोड़ है। साइकिल के टायरों और ट्यूबों की निर्यात सम्बन्धी जानकारी निम्नलिखित है :—

वर्ष	साइकिल टायर	साइकिल ट्यूबें
1965–66 . .	4,46,506	3,53,144
1966–67 . . .	7,28,460	8,54,656
1967–68 . . .	1,303,369	8,15,467

तालगारा में पदीकुन्नु के निकट रेलवे लाइन पर ऊपरि पुल

1674. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन :
श्री नायनार :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्नानूर जिले में तालंगारा में पदीकुन्नू के निकट रेलवे लाइन पर उपरि पुल बनाने के बारे में कासर गोड नगरपालिका (केरल) से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). तालंगारा में पदीकुन्नू के निकट 838 2–3 किलोमीटर पर एक ऊपरी पुल बनाने के लिये कासर गोड नगरपालिका परिषद् से एक पत्र प्राप्त हुआ है। चूंकि 500 मीटर की दूरी पर ही कासरगोड और कलनाद स्टेशनों के बीच 838/9–10 किलोमीटर पर एक ऊपरी पुल है अतएव इतनी कम दूरी पर एक दूसरे ऊपरी पुल बनाने का औचित्य नहीं है। फिर भी, यदि एक दूसरे ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता अनिवार्य समझी जाती है तो उसके निर्माण का पूरा खर्च नगरपालिका को वहन करना पड़ेगा।

जैसे ही इस तरह की कोई योजना नगरपालिका द्वारा अंतिम रूप से इस करार के साथ प्रायोजित की जायेगी कि इस पर होने वाली लागत को वहन करने के लिये वह तैयार है तो रेलवे समुचित कार्रवाई करेगी।

मद्रास में कपड़ा मिलों का बन्द होना

1675. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में 15–4–68 को जो 19 कपड़ा मिल बन्द पड़े थे, तथा जिनके बन्द होने के कारण 11,000 कर्मचारियों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, उन मिलों के नाम क्या हैं;

(ख) इन मिलों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ग) मद्रास सरकार ने वित्तीय सहायता के लिये जिन मिलों के बारे में सिफारिश की है उनकी संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के लिये कितनी सहायता देने की सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन मिलों को शीघ्र सहायता देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप- मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1517/68**]।

आन्ध्र प्रदेश में कोयले का न बिका स्टाक

1676. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 करोड़ रुपये का कोयला, जो आन्ध्र प्रदेश की कोठागुडम कोयला खानों के कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत है, बिना बिका पड़ा हुआ है, इसके क्या कारण हैं;

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र में भी इस कोयले के लिये किसी खरीदार के न होने के क्या कारण हैं;

(ग) जमा हो गये कोयले के स्टाकों को बेचने के लिये सरकार का क्या अविलम्ब कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या इस एकत्र कोयले के बिकने तक खानों को अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सिंगरेनी कोयला कम्पनी द्वारा उत्पादित कोयले के पिछले कुछ वर्षों में 10.3 लाख मैट्रिक टन (अर्थात् लगभग 3 महीने के उत्पादन) की मात्रा तक को गर्त-मुख स्टाक के जमा हो जाने के मुख्य कारण यह हैं :—

(1) लगातार कुछ वर्षों से पिछले कुछ समय तक वैगनों का अपर्याप्त मात्रा में और अनियमित रूप से दिया जाना ।

(2) तीसरी आयोजना के अन्तर्गत दक्षिण में तापीय बिजली घरों की स्थापना या विस्तार में देरी ।

(3) जल-विद्युत् की बढ़ी हुई मात्रा में उपलब्धि जिसके कारण उस प्रदेश में तापीय बिजली की मांग पर दुष्प्रभाव पड़ा ।

(4) सीमेंट के कई कारखानों द्वारा कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग शुरु करना ।

(5) खरीदारों के बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा चुने हुए वर्गों के कोयले को, जिनका कम्पनी द्वारा उत्पादन नहीं होता, तरजीह देना ।

(ख) जमा हुए स्काक का अधिकतर भाग ढीले कोयले (स्लैक कोल) का है जो कि बिजली घरों तथा सीमेन्ट, कागज़ और ईंट के भट्टों आदि उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है । कोयले के प्रयोग से तेल के प्रयोग में अन्तरण तथा बाजार की निरन्तर मन्दी के परिणाम स्वरूप सीमेंट फैक्टरियों द्वारा कोयले के उपयोग में पर्याप्त गिरावट आई है ।

(ग) अपने जमा हुए माल की बिक्री सुधारने के लिये सभी संभव प्रयत्न करने के अतिरिक्त, कोयले के नये प्रयोगों के आधार पर कम्पनी अपने क्रिया-कलापों में विभिन्नता लाने का विचार कर रही है । रेलवे विभाग से आवश्यक वैगनों की पूर्णतः प्राप्ति के लिये भी प्रयत्न किये जा

रहे हैं, जिससे कि कोयले के खत्ते लगने तथा परिणामस्वरूप होने वाली अतिरिक्त लागत में कमी हो सके ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं । उत्पादन में स्थिर व्यय के ऊंचे स्तर को दृष्टि में रखते हुए, हानियों तथा स्टाकों को कम करने के लिये कम्पनी की खानों का बन्द किया जाना कार्ययोग्य समाधान नहीं प्रतीत होता ।

जापानी व्यापारी दल की भारत यात्रा

1677. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जापानी व्यापार दल शीघ्र भारत आने वाला है;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक पहुंचने की सम्भावना है; और

(ग) उसकी यात्रा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) निकट भविष्य में किसी जापानी सरकारी व्यापार दल के भारत आने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ग्रामोद्योग योजना समिति

1678. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उच्चस्तरीय ग्रामोद्योग योजना समिति का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके पुनर्गठन किये जाने के क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) योजना आयोग से ग्रामोद्योगों को प्रशासनिक उत्तरदायित्व के हस्तांतरण और समिति के पुनर्गठन से ग्रामोद्योग के विकास में कैसे सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के पुनर्गठन का मुख्य कारण ग्रामीण उद्योगीकरण में सहायक कार्यक्रमों से सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रियों तथा ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यक्रम से सम्बद्ध संबंधित राज्यों के उद्योग मंत्रियों को सम्मिलित करके उसको विशद बनाना था ।

(ग) ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित प्रशासनिक जिम्मेदारी का योजना आयोग से औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय को हस्तांतरण किये जाने और ग्रामीण औद्योगिक आयोजन समिति का पुनर्गठन हो जाने, इन दोनों से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलने की आशा है ।

Industries in U. P.

1679. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bombay-Howrah line of the Central Railway passes through the hilly region of Manikpur, Arkundi, Tikaria along the Southern border of Banda District in Uttar Pradesh, where no industry has been set up so far ;

(b) whether it is also a fact that there is no industry in this region by which people could get employment ;

(c) whether Government propose to set up cement, paper or stone crushing industries in this area : and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

State Trading Corporation

1680. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the details regarding "Trade Expenses" under the heading "Profit and Loss Account" at page 62 of the Annual Report for the year 1966-67 of the State Trading Corporation :

(b) whether it is a fact that the total amount of secured and unsecured loans on the Liabilities side is Rs. 977 lakhs during the year 1966-67 while during the last year it was Rs. 584 lakhs and that in the Profit and Loss Account, the amount payable as interest has been shown as Rs. 93 lakhs under the item of expenses while last year it was only Rs. 16 lakhs ; and

(c) if so, the reasons for which the amount of interest payable has increased 5⅝ times while the amount of loan has only doubled ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qureshi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Sale of imported cars by State Trading Corporation

1681. Shri Mrityunjay Prasad: Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation sells cars brought to India by the foreign diplomats and other persons;

(b) if so, the details in regard to "other persons" and whether they bring these cars after obtaining import licences;

(c) the number of foreign cars bought by the State Trading Corporation from the foreign diplomats and other persons separately during the last three years; and

(d) the policy of Government in regard to the import of cars from foreign countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) **Yes,** Sir.

(b) Other persons are non-privileged foreign nationals and Indian nationals who import cars on payment of duty after obtaining import licences.

(c) A statement is attached.

(d) Import of cars is allowed only as personal baggage. There is no provision for imports for sale. Licences are normally issued to the following 4 categories of importers other than members of the Foreign Diplomatic Corps. or foreign missions in India:

(i) Foreign national coming to India on assignment with industrial undertakings/ Government projects:

(ii) Indian nationals other than Government employees returning to India for permanent settlement;

(iii) Government employees posted in Indian Embassies/missions abroad or United Nations/its agencies who return to India after completion of their assignment;

(iv) Repatriates from East Africa returning to India for permanent settlement.

Imports of cars by members of Diplomatic Corps. of foreign missions in India are exempted from import trade control restrictions.

(*Placed in the Library. See No. LT*/1518/68)

Central Industrial Advisory Council

1682. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the **Minister of Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a meeting of the Central Industrial Advisory Council was held in the first week of July, 1968 in New Delhi; and

(b) if so, the matters discussed and the conclusions arrived thereat?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) The Eleventh meeting of the Standing Committee of the Central Advisory Council of Industries was held in New Delhi on the 2nd July, 1968.

(b) The items included in the Agenda and discussed in the meeting are given in the Annexure.

The Standing Committee of the Central Advisory Council of Industries is a deliberative and advisory body. The views expressed by the Members of the Committee are under examination of the Government.

STATEMENT

(i) Extent to which there is recovery from recession--in what industries and what the indications are;

(ii) "Approach to the 4th Plan" prepared by the Planning Commission—the implications of liberalisation of licensing on the one hand and protection of small scale industries on the other;

(iii) Avoidance of repetitive acquisition of foreign know-how—desirability and practicability of common acquisition of know-how and its distribution;

(iv) Cases of industries building up capacities several times in excess of the capacities for which they are licensed—action to be taken in such cases;

(v) Effective co-ordination between large scale industries and small-scale ancillary units.

Financial Crisis in Coal Industry

1683. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the **Minister of Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the coal industry is facing a financial crisis on account of the increasing cost of production in the industry;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) the estimated demand of coal in 1970-71 and its percentage to be met by the public and private sectors separately?

Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak): (a) and (b). The coal industry has been representing for price increases. The Railways have agreed to price increases of Rs. 2/- per tonne for Selected Grades and Re. 1/- per tonne for Grade I coals. As regards coking coals supplied to steel plants, coal washeries and cokeries, a price increase of Rs. 1·75 per tonne has been agreed to. An additional Re. 0.75 per tonne would be admissible on a satisfactory solution of mutually agreed formulae of sampling. It has been decided to impose an excise duty of Rs. 0.75 per tonne on all coking coal raised and despatched from collieries in the country, the proceeds of which would be utilised exclusively for purposes of conservation and development of coking coal.

(c) According to latest estimates, the demand for coal during 1970-71 may be of the order of 81.8 million tonnes. 72% of this is expected to be met by private sector and 28% by public sector.

Import of Rubber

1684. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rubber is imported from abroad:

(b) if so, the amount of foreign exchange spent annually on its import; and

(c) the reasons therefor whereas sufficient quantity of rubber is available in our country?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir. When the indigenous production of natual rubber and synthetic rubber is not adequate to meet the full requirements of the rubber goods manufacturing industry, imports, to the extent necessary to cover the deficit, have been allowed by Government.

(b) The foreign exchange spent on the import of rubber (both natural and synthetic) during 1966-67 and 1967-68 was Rs. 11.42 crores and Rs. 4·38 crores respectively.

(c) Imports are allowed only when the indigenous supply is short of the demand. Owing the adequate availability of rubber in the country no fresh licence has been issued and no old licence revalidated, for the import of rubber since April, 1967, so far except in the case of rubber allowed under the export replenishment scheme and of certain special types of synthetic rubber which are not produced in the country.

तकनीकी विकास महानिदेशक के कृत्य

1685. श्री नारायण रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक तथा तकनीकी विकास के सम्बन्ध में तकनीकी विकास महानिदेशक के कृत्य क्या हैं ;

(ख) क्या तकनीकी विकास मह निदेशक ने कोई सूची पत्र प्रकाशित किया है जिस से देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के कारखानों की विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन क्षमता दिखाई गई है, और यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) संयंत्र और मशीनों तथा अन्य औद्योगिक उपकरणों के आयात के लिये लाइसेंस देने के सम्बन्ध में तकनीकी विकास महानिदेशक किस प्रकार से सरकारी की सहायता करता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के मुख्य-मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) उद्योगों के आयोजन तथा विकास में सहायता करना तथा देश के सन्तुलित एवं सान्वित उद्योगीकरण के ढांचे का सुनिश्चय करना ;

(2) पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विस्तृत औद्योगिक लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी निरन्तर समीक्षा करना ;

(3) उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति तथा देशी अंश की प्राप्ति के अवस्थावद्ध कार्यक्रमों को सुनिश्चत करना ;

(4) उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नए औद्योगिक एकक स्थापित करने अथवा वर्तमान उत्पादन एककों के विस्तार के लिए प्राप्त आवेदनों की तकनीकी दृष्टि से जांच करना तथा उन पर सम्बद्ध मन्त्रालयों को सिफारिश करना ;

(5) विदेशी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले उद्योगों में सहयोग की शर्तों की उपयुक्तता के बारे में परामर्श देना ;

(6) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में सम्मिलित गैर सरकारी एककों तथा सरकारी क्षेत्र के ऐसे एकक जो महानिदेशालय के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादन में लगे हुए हैं, से मशीनों, कच्चे माल, इस्पात आदि के आयात के लिए प्राप्त आवेदनों की देश में उपलब्ध माल तथा आवश्यकता की दृष्टि से जांच करना ;

(7) निम्नलिखित पर सिफारिशें करना अथवा परामर्श देना :—

(क) आयात तथा निर्यात नीतियां निर्धारित करना;

(ख) प्रशुल्क में रियायत ;

(ग) तकनीकी व्यक्तियों का विदेशों में प्रशिक्षण ;

(8) देश में निर्मित न होने वाले वैज्ञानिक उपकरणों तथा यन्त्रों के आयात से आयात-कर मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करना और संयंत्र तथा मशीनों की प्रारम्भिक स्थापना के लिए आवश्यक कल-पुर्जों को आयात कर से मुक्ति के प्रमाण-पत्र जारी करना ;

(9) स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन, रोजगार की स्थिति स्टाक, मूल्यों आदि से सम्बन्धित औद्योगिक आंकड़ों का संकलन और सम्बद्ध मंत्रालयों को उनके रुख से अवगत कराना ;

(10) तकनीकी परामर्श और इन्जीनियरी तथा गैर-इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात को प्रात्साहन देना ;

(11) विभिन्न सरकारी संगठनों जसे औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम आदि की उद्योगों को ऋण देने के सम्बन्ध में तकनीकी पहलुओं में सहायता करना ;

(12) आयातित दुलर्भ कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों के प्रतिस्थापन खोजने के लिये अध्ययन करना ;

(ख) मुख्य उद्योगों की स्थापित क्षमता तथा उत्पादन सम्बन्धी जानकारी तकनीकी विकास के महानिदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की जाती है ।

(ग) संयंत्र तथा मशीनों और दूसरे उपकरणों (सूती वस्त्र आयुक्त तथा जूट आयुक्त के कार्य क्षेत्र में आने वालों को छोड़कर) के आयात सम्बन्धी आवेदनों की तकनीकी विकास के महा-निदेशालय द्वारा इस दृष्टि से जांच की जाती है कि ऐसी वस्तुओं के आयात की अनुमति न दी जाये जो देश में ही उपलब्ध है, या जो देश में बनाई जा सकती हैं, अथवा जिनके बदले दूसरी वस्तुएं काम में आ सकती है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक बोर्ड की नियुक्ति

1686. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिये नियुक्तियां पूरी नहीं की ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) वर्तमान बोर्ड में हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रभारी निदेशक, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, दो सरकारी प्रतिनिधि और चार अंशकाल निदेशक । हाल में किये गये निर्णय के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन करने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्यालय, कलकत्ता

1687. श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्यालय, कलकत्ता, 4 चौरंगी लेन पर 'रत्नाकर' नाम के फ्लैटों के ब्लाक का जो कि मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड के बड़े अधिकारियों का है, एक लाख रुपये प्रति मास किराया देता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्यालय में 120 गुसलखाने, 40 रसोईयां, 40 पैंट्रियां और 40 सामान रखने के कमरे (बाक्स रूम) हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यालय को इन कमरों की आवश्यकता है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने, कलकत्ता की एक सीमित दायित्व कम्पनी से, जिसका नाम मैसर्स रत्नाकर बिल्डिंग्स लिमिटेड है, 4 चौरंगी लेन, कलकत्ता पर स्थित एक दस मंजिला भवन किराये पर लिया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार भवन का किराया सार्थक उपयोगी क्षेत्र के लिये 96,679 रुपये प्रति मास है।

इस भवन में 30 सामान्य मूत्रालय (शौचगर्त सहित) और 24 शौचाकक्ष हैं जिनका प्रयोग भवन में काम करने वाले लगभग 900 अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

एल्युमीनियम की मांग

1688. **डा० रानेन सेन** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 तक एल्युमीनियम की कितनी मांग होने का अनुमान है ;

(ख) एल्युमीनियम उद्योग की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) भविषय में बढ़ने वाली मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 1970–71 तक की एल्यूमीनियम की मांग का अनुमान पहले 300,000 मीट्रिक टन (निर्यात के लिये 30,000 मीट्रिक टन सहित) लगाया गया था तथापि मांग के अनुमान इस समय समीक्षधीन हैं।

(ख) एल्युमीनियम धातु के उत्पादन के लिये वर्तमान स्थापित क्षमता 116,850 मीट्रिक टन है।

(ग) धातु की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने के लिये वर्तमान तथा नये एककों की क्षमता में पर्याप्त विस्तार द्वारा अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिये लाईसेंस दिये गये हैं मंजूरी दी गई है। विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

चमड़ा उत्पादन सम्बन्धी समिति

1689. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े के उत्पादन सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो उसमें की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस मंत्रालय ने चमड़ा उत्पादन सम्बन्धी कोई भी समिति गठित नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पटसन के माल पर निर्यात शुल्क

1690. डा० रानेन सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिलों की संस्था ने सरकार से अनुरोध किया है कि पटसन के माल पर से निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) भारतीय पटसन मिल संघ पटसन के माल पर से निर्यात शुल्क समाप्त करने हेतु समय समय पर विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत करता रहा है ।

(ख) निर्यात की स्थिति का निरन्तर पुनर्विलोकन करने की सरकार की सामान्य नीति के अनुसार तथा विभिन्न विचारों/अध्यावेदनों को, जिनमें भारतीय पटसन मिल संघ के अभ्यावेदन भी शामिल हैं ध्यान में रखते हुए 7 फरवरी, 1968 से पटसन माल की कुछ किस्मों पर से, उन्हें विदेशी बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिये या तो निर्यात शुल्क कम कर दिये गये हैं अथवा समाप्त कर दिये गये हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन

1691. श्री हिम्मत सिंहका : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किये गये कोयले के उत्पादन के लक्ष्य मूल चौथी पचवर्षीय योजना में 1970-71 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य से थोड़ा सा अधिक है और क्या यह मूल चौथी पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित कोयला उद्योग की विकास की दर से बहुत कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) के लिये कोयले के उत्पादन का कोई लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया । 1970-71 में कोयले की माँग का मूल अनमान, जैसा कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में उल्लिखित है, 1060 लाख मैट्रिक टन था । कोयला मन्त्रणा परिषद् का हाल ही में यह विचार था कि 950 लाख मैट्रिक टन युक्तियुक्त अनमान होगा । योजना आयोग के साथ परामर्श के द्वारा यथार्थ आवश्यकताएं आँकी जा रही हैं । इस अस्थायी माँग को ध्यान में रखते हुए नयी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला उद्योग का विकास उससे कम ही होगा जितना कि मूल पंचवर्षीय योजना के अधीन होना सोचा गया था ।

(ख) इसका कारण कोयला उपभोक्ता खंडों का उतनी तेजी से जितनी की पहले प्रत्याशा थी, विस्तार न होने के फलस्वरूप माँग में वृद्धि की कम दर है ।

कारों के मूल्यों में करों का योगदान

1692. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) कच्चे माल (2) पंजीगत सामान और (3) गौण मदों पर लगाये गये कर को बिक्री, कर, चुंगी आदि समेत ध्यान में रखते हुए भारत में निर्मित फीएट, एम्बैसेडर और स्टैण्डर्ड हैरल्ड कारों के मूल्यों में करों का योगदान कितना होता है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कार का कर-अंश इटली, इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों में निर्मित समकक्ष कारों के मूल्यों में कर-अंश के मुकाबले कितना कम या अधिक है;

(ग) क्या भारत में कर-अंश अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है, जहाँ से इन सब माडलों की कारें आरम्भ हुई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो कर-अंश अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसको कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, ताकि उनके मूल्य, विदेशों में निर्मित छोटी कारों के निर्माताओं द्वारा निर्धारित मूल्यों की तुलना कर जाये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तीनों मेकों की कारों के मूल्यों में कर का अंश इस प्रकार है :

कार का मेक	27-7-68 को कारखाने से चलते समय का खुदरा मूल्य	कारखाने से चलते समय के मूल्य में सम्मिलित पूर्जों और कच्चे माल पर लगाये जाने वाले करों की लगभग राशि	केन्द्रीय बिक्री कर	कारखाने से चलते समय के खुदरा मूल्य पर आधारित पूरी तरह से तैयार गाड़ी पर उत्पादन शुल्क तथा अधिभार	राज्य बिक्री (कि० मे०)
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
एम्बासेडर कार	14,892	2,130	1,855.87	472,94	1,801.3
फिएट	13,551	2,160	1,690.00	430.95	1,625.20
स्टैण्डर्ड हैराल्ड 4 दरवाजों वाली	14,003	2,240	1,779.20	455.67	1,737.41

पूंजीगत सामान पर लगाये जाने वाले करों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । चुंगी की दर प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होती है ।

(ख) और (ग). विदेशों में बनने वाली कारों के मूल्यों में करों की मात्रा कितनी है इसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

साइकिल टायरों का स्तर गिरना

1693. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साइकिल टायरों का स्तर काफी गिर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि केवल अच्छे टायर ही बाजार में आए;

(ग) क्या यह भी सच है कि केवल कुछ विशेष ब्रांडों के साइकिल टायरों तथा ट्यूबों की ही माँग बहुत अधिक है और क्या इसका कारण यह है कि इन्हीं ब्रांडों के टायर तथा ट्यूब भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किये गये मानक अनुरूप हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन मानकों को अनिवार्य रूप से लागू करने के बारे में विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हाल में साइकिल टायरों के किसी भी निर्माता के टायरों की किस्म में गिरावट आ जाने की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) उपभोक्ता की कुछ विशेष नाम के टायरों को प्राथमिकता देते हैं। फिर भी उसका कारण यह नहीं है कि केवल ये मार्के ही भारतीय मानक सस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होते हैं।

राज्य व्यापार निगम

1694. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के काम काज का और विस्तार करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख). जी, हाँ। निर्यातों में वृद्धि तथा विविधीकरण करने के उद्देश्य से राज्य-व्यापार निगम तथा सरकार दोनों ही उन व्यापारिक अवसरों का पता लगाने पर विचार करते रहते हैं जिनका राज्य व्यापार निगम उपयोग कर सके। सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम को और राज्य व्यापार निगम द्वारा सम्बद्ध उत्पादकों को सभी प्रकार की आवश्यक सहायता दी जायेगी कि वे सामान्यतया निर्यात बाजारों में अथवा उन विशिष्ट देशों में, जिन्हें भूतकाल में निर्यात न किया गया हो, नयी मदों का प्रचलन करे।

रुपये में भुगतान वाले व्यापारिक करार

1695. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये में भुगतान करने वाले देशों ने मुख्यतया रूस ने भारतीय रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट के कारण अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिये हैं और उन्होंने भारतीय उत्पादों के दामों में वृद्धि को मानने से इंकार कर दिया है जिससे भारत को नुकसान पहुंचा है और भारी असंतुलन उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार के रूस को इस बात के लिये राजी करने के प्रयत्न अब तक असफल रहे हैं कि या तो रूस अपने उत्पादों के दाम न बढ़ाये या अपने उत्पादों के दामों में वृद्धि के साथ साथ भारतीय उत्पादों के दामों में वृद्धि की अनुमति दे और यदि नहीं, तो बातचीत इस समय किस स्थिति में है और उसका क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है;

(ग) क्या अवमूल्यन के बाद हाल में हुए अनुभव को दृष्टि में रखते हुए "रुपये के भुगतान सम्बन्धी करारों" के प्रति सरकार ने अपनी नीति तथा दृष्टिकोण बदला है; और

(घ) यदि हाँ, तो अवमूल्यन के बाद की अवधि में भारत और रूस और पूर्वी यूरोप को अन्य देशों के बीच व्यापार पर किस प्रकार कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं। सोवियत संघ सहित पूर्व यूरोपीय देशों से जिन मूल्यों पर आयात किये जाते हैं वे सामान्यत: सम्बद्ध वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य होते हैं। रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप ऐसे मूल्यों में, जब उन्हें रुपयों में व्यक्त किया जाये, वृद्धि हो गई। फिर भी इसको ऐसा मामला नहीं कहा जा सकता कि सोवियत संघ अथवा रुपये में भुगतान करने वाले अन्य किसी देश ने भारत को निर्यात योग्य अपने उत्पादों के मूल्य में वृद्धि कर दी है। वस्तुत: भारत को इन सभी देशों से सम्बन्ध लगभग वैसा ही है जैसा कि विश्व के शेष देशों के साथ है।

यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि सोवियत संघ सहित पूर्व यूरोपीय देशों ने भारतीय उत्पादों के मूल्य में किसी वृद्धि को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। नये अथवा अतिरिक्त निर्यात शुल्क के लगाने से जो वृद्धि हुई उसको छोड़ कर रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अनिवार्यत: हमारे निर्यात उत्पादों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। सोवियत संघ सहित पूर्व यूरोपीय देश सम्बद्ध वस्तुओं के चालू निर्यात मूल्य स्तर पर भारत से अपनी खरीद करते रहे हैं। सोवियत संघ सहित पूर्व यूरोपीय देशों द्वारा अवमूल्यन के पश्चात् की खरीद में वस्तुत: मूल्य और मात्रा के हिसाब से वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात का मूल्य

1697. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाटे को पूरा करने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रधान ने इस्पात के मूल्य में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के पूंजी विनियोजन पद्धति को देखने से यह पता लगता है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की तुलना में आगामी कई वर्षों तक इसमें घाटा होता रहेगा तथा इसमें उत्पादन लागत अधिक आयेगी; और

(ग) क्या अन्य इस्पात उत्पादक देशों की तुलना में भारतीय इस्पात की लागत अधिक है और यदि हाँ, तो कितनी अधिक है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सभी प्रमुख उत्पादकों ने जिनमें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड भी शामिल है, सरकार से आवेदन किया है कि उत्पादन-लागत में वृद्धि होने के कारण विभिन्न प्रकार के इस्पात के मूल्य बढ़ाये जायें ।

(ख) इस समय जबकि बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण-कार्य चल रहा है इसके वैत्तिक परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । उत्पादन आरम्भ होने पर लाभदायकता कई बातों पर निर्भर करती है—जैसे कैपिटल ब्लाक, उत्पादन की वास्तविक लागत और उस समय इसके उत्पादों के मूल्य ।

(ग) यद्यपि देश में उत्पादन-लागत के आँकड़े उपलब्ध हैं, दूसरे देशों में इस किस्म के आँकड़ों को गोपनीय रखा जाता है और प्रकाशित नहीं किया जाता, इसलिए देश की उत्पादन लागत का विदेशों की इस्पात की उत्पादन-लागत से तुलना करना सम्भव नहीं है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

1698. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जुलाई, 1968 को 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि उत्पादन की वर्तमान दर के साथ और इस्पात की लागत में वृद्धि न होने पर, दुर्गापुर इस्पात कारखाने को वर्ष 1968-69 में भी 15 करोड़ रुपये की हानि होने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह कारखाना रूस को भेजे जाने वाले माल डिब्बों के लिये पहिये और धुरियां सप्लाई कर सकेगा;

(ग) क्या उपरोक्त बात से यह आशंका की पुष्टि होती है कि प्रबन्धक औद्योगिक सम्बन्धों में अनुशासन लागू करने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं;

(घ) क्या भूतपूर्व मन्त्री ने इस कारखाने के उत्पादन को बढ़ाने के लिये बर्तानिया के विशेषज्ञों के एक दल के दो-तीन वर्ष तक ठहरने का प्रबन्ध करने की एक योजना बनाई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को कार्य रूप देने तथा इस कारखाने के उत्पादन को बढ़ाने में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां । (यह समाचार 5 जुलाई, 1968 के 'इकानामिक टाइम्स' में छपा है) । इस समय यह बताना सम्पव नहीं हैं कि इस वर्ष कितनी हानि होगी । यह बात उत्पादन-कार्यक्रम, विपणन और अन्य बातों पर निर्भर करती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अनुशासन लागू करने और औद्योगिक सम्बन्ध को, जो सन्तोषजनक नहीं है और चिन्ता का विषय बना हुआ है, सुधारने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(घ) और (ङ). भूतपूर्व इस्पात, खान और धातु मन्त्री की ब्रिटेन की यात्रा के परिणामस्वरूप ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन की एक टीम ने इस उद्देश्य से दुर्गापुर इस्पात कारखाने का दौरा किया था कि पूर्ण और प्रभावी परिचालन के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने की आवश्यकताएं क्या होंगी और इस्पात कारखाने के वर्तमान प्रबन्धकीय और प्रशासनीय ढांचे और अन्य बातों जिनमें औद्योगिक सम्बन्ध भी शामिल हैं, को देखते हुये उपकरणों और तकनीकी सहायता के रूप से ब्रिटेन से कितनी सहायता की आवश्यकता होगी। केवल दो सप्ताह पहले ही इस टीम की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आज कल इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

एरणाकुलम स्टेशन से चलने वाली प्रातःकालीन रेलगाड़ी का देरी से चलना

1699. **श्री नायनार :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एरणाकुलम सेन्ट्रल स्टेशन से जो गाड़ी प्रातः 3 बज कर 31 मिनट पर चलती है वह 11 जून, 1968 को शोरनूर (केरल राज्य) जंक्शन पर तीन घंटे से अधिक देरी से पहुंची थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि यही रेलगाड़ी एरणाकुलम सेंट्रल स्टेशन से शोरनूर जंक्शन को 11 जून, 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह में इसी तरह देरी से चलती रही थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस गाड़ी को समय पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 63 डाउन कोच्चिन-मंगलूर सवारी गाड़ी एरणाकुलम से रात में 3 बजकर 43 मिनट पर छूटती है। 11-6-68 को यह गाड़ी शोरानूर 1 घंटा 53 मिनट देर से पहुंची।

(ख) 11-6-68 को समाप्त होने वाले हफ्ते में यह गाड़ी शोरानूर औसतन 92 मिनट देर से पहुंची।

(ग) इस गाड़ी के देर से चलने के मुख्य कारण ये हैं:—

एरणाकुलम में 190 अप तिरुवनन्तपुरम-एरणाकुलम मीटर गेज सवारी गाड़ी से मेल लेने के लिए इसे रुकना पड़ता है और एरणाकुलम और शोरानूर के बीच इकहरी लाइन वाले खण्ड पर, जहां यातायात चरम सीमा को पहुंच गया है, महत्वपूर्ण डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों से इसका क्रासिंग होता है।

संसद्-सदस्यों द्वारा मोटर कारों की पुनः बिक्री

1700. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री मोटर कारों की पुनर्बिक्री के बारे में मोटर कार (वितरण तथा बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1959 के नियम 8 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस निगम के अधीन उन संसद् सदस्यों को जिन्होंने अपनी कारों को पुनः बेचा है, जारी किये गये अनुमति पत्रों की मुख्य धाराएं (क्लाजेज) तथा शर्तें क्या थीं;

(ख) इन अनुमति पत्र को देने में नियन्त्रक अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने किन किन मुख्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा था; और

(ग) उन संसद् सदस्यों के सम्बन्ध में, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में अपनी कारें बेची हैं, जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मोटर कार (वितरण और बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1959 के खण्ड 8 के अधीन किसी भी व्यक्ति को, जिसमें संसद् सदस्य भी सम्मिलित हैं, कार खरीदे जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले उसे बेचने की अनुमति देने में मोटर कारों के नियन्त्रक ने कोई भी शर्त नहीं लगाई है ।

(ख) जिन परिस्थितियों में नियन्त्रक द्वारा मोटर कारों के पुनः बेचे जाने के लिए अभी तक अनुमति दी जाती है, उनकी मोटी-मोटी श्रेणियों में निम्नलिखित श्रेणियां भी शामिल हैं:—

(1) कार के मालिक की मृत्यु के मामले में ।

(2) कार को चलाने के लिए शारीरिक अयोग्यता ।

(3) दुर्घटना के कारण इतनी खराब हो जाने पर कि उसकी मरम्मत न की जा सकती हो ।

(4) निर्माण सम्बन्धी लगातार बनी रहने वाली खराबियां ।

(5) कार को रखने में वित्तीय कठिनाई ।

(6) संसद् की सदस्यता समाप्त हो जाने ।

राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा दो वर्षों की सांविधिक अवधि के अन्दर कारों की बिक्री के लिए अनुमति देने में किस प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) मोटर कारों के नियन्त्रक द्वारा निम्नलिखित संसद् सदस्यों को पिछले चार वर्षों अर्थात् 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 1967 तक कार बेचने अथवा दो वर्षों की सांविधिक अवधि के अन्दर अपनी कारों का हस्तांतरण करने की अनुमति दे दी गई थी :—

क्रम संख्या	नाम	कार का नाम
1.	डा० गोपाल सिंह	फिएट
2.	श्री कपूर सिंह	फिएट
3.	श्री अब्दुल गनी दर	फिएट
4.	श्री हुमायून् कबिर	एम्बसेडर
5.	श्री ओम मेहता	फिएट
6.	श्री राम स्वरूप	फिएट
7.	श्री बी० पी० मौर्य	फिएट
8.	श्री मीर गुलाम मुहम्मद	फिएट
9.	श्रीमती जे० चन्दा	फिएट
10.	श्री के० दामोदरन्	फिएट
11.	श्री त्रिदिव कुमार चौधरी	फिएट
12.	श्री अनूप सिंह	फिएट

हो सकता है कि कुछ संसद् सदस्यों ने राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों से लिखित पूर्वानुमति लेकर मोटरकार खरीदने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी कारें बेच दी हों । ऐसे मामलों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

Looting of Passengers in Train at Barauni

1701. Shri Madhu Limaye: Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Protection Force is not in a position to make proper security arrangements for passengers in a Passenger train service from Barauni to Assam owing to which the life and property of passengers is always in danger;

(b) whether it is also a fact that the luggage worth Rs. 2,000 belonging to a First Class passenger was looted in Mokameh-bound passenger train by an armed gang at Barauni; and

(c) if so, whether some proper arrangements would be made to check such looting broad day light which is on the increase?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The correct position is that safety of the travelling public as also prevention and detection of crimes against passengers and their luggage on Railways and within railway premises is the responsibility of the Government Raiway Police and State Governments.

(b) and (c) No such case is reported to have occurred at Barauni. However, one case of dacoity is reported to have occurred in 2, M.B. Train from Mokameh to Barauni on the night of 1-4-68, in which five to six dacoits looted passengers' belonging worth Rs. 1,300/- approximaterly at the point of knives. The complaint was lodged with the G.R.P. Barauni. The case was transferred to G.R.P. Mokameh, who registered a case on crime No. 1 dated 2-4-68 u/s 395 IPC. There was no injury to any passenger. One criminal has so far been arrested. Government Railway Police have taken necessary action.

Exports to East European Countries

1702. Shri Madhu Limaye: Will the **Minister of Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1218 on the 20th February, 1968 and state:

(a) whether Government would lay on the Table of the House a comparative statement of the prices with a view to their statement that they ordinarily get better prices from the East European Countries for their products; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) A statement was laid on the table of the House in reply to question No. 1218 of 20th February, 1968 referred to by the Hon'ble member, which gave the information asked for.

It will be appreciated that exports and imports are made through normal trade channels and public corporations which decide prices (unless there are floor prices fixed by Government) and one can only take a general view substantiated by prices of selected items to say that prices of exports to East European countries do not affect our trade adversely in comparison with global exports. This is what has been done.

Talks with the Soviet Premier

1703. Shri Madhu Limaye: Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some new scheme for assisting the industrialisation and trade of India was considered during the Soviet Premier Kosygin's visit to India; and

(b) if so, the salient points thereof?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) and (b) No new scheme for assisting the industrialisation and trade of India was considered during the Soviet Premier Kosygin's

visit to India. However, the question of joint industrial collaboration between the two countries to expand trade was discussed. The Soviet Premier had also agreed to examine the possibility of increasing their purchases in India especially of non traditional items of trade such as engineering goods and had indicated his Government's willingness to purchase railway wagons from India. These proposals when they materialize will, naturally, have a healthy influence on our industries and economy as a whole.

Managing Agents of Mysore Stoneware Pipes and Potteries limited

1704. Shri Madhu Limaye: Will the **Minister of Industrieal Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum against the Managing Agents of the Mysore Stoneware Pipes and Potteries Limited Bangalore containing charges of corruption against the Managing Agents of the company;

(b) whether it is a fact that the Managing Agents are creating disorder and irregularities in the company and harassing and doing injustice to the employees;

(c) whether it is also a fact that a Director and a Chairman was appointed in this company on behalf of the State Government to check mis-management in the company but was withdrawn later on;

(d) whether it is further a fact that the company has applied for the renewal of Managing Agency and that the Auditor of the company appeared before the Company Law Board to plead to case;

(e) whether Government would renew the Managing Agency of such a company; and

(f) whether Government propose to conduct an enquiry into the corruption and favourtism prevalent in the company?

Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) At the time of the re-appointment of the Managing Agents in 1958 several allegations of a general nature were made by Shri M.S. Mahadevan. The late Company Law Advisory Commission considered the proposal of the company in the light of these allegations and recommended the re-appointment of the Managing Agents for ten years from 1st October., 1958. No other complaints against the Manager Agents were received during the period from 1959 to 1967. This was also stated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 555 asked by Shri Yashpal Singh which was asnswered on 23rd July, 1968.

(b) No such information is available to Government.

(c) In 1965 the Mysore Government intimated that as their holding in the company was only 0·6 of the total shares they did not want to exercise their power of nominating a director on the Board. Accordingly the company notified the cessation of the Government Director and Chairman with effect from 17-7-1965.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

(f) If any specific allegations alleging malpractice and contravention of Company Law are received these will be enquired into.

इंजीनियरी वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता का अप्रयोग

1705. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था, दुर्गापुर ने इंजीनियरी वस्तुओं के उत्पादन की बेकार क्षमता के उपयोग के बारे में कोई परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन वस्तुओं के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग प्राप्त करना बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था, दुर्गापुर के निदेशक ने विचार व्यक्त किया है कि 400 करोड़ रुपये के मूल्य की इंजीनियरी वस्तुओं का निर्माण जिनका अब आयात किया जा रहा है देश में ही अप्रयुक्त क्षमता के आधे के प्रयोग से ही किया जा सकता है बशर्ते कि निर्माण करने वाले एककों को नमूनों तथा खाकों के रूप में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाय ।

(ख) विशिष्टि वस्तुओं में जिनका उल्लेख किया गया है 20 अश्व-शक्ति के ट्रैक्टर (जिनके आद्यरूप का परीक्षण किया जा रहा है) और केबल बनाने की स्ट्रैंडिंग मशीनें हैं ।

(ग) तथा (घ) केबल बनाने की स्ट्रैंडिंग मशीनों के मामले में विदेशी सहयोग पर पहले से ही रोक लगा दी गई है और दूसरी वस्तुओं के बारे में सरकार विदेशी सहयोग के लिए स्वीकृति देने से पहले देश में हुई प्रगति को ध्यान में रखेगी ।

बीस अश्वशक्ति के देशी ट्रैक्टरों का निर्माण

1706. **श्री म० ल० सोंधी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रीसर्च इंस्टीच्यूट, दुर्गापुर ने सरकार को बताया है कि भारत में बीस अश्वशक्ति का पूर्णरूपेण देशी ट्रैक्टर का निर्माण किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके लिए विदेशी सहयोग प्राप्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा विदेशी एजेंसी से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मंगाने के पश्चात् ही केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरिंग अनुसन्धान संस्था, दुर्गापुर के निदेशक ने सरकार को सूचित किया था कि 20 अश्व-शक्ति के ट्रैक्टर का बिना विदेशी सहयोग के निर्माण और विकास किया जा सकता है। केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरी अनुसन्धानशाला द्वारा निर्मित ट्रैक्टर का प्रथम आद्य रूप हाल ही में तैयार किया गया है और खेतों में परीक्षण के लिए कुछ और आद्य रूप इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायेंगे । इसी बीच विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का प्रथम भाग प्राप्त हो गया है जिसमें विदेशी सहयोग से स्थापित की जाने वाली परियोजना की आर्थिक सम्भाव्यताएं दी गई हैं । इस मामले में अन्तिम निर्णय किये जाने से पूर्व सरकार सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखेगी ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये मुफ्त पास

1707. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष सभी रेलवे कर्मचारियों को मुफ्त दिये जाने वाले तीन तीन पासों पर होने वाले वित्तीय व्यय का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता तो केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को मुफ्त रेलवे पास की सुविधा न दी जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

विवरण

यात्रा सम्बन्धी रियायतों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करने में मुख्य कठिनाई यह है कि कर्मचारियों ने परिवार के जितने सदस्यों के लिए सुविधा पास लिया हो, सम्भवतः उन सबने यात्रा न की हो और यह भी हो सकता है कि पास किसी दूर के स्टेशन का लिया गया हो और वास्तव में यात्रा थोड़ी दूर तक की गयी हो। दूसरे शब्दों में, यदि केवल पास पर दिये गये व्यक्तियों की संख्या और गन्तव्य स्थान के आधार पर यात्रा की लागत का हिसाब लगाया जाये तो यह वित्तीय प्रभाव का अति-मूल्यांकन होगा। आवश्यक सूचना इकट्ठी करने के उद्देश्य से रेल-प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि पास जारी करने वाले यूनिटों द्वारा जारी किये गये पासों की संख्या, उनकी लागत आदि के बारे में अपेक्षित सूचना इकट्ठी करके रेलवे बोर्ड को तिमाही विवरण प्रस्तुत करें। इन यूनिटों को आगे प्रत्येक कर्मचारी से यात्रा पूरी हो जाने के बाद ब्यौरा इकट्ठा करना होगा।

1968–69 के लिए इकट्ठी की गयी सूचना कलैण्डर वर्ष 1969 के उत्तरार्ध में ही उपलब्ध हो सकेगी।

मुफ्त रेलवे पास

1708. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत्त व्यक्तियों सहित कितने रेलवे कर्मचारी 1967 में मुफ्त रेलवे पास प्राप्त करने के हकदार थे ;

(ख) 1967 में कितने निःशुल्क पास जारी किये गये थे ; और

(ग) जारी न किये गये पासों के लिये स्वीकृत राशि का क्या उपयोग किया गया तथा वह राशि कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) रेल कर्मचारियों को पास जारी करने के लिए किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं की जाती।

दुर्गा काटन मिल्स, काडी (गुजरात) में सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना

1709. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के मेहसाना जिले में काडी स्थित दुर्गा काटन मिल संकटग्रस्त मिल है तथा वह गत तीन वर्षों से बन्द पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस मिल को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां। मिल सितम्बर, 1965 से बन्द पड़ा है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । इस मिल के कार्यकलापों की जांच करने वाली समिति के प्रतिवेदन और जांच समिति के प्रतिवेदन की जांच करने वाले अधिकारी दल के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यह पाया गया है कि यह मिल उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के योग्य नहीं है । राज्य सरकार के कुछ गैर-सरकारी उद्योगपतियों को इस बात के लिये मनाने के प्रयत्न कि वे मिल को खरीद लें अथवा उनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें और उनको पट्टे पर चलाये, असफल रहे हैं । वर्तमान प्रबन्धक इस मिल को पुनः चालू करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ।

डीसा-काण्डला रेलवे लाइन

1710. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के महत्वपूर्ण नगर पाटन को डीसा-कान्डला लाइन से न मिलाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या भिलदी रेलवे स्टेशन से यह सम्पर्क स्थापित करना सम्भव है ; और

(ग) क्या मेहसाना इस पिछड़े क्षेत्र को अहमदाबाद से मिलाने वाला कोई रेलवे मार्ग इससे छोटा है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) मेहसाना और पालनपुर स्टेशनों के रास्ते पाटन पहले से ही डीसा-कांडला खण्ड से जुड़ा हुआ है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस समय भीलड़ी और अहमदाबाद के बीच कोई कम लम्बा रेल सम्पर्क नहीं है । लेकिन भीलड़ी और मेहसाना-पाटन रोड खण्ड पर स्थित बागडोर (20 किलोमीटर) के बीच एक रेल सम्पर्क के लिए जांच की जा रही है । जांच पूरी हो जाने पर इस रेल सम्पर्क के वास्तविक निर्माण के बारे में निर्णय किया जायेगा ।

कौकौस्ट-शीधपुर रेलवे लाइन

1711. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के मेहसाना जिले में कौकौस्ट से शीधपुर तक एक रेलवे लाइन बिछाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पैटलाड जंकशन पर रेलवे प्लैटफार्म

1712. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में कैरा जिले में पैटलाड जंकशन पर प्लेटफार्म पर छत और रोशनी की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस प्लेटफार्म के निर्माण के समय इन सुविधाओं की व्यवस्था छोड़ दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

रेल मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) इस स्टेशन पर एक मुख्य और एक द्वीप प्लेटफार्म है । मुख्य प्लेटफार्म पर छत है लेकिन बड़ी लाइन/छोटी लाइन के लिए द्वीप प्लेटफार्म पर छत नहीं है । सभी प्लेटफार्मों पर बिजली की रोशनी लगी हुई है । वर्तमान द्वीप प्लेटफार्म माल यानान्तरण प्लेटफार्म को बदल कर बनाया गया है । यह प्लेटफार्म केवल 15 फुट चौड़ा है और इस पर छत नहीं डाली जा सकी क्योंकि छत डालने पर मानक आयामों का उल्लंघन होता ।

भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन

1713. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर तारापुर रेलवे लाइन बिछाने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह रेल सम्पर्क चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) पश्चिम रेलवे इस परियोजना का संशोधित यातायात सर्वेक्षण कर रही है । सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ग) जी नहीं ।

रूस को इंजीनियरी के सामान का निर्यात

1714. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस, भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं के आयात के लिये क्रयादेश देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के क्रयादेश प्राप्त होने की आशा है तथा कितनी अवधि के लिये ;

(ग) उक्त क्रयादेश निर्माताओं को वस्तुत: कब तक प्राप्त होंगे; और

(घ) उन वस्तुओं के लिये दिये जाने वाले मूल्य (एक) देश में प्रचलित कीमतों तथा (दो) उन वस्तुओं के लिये भारतीय निर्यात मूल्यों के मुकाबले में कैसे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख): सोवियत संघ, दोनों देशों के बीच हुए व्यापार करार के अनुसार, भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं के, जिनमें इंजीनियरी की वस्तुएं शामिल हैं, आयात के लिये क्रयादेश दे रहा है । हाल में सोवियत संघ ने, 600,000 मी. टन इस्पात के खंडों (थरन, नाली तथा कोप) की पूर्ति के लिये क्रयादेश दिये हैं । भारतीय राज्य व्यापार निगम व्यापार लि० ने सोवियत संघ को रेल के माल डिब्बों की पूर्ति के लिये मशीनी इम्पोर्ट, मास्को के साथ एक संलेख पर हस्ताक्षर किये हैं जिन की सुपुर्दगी निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी ।

1969 के अन्त तक	10—12 प्रोटोटाइप
1970—71	2000 माल के डिब्बे
1971—72.	4000 माल के डिब्बे
1972-73	8000 माल के डिब्बे
1973—74 से 1975-76	10000 माल के डिब्बे प्रति वर्ष

(ग) ज्यों ही भारतीय निर्यातकों तथा रूसी ग्राहकों के बीच संविदाएं पूरी हो जायेंगी तभी क्रयादेश निर्माताओं के पास भेज दिये जायेंगे । 2-2-1968 को हिन्दुस्तान स्टील लि० तथा बी० ओ० प्रोमसिरियोइम्पोर्ट, मास्को के बीच 1968—70 में 6,00,000 मी० टन इस्पात खंडों की पूर्ति के लिये एक संविदा पर हस्ताक्षर हुए हैं और वे प्रत्येक पंचांग वर्ष 1968, 1969 तथा 1970 में 2,00,000 मी० टन की दर से भेजे जायेंगे । अभी तक सोवियत संघ को रेल के माल के डिब्बों की पूर्ति के लिये किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं क्योंकि अभी भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० द्वारा एक वाणिज्यिक निवेद भेजी जानी है तथा संविदा पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद क्रयादेश निर्माताओं के पास भेज दिये जायेंगे ।

(घ) सोवियत संघ को निर्यातित वस्तुओं के मूल्यों की विश्व के किसी अन्य भाग में निर्यातित माल की भान्ति घरेलू मूल्यों से, जिन पर विभिन्न कर तथा शुल्क होते हैं, तुलना नहीं की जा सकती । अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात मूल्य भी अंशत: उपदानों तथा अन्य प्रोत्साहनों के आधार पर निर्धारित होते हैं ।

अधिकांशत: सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य भी अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों के बराबर ही होते हैं, दोनों मामलों में मूल्य विद्यमान बाजार भाव होते हैं ।

इस्पात का आयात

1715. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में इस्पात का आयात बढ़ कर 108 करोड़ रुपये का हो गया था जब कि सरकार ने आयात को 70 करोड़ रुपये तक ही सीमित रखने की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष इस्पात के आयात में इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण थे;

(ग) पिछले वर्ष कितने इस्पात का निर्यात किया गया था और उसका मूल्य क्या था ; और

(घ) पिछले वर्ष इस्पात का निर्यात करने वालों को कितनी राज सहायता दी गई थी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). वर्ष 1967-68 में आयात किये गये लोहे और इस्पात (रद्दी माल को मिलाकर) का मूल्य 92.6 करोड़ रुपये है न कि 108 करोड़ रुपये। वर्ष 1966-67 में 77·8 करोड़ रुपये के माल का आयात किया गया था। वर्ष 1967-68 में आयात में वृद्धि मुख्यतः आयात के लिए लाइसेंस देने की उदार नीति और कुछ हद तक अवमूल्यन के कारण हुई है।

(ग) वर्ष 1967-68 में कुल मिलाकर 12.28 लाख टन लोहा और इस्पात निर्यात किया गया जिसका मूल्य 53·49 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त 5·37 लाख टन रद्दी लोहा और इस्पात निर्यात किया गया जिसका मूल्य 11.09 करोड़ रुपये था।

(घ) वर्ष 1967-68 में लोहे और इस्पात के निर्यात पर 6.86 करोड़ रुपये नकद सहायता के रूप में दिये गये।

दक्षिण भारत में रेलवे कुली

1716. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में रेलवे कुलियों के बारे में जांच करने के लिये श्रम मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन दल का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन होंगे तथा इसके निर्देश पद क्या होंगे ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ख). रेलवे की विभागीय खान-पान स्थापनाओं में कमीशन के आधार पर रखे गये लाइसेंस प्राप्त रेलवे भारिकों और खोमचे वालों के काम करने और रहन-सहन की स्थितियों का तथ्यात्मक अध्ययन करने के लिये श्रम, रोज़गार और पुनर्वास मंत्रालय ने एक अध्ययन दल की स्थापना की है। अध्ययन दल का गठन और विचारार्थ विषय इस प्रकार है :—

1. गठन

(I) श्री टी० वी० आनन्दन,
सदस्य, राज्य सभा — सदस्य

(ii) श्री जे० बी० शर्मा,
सहायक निदेशक, यातायात (वाणिज्यिक)
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय . सदस्य

(iii) श्री जे० एन० शर्मा,
उप निदेशक, श्रम एवं रोज़गार विभाग . संयोजक

2. विचार्थ विषय

(i) रेलवे की विभागीय खान-पान स्थापनाओं में कमीशन के आधार पर रखे गये लायसेंस प्राप्त रेलवे भारिकों और खोमचे वालों के काम करने और रहन-सहन की स्थितियों का अध्ययन करना और ऐसी किसी भी वैध शिकायत, जो उनकी हो, की रिपोर्ट करना ।

(ii) कर्मचारियों के ऐसे ही वर्गों को उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए इन कर्मचारियों को रेल प्रशासनों या अन्य एजेंसियों द्वारा पहले से ही दी गई मूल सुविधाओं के पर्याप्त होने की जांच करना ।

(iii) उनके काम करने और रहन-सहन की स्थिति में सुधारों की सिफारिश; और

(iv) जिन अन्य सम्बन्धित मामलों को अध्ययन दल उचित समझे उन पर विचार करना और सुझाव देना ।

अध्ययन का क्षेत्र केवल मात्र दक्षिण तक ही सीमित नहीं है बल्कि समस्त देश से सम्बन्धित है ।

बैसिन ब्रिज (मद्रास) पर दुर्घटना

1717. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जून, 1968 को मद्रास के निकट बेसिन ब्रिज पर खड़ी एक माल गाड़ी से हावड़ा-मद्रास जनता एक्सप्रेस टकरा गई थी ;

(ख) क्या कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो समिति की उपपत्तियां क्या हैं ;

(घ) उसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ; और

(ङ) यात्रियों को कितना प्रतिकर दिया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) दुर्घटना हावड़ा-मद्रास जनता एक्सप्रेस के ड्राइवर की गलती के कारण हुई ।

(घ) इस दुर्घटना के कारण रेल-सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची ।

(ङ) मुआवज़े के लिये अब तक कोई दावा नहीं प्राप्त हुआ है ।

फूलबनी जिला (उड़ीसा) में नई रेलवे लाइनें

1718. **श्री अ० दीपा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फूलबनी जिले (उड़ीसा) में नई रेलवे लाइनें बनाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

खुरदमा से बालंगीर तक रेलवे लाइन

1719. **श्री अ० दीपा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुरदा से दासपोल, बौंघ और करमा होते हुए बालंगीर तक एक रेलवे लाइन बिछाने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इस काम के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह रेलवे लाइन कब पूरी हो जायेगी ?

रेलव मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच से पता चला है कि यह लाइन लाभप्रद नहीं होगी । अतः निर्माण के लिए इस पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

तालचेर से बरहामपुर तक रेलवे लाइन

1720. **श्री अ० दीपा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर को बहरामपुर से, अंगल, अथामलिक, पुरुणा, कटक और फुलबनी से होकर जोड़ने वाली लाइन के निर्माण करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे लाइन के कब पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) धन की कमी के कारण निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विचार किये जाने की सम्भावना नहीं है ।

पश्चिम रेलवे में बस तथा गाड़ी में टक्कर

1721. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 मई, 1968 को पश्चिम रेलवे की बिलासपुर-इन्दौर एक्सप्रैस के साथ एक यात्री बस किन परिस्थितियों में टकरा गई थी ; और

(ख) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये थे ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) यह दुर्घटना यात्री बस के ड्राइवर के उतावलेपन के कारण हुई। उसने उस समय रेलवे लाइन को पार करने की कोशिश की जब सामने से रेल गाड़ी आ रही थी जिसे वह अच्छी तरह देख रहा था।

(ख) इस दुर्घटना के कारण 30 व्यक्ति जान से मारे गये और 47 घायल हो गये।

कोयला का उत्पादन-लक्ष्य

1722. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोयले विशेष रूप से कोक कोयले की माँग, पूर्ति तथा उत्पादिकता के बारे में चौथी योजना के लिये उत्पादन लक्ष्य संबंधी एक अध्ययन दल द्वारा किये गये अध्ययन का सरकार को पता है और यदि हाँ, तो अध्ययन दल के प्रमुख निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा किये गये विभिन्न अध्ययनों का भी पता है और यदि हाँ, तो इन अध्यनों से क्या प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि 1970-71 तथा 1973-74 में प्रत्याशित माँग को पूरा करने के लिये विशेष कर कोक कोयले की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करना अत्यावश्यक है, किन्तु कोयला उद्योग के पास विकास के लिये आवश्यक इतने अधिक विनियोजन के लिये संसाधन नहीं हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो विकास के लिये कितना अतिरिक्त धन लगाना आवश्यक है और इस मामले में सरकार का उद्योग को कैसे सहायता करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क), (ग) और (घ). निर्देश सम्भवत: नई चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) के सदर्भ में कोयले पर गठित किये गये आयोजना दल के विषय में है। आयोजना दल द्वारा अपने निष्कर्षों तथा सिफारिशों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है, जिस में अन्य बातों के साथ साथ कोकिंग तथा नान-कोकिंग दोनों कोयला क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करने तथा उस के लिये अतिरिक्त आवश्यक निवेश का प्रश्न भी लिया जायेगा। कोकिंग कोयले के, जिसकी आवश्यकता अधिकतर यात्रा में होगी, उत्पादन को प्रोत्साहन देने के विचार से, देश की सभी कोयला खानों से निकाले गये तथा प्रेषित किये गये सारे कोकिंग कोयले पर 0.75 रुपये प्रति मी० टन की दर से उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा। इसमे प्राप्त होने वाली आय का उपयोग केवल मात्र कोकिंग कोयले के सरक्षण तथा विकास के हेतु किया जायेगा।

(ख) रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक ने हाल ही में कोयला उद्योग के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। सरकार का ध्यान भारत के रिजर्व बैंक के नवम्बर, 1966 के बुलेटिन में प्रकाशित अध्ययन की ओर आगे ही आकर्षित किया जा चका है।

वाणिज्यिक क्लर्कों की एसोसिएशन का अभ्यावेदन

1723. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाणिज्यिक क्लर्कों की एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उनकी श्रेणी में पदोन्नतियों की प्रतिशतता बढ़ाई जाये ; और

(ख) उपरोक्त श्रेणी में विभागीय पदोन्नतियों की प्रतिशतता कितनी है तथा टिकट क्लैक्टरों और खजानचियों की पदोन्नतियों की तुलना में यह कितनी कम या अधिक है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) वाणिज्यिक क्लर्कों, टिकट परीक्षकों, टिकट क्लैक्टरों और वेतन क्लर्कों (खजानचियों को छोड़कर) के पदों के वितरण की वर्तमान प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

वाणिज्यिक क्लर्कों		टिकट परीक्षकों और टिकट कलक्टरों	
पदक्रम रु०	प्रतिशतता	पद क्रम रु०	प्रतिशतता
110—200	55	110—180 (टिकट क्लैक्टर)	70*
150—240	35	130—212	
205—280	8	150—240	22½
250—380 } 325—425 }	2	250—380	7½
		335—425 } और अधिक }	प्रतिशतता के अन्तर्गत नहीं आते

वेतन क्लर्कों

पदक्रम रु०	प्रतिशतता
150—240	25
210—320	75

*नोट :—टिकट परीक्षकों और टिकट क्लैक्टरों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत पद 130—212 रुपये के पदक्रम में होने चाहियें।

चंडीगढ़ से हो कर लुधियाना और जगाधरी के बीच रेलवे लाइन

1724. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ सलाहकार समिति ने सर्व सम्मति से सिफारिश की है कि लुधियाना से जगाधारी तक बरास्ता चंडीगढ़ रेलवे लाइन बिछाकर चंडीगढ़ को मुख्य लाइन पर लाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) यह सुझाव अलाभप्रद है, अतः चौथी योजना में इसके शामिल किये जाने की संभावना नहीं है।

Re-Export of Indian Unbleached Cloth

1725. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7915 on the 4th August, 1967 and state:

(a) the number of cases of resale of indian unbleached cloth to the West European countries brought to the notice of Government, the number of cases investigated and the number of cases which have been proved so far; and

(b) the action taken or proposed to be taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Three cases of re-sale of Indian unbleached cloth to the West European countries have been brought to the notice of the Government. All of them had been investigated but no evidence of the actual occurrene of the re-sale has been available in respect of any one of these cases.

(b) In view of the absence of evidence no specific action could be taken.

Paper Factory in Uttar Pradesh

1726. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5334 on the 26th March, 1968 and state:

(a) the location of the paper manufacturing plant now proposed to be set up since a decision to set up that plant in Uttar Pradesh was dropped later on;

(b) the quantity of bagasse made available by the sugar mills of Uttar Pradesh and Bihar and the quantity of shortfall in their supply; and

(c) the reasons for this shortfall?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) Some proposals for setting up paper/newsprint plants in the Public Sector are under consideration of Government by no decision has been taken about their location so far.

(b) The required information is not readily available, but a statement showing the figures of cane cruseshed in selected sugar factories in Western U.P. during the years 1965-66 and 1966-67 is attached.

(c) The main reasons for less availability of bagasse from sugar mills are:—

(i) decrease in the area under cultivation of sugar cane in U.P. and Bihar;

(ii) more sales of sugar-cane by the producers to the manufacturers of gur and khandsari in preference to sugar mills, as the former offer better prices on account of their more advantageous position in respect of excise duty and prices on their products. [*Placed in the Library, See No. LT* 1519/68] .

Work in Hindi

1727. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3835 on the 12th March, 1968 and state:

(a) the names of the Sections of the Industrial Development Department where noting on files in Hindi has been started;

(b) the names of the Sections where noting on files in Hindi has been started in regard to cases of a complicated nature; and

(c) the date by which full arrangements for noting in Hindi are likely to be made in regard to the rest of the work?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) Hindi notings on cases of routine nature have been started in the following Sections:—

1. R. &. I.
2. Estt. II
3. Estt. III
4. Parliament (Hindi Unit)
5. I. C. C. I Section.

(b) None

(c) As soon as practicable.

Supply and Manufacture of Tractors for Farmers

1728. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of tractors demanded by the farmers of each state during the period from 1965 to 1967, year-wise, and the number of tractors actually supplied, State-wise;

(b) the percentage of indigenous parts fitted in the tractors each year and the percentage of parts imported from abroad; and

(c) the measures taken by Government to manufacture all the tractor parts in India?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) State-wise figures of demand and availability of tractors are not available. Orders for imported and indigenous tractors are booked by the dealer organisations, whose territory covers more than one State. In June, 1968 orders pending with dealers of indigenous manufacturers, agents for imported tractors and with the Agro-Industries Corporations were of the order of 61,180 Nos. The total availability of tractors from indigenous production and imports during the last three years has been as under:

Year	*Imported Nos.*	*Indigenous Nos.*	*Total Nos.*
1965-66	1,989	5,796	7,785
1966-67	2,591	8,816	11,407
1967-68	3,626	11,358	14,984

(b) The percentage of indigenous content achieved by each firm manufacturing tractors during the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 has been as under:

Name of firm	*HP of Tractor*	*Percentage of indigenous content during* 1965-66	1966-67	1967-68
1. M/s. Tractors & Farm Equipment Ltd., Madras	35	50·5	60	69
2. M/s. International Tractor Co. of India Ltd., Bombay	35	50·5	59·6	65
3. M/s. Eicher Tractor India Ltd., Faridabad.	26·5	31·5	54·5	63·5
4. M/s. Escorts Ltd., Faridabad . . .	34·5	49·6	54	62
5. M/s. Hindustan Tractors Ltd., Bombay.	35 50	24 59·25	24 61·5	50 79·5

(c) The tractor manufacturers have been given necessary import licences for the import of capital goods. They have also been given licences for the import of adequate raw materials to manufacture components. The ancillary suppliers have likewise been given necessary assistance to manufacture components. The tractor manufacturers have recently been directed to achieve at least 95% indigenous content by 1st April, 1970.

रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात कारखानों को हानि

1729. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात कारखानों में हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त तीन कारखानों में उत्पादित बहुत से माल के लिये देश में अथवा विदेश में खरीददार नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो निर्यात कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है ;

(ङ) क्या सरकार इन कारखानों में केवल उतना माल तैयार करने की सोच रही है जितना देश की तथा विदेश की मांग को पूरा करने के लिये आवश्यक हो, और क्या सरकार इस प्रकार फालतू होने वाले इंजीनियरों और कर्मचारियों की छंटनी करने पर विचार कर रही है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) एक या दो वर्षों को छोड़ कर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई के इस्पात कारखाने घाटे में गये हैं (घाटे की राशि भिन्न-भिन्न है) । वर्ष 1966-67 में इन कारखानों को 168 मिलियन रूपये की हानि हुई । वर्ष 1967-68 का हिसाब-किताब अभी कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है ।

(ग) यह सच नहीं है कि इन कारखानों में उत्पादित माल के लिए देश में अथवा विदेशों में खरीददार नहीं है । यद्यपि, पिछले 2–3 वर्षों में मुख्यत: लोहे और इस्पात के व्यापार में मन्दी आने तथा सरकारी और निजी क्षेत्र में व्यय की गति धीमी पड़ने से कुछ किस्म के माल जैसे बिलेटों, मर्चेन्ट सैक्शन मिल के उत्पादों ढांचों आदि की माँग में कमी हुई है, 1966-67 में 2,550 मिलियन टन विक्रेय इस्पात की तुलना में वर्ष 1967–68 में 2,374 मिलियन टन विक्रेय इस्पात का प्रेषण किया गया है। वर्ष 1966-67 में 97,000 टन बेलित इस्पात की तुलना में वर्ष 1967-68 में बेलित इस्पात का निर्यात बढ़ कर 2,75,000 टन हो गया है ।

(घ) 1967-68 में निर्यात किया गया इस्पात कुल उत्पादन का 11·4 प्रतिशत था जबकि 1966-67 में यह 3·1 प्रतिशत था ।

(ङ) और (च) कुछ समय से देश में माँग में कुछ सुधार नजर आया है । ऐसी आशा है कि निर्यात भी सन्तोषजनक रहेगा और कई किस्म का माल निर्यात होगा । इन परिस्थितियों में उत्पादन पर रोक लगाने और माँग कम होने के कारण से इंजीनियरों और कर्मचारियों की छंटनी करने पर विचार करना आवश्यक नहीं है ।

लौह अयस्क तथा रद्दी इस्पात का निर्यात

1730. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क तथा रद्दी इस्पात के निर्यात में हाल ही में कमी हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उसके निर्यात में वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). लौह अयस्क के निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है ।

जहाँ तक रद्दी इस्पात का संबंध है, इसके निर्यात में कमी हुई है । सितम्बर 1967 / जून 1968 की अवधि में औसतन निर्यात 41,223 टन रहा जबकि 1966-67 में इस अवधि का औसतन निर्यात 54,842 टन था । इसके मुख्य कारण हैं कि जापान में, जो भारतीय रद्दी इस्पात का प्रमुख ग्राहक है, रद्दी इस्पात की घरेलू उपलब्धि बढ़ जाने, इस्पात उद्योग में मन्दी आ जाने तथा नई लगाई गई धमन भट्टियों से अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध हो जाने के कारण माँग कम हो गई है । रद्दी इस्पात का अधिक मात्रा में निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन का एक शिष्टमण्डल अप्रैल, 1968 में जापान, फारमोसा और पश्चिमी कोरिया गया था । शिष्टमण्डल की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे क्रासिंगों के लिये सुरक्षा व्यवस्था

1731. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक चौकीदार रहित रेलवे लैवल क्रासिंग पर एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था लगायी गयी है जो ऐसा सिगनल देती है जो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है ;

(ख) ऐसी व्यवस्था बनाने वाले इंजीनियर का नाम क्या है और यह व्यवस्था कहाँ लगाई गयी है ;

(ग) इस व्यवस्था के निर्माण तथा उसे फिट करने पर कितनी लागत आती है ; और

(घ) बिना चौकीदार वाला अन्य रेलवे क्रासिगों पर यह व्यवस्था कब तक फिट कर दी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ :

(ख) भारतीय रेलों ने इस उपस्कर का अभिकल्प तैयार किया और उसे लगाया है ।

(ग) इस पर लगभग 20,000 रूपये की लागत आयी है ।

(घ) राज्य सरकारों की सलाह से कुछ चुने हुए बिना चौकीदार वाले समपारों पर उत्तरोत्तर यह उपस्कर लगाया जायेगा। इसका प्रारंभिक खर्च राज्य सरकार और आवर्ती खर्च रेलें वहन करेंगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय तथा अन्य वस्तुओं की मांग

1732. **श्री मणिभाई ज० पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय चाय की माँग कम हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्य किन किन वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1967–68 में जिन वस्तुओं के निर्यात उपार्जन में कमी हुई वे ये हैं :—

1. खलियाँ
2. मसाले
3. कच्चा पटसन
4. चीनी
5. काजू गिरी
6. लाख
7. कच्ची ऊन
8. मैंगनीज अयस्क
9. सभी प्रकार के हथकरघा वस्त्र
10. सूती धागा
11. नारियल जटा
12. पटसन का माल
13. चर्म तथा चर्मोत्पाद (जूतों को छोड़ कर)
14. कच्ची खालें तथा चमड़ियाँ
15. रद्दी सूत

इन वस्तुओं में के निर्यात में गिरावट निम्नलिखित कारणों से आई है :–

इकाई मूल्य में गिरावट, संश्लिट स्थानापन्नों से प्रतियोगिता अन्य उत्पादक देशों से प्रतियोगिता, कच्चे माल की प्राप्यता में कमी, विदेशी बाजारों द्वारा अपेक्षाकृत कम खरीद, स्वेज संकट के पश्चात् निर्यात में बाधा और स्वदेशी खपत का दबाव ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में माल डिब्बों का निर्माण करने वाले उद्योगों के लिये मशीनें

1734. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बे बनाने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग के पास रूस का माल डिब्बों का आर्डर पूरा करने के लिये आधुनिक प्रकार की मशीनें नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उद्योग की किस प्रकार सहायता करना चाहती है ताकि वह स्थिति का सामना कर सके ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख): भाड़े के वैगनों का रूसी अधिकारियों द्वारा दिया गया विशिष्ट विवरण कुछ इस प्रकार का है कि उनके निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण जैसे ठण्डी प्रेस के लिए भारी प्रेस, स्थान पर ही वेल्डिंग करने की मशीनें, शाट-ब्लास्टिंग के उपकरण आदि सामान्य रूप से भारतीय निर्माताओं के पास उपलब्ध नहीं हैं। राज्य व्यापार निगम के तकनीकी दल ने इस हेतु मास्को में रूसी अधिकारियों से जून, 1968 में विस्तृत बातचीत की है जिसके परिणामस्वरूप रूसी अधिकारी भारत में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार निर्माण के तरीकों पर सहमत हो गये हैं। इसके फलस्वरूप अब, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया हैं किसी भी भारी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैगन निर्माताओं को कुछ छोटे-मोटे संतुलन उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है जिनका निर्माण देश में ही होता है।

विदेशों में औद्योगिक प्रदर्शनियां

1735. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में भारत ने विदेशों में कई औद्योगिक प्रदर्शनियों में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इन प्रदर्शनियों पर कुल कितना धन खर्च हुआ; और

(ग) इन प्रदर्शनियों के परिणामस्वरूप विदेशों से कितनी धनराशि के क्रयादेश प्राप्त हुए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) जी, हां। 1967-68 में भारत ने विदेशों में 16 मेलों प्रदर्शनियों में भाग लिया। 10 मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने का आयोजन मंत्रालय द्वारा किया गया था जब कि शेष 6 में भाग लेने का आयोजन व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद, बम्बई द्वारा किया गया था। इन मेलों/प्रदर्शनियों की एक सूची (अंग्रेजी में) संलग्न है।

भारत तथा विदेश दोनों में मन्त्रालय द्वारा आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों पर हुआ कुल खर्च 211 लाख रु० के लगभग एस्पो 67 मांट्रियल शामिल खर्च हुआ जब कि इस प्रयोजन के लिये व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद् के लिये 14.41 लाख रु० (लगभग) की राशि मंजूर की गई थी।

इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों तथा निगमों आदि ने भी विदेशों में कुछ विशिष्ट मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने की व्यवस्था की, परन्तु उन्होंने सीमित पैमाने पर ही भाग लिया।

(ग) इन मेलों प्रदर्शनियों में 259 लाख रु० (लगभग) का व्यवसाय तय हुआ। इसके अलावा 133 लाख रु० (लगभग) की स्थानिक बिक्री की गई। परम्परागत तथा अपरम्परागत, दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के लिये अनेक व्यापारिक पूछताछें भी हुए जिन्हें भारत में संबद्ध निर्यातकों, निर्माताओं और संगठनों को अनुवर्ती कार्यवाही के लिये भेज दिया गया। आशा है कि इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त अतिरिक्त व्यापार सम्पन्न होगा।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1520/68]

अहमदाबाद में कपड़ा मिलों का बन्द होना

1736. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुई की कमी के कारण अहमदाबाद में सूती कपड़े की चार मिलें बन्द कर दी गई हैं, जिसके कारण हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Hindustan Chemicals Ltd., Patna

1737. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some talks were going on between the Centre and Bihar Government to re-start Hindustan Chemicals and Co. (P) Ltd., Phulwari Sharif, Patna;

(b) if so, the conclusions arrived at; and

(c) the results thereof?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अंशधारी

1738. **श्री निहाल सिंह** :

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अंशधारियों की सूची की जांच की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1967 के बड़े पैमाने में अंशों का हस्तान्तरण किया गया; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). 1965 तथा 1966 में क्रमश: 3,05,643 तथा 5,32,270 हिस्सों के मुकाबिले, 1967 के मध्य, 14, 30, 253 हिस्से हस्तांतरित किये गये थे।

मुगलसराय लोको शेड में कार्य करने वाले खलासी

1739. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय लोको शैड में कार्य कर रहे एवजी खलासियों को वरिष्ठता के आधार पर कार्य दिया जाता है; या किसी अन्य कसौटी के आधार पर ;

(ख) स्थायी किये गये एवजी खलासियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अस्थायी खलासियों को स्थानान्तरित कर दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो अस्थायी ख़लासियों को स्थानान्तरित करते समय क्या सुविधाएं दी जानी हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) पूर्व रेलवे प्रशासन एवज़ी खलासियों को बारी-बारी से 14 दिन के लिए काम पर लगता है ।

(ख) कोई नहीं। रेलवे के नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित ढंग से एवज़ियों का चुनाव किया जाता है और बनाये गये पैनलों में उनकी स्थिति के आधार पर उनकी बारी आने पर उन्हें नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाता है। नियमित सेवा में नियुक्ति के बाद उन्हें उनकी बारी आने पर स्थायी किया जाता है ।

(ग) और (घ). सामान्यत: एवज़ियों को स्थानान्तरित नहीं किया जाता। यदि प्रशासन के हित में उन्हें स्थानान्तरित करना ही पड़े तो उन्हें तदनुरूपी कोटियों के नियमित रेल कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जानी हैं।

हुम्मा साल्ट प्रोडक्शन एण्ड सेल्ज कोआपरेटिव सोसाइटी

1740. **श्री निहाल सिंह** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हुम्मा साल्ट प्रोडक्शन एण्ड सेल्ज कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड उड़ीसा को दी गई 198 एकड़ अतिरिक्त भूमि को पुराने पट्टाधारी ने पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी खाली नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यह ठेका इसे अब कितनी धन-राशि के लिए दिया गया है और पिछले तीन वर्षों में अलग अलग कितनी धनराशि के लिए यह ठेका दिया गया था?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) जी नहीं। यह क्षेत्र केवल 123.07 एकड़ है 198 एकड़ नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पुराने पट्टेदार को नि:शुल्क भूमि दे दी गई थी किन्तु सरकार की नई नीति के अनुसार हुम्मा साल्ट प्रोडक्शन एण्ड सेल्स कोआपरेटिव सोसाइटी को निम्न प्रभारों का भुगतान करना होगा:—

(1) जमीन का किराया, 2 रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ।

(2) जितना नमक बनाया जायेगा तथा निकाला जायेगा उस पर 25 पैसे प्रति मीट्रिक टन की दर से अधिन्यास शुल्क लिया जायेगा किन्तु शर्त यह है कि कम से कम प्रति वर्ष 10 मीट्रिक टन प्रति एकड़ का उत्पादन हो। तथापि, चूंकि यह पट्टेदार एक सहकारी समिति है, अतः उसे प्रथम पांच वर्षों में आधा अधिन्यास शुल्क देना है।

Textile Mills in Ahmedabad

1741. Shri Nihal Singh: Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7335 on the 16th April, 1968 and state:

(a) whether the requisite information in regard to the textile mills in Ahmedabad has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c). No, Sir; it is likely to take some time to collect the information a it has to be collected from different sources including the State Government.

चमड़े का निर्यात

1742. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में भारत से किन किन देशों को और कितने कितने मूल्य के चमड़े का निर्यात किया गया; और

(ख) कच्चे चमड़े की बजाय चमड़े के तैयार माल के निर्यात को, जिससे निर्यात मूल्य में वृद्धि हो सके तथा देश में चमड़ा उद्योग का विकास हो सके, बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क)

(मूल्य लाख रु० में)

आस्ट्रेलिया	17
बेल्जियम	92
बल्गारिया	12
चैकोस्लोवाकिया	253
डेन्मार्क	28
फ्रांस	353
जर्मनी (पूर्व)	70
जर्मनी (पश्चिमी)	321
हंगरी	28

	(मूल्य लाख रु० में)
इटली	642
जापान	270
नीदरलैण्ड	39
न्यूजलैण्ड	31
पोलैण्ड	75
ब्रिटेन	1677
अमरीका	376
सोवियत संघ	1022
यूगोस्लाविया	174
अन्य	34
कुल निर्यात .	5514

(ख) चमड़े के माल जिसमें जूते भी शामिल हैं के बदले में दुर्लभ कच्चे माल के आयात की अनुमति देने के अतिरिक्त तैयार चमड़ा तथा चमड़ा माल निर्यात संवर्धन परिषद् कानपुर संवर्धात्मक कार्य भी करती है. जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं: विदेशों में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का स्थानिक अध्ययन के लिये बिक्री अध्ययन दल, प्रतिनिधिमण्डलों को भेजना, बाजार सर्वेक्षण करना तथा तथा निर्यात के लिये भारत में निर्मित चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में शामिल होना। इन कार्यों के लिये धन अंशत: सरकार द्वारा बाजार विकास निधि से दिया जता है।

भारत पाकिस्तान व्यापार संबंध

1743. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के अवरुद्ध हो गये व्यापार संबंधों को सुधारने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) पाकिस्तान से बढ़िया किस्म के कच्चे पटसन खरीदने के सरकारी प्रस्ताव का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या पाकिस्तान से इस विषय में बातचीत की जा रही है कि वह इस समय लोहे और इस्पात की जो वस्तुएं अन्य देशों से मंगवा रहा है वह भारत से खरीदे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) भारत के साथ व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने के लिये पाकिस्तान को राजी करने के लिए भारत सरकार ने अपने प्रयत्न जारी रखे हैं परन्तु पाकिस्तान से अभी तक इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है।

(ख) क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को नहीं हटाया है अत: बढ़िया किस्म के कच्चे पटसन के सीधे उस देश से खरीदने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

लौह अयस्क का निर्यात

1744. श्री एस० आर० दामानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लौह अयस्क के निर्यात पर उपयुक्त सहायता देने तथा उस पर लगाये गये निर्यात शुल्क को वापस लेने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) क्या इस वस्तु के निर्यात में हाल में होड़ शुरू हो गई है क्योंकि रूस और आस्ट्रेलिया भी अपने लौह अयस्क का निर्यात करने की पेशकश कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि हमारे अयस्क के सब से बड़े खरीदार अर्थात् जापान को निर्यात किसी तरह कम न होने पावे सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 10 से 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रति वर्ष 20 लाख टन तथा 40 लाख टन लौह अयस्क की पूर्ति के लिये जापान की इस्पात मिलों के साथ दो लम्बी अवधि के करार पहले ही किये जा चुके हैं। अपने पत्तनों और लदान सुविधाओं के सुधार तथा आधुनिकीकरण और यांत्रिक साधनों से अपने सम्भरणों में वर्गीकृत अयस्क के अनुपात में वृद्धि करने के उपाय किये जा रहे हैं।

राउरकेला मिश्रित इस्पात कारखाना

1745. श्री एस० आर० दामानी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला मिश्रित इस्पात कारखाने के काम में अभिकरणों के बाहुल्य का पता हाल में ही लगा है अथवा परियोजना के आयोजन की अवस्था में भी इसका पता था;

(ख) क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए लम्बी अवधि की आवश्यकता और मांग के संदेहपूर्ण स्वरूप को तथा आगामी कुछ वर्षों के लिए इस कारखाने के अलाभकारी रहने की बात को देखते हुए इस परियोजना में धन लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आवर्ती घाटे को कम करने तथा संयंत्र के लाभ की अवस्था पर पहुंचने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) राउरकेला में मिश्र-इस्पात का कोई कारखाना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मैसर्स कूपर एलैन

1746. श्री कामेश्वर सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा नवाचार कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जून, 1968 को मैसर्स कूपर एलैन को ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन से पृथक कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख). 23 जुलाई, 1968 को दिये गये, तारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना

147. श्री कामेश्वर सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना में विद्यमान भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच विभाग को इसकी जांच करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). बेलाडिला लौहअयस्क प्रायोजना में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंध के विषय में कुछ शिकायत प्राप्त हुई हैं । इन की जांच की जा रही है और इन शिकायतों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का प्रश्न जांच के परिणामों पर निर्भर होगा ।

Algiers Conference

1748. **Shri Kameshwar Singh:** Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 6028 on the 2nd April, 1968 and state:

(a) the total amount of expenditure incurred on the Press Information Bureau Officer who went to attend the Algiers Conference;

(b) whether it is a fact that the Deputy Prime Minister had not taken any Officer of the Press Information Bureau with him during his last foreign tour; and

(c) if so, the reasons as to why the said Officer was sent to the Algiers Conference despite the objection raised by the Ministry of Finance?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The total expenditure incurred on the P.I.B. Officer who attended the Algiers Conference was Rs. 6,814/-.

(b) Yes, Sir.

(c) The deputation of the Officer of the Press Information Bureau as a member of the Indian Delegation to the Algiers Conference had the approval of the Ministry of Finance.

रूस से जस्त और ताम्बे का आयात

1749. श्री अदिचन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से जस्ते और तांबे का आयात करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के जस्ते और तांबे का आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख): वर्ष 1965 से 1967 तक सोवियत संघ से भारत में आयात किये गये जस्ते का मूल्य निम्नलिखित था:—

	आयात (लाख रु० में)
1965	153.7
1966	159.1
1967	218.6

ऐसा अनुमान है कि 1968 में भी आयात इसी के समक्ष होंगे ।

विगत में सोवियत संघ से तांबे के आयात नगण्य थे और 1968 में इस स्थिति में कोई परिवर्तन होने की कम सम्भावना है ।

खाने योग्य सुखाये हुए नारियल के लिये प्रयोगात्मक परियोजना

1750. श्री अदिचन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नारियल के खाने योग्य सुखाये हुए टुकड़ों के उत्पादन के लिये प्रयोगात्मक परियोजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) परियोजना पर कितने व्यय का अनुमान है; और

(घ) परियोजना के कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

1751. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अफगानिस्तान के व्यापार सम्बन्धों में पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस गतिरोध के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान गतिरोध को समाप्त करने और दोनों देशों के बीच व्यापार सबन्धों को मजबूत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ व्यापार

1752. श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री य० अ० प्रसाद

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ व्यापारिक समझौते के पक्ष में है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र के देशों के साथ प्रधान मंत्री की हाल की दक्षिणपूर्व एशियाई देशों की यात्रा के दौरान प्रस्ताव के बारे में बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय प्रस्ताव के बारे में इन देशों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस समय दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ 'सम्भावित व्यापार समझौते' का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग): इस वर्ष मई में प्रधान मंत्री की सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा मलयेशिया की यात्रा के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग के विषय पर सामान्य रूप से विचार हुआ परन्तु इस विषय पर कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए ।

सीमेंट का वितरण

1753. श्री चन्द्र शेखर सिंह: क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट के वितरण की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित परिवर्तनों के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): सरकार का सीमेंट वितरण की वर्तमान प्रणाली में कोई भी परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

अयस्कों पर निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना

1755. श्री चन्द्र शेखर सिंह: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले और तेल के अतिरिक्त खनिज संबंधी योजना दल ने यह सिफारिश की है कि अयस्कों की सभी श्रेणियों पर निर्यात शुल्क को तुरन्त समाप्त कर दिया जाये और इस प्रकार रेलवे भाड़े को 1967 की दरों पर लाया जाये;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी): (क) से (ग) : कोयले तथा तेल के अतिरिक्त खनिज सम्बन्धी योजना दल के प्रतिवेदन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

कोयला खान खनिकों के लिये महंगाई भत्ते का भुगतान

1756. श्री देवेन सेन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला उद्योग ने मंजूरी बोर्ड की खनिकों को प्रतिदिन के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते देने सम्बन्धी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ख) क्या सरकार कोयले की कीमत पुनरीक्षित करते समय कोयला उद्योग पर जोर डालेगी कि वह मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) (क) यह सच है कि कई कोयला खानों ने मजदूरी बोर्ड की परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देने संबंधी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है ।

(ख) कोयले के मूल्यों पर से नियन्त्रण 24 जुलाई, 1968, से हटा लिया गया था । सरकार द्वारा उन के परिशोधन का प्रश्न नहीं उठता । निस्संदेह सरकार यह देखने के लिये उत्सुक है कि मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में कर्मचारियों की छंटनी

1757. श्री देवेन सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के तेल विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस छंटनी से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इस छंटनी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) 46 पर्यवेक्षकों और 39 बढ़ईयों को सेवा-समाप्ति का नोटिस दिया गया है ।

(ग) ग्राम तेल उद्योग में व्यापारिक मंदी के कारण अमले के पास पर्याप्त काम नहीं था और छंटनी अनिवार्य हो गयी है । सम्बद्ध व्यक्तियों को अन्य ग्रामोद्योगों में, समतुल्य अथवा समीक्ष पद पर लगाने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

कपास का सहायता प्राप्त मूल्य

1758. श्री देवराव पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास और रुई का समर्थन मूल्य लागू करने के लिये स्थायी तौर पर सरकारी व्यवस्था करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है तथा निर्णय करने में देरी होने में क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) : जी. नहीं । कपास के लिये अब तक समर्थक कार्यवाही करने का कोई अवसर नहीं आया क्योंकि चालू मौसम (1967-68) में बाजार भाव कपास की विभिन्न किस्मों के लिये निर्धारित न्यूनतम समर्थक मूल्यों से काफी ऊपर रहे हैं ।

रूरकेला इस्पात कारखाना अतिथिगृह

1759. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा कारखाने के अतिथि-गृह में ठहरने वाले अतिथियों पर वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) वे अतिथि कौन कौन थे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने ने राउरकेला अतिथि-गृह में ठहरने वाले अतिथियों पर वर्ष 1966-67 और 1967-68 में क्रमश: 55,934 रुपये और 56,695 रुपये खर्च किये ।

(ख) अधिकतर अतिथि उच्चपदधारी थे जैसे राज्यपाल, केन्द्रीय और राज्य मंत्री, संसद्-सदस्य, विधान-सभा-सदस्य, राजनयिक तथा वाणिज्यदूतीय सदस्य, उच्च सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े दर्शक, भावी ग्राहक, कम्पनी के अफसर आदि आदि ।

दण्डकारण्य में अखबारी कागज का कारखाना

1760. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य में कोई अखबारी कागज का कारखाना स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो किस क्षेत्र में तथा कब; और

(ग) इस कारखाने पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है, इसकी क्षमता क्या होगी और कितने व्यक्तियों को इसमें रोजगार मिल सकेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): दण्डकाण्य में अखबारी कागज का कोई नया संयंत्र स्थापित करने का विचार नहीं है; किन्तु उस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन लुगदी/कागज बनाने की परियोजना स्थापित करने की संभावना के बारे में अध्ययन किया जा चुका है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस परियोजना पर 17.22 करोड़ रु० खर्च होने का अमनुान है और इसकी रोजगार देने की क्षमता लगभग 1,600 व्यक्तियों की है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद

1761. **श्री राण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने 1967-68 में तथा अप्रैल से जून 1968 की अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में तथा प्रति मन कितने क्रय मूल्य पर कच्चा पटसन खरीदा था;

(ख) क्या यह सच है कि कच्चे पटसन का मूल्य अस्थिर होने के कारण पटसन उत्पादकों को 1967-68 में 20 रुपये प्रति मन की हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1968-69 के लिये कच्चे पटसन का निम्नतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न राज्यों से 3,71,115 मन पटसन की कुल मात्रा खरीदी है। प्रत्येक गौण बाजार के लिये यह क्रय-मूल्य व्युत्पन्न मूल्य है जो कि कलकत्ता में सुपुर्दगियों के लिये पटसन की आसाम किस्म के वाटम ग्रेड के लिये 40 रु० प्रति मन के न्यूनतम समर्थक मूल्य पर आधारित है।

(ख) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) तथा (घ); सरकार ने वर्ष 1968-69 के लिये कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 1967-68 के स्तर पर ही निर्धारित किया है जो कि 40 रु० प्रति मन (107.17 रु० प्रति क्विंटल है) कोई अधिकतम मूल्य निर्धारित नहीं किया गया।

मद्रास बन्दरगाह स्टेशन से भेजे गये अमोनियम फास्फेट का गुम होना

1763. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 सितम्बर, 1967 को मद्रास बन्दरगाह रेलवे स्टेशन से कोप्पल दक्षिण मध्य रेलवे जिला रायचूर, मैसूर राज्य को भेजा गया 960 बोरी अमोनियम फास्फेट बुकिंग स्टेशन से गायब हो गया और गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचा;

(ख) यदि हाँ, तो उसका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या मूल्य अदायगी के लिये कोई दावा किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो दावे की राशि क्या है और इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : अब तक जो रिपोर्ट मिली है उससे पता चलता है कि 960 बोरी अमोनियम फास्फेट वाला यह परेषण किसी दूसरे स्टेशन को गलती से भेज दिया गया था और उसकी सुपुर्दगी वहाँ के खण्ड विकास अधिकारी को कर दी गयी।

(ग) प्रेषिती ने दावा किया है।

(घ) दावे की रकम 37,699.20 रुपये है। दावे की छान-बीन की जा रही है।

लाइसेंस देने सम्बन्धी उदार नीति

1764. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइसेंस देने की सरकार की उदार नीति के अनसार औद्योगिक नीति संकल्प की अनसूची 'क' के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस देने की उदार नीति का यदि कोई प्रभाव हुआ है, तो वह क्या है और इससे गैर-सरकारी क्षेत्र को कहाँ तक सहायता प्राप्त हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) लाइसेंस दिए जाने की उदार की गई नीति का सरकारी क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । इससे विपरीत इससे सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के लिए अपनी अपनी स्थापित क्षमता का और अधिक प्रयोग कर सकना सम्भव, हो गया है ।

मलयेशिया से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

1765. श्री शिवचन्द्र झा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1968 के अन्तिम सप्ताह में मलयेशिया से एक व्यापार प्रतिनिधिमडल भारत आया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत और मलयेशिया के बीच कोई व्यापार समझौता हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जून 1968 के अन्तिम सप्ताह में मलयेशिया से कोई व्यापार प्रतिनिधिमंडल तो भारत नहीं आया था, परन्तु उस देश से एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया था और उसने 27 जून, 1968 से 2 जुलाई, 1968 तक भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी । प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय अधिकारियों से, अन्य बातों के साथ साथ व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्रों में पारस्परिक हितों के मामलों पर भी बातचीत की थी ।

(ख) से (घ) अभी तक दोनों देशों के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं । फिर भी, एक व्यापार करार किये जाने के प्रश्न पर दोनों सरकारों द्वारा सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

समय समय पर दोनों सरकारों के प्रतिनिधि मिलकर विचार-विमर्श करते रहते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों को और अधिक किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है । इस दिशा में निकट भविष्य के लिये प्रस्तावित कुछ विशिष्ट उपाय निम्नलिखित हैं:—

(1) भारत से उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मलयेशिया जायेगा तथा इसके बाद मलयेशिया से इसी प्रकार का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आयेगा ।

(2) भारत तथा मलयेशिया के बीच व्यापार विनिमयों को बढ़ाने के मार्गों पायों पर विचार करने तथा एक व्यापार करार करने के लिये शीघ्र ही दोनों सरकारों के अधिकारी मिलेंगे ।

(3) मलयेशिया में संयुक्त उद्यमों की स्थापना की सम्भावनाओं का, जिनमें भारत अपने तकनीकी विशेषज्ञ तथा जानकारी तथा पुंजीगत उपकरण और भारत में निर्मित मशीनें देगा, पता लगाया जा रहा है ।

(4) भारत मलयेशिया को उस देश में एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कराने में सहायता देगा ।

आयात तथा निर्यात लाइसेंस

1766. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीनस्थ आयात तथा निर्यात नियन्त्रण संगठन को गत दो वर्षों में आयात तथा निर्यात के लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने आवेदन पत्र उसने निपटाए तथा वे किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए और किन-किन तारीखों को निपटाए गये; और

(ख) क्या आवेदन पत्रों का गलत भरा जाना उनके निपटारों में विलम्ब का मुख्य कारण है, और यदि हां, तो क्या अपने प्रपत्रों तथा उनको भरने के तरीके में सुधार लाने का सरकार का विचार है, ताकि जनता के लिए यह कार्य आसान हो जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) गत दो वर्षों में आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय में आयात निर्यात के लिये लगभग 6 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा निपटाए गये । उनकी प्राप्ति तथा निपटान का अभिलेख नहीं रखा जाता ।

(ख) आवेदन पत्रों के निपटान में विलम्ब के कारणों में से एक कारण आवेदन पत्रों का दोषपूर्ण भरा जाना है और उसके लिये क्रियाविधि की समीक्षा तथा संशोधन समय समय पर इस उद्देश्य के लिये नियुक्त विभिन्न समितियों जैसे रामास्वामी मुदालियर, एच० सी० माथुर समितियों आदि की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है ।

लोहना रोड स्टेशन

1767. श्री शिवचन्द्र झा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से पूर्वोत्तर रेलवे पर स्थित लोहना रोड स्टेशन का नाम विदेश्वरधाम करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार से इस सम्बन्ध में किस प्रकार का उत्तर प्राप्त हुआ है और

(ग) लोहना रोड स्टेशन का नाम कब तक परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

Survey of Passenger Traffic between Meerut and Delhi.

1768. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Railways have conducted any survey in regard to the passenger traffic between Meerut and Delhi and if so, when and the broad outlines of the survey report:

(b) whether it is a fact that the passengers travel on the roofs of the bogies also and if so, whether there is any scheme to run diesel cars and to introduce new trains; and

(c) whether it is also a fact that due to Railways and Roadways not being able to cope with the rush, thousands of people travel between Meerut and Delhi on taxis, plying in hundreds, paying more than first class railway fare?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No special survey of passenger traffic between Meerut and Delhi has been made.

(b) No cases of passengers travelling on the roofs of the bogies have been noticed. There is no scheme, at present, to introduce any additional train/diesel car on this section.

(c) Passenger traffic offering for movement by rail between Meerut and Delhi is being catered to by a total of 19 Mail, Express and Passenger trains running in both directions over the Delhi/New Delhi-Meerut Section. According to the information available, U.P. Government Roadways are running 94 bus services in either direction on the Delhi-Meerut route, of which 40 are through services to destinations beyond Meerut; in addition, about 40 Taxis are operating between Delhi and Meerut.

Passengers travel by Taxis for their own personal convenience and the normal Taxi fare is not higher than the First Class rail fare.

Stoppage of 5 M.D. and Hapur Shuttle Trains at Adhyatmik Nagar halt

1769. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the residents of Adhyatmik Nagar, Uttar Pradesh requested Government in June, 1968 to provide stoppage of 5 M.D. and Hapur Shuttle trains at Adhyatmik Nagar railway halt also; and

(b) if so, the decision taken by Government thereon?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) Provision of stoppages of 5 M.D. Moradabad-Delhi Passenger and of 1 NDH Hapur-New Delhi Passenger at Adhyatmik Nagar train halt has not been found to be justified due to meagre passenger traffic dealt with at this halt and eight passenger trains in both directions already having been provided halts there.

Production of Asbestos Sheets

1770. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the production of asbestos sheets in India last year has been one third of the total capacity; and

(b) if so, the reasons therefor and the efforts being made to improve the situation?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) The production of asbestos cement sheets during 1967 was 50·3% of the total installed capacity for the item.

(b) The low production was due to fall in demand resulting from the industrial recession, droughts and fall in building activities under the Government and private construction. The demand has, however, been making up during the last six months.

Prices of Tractors and Agriculture Machinery

1771. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of **Industrial Development & Company Affairs** be pleased to state:

(a) the recommendations made by the Committee set up by Government last year to fix fair prices after the Essential Commodities Act, 1955 was made applicable to tractors and agricultural machinery;

(b) whether Government have received complaints that no tractor is available in the market on the price fixed by Government; and

(c) if so, the measures being taken by Government in this reagard?

The Minister of Industrial Development & Company Affairss (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) The Tariff Commission had been requested to institute a regula rinquiry and recommend fair selling prices of tractors. The report of the Commission has been received and examined by Government. The recommendations made by the Commission and the decisions of Government thereon were announced through a Resolution bearing No. AEInd-II/5/44/67 dated the 3rd June, 1968, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) No.

(c) Does not arise.

कोयला खानों का बन्द होना

1772. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अव्यवहारिक नियोजन के कारण देश में बहुत सी कोयला खानें बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कोयला खानों के नाम क्या हैं और उनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप कुल कितनी हानि हुई है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

क्षेत्रीय रेलों में अंग्रेजी टाइप मशीनों को किराये पर लेना

1773. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में अंग्रेजी की टाइप मशीनों की बड़ी कमी है तथा उन्होंने किराये पर टाटप की मशीनें ले रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे को कितनी टाइप मशीनों की आवश्यकता है तथा गत पांच वर्षों में क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार कितना-कितना किराया दिया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन फर्मों को दिया गया किराया बाजार भाव से बहुत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुत्ताचा) : (क) और (ख) इस समय क्षेत्रीय रेलों में अंग्रेजी टाइप मशीनों की कमी नहीं है परन्तु अतीत में सीमित अवधियों के लिए टाइप मशीनें किराये पर लेनी पड़ी थीं, क्योंकि (क) उपयोग में आने वाली टाइप मशीनों का स्टाक सीमित था, (ख) थोड़े-थोड़े समय के लिए टाइप मशीनें खराब हो जाती थीं, और (ग) टाइपिस्टों/स्टेनोग्राफरों के अस्थायी पदों के सृजन के फलस्वरूप टाइप मशीनों की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती थी। किराये पर ली गयी टाइप मशीनों की ठीक संख्या, किराये पर लिये जाने की अवधि और प्रत्येक मा ले में किराये की कितनी रकम का भुगतान किया गया, इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट पांच वर्षों के लिए सभी रेलों के सम्बन्ध में सूचना तैयार करने में जितना समय लगेगा और जितना प्रयास करना पड़ेगा, वह अन्ततः प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी, पिछले 5 वर्षों में, अर्थात् 1963-64 से 1967-68 तक प्रत्येक वर्ष प्रत्येक रेलवे द्वारा किराये में दी गयी रकम, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में बतायी गयी है।

(ग) जी नहीं। जो किराया दिया गया, वह उस समय प्रचलित बाजार भाव के अनुरूप था।

(घ) सवाल नहीं उठता।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सं या एल० टी० 1521/68]

तांबे के तारों की चोरी

1774. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तांबे के तारों की चोरी और यह माल निकाल लेने की घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या निवारक उपाय किये; और

(ग) 1966 और 1967 में ऐसी कितनी घटनाएं हुईं और इसमें कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुत्ताचा) : (क) से (ग) तांबे के तार रेलों के नहीं हैं। संसदीय मामलों और संचार के राज्य मन्त्री द्वारा इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर 25-4-68 को लोक सभा में दिया जा चुका है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

औद्योगिक बस्तियां

1775. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई औद्योगिक बस्तियों में कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, यद्यपि उनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी बस्तियां हैं और इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

(ख) 56। इन औद्योगिक बस्तियों के काम न करने के कारण, आवश्यक सुविधाओं जैसे बिजली, पानी आदि की व्यवस्था में विलम्ब, खराब स्थान, उद्यमियों का न मिलना और पर्याप्त प्रोत्साहनों का अभाव है।

राज्य सरकारों की समन्वय समितियों की स्थापना करने के लिए परामर्श दिया गया है जिनमें उद्योग, बिजली तथा लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि हों जिससे प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब को कम किया जा सके। राज्य बिजली मण्डलों से भी केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली मन्त्री के द्वारा यह कहा गया है कि वे उन औद्योगिक बस्तियों को, जहां फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, बिजली देने में शीघ्रता करें। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे उन औद्योगिक बस्तियों को जिनके विकास की अपेक्षित सम्भावना जान पड़ती हो, पर्याप्त प्रोत्साहन जैसे, किराये तथा बिजली की दर में अनुदान और चुंगी तथा बिक्री कर में छूट दें।

Goods Lying at New Delhi and Delhi Railway Stations

1777. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large quantities of goods at New Delhi and Delhi Railway stations get damaged because of being stored in the open and as a result thereof the Railways suffer a good deal of loss in the form of compensation;

(b) if so, the amount of compensation the Railways have to pay per year;

(c) whether Government have under consideration any scheme to prevent such loss in future ; and

(d) if so, the date by which that scheme is likely to be completed ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) This is not correct.

(b) In view of the answer to part (a) the question does not arise.

(c) and (d) In view of the answers to parts (a) and (b), these questions do not arise.

दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड

1778. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के कितने कर्मचारी दुर्गापुर में कार्य कर रहे हैं;

(ख) कितने कर्मचारियों को (1) पूर्ण परिवारिक आवास (2) चिकित्सा की सुविधाएं, और (3) उनके बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके मुख्यालय को कलकत्ता से स्थानान्तरित करके दुर्गापुर लाने की योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो इस स्थानान्तरण का मुख्यालय में काम करने वाले कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस स्थानान्तरण के कारण क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जापान को चाय का निर्यात

1779. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान ने वर्ष 1964 से 1967 तक भारत से कुल कितनी चाय खरीदी है;

(ख) क्या उस देश में चाय पीने की आदत को बढ़ावा देने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं;

(ग) क्या वर्ष 1965 से 1967 तक जापान को पैक्ट बन्द भारतीय चाय का भी कोई निर्यात किया गया और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह निर्यात किसी भारतीय मालिक की फर्म द्वारा किया गया था अथवा भारतीयों द्वारा नियन्त्रित फर्म द्वारा किसी विदेशी फर्म द्वारा किया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वर्ष 1964 से 1967 तक जापान द्वारा खरीदी गयी चाय की कुल मात्रा तथा भारत का भाग निम्नलिखित था :—

वर्ष	जापान द्वारा कुल खरीद	मात्रा हजार किग्रा में भारत का भाग
1964 . .	2,345	39
1965 . .	3,533	93
1966 .	6,599	231
1967 . .	5,367	282

(ख) जापान में पहले ही चाय का प्रयोग होता है परन्तु वहां अधिकांश खपत हरी चाय की है। सामान्यत: काली चाय की, और विशेषत: भारतीय चाय की खपत बढ़ाने के लिये आल जापान ब्लैक टी एसोसियेशन के सहयोग से चाय बोर्ड ने कई सम्वर्द्धनात्मक कार्य किये हैं।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1965 से 1967 तक जापान को पैकेट बन्द चाय के निर्यात निम्नलिखित थे:—

वर्ष	मात्रा किग्रा में
1965	92
1966	30,505
1967	373

वर्ष 1965 के 92 किग्रा पैकेट बन्द चाय के निर्यात में से 6 किग्रा भारतीय कम्पनियों द्वारा तथा शेष विदेशी कम्पनियों द्वारा किया गया। वर्ष 1966 तथा 1967 में जापान को पैकेट बन्द चाय के निर्यात पूर्णत: केवल विदेशी कम्पनियों द्वारा किये गये।

कोयले का मूल्य

1780. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री देवेन सेन :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 13 वर्षों में सरकार ने कोयला खान मालिकों को कोयले के दाम बढ़ाने की कितनी बार अनुमति दी;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक मामले में कितनी वृद्धि की गई;

(ग) क्या कोयला खान मालिकों ने हाल में सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें कोयले के मूल्यों में 3.50 रुपये से लेकर 4.72 रुपये प्रति टन तक की और वृद्धि करने की अनुमति दी जाये ;

(घ) यदि हां, तो इन मालिकों ने अपनी मांग के समर्थन में क्या कारण बताये हैं;

(ङ) विभिन्न किस्म के कोयले के सम्बन्ध में किस दर पर वृद्धि करने की मांग की गई है; और

(च) कोयला खान मालिकों की इस मांग के प्रति सरकार का क्या रवैया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 1955 से लेकर 1967 में कोयले के मूल्यों पर से नियन्त्रण हटाये जाने तक 30 बार सामान्य मूल्य वृद्धियां की गई हैं।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण अनुबन्ध 1 के रूप में संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) विभिन्न कारणों से तथा मज़दूरी बोर्ड के फैसले के प्रभाव स्वरूप उत्पादन की लागत में वृद्धि ।

(ङ) प्रतिवेदन में हर श्रेणी के कोयले के विषय में मांगी गई वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया था।

(च) रेलवे विभाग ने चुनी हुई श्रेणियों के कोयलों के लिये 2 रुपये प्रति मैट्रिक टन तथा श्रेणी 1 के कोयले के लिये 1 रुपये प्रति मैट्रिक टन की मुख्य वृद्धियां मान ली हैं। इस्पात सन्यन्त्रों, कोयला धावनशालाओं और कोकरीज़ को दिये जाने वाले कोकिंग कोयले के विषय में प्रति मैट्रिक टन 1.75 रुपये की मूल्य वृद्धि मान ली गई है। इसके अतिरिक्त 0.75 रुपये प्रति मैट्रिक टन प्रतिचयन की विधि का आपस में सन्तोषजनक रूप से समाधान हो जाने पर देय होंगे।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1522/68]

दुर्गापुर कोक भट्टी संयंत्र

1781. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में दुर्गापुर कोक-भट्टी संयंत्र (राज्य सरकार का उपक्रम) के उत्पाद किन-किन पक्षों को बेचे गये थे;

(ख) इसी वर्ष में प्रत्येक पक्ष को कितने कितने मूल्य का माल बेचा गया; और

(ग) दुर्गापुर कोक भट्टी प्लांट के उत्पाद बेचने वाले एजेन्ट कौन कौन हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कर्मचारी कार्मिक संघों का सम्मेलन

1782. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हुई अनेक रेल दुर्घटनाओं के कारण के रूप में मानवीय असफलता की समस्या पर विचार करने के लिये विभिन्न रेल कर्मचारी कार्मिक संघों का एक सम्मेलन शीघ्र ही बुलाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या इस सम्मेलन में रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी वांचू आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जायेगी; और

(ग) जिन संस्थाओं को आमंत्रित किया जायेगा उनके नाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) विशेष रूप से अभी हाल में एक के बाद जल्दी-जल्दी जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनके संदर्भ में रेल संचालन के कुछ पहलुओं पर गैर मान्यता-प्राप्त कर्मचारी संघों से सम्बद्ध कुछ संसद् सदस्यों और अखिल भारतीय श्रमिक संघों अर्थात् अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ और भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों से क्रमशः 20 जुलाई, 1968 और 21-7-68 को बातचीत हुई।

न्यायाधीश श्री वांचू की अध्यक्षता में रेल दुर्घटना समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

1783. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 22 जून, 1968 के 'स्टेट्समैन' में छपे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अधिकारियों द्वारा हाल ही में किये गए अध्ययन के अनुसार पर्याप्त संतुलनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण 16 लाख टन का बढ़ाया गया लक्ष्य 1971-72 से पहले पूरा नहीं हो सकेगा।;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या अनुमान है; और

(ग) निर्धारित उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान संकेतों से ऐसा लगता है कि 1970 के अन्त तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने की क्षमता 1.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें कोक भट्टियों की मरम्मत तथा इनका पुनर्निर्माण तथा सोख गड्ढों की संख्या में वृद्धि शामिल हैं—ये दो बड़ी कठिनाइयां हैं।

ैशियों के कारखानों में ऊंचे वेतन पान वाले पदों का भारतीय करण

1784. **श्री यशपाल सिंह** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब से अधिक वेतन वर्गों के, अर्थात् 500 रुपये तथा उससे अधिक मामले में भारत में विदेशी फर्में विदेशियों को नियुक्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्ष 1964, 1965 तथा 1966 के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस वर्ग में भारतीयों की नियुक्ति को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। सामान्यतः ऐसा ही है।

(ख)	1 जनवरी को	भारतीय	प्रतिशत	भारतीय	प्रतिशत
	1964	165	16.8	815	83.2
	1965	222	21.0	837	79.0
	1966	283	24.8	859	75.2

टिप्पणी : इन आंकडों में अल्पकालिक विदेशी तकनीशियन सम्मिलित नहीं है। क्रमशः जनवरी, 1964, 1965 और 1966 को इनकी संख्या 40, 70 और 68 थी।

(ग) समझाने बुझाने की नीति का पालन करके सरकार ने भारतीय राष्ट्रकों के लिये अधिक संख्या में पद प्राप्त कर लिये हैं।

रेलवे में नियंत्रण पद्धति का स्वचालित किया जाना

1785. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बारम्बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं का मुख्य कारण नियंत्रण प्रणाली में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो स्वचालित यंत्र लगाने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) नियंत्रण प्रणाली में कब तक सुधार किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) संरक्षा की आवश्यकताओं, रफ्तार और यातायात की मात्रा के अनुरूप सिगनलिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जा चुकी है। रफ्तार में वृद्धि और यातायात के धनत्व की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर सिगनलिंग व्यवस्था में सुधार किये जा रहे हैं।

बोकारो इस्पात कारखाने में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति

1786. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित बोकारो इस्पात कारखाने के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): प्रबन्ध-निदेशक बोकारो इस्पात कारखाने का मुख्या प्रशासनिक अधिकारी है। 1964 में जब यह कम्पनी बनी थी, तब से ही वह काम कर रहा है।

रेलवे उपकरणों का निर्यात

1787. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे उपकरणों के निर्यात के आर्डरों को पूरा करने के लिये एक स्वायत्त निकाय की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :(क) तथा (ख) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

उच्च अधिकारियों के सम्बन्धियों को बिड़ला उद्योग समूह में नौकरियां

1788. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों के उन सम्बन्धियों के नाम और संख्या कितनी है जो बिड़ला उद्योग समूह में कार्य कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रेलवे गाड़ियों का डीजल से चलाया जाना

1789. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1967, में हुई कोयला विकास परिषद् की बैठक में इस्पात, खान तथा धातु मंत्री ने रेल ट्रैक्शन के डीजलाइजेशन को धीमी गति देने के सम्बन्ध में जो सिफारिश की थी उसकी ओर रेलवे बोर्ड का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में डीजलाइजेशन और विद्युतीकरण के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) भाप-कर्षण की अपेक्षा डीज़ल कर्षण से पूंजी परिव्यय पर अधिक प्रतिफल मिलता है। अतिरिक्त यातायात के लिए शीघ्र क्षमता विकसित होती है और परिचालन सम्बन्धी कई अन्य लाभ भी हैं। इसे देखते हुए डीजलीकरण की नीति में कोई संशोधन जरूरी नहीं समझा गया है। लेकिन यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप डीज़लीकरण में उपयुक्त काट-छांट की जा रही है।

(ग) रेलों की चौथी पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों विभागों के परामर्श से तयार की जा रही है। जब तक योजना अन्तिम रूप से तैयार नहीं हो जाती डीज़लीकरण विद्युतीकरण कार्य-क्रम के बारे में निश्चित रूप से कुछ बताना संभव नहीं है। प्रत्येक व्यावहारिक प्रयास किया जा रहा है। गाड़ियों के समय-पालन पर रेलों में मण्डल से लेकर रेलवे बोर्ड तक सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। गाड़ियों के रुके रहने और देर से चलने के मामलों की छान-बीन की जाती है और प्रत्येक मामले में आवश्यकतानुसार दण्डात्मक और निवारक कार्रवाई की जाती है। आवर्ती कारणों का पता लगाने और गाड़ियों की समय-अनुसूची रेल लिंक आदि में समंजन के रूप में आवश्यक प्रतिकारक उपाय करने के लिए समीक्षायें की जाती हैं। अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा समय-पालन अभियान चलाये जाते हैं। वे उन चुनी हुई गाड़ियों में यात्रा करते हैं जिनका चालन असन्तोषजनक होता है ताकि गाड़ियों के रुके रहने और देर से चलने के कारणों को दूर किया जा सके। समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों के कारण गड़ियों के रुकने की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ निकट निकट सम्पर्क रखा जाता है।

भारी अभियांत्रिक निगम, रांची

1791. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारी अभियांत्रिक निगम, रांची के भूतपूर्व अध्यक्ष की राय पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों से सहमत नहीं हैं कि विदेशी सहयोग एक अभिशाप है जिसको हमने स्वयं अपने ऊपर लादा है और तकनीकी जानकारी एवं संयंत्रों का आयात करके हम जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं उससे हम राष्ट्र का सबसे बड़ा अहित कर रहे हैं।

इन्दु मिल समूह

1792. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई इन्दु ग्रुप की मिलें बिल्कुल बेकार हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों से अब तक कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ग) ये मिलें कब लाभ कमाने लगेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिसम्बर, 1965 में मिलों के लिये जाने के समय से दिसम्बर बोनस आदि की व्यवस्था करने से पहले सकल घाटे का अनुमान 262.20 लाख रुपये का है। जनवरी से मई 1968 तक सकल घाटे का अनुमान 39.45 लाख रुपये है।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि ये मिलें कब तक लाभ कमाने लगेंगी परन्तु सुधार के लक्षण अभी से ही दिखाई देते हैं जैसा कि वर्ष के आरम्भ से ही घाटे में उत्तरोत्तर कमी से स्पष्ट है और आशा है कि यदि बाजार की स्थिति अनुकूल रही तो ये मिलें निकट भविष्य में ठीक भी हो जायेंगी।

सुपरफाइन कपड़े पर से नियंत्रण हटाना

1793. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अति बढ़िया (सुपर फाइन) कपड़े पर से नियंत्रण हटाने के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) क्या इस श्रेणी के कपड़े पर से, जिसका इस्तेमाल सामान्यतया धनी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, नियंत्रण ये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) सूती वस्त्र उत्पादन तथा विपणन के सम्बन्ध में 1 मई, 1968 को वाणिज्य मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

विदेशों में भारतीय प्रदर्शन-कक्ष

1795. **श्री सम्बन्धन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिए विदेशों में स्थापित प्रदर्शनकक्षों की वर्तमान संख्या कितनी है ;

(ख) इन प्रदर्शनकक्षों का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है ;

(ग) क्या उनके कार्य संचालन के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 8।

(ख) बहरीन तथा काबुल स्थित प्रदर्शनकक्षों का प्रबन्ध वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इन देशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से किया जाता है। बैंकाक, बेरुत, काहिरा, लागोस, नैरोबी तथा तेहरान स्थित बाकी 6 प्रदर्शनकक्षों का प्रबन्ध भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) ये सभी प्रदर्शनकक्ष सर्व प्रथम वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इन देशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से खोले गये थे तथा उसके द्वारा उनका प्रबन्ध किया जाता था। उनके कार्य संचालन के बारे में की गई नियतकालिक समीक्षाओं से पता चला कि इन इकाइयों को वाणिज्य आधार पर चलाकर निर्यात सवर्धन का और अधिक प्रभावी साधन बनाना अधिक उपयुक्त होगा ताकि वे वहाँ प्रदर्शित भारतीय निर्यात उत्पादों का न केवल दृश्य प्रचार ही कर सकें परन्तु आदेश भी बुक कर सकें तथा व्यवसायिक कार्य कर सकें। अत: यह निर्णय किया गया कि राज्य व्यापार निगम इन प्रदर्शनकक्षों को संवर्धनात्मक कार्यवाही के रूप में अपने अधीन लेकर उन्हें वाणिज्यिक आधार पर चलाये। निगम ने मई, 1966 में नैरोबी स्थित प्रदर्शन कक्ष को, अप्रैल, 1967 में बैंकाक, बेरुत काबुल तथा लागोस के प्रदर्शन कक्षों को तथा अगस्त, 1967 में तेहरान के प्रदर्शन कक्ष को अपने अधीन ले लिया था। निगम काबुल तथा बहरीन के प्रदर्शनकक्षों को अपने अधीन लेने के लिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि उसे उनके वाणिज्यिक रूप में लाभकर होने में सन्देह था। परन्तु इन देशों में हमारे मिशन आर्थिक तथा राजनैतिक आधार पर उनको वैसे ही बनाये रखने के पक्ष में थे। अत: अभी भी उनका प्रबन्ध वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

हाल में राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने अधीन किये गये प्रदर्शन कक्षों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में की गई समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए हैं :

नैरोबी प्रदर्शन कक्ष

मई, 1966 से दिसम्बर, 1967 तक 2.327 करोड़ रु० मूल्य के आदेश, जिनमें 3.69 लाख रु० मूल्य के हथकरघा तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं की फुटकर बिक्री भी शामिल है, बुक किये गये। इन में ब्लीचिंग पाउडर, हरीकेन लालटेन, जी० आई० पाइप, तार रस्से, पेच एवं ढिबरियाँ तथा साइकिल आदि जैसी मदें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसने भारत को 51,60,000 रु० मूल्य के लौंग तथा खोपरे के निर्यात की भी देखभाल की।

बैरूत प्रदर्शन कक्ष

अप्रैल, 1967 से फरवरी, 1968 तक 13.57 लाख रु० मूल्य के आर्डर बुक किये गये। इसके अतिरिक्त इसने लकड़ी के खम्भों के लिये यूनानी संविदा, टेलीफ़ोनों के लिये ईराकी संविदा तथा कुवैत में ट्रांसमिशन मीनारों को लगाने की संविदा को पूरा करने में सहायता दी।

बैंकांक प्रदर्शन कक्ष

अप्रैल, 1967 से फरवरी, 1968 तक 3.8 लाख रु० मूल्य के आदेश बुक किये गये। अभी शिरस्त्राण, भेषज तथा औषधि, डाक्टरी थर्मामीटर, बाल-बेयरिंग, बल्ब होल्डर, सरेस खोल, मधुमक्खी मोम, सैकक्राफ्ट कागज आदि के निर्यात के लिये बातचीत चल रही है। इसने 10,000 मे० टन पेट्रोलियम कोक के निर्यात के सम्बन्ध में भी बातचीत की थी, परन्तु संविदा पूरी न की जा सकी क्योंकि तब तक स्टाक बिक चुके थे और 1968 के लिये कोई कोटा उपलब्ध नहीं था।

लागोस प्रदर्शन कक्ष :

यद्यपि नाइजीरिया में राजनीतिक अशान्ति के कारण व्यापार मंदी पर है, फिर भी फरवरी, 1968 तक 9.18 लाख रु० मूल्य के आदेशों का बुक करना संभव हो सका। इन संविदाओं में ये वस्तुयें शामिल हैं : सिगनल सम्बन्धी उपकरण, नारियल जटा के फर्श तथा चटाइयाँ, एल्यूमीनियम कण्डक्टर, साइकिल, इस्पाती चेन, ताले आदि।

तेहरान प्रदर्शन कक्ष :

अगस्त, 1967 से फरवरी, 1967 तक 50.25 लाख रु० मूल्य के आदेश बुक किये गये हैं जिनमें इस्पाती ट्यूब, पी० बी० सी० केबल तथा तार आदि हैं।

काहिरा व्यापार केन्द्र

यद्यपि 1-4-67 से यह व्यापार केन्द्र राज्य व्यापार निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया था, तथापि अभी तक उनके अधिकारी ने इसको अपने अधीन नहीं लिया है और अभी तक यह काहिरा स्थित राजदूतावास द्वारा चलाया जा रहा है। इन परिस्थितियों में इस व्यापार केन्द्र में कोई व्यापार न हो सका।

काबुल तथा बहरीन स्थित प्रदर्शन कक्ष वहाँ के स्थानिक मिशनों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे हैं। इनका उपयोग भारतीय निर्यात उत्पादों के प्रदर्शन के लिये किया जा रहा है, परन्तु कोई आदेश बुक नहीं किये गये तथा संविदाओं पर हस्ताक्षर नहीं किये गये क्योंकि वहाँ के सरकारी प्रभारी अधिकारी व्यापारिक बातचीत नहीं कर सकते। प्रदर्शित वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारिक पूछताछों को प्रदर्शन कक्ष अधिकारियों द्वारा निर्यात सम्वर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों अथवा भाग लेने वाली फर्मों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया जाता है। इन देशों को भारतीय उत्पादों की निर्यात संभावना को देखते हुए उनके साथ आर्थिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये इन प्रदर्शनकक्षों को मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है।

कन्नूर कोचीन यात्रीगाड़ी

1796. **श्री नायनार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 मई, 1968 को जब कन्नूर-कोचीन यात्री गाड़ी प्रातः 9 बज कर 55 मिनट पर कालीकट स्टेशन पर पहुंची तो उसके साथ सात डिब्बों के स्थान पर केवल तीन डिब्बे लगे हुए थे ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यात्रियों को इसके परिणामस्वरूप बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा तथा तृतीय श्रेणी के यात्रियों को प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में यात्रा करनी पड़ी ; और

(ग) यदि हाँ, तो गाड़ी के साथ कम डिब्बे लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) अप्रैल और मई, 1968 में हरद्वार में अर्धकुम्भ और उज्जैन में सिंहस्थ मेलों के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़भाड़ को सम्भालने के लिये सभी रेलों में बड़ी संख्या में सवारी डिब्बे लेने पड़े जिसकी वजह से इस अवधि में कुल मिलाकर सवारी डिब्बों की कमी हो गयी थी।

ब्रिटेन को रेशम का निर्यात

1797. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटन सरकार से भारत द्वारा किये गये रेशम के निर्यात में वृद्धि करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति समिति

1798. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन कब प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ख) समिति का प्रतिवेदन मिलने में देरी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति द्वारा जनवरी, 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

(ख) समिति को सौंपे गये विषय क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से 1956 से 1966 के दस वर्षों की अवधि में अपनाई गई समूची लाइसेंस प्रणाली आ जाती है । समिति को सौंपे गये काम में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये लगभग 20,000 आवेदन-पत्रों की जाँच करना, उद्योग समूहों तथा वित्तीय सस्थाओं के कार्य-कलापों के बारे में विभिन्न प्रकार के आँकड़े का संकलन करना आदि सम्मिलित हैं । अतः समिति इससे पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगी ।

कोयले का उत्पादन

1799. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 1967–68 में कोयले के उत्पादन में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके उत्पादन में कितनी कमी हुई ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क), (ख) और (ग) 1967–68 के दौरान कोयले का कुल उत्पादन, 1966–67 की तुलना में, मुख्यतः माँग में कमी के कारण थोड़ी सी सीमा तक गिरा है ।

(घ) कोयले के उत्पादन का वर्तमान स्तर इसकी वर्तमान माँग के अनुरूप है और ऐसी कोई माँग नहीं जिसकी पूर्ति नहीं की गई हो । उत्पादन बढ़ाया जा सकता है यदि माँग बढ़े । माँग का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है ।

बिहार के तांबे के निक्षेप

1800. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार में हजारी बाग के कुछ भाग में तांबे के बड़े विशाल निक्षेपों का पता लागाया गया है; और

(ख) क्या तांबा उपयस्क की उपेलब्धता का अच्छी तरह पता लगाया गया है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ख) हजारीबाग जिले में तांबा अयस्क के लिये भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अन्वेषण अभी प्रगति पर है। अधिनिक्षेपों की सम्भाव्यता के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का समय नहीं आया।

औद्योगिक लाइसेंसिंग अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन

1801. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई औद्योगिक फर्मों ने औद्योगिक लाइसेंस अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या ऐसा अधिकतर हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों में हुआ है ;

(ग) ऐसा करने के लिये क्या कार्य-प्रणाली अपनाई गई है ; और

(घ) ऐसा उल्लंघन न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) कुछ औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 13(घ) का स्पष्ट उल्लंघन करने की क्षमता का अनधिकृत रूप से विस्तार करने के कुछ उदाहरण सरकार की जानकारी में आये हैं। ये मामले हल्के इंजीनियरी तथा भारी उद्योगों दोनों के बारे में हैं।

(ग) और (घ) इस मामले की जांच की जा रही है और क्या कार्यवाही की जाय इस के बारे में पुनर्विचार हो जाने के पश्चात् ही निर्णय किया जायेगा।

मैसूर में सोने के निक्षेप

1802. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के पारवाड़ जिले के उच्चकोटि के सोने के कण मिले हैं;

(ख) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने इस क्षेत्र में खोज आरम्भ कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) पारवाड़ जिले के कल्पात पहाड़ी क्षेत्र में सोना पाये जाने का चिर काल से पता है ;

(ख) और (ग) जी, हां। अन्वेषण कार्य 1967 में हाथ में लिया गया था और वह अभी भी चल रहा है। अब तक किया गया कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है और निक्षेपों की सम्भाव्यता के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का समय अभी नहीं आया है। विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

रेलवे पर दबाव कम करने के बारे में राज्यों से बातचीत

1803. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेलवे पर दबाव कम करने के उद्देश्य से राज्यों से उन की गैर-सरकारी बसों और रोडवेज सेवाओं का विस्तार करने और थोड़ी दूरी वाले फासले के लिये वैकल्पिक परिवहन साधनों की व्यवस्था करने के संबंध में बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, नहीं। फिर भी कुछ अलाभप्रद शाखा लाइनों के सम्बन्ध में, जहां यह पाया गया कि उस क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था को हानि पहुंचाए बिना सड़क-परिवहन-रेल-परिवहन का स्थान ले सकता है, सम्बन्धित राज्य सरकारों से कहा गया कि वे इस बात की पुष्टि करें कि उन शाखा लाइनों के बन्द करने के बाद सड़क-परिवहन की क्षमता में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर-शिवपुरी शाखा लाइन के समानान्तर चलने वाले राष्ट्रीय राजपथ नं० 3 के सुधार के लिये वित्तीय सहायता मांगी है, जब कि अन्य राज्य सरकारें, जिन के उत्तर प्राप्त हुए, अलाभप्रद शाखा लाइनों के बन्द करने का विरोध किया है। कुछ राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

काश्मीर की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

1804. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर की हस्तशिल्प वस्तुएं युगोस्लाविया तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में काफी मात्रा में बिक रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) भारतीय उत्पादों के निर्यात आंकड़े देश भर के लिये रखे जाते हैं न कि राज्यवार। वर्ष 1964–65, 1965–66 तथा 1966–67 की अवधि में पूर्वी यूरोप के देशों को (युगोस्लाविया) सहित) हस्तशिल्प वस्तुओं के किए गए कुल निर्यात संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा बहुत से उपाय किए गए हैं : जिन में से अत्यन्त महत्वपूर्ण नीचे दिये गए हैं :—

(1) जहां कहीं आवश्यक हो, निर्माण के लिये आयातित कच्चे माल की व्यवस्था।

(2) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अनेक डिजाइन केन्द्रों तथा राज्य सरकारों के माध्यम से डिजाइन सहायता की व्यवस्था ।

(3) विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(4) विदेशों में प्रवर्तन कक्ष तथा विदेशी दुकानों का खोलना ।

(5) उत्पादन तथा आयात शुल्कों पर शुल्क वापसी के रूप में सहायता देकर ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1523/68]

अमीचन्द प्यारेलाल का मामला

1805. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार आयोग के प्रतिवेदन के विमति टिप्पण की, जिसमें श्री भूतलिंगम, आई० सी० एस० का अमीचन्द प्यारेलाल के मामले में हाथ होना बताया गया है, मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) श्री भूतलिंगम, जिन के रिकार्ड तथा ख्याति पर इस विमति टिप्पण से प्रभाव पड़ता है, के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस्पात जांच समिति के एक सदस्य का विमति-टिप्पण समिति के मुद्रित प्रतिवेदन में दिया हुआ है जो 10 मई, 1968 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(ख) सरकार ने इस्पात, खान और धातु मंत्रालय के तारीख 10 मई, 1968 के संकल्प संख्या एस० सी० II–14(3)/68 के द्वारा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियम और विनियम के अनुसार विभिन्न अफसरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का फैसला किया है । इस संकल्प की एक प्रति पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है ।

Derailment of Madras-Delhi Janata Express

1806. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some compartments of Madras-Delhi Janata Express got derailed outside Wihirgaon station on Kazipet-Balharshah Division of the South Central Railway in the month of May, 1968;

(b) whether Government have conducted any inquiry into the causes of the accident; and

(c) if so, the details thereof and the amount of loss suffered by Government thereby ?

Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) and (c) The cause of the accident is under investigation. The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs. 45,128/-.

Derailment of Goods Train at Solog Madari Station

1807. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some wagons of a goods train bound for Siliguri got derailed at Solog Madari Railway station during the first fortnight of July, 1968;

(b) whether Government have conducted inquiry into the causes of the accident; and

(c) if so, the details thereof and the amount of loss suffered by Government thereby ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (*a*) The accident occurred between Hasimara and Madarihst stations on 6-7-68.

(*b*) and (*c*) The inquiry committee has not yet finalised its report.

The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs. 19,500/-.

Ticketless Travel

1808. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(*a*) the estimated loss in rupees caused to Government on account of ticketless travel during 1967-68;

(*b*) the action being taken by Government to check ticketless travel; and

(*c*) the number of persons detected for ticketless travel in 1967-68 ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (*a*) The loss is estimated to be of the order of about Rupees 12 crores,

(*b*) Frequent intensive checks including incognito checks and surprise checks by Flying Squads and Railway Magistrates are being made to minimise ticketless travel and other forms of irregular travel. An educative campaign is also being conducted in this connection.

(*c*) The number of persons detected travelling without tickets or with improper tickets in 1967-68 was 90,94,860

Railway Accidents

1809. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(*a*) the number of railway accidents that took place in the country every year from 1961 till date and the number of persons killed and injured as a result of these accidents ;

(*b*) the amount paid by Government as compensation to the families of deceased and to the injured persons every year during this period ; and

(*c*) the amount of loss caused to Government by these accidents ?

Ministers for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (*a*)&(c):A statement showing the number of train accidents, the number of persons killed and injured and the cost of damage to railway property as a result thereof during the years 1961-62 to 1967-68 is attached.

(*b*) The information will be laid on the Table of the Lok Sabha shortly.

STATEMENT

Year	Train accidents* in the Indian Government Railways	Casualties		Cost of damage to railway property. Rs.
		Killed	Injured	
1961—62	1953	178	952	78,14,261
1962—63	1637	250	1129	94,89,454
1963—64	1635	99	793	76,03,621
1964—65	1293	240	620	71,17,282
1965—66	1201	123	1205	84,66,530
1966—67	1097	306	1279	97,66,871
1967—68**	1111	233	1011	1,49,78,037

*Collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains.
**Provisional.

Balance of Trade

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(*a*) whether the balance of trade between India and foreign countries during the months of January and February, 1968 has been favourable; and

(*b*) If not, the value of excess of our imports over export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Quereshi) : (*a*) No, Sir.

(*b*) Rs. 80.35 crores.

खेतरी तथा अग्निगुंडाला में तांबे, सीसे और जस्ते के निक्षेप

1811. **श्री को० सूर्य नारायण :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण परियोजना से संकेत मिले हैं कि खेतरी और अग्निगुंडाला में तांबे, सीसे और जस्ते के निक्षेप अनुमान से अधिक हो सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों का लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख)—हवाई भू-भौतिक सर्वेक्षण सीसे अयस्क कार्यों के संकेत नहीं देते । खेतड़ी कटिबंध के कुछ भागों और ज्ञात खनिज निक्षेपों का विस्तार दिशाओं में तथा इन ज्ञात निक्षेपों के आस-पास भी सर्वेक्षणों ने महत्वपूर्ण निद्युत-चुम्बकीय और चुम्बकीय विषमताएं दिखाई है । इन संवाही और चुम्बकीय विषमताओं के कारण जानने के लिये भू-भौतिक पूर्वेक्षण, मूरासायनिक अभिचयन तथा भू-वैज्ञानिक रेखाचित्र सहित विस्तृत भूमि अनुपरीक्षण कार्य आवश्यक है । उन में से कुछ अयस्क निक्षेप सिद्ध हो सकते हैं ।

अग्निगुंडला के हवाई भूभौतिक सर्वेक्षण से चान्दल मुत्तू, युकोन्डा और है नलकोंडा के ज्ञात धातु भण्डारों के विषय में कोई महत्वपूर्ण संकेत नहीं प्राप्त हुए हैं । तथापि इन भण्डारों के आस-पास के क्षेत्र में कुछ आशाजनक विषमताएं नोट की गई हैं । इन विषमताओं की प्रकृति का पता लगाने के लिये विस्तृत भूमि अनुपरीक्षण कार्य आवश्यक है । इस प्रकार के सर्वेक्षण प्रगति पर है और इन निक्षेपों के उपयोग का कार्य तभी हाथ में लिया जा सकता है जब कि बस्तृत भूमि अनुपरीक्षण कार्य द्वारा कुछ आशाजनक अयस्क-कार्यों का पता लग जाये ।

पूंजीगत उपकरणों का आयात

1812. **श्री को० सूर्यनारायण :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूंजीगत उपकरणों का आयात करने वाले अनेक लोगों ने सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें विदेशी मुद्रा दी जाये ताकि वे इस आधार पर किये उपकरण पूर्वी युरोप के देशों में मंहगे मिलते हैं उन को पश्चिम यूरोप के देशों से खरीद सकें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : इस संबंध में किसी भी आयातक के पास से कोई विशेष निवेदन नहीं प्राप्त हुआ है । फिर भी

सरकार को यह विदित है कि उपकणों के मूल्यों में एक देश से दूसरे देश में असमानता है। इन मामलों पर विचार करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है और मूल्यों में अन्तर तथा जितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है उसे ध्यान में रखते हुए निर्णय किए जाते हैं।

लंका द्वारा भारतीय फिल्मों का आयात

1814. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका की सरकार ने भारतीय फिल्मों के आयात पर कुछ पाबन्दियाँ लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख): श्रीलंका की सरकार ने भारतीय फिल्मों के आयात पर कोई पाबन्दियाँ नहीं लगाई हैं। परन्तु उनकी नीति के अनुसार श्रीलंका में भारतीय वाणिज्यक फिल्मों के आयात की अनुमति केवल प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ताओं को ही दी जायेगी तथा भविष्य में इस मद के लिये सभी लाइसेंसों को विदेशी मुद्रा हकदारी प्रमाण-पत्रों के आधार पर अदायगी करने पर जारी किया जायेगा। इस क्रियाविधि से श्रीलंका में भारतीय फिल्मों के आयात के लिये लाइसेंसों के मूल्य में कमी होने की सम्भावना है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों का निर्यात

1815. **श्री चक्रपाणि :**
श्री प० गोपालन :
श्री न० कु० सोंधी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से अधिक आदेश मिलने के बावजूद डिब्बों में बन्द वस्तुओं का निर्यात करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि हमारे देश में पुराने संयत्रों और मशीनों का प्रयोग किया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खुरदा रोड रेलवे कालोनी में बहुमंजिली इमारत

1816. **श्री स० कुण्डू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच यह है कि खुरदा रोड रेलवे कालोनी (दक्षिण पूर्व रेलवे) में केवल 120 अधिकारियों की रिहायश के लिये चार वर्ष पहले जो तीन बहुमंजिली इमारतें बनायी गई थीं उन्हें अभी तक किराये पर नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपरोक्त तीन बहुमंजिली इमारतों के कितने फ्लैट किराये पर दिये गये हैं ; और

(घ) पूरी बहुमंजिली इमारत का कुल वार्षिक अनुमानित किराया कितना है तथा इसमें से कितना किराया प्रति वर्ष वसूल किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा): (क) और (ख) : विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए खुरदा रोड कालोनी में तीन बहुमंजिली इमारतों का निर्माण 1964 में पूरा हो गया था। ये इमारतें किन्हीं विशेष कर्मचारियों के लिए निर्दिष्ट क्वार्टर के रूप में नहीं बनाई गयी थीं। लेकिन, आवंटन आदेश जारी हुए बिना ही विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने इन क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया।

(ग) सरकारी तौर पर अब तक चार फ्लैटों का आवंटन अनुमोदित किया गया है।

(घ) इन तीनों इमारतों का कुल पूल किराया प्रतिवर्ष 8100 रुपये है। जिन कर्मचारियों ने इन फ्लैटों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, उनसे किराया वसूल करने के मामले पर रेल-प्रशासन विचार कर रहा है।

Accomodation for Scheduled Castes employees in Divisional Superintendent's Office, Northern Railway, Lucknow

1817. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(*a*) the number of class III Scheduled Castes employees working in the office of Divisional Superintendent, Northern Railway, Lucknow ;

(*b*) the number of employees, out of them, who have not been allotted Govrenment quarters ;

(*c*) whether his Ministry had ever issued orders that the Scheduled Castes employees should be shown preference for the allotment of accommodation ; and

(*d*) if so, the number of officials punished for ignoring these orders?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) 14

(*b*) 13

(*c*) In 1958 the Railways were advised that for allotment of Railway quarters the need to give special considertion to certain classes of railway staff such as, for instance, women and Harijan employees, should be kept in view, particularly when they were employed at small stations where adequate housing facilities did not otherwise exist. These orders were withdrawn in 1967.

(*d*) Does not arise.

मनीपुर में खनिज संपत्ति

1819. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री मनीपुर म खनिज सम्पत्ति के सम्बन्ध में 28 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7194 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज पदार्थ का पता लगाने तथा खानों से उन्हें निकालने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). कई स्थानों पर पाये गये चूना-पत्थर सीमेंट के उत्पादन के लिये उत्पयुक्त नहीं है। तथापि उखरूल, उपखंड की सभी चूना-पत्थर पट्टियों की कुल उपलक्ष्य राशि के आधार पर, जिसका अनुमान लगभग 30 लाख मैट्रिक टन है, मणिपुर में 100 मैट्रिक टन प्रति दिन की क्षमता के सीमेंट संयंत्र की स्थापना पर विचार हो सकता है। आगे सूचना एकत्रित की जा रही है।

मनीपुर में उद्योग

1820. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनरीक्षित चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में मनीपुर में कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) उन उद्योगों के लिए उद्योग वार कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतः इस अवस्था में यह बता सकना संभव नहीं है कि चौथी पंच वर्षीय योजना काल में मनीपुर में कौन-कौन से नये उद्योग स्थापित किये जायेंगे तथा उनके लिये कितनी धनराशि नियत की जायेगी।

पूर्वोत्तर सीमावर्ती रेलवे पर सवारी डिब्बों की कमी

1821. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमावर्ती रेलवे की रेल सेवा में सवारी डिब्बे कम लगाये जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों और जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कमी कैसी है और किस सीमा तक है तथा इसमें किस प्रकार सुधार किया जा रहा है; और

(ग) क्या रेलवे प्राधिकारी नागालैंड और मणिपुर से आने वाले यात्रियों के लिए दीमापुर और मणिपुर रोड स्टेशन पर एक अलग डिब्बा लगाने की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) दीमापुर मनीपुर रोड और सिलीगुड़ी के बीच 19 अप/20 डाउन सवारी गाड़ियों के साथ तीसरे दर्जे का एक खण्डीय डिब्बा पहले से चलाया जा रहा है।

राजस्थान में खनिज

1822. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा राजस्थान में कोई खनिज सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण के बाद वहां तांबे, प्राकृतिक गैस तथा अन्य धातुओं के भारी निक्षेपों का, पता चला है ;

(ग) यदि हां, तो उन धातुओं के नाम क्या हैं, जिनके लिए खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है;

(घ) कच्चे तथा परिस्कृत माल की प्रत्याशित प्रतिशतता कितनी होगी;

(ङ) सरकार का कितनी मात्रा निर्यात करने का विचार है ; और

(च) उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख). राजस्थान में अब तक किये गये सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप कई खनिज भण्डारों का पता चला है। राजस्थान में पाये जाने वाले अधिक महत्वपूर्ण निक्षेप तांबा, सीसा, जस्ता, पन्ना, जिप्सम, स्टियटाइट, पाइराइट-पाइरोटाइट, लिग्नाइट, फ्ल्यूराइट, अभ्रक, चूना-पत्थर, बेरिल, बेटोनाइट्स, मुलतानी मिट्टी, राक फास्फेट्स, कांच-रेत आदि के हैं। प्राकृत गैस के पाये जाने के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) तांबा, सीसा, जस्ता, जिप्सम चूना-पत्थर और फास्फेट्स के विकास और उपयोग सम्बन्धी कार्य आगे ही प्रारम्भ किया जा चुका है।

(घ) और (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चाय निर्यात के लिए नई मण्डियां

1823. **श्री हेमराज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चाय बोर्ड ने अपनी 'ग्रीन टी' के निर्यात के लिये 1967 और 1968 के दौरान कितनी नई मण्डियों का पता लगाया ; और

(ख) इन नई मंडियों में कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) दो अर्थात् मोरक्को और जापान।

(ख) इन मंडियों को अभी तक हरी चाय का कोई निर्यात नहीं किया गया है। परन्तु मोरक्को से एक प्रतिनिधिमंडल ने, जो इस देश से हरी चाय खरीदने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिये हाल ही में भारत आया था, कुछ हरी चाय की खरीद के लिये एक गैर-सरकारी पार्टी के साथ करार किया है।

Malpractices in Trade

1824. **Shri Oakarlal Bohra** : Will the minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any scheme for bringing some improvements or changes in the existing system of commercial trade in the country is under consideration of Government and, if so, the details thereof ; and

(b) whether Government propose to take any concrete steps to study and to find out an effective solution to unreasonable and undesirable practices which have been resorted to for the last two years on account of unjust, unnecessary and undesirable interference by the people engaged in the Commercial trade ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b). Government are keen to eradicate malpractices in Trade. The Essential Commodities Act, 1955, the Forward Contracts (Regulations) Act, 1952, the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and the Drugs and Cosmetics Act, 1940 are some of laws aiming at prevention of malpractices in Trade.

In addition, there are legislations like the Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937, and the ISI (Certification Marks) Act, 1952 which are voluntary in character. A Bill to regulate trade practices that are monopolistic or restrictive in character has already been introduced in Parliament. Other measures taken are : Adoption of uniform Metric system throughout the country, progressive introduction of Quality Control, and State trading in certain commodities.

The position is constantly kept under review.

Control over Jute and Tea Industries

1825. **Shri Onkarlal Bohra**: Will the Minister **of Commerce** be pleased to state that the steps taken by Government to exercise its control on the important industries like tea and jute which are the main source of earning foreing exchange ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): Adequate powers are available to the Government for exercising such control as may be necessary over the tea, jute and other important export oriented industries in the Statutes enacted by Parliament, such as the Tea Act, 1953, the Industries (Development and Regulation) Act, 1961, the Imports and Exports (Control) Act, 1947, the Essential Commodities Act, 1955, etc. and the rules and orders made thereunder. For Example, under the Tea Act, 1953, Government have powers to regulate the extension of tea cultivation and exports of tea and tea seeds, prevent tea adulteration by admixture of tea waste, fixing if necessary the minimum and maximum prices of tea, etc. Similarly, so far as jute is concerned, the Industries (Development and Regulation) Act, 1961 and other enactments enable Government to regulate capacity and location of new undertakings, expansion of existing units, manufacture of new articles by jute mills, purchases of jute and holding of stocks by jute mills and raw jute dealers, etc.

Industrial Development of Backward Areas

1826. **Shri Onkarlal Bohra**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the scheme under consideration of Government for providing special grants for the industrial development of backward areas particularly in Rajasthan;

(b) whether any provision has been made in the Fourth Five Year Plan for the development of under-developed States as compared to the States like Maharashtra and West Bengal; and

(c) the raesons as to why Government do not set up industries in the public sector in Rajasthan as is being done in other States?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) to (c). The Fourth Five Year Plan is still under preparation and the allocations for various sector including industries for different States including Rajasthan are yet to be settled.

New Railway Lines in Rajasthan

1827. Shri Onkarlal Bohra: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the provision made in the Railway Budget 1968-69 for laying new Railway lines in Rajasthan and the expenditure incurred thereon so far ;

(b) whether there is any scheme for carrying out the survey on the new Railway line from Chittorgarh to Kota; and

(c) the reasons for declaring this new line as uneconomic and whether he would lay the survey report on the Table of the House ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No new line is likely to be taken up for construction in Rajasthan in the next year. Railway development is not based on any State-wise or region-wise concepts but on consideration of over-all development of the country. It may however be stated that recently two new lines Udaipur-Himmatnagar and Pokaran-Jaisalmer, both metre gauge, have been completed in Rajasthan at a total cost of about Rs. 14 crores. Another new line from Hindumalkote to Sriganganagar (B.G.) is under construction at an estimated cost of about Rs. 1.0 crores.

(b) A fresh traffic survey for Kotah-Chittorgarh railway line has already been carried out in 1965-66.

(c) The traffic survey revealed that there would not be enough traffic on this line to make it financially viable. As regards placing of the survey report on the Table of the House, it may be stated that these reports are generally meant for departmental use only. Besides these are voluminous and only very few copies are made out. Hence it is not possible to lay copies of the same on the Table of the House.

Khetri Copper Project in Rajasthan

1828. Shri Onkarlal Bohra: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the reasons for delay in the completion of the Khetri Copper Project in Rajasthan ;

(b) the amount of expenditure incurred so far on this project and further provision made therefore ; and

(c) whether a statement showing details of the progress made on this project would be laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) The delay in commissioning of the Project was caused by non-availability of foreign credit to meet its foreign exhcange requirements. Another contributory factor was that after the decision to implement the Project was taken, there was rethinking about the scope of the Project which was, enlarged by making a specific provision for the recovery and utilisation of by-products with a view to improving its economies. Further, delay in procurement of equipment and finalisation of contracts for imported equipment, also accentuated the situation.

(b) The expenditure incurred so far on this Project is Rs. 11.70 crores. The total estimated cost of the Khetri Copper Complex is Rs. 87.98 crores.

(c) A statement is attached.

(*i*) Exploration by means of drilling, aditing etc., has been completed and ore reserves have been established. Adequate samples have been taken and analysed to determine the characteristics of the ore. Pilot Plant tests have also been conducted to determine the behaviour of the ore and the process to be adopted for the production of Copper.

(*ii*) A mine development scheme at a cost of Rs. 617·62 lakhs has been sanctioned by the Government and the work is in progress. The total development achieved in different levels and belt incline etc. is 7296 metres. The work of mine development at Kolihan is also in progress.

(*iii*) At present two shafts *viz*. Production and Service Shafts are being sunk departmentally under the supervision and guidance of foreign consultants namely M/s. Arthur G. McKee and Company, U.S.A. The service and production shafts have been sunk to a depth of 160·49 and 220.04 metres, respectively. Both the shafts have also been equipped upto 133M and 184M depths respectively for mechanical operation. Two out of six service stations have also been cut in service shaft at 240 and 300 meters level involving a drivage of 80 meter.

(*iv*) An agreement for financial and technical assistance for developing Khetri Copper Project has been entered into with the French Group of Companies comprising of M/s. Venot-Pic and Ensa assisted by other firms of France.

The French Group, in accordance with the terms of the agreement executed with them, submitted the bids for the plant and equipment of various areas such as exploration, equipment, winding equipment, and concentrator etc. These bids as well as the technical aspects relating to the equipment were examined and discussed with the French Group in a series of meetings held with their representatives in India. As a result of these discussions, contracts have been signed with the French Group for the supply of equipment of the value of about Rs. 1·16 crores, other bids are under examination and order for such equipment as is necessary to be imported will be placed soon. In designing the Project maximum amount of plant and equipment of indigenous manufacture available in India would be used.

An agreement regarding General Engineering and General Enterprise has also been signed with the French Group.

(*v*) An agreement has also been signed with M/s. Outokumpu Oy of Finland for the use of Flash Smelting process for which they hold world's patent rights. Under this agreement the technical know-how, design and specifications would be furnished by M/s. Outokumpu Oy.

(*vi*) Action for procurement of indigenous equipment for concentrator etc. has been taken in hand.

(*vii*) The Khetri Copper Project has its own township and a town plan for 4000 houses is envisaged. So far 603 residential quarters of different types have been constructed and occupied. Construction work in respect of 916 quarters is in progress.

(*viii*) The work relating to the construction of Concentrator building and Allied structures at a cost of Rs. 1·95 crores is being awarded to a contracting agency.

(*ix*) Work on water supply scheme for supply of about 9 million gallons of water per day from Chaonra and Jodhpura at a cost of Rs. 269 lakhs is progressing.

The Project is expected to be commissioned by 1970-71 and achieving full production by 1972-73.

सरकारी क्षेत्र में बड़ी परियोजनायें

1829. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि यह सच है कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी क्षेत्र में नई बड़ी परियोजनायें आरम्भ न करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) 1968-69 में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए कुल कितनी राशि का नियतन किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). 1968–69 की वार्षिक योजना में चालू परियोजनाओं की आवश्यकताओं की व्यवस्था की गई है। नई परियोजना में अधिक विनियोजन के निर्णय केवल उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे, उर्वरक, तक ही सीमित रखे गये हैं। वर्ष में प्रस्तावित नई परियोजनाएं हैं, ट्राम्बे उर्वरक परियोजना का विस्तार सिन्दरी योजना का नवीकरण, कांदला में सहकारिता उर्वरक परियोजना, गुजरात एरो-मैटिक्स परियोजना तथा वस्तु निगम। इनके अतिरिक्त वर्धा की ढलाई-गढ़ाई परियोजना, पम्प तथा कम्प्रैसर परियोजना और कृषि ट्रैक्टर परियोजना और मुख्यतः इन परियोजनाओं के प्रारम्भिक अध्ययन को पूरा करने के लिये सांकेतिक व्यवस्था की गई है। 1968–69 से सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के व्यय के लिए खनिजों सहित 539 करोड़ रुपये के कुल व्यय की व्यवस्था की गई है।

त्रिपुरा में खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण

1830. श्री किरित विक्रम देव वर्मन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कोई खनिज सर्वेक्षण कराया गया है तथा खनिज निक्षेपों का व्यवस्थित रूप से मान चित्र तैयार कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब कराया गया था और उन सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न भागों में कितने-कितने विभिन्न खनिज पदार्थ होने का पता चला है ;

(ग) इन निक्षेपों से खनिज पदार्थ निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा त्रिपुरा में स्थापित किये गये खनिजों पर आधारित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि त्रिपुरा के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खनिजों की खोज तथा उन्हें निकालने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस संघ-राज्य क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले खनिजों पर आधारित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था, द्वारा त्रिपुरा राज्य का सामान्य भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण लगभग पूरा किया जा चुका है। यह सर्वेक्षण पिछले वर्षों में विभिन्न अवसरों पर किया गया था। अब तक किये गये अन्वेषणों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित खनिजों के मिलने का पता लगा है।

लिग्नाइट : उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर और कैलाश पहाड़ उप-खण्ड में कई स्थानों पर तथा उज्जैन थंगनाग, हीरा चारा, धरतुई चारा, दौलाचारा, पेचारथैल और कुमारघाट स्थानों पर लिग्नाइट के मिलने का पता चला है। यह प्राप्तियां किसी आर्थिक महत्व की नहीं हैं।

मिट्टियां : जोगिन्द्र नगर में 35,000 मैट्रिक टन चम्पामूरा में 900 मैट्रिक टन और रानी बाजार में 33,000 मैट्रिक टन मिट्टी की उपलभ्य राशियों का अनुमान लगाया गया है। तेलिआमूड़ा से अम्बी बाजार और खोवाई तक की सड़क-कटावों में लैन्सों और छोटी-संचयिकाओं के रूप में गोला मिट्टियों से मिलती जुलती सफेद सुघट्य मिट्टी के मिलने का पता चला है। इस प्रकार की मिट्टी की एक बड़ी संचयिका, बघारा और रंगाचारा गांवों के मध्य मोहनपुर के 4 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।

कांच-रेतें : त्रिपुरा में 293,000 मैट्रिक टन कांच-रेतों का भी पता लगा है।

(ग) और (घ) राज्य का व्यवस्थित मानचित्रण तथा खनिज सर्वेक्षण और मिट्टियों तथा कांच-रेतों का अन्वेषण भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1968-69 के क्षेत्र कार्य मौसम में किया जाना प्रस्तावित है। इन अन्वेषणों को आगामी वर्षों में भी चालू रखे जाने का संभावना है। इन के उपयोग के प्रश्न पर अन्वेषणों के पूरा हो जाने पर विचार किया जायेगा।

धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना

1831. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक रेलवे की सुविधा से वंचित क्षेत्रों में रेलवे लाइन ले जाने के क्या मापदण्ड हैं और देश के विभिन्न भागों का सन्तुलित विकास करने के विचार को कितना महत्त्व दिया जाता है ;

(ख) क्या उक्त आधार पर अर्थात् आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सीमा क्षेत्र का जो तीन ओर से पाकिस्तान द्वारा घिरा हुआ है विकास करने की दृष्टि से धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के बारे में विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि चौथी योजना के अन्तर्गत अर्थोपाय की स्थिति इतनी कठिन होने की सम्भावना है जिससे कि इस संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी को देश के शेष भाग से मिलाने हेतु रेलवे लाइन का विस्तार नहीं किया जा सकता तो इस काम के लिये गैर-सरकारी साधनों का पता न लगाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अयस्क का उपयोग निर्यात योजनाओं, प्रमुख उद्योग-धन्धों, बन्दरगाहों का विकास आदि जिन निर्दिष्ट परियोजनाओं से यातायात उत्पन्न होना है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नयी लाइनों का निर्माण किया जाता है। अन्य विकास कार्यों के साथ-साथ परिवहन का विकास करना होता है। योजना आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत नयी लाइनों के निर्माण के लिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) रेलें राष्ट्रीयकृत उपक्रम है, अतः नयी लाइनों के निर्माण कार्य में प्राइवेट व्यक्तियों को शामिल करना सरकार की नीति नहीं है।

दिल्ली के बड़े स्टेशन पर स्कूटर/साइकिल स्टैंड

1832. **श्री रामजी राम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के बड़े स्टेशन पर स्कूटर/साइकिल स्टैंड का ठेका किस प्रकार दिया जाता है ;

(ख) क्या यह ठेका केवल टेंडर के आधार पर ही दिया जाता है ;

(ग) चालू वर्ष में ठेका किस प्रकार दिया जायेगा ;

(घ) क्या यह सच है कि इस वर्ष ठेके के लिये दिये गये टेंडरों में बताई गई रकम बढ़ाने के लिये टेंडर दाताओं को व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसा नियमित रूप से किया जाता है तथा क्या यह पुरानी प्रक्रिया के अनुसार है ; और

(च) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) स्कूटर/साइकिल अड्डे का ठेका देने की कार्य-विधि यह है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये टेंडर मांगे जाते हैं। एक टेंडर समिति टेंडरों की छान-बीन करती है और अपनी सिफारिश देती है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समर्थ अधिकारी ठेका आवंटित करता है।

(ख) जब तक कि पात्र टेंडरदाता से बातचीत करना जरूरी न समझा जाये, ठेका केवल टेंडर के आधार पर दिया जाता है।

(ग) और (घ). समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये टेंडर मांगने के बाद और उसके उपरान्त पात्र टेंडर दाताओं से बातचीत करके ठेका दिया गया था।

(ङ) जी, हां।

(च) सवाल नहीं उठता।

Railway Secondary School, Gangapur City, Rajasthan

1833. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is dearth of teachers in the Railway Secondary School in Gangapur City of Kotah Division (Rajasthan) ;

(b) whether it is a fac that the number of students there is large but there is a shortage of rooms and the students have to sit in the open as a result thereof ;

(c) if so, the reesons therefor ; and

(d) the steps proposed to be taken to increase the number of teachers and rooms ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) (a) No.

(b) Yes.

(c) Due to a large influx of new students.

(d) The proposals to expand the existing school building and opening of additional sections in the school, are under examination of the Western Railways Administration.

Railway Hospitals in Kotah Division

1834. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is much mismanagement in the Hospitals of Kotah Division of the Western Railway due to the shortage of equipments and doctors ;

(b) whether it is also a fact that keeping in view the average number of patients there is an acute shortage of doctors, rooms and medicines in the hospital located in Gangapur city station ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken in the matter ?

Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) No case of mismanagement or shortage of equipment in the hospitals of Kotah Division of Western Railway has come to notice.

(d) & (e). In the Railway Hospital at Gangapur City station the sanctioned strength of doctors is fully operated and the bed occupancy is much below 100 per cent. The hospital is also equipped with medicines and equipment to the extent necessary.

दिल्ली से कानपुर तक सब से तेज चलने वाली रेलगाड़ी

1835. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से कानपुर तक भारत में सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी ने अपना परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कानपुर से कलकत्ता तक रेलगाड़ी बिजली के इंजन से चलाई जायेगी तथा दिल्ली से कानपुर तक डीजल इंजन से ;

(ग) यदि हां, तो बिजली के इंजन को दिल्ली तक न चलाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या अन्य मार्गों पर ऐसी गाड़ियां चलाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दिल्ली-कानपुर हावड़ा मार्ग पर 120 किलो-मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक तेज गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में परीक्षण जारी है ।

(ख) जी नहीं । ये परीक्षण दिल्ली-हावड़ा के बीच डीजल इंजन से एक तेज गाड़ी चलाने के लिए किये जा रहे हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). दिल्ली-बम्बई और हावड़ा-बम्बई मार्गों पर व्यावहारिकता सम्बन्धी परीक्षण जारी हैं।

दक्षिण अफ्रीका के देशों को सहायता

1836. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने दक्षिण अमरीका के देशों को सहायता देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). दक्षिण अमेरिका के किसी देश को इस समय सहायता देने का भारतीय रेलों का विचार नहीं है। उरुग्वे में रेलवे लाइन के एक खण्ड के नवीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने में राज्य व्यापार निगम को सहायता देने के उद्देश्य से हाल में वाणिज्य मंत्रालय के अनुरोध पर दो रेलवे इंजीनियरों को उरुग्वे भेजा गया था। मालूम हुआ है कि इस काम के लिए राज्य व्यापार निगम ने उरुग्वे की स्टेट रेलवे को एक प्रस्ताव भेजा है।

रेलवे पुलों को क्षति

1837. **श्री जुगल मंडल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की वर्षा के कारण जोधपुर के निकट कुछ रेलवे पुलों को क्षति पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारण सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, तीन पुलों को क्षति पहुंची है।

(ख) लगभग 75,000 रुपये।

मोरक्को को हरी चाय का निर्यात

1838. **श्री जुगल मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोरक्को ने भारत से हरी चाय खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) मोरक्को से एक प्रतिनिधिमंडल ने, जो इस देश से हरी चाय खरीदने की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिये हाल ही में भारत आया था, 20 मे०टन हरी चाय खरीदने के लिये एक गैर-सरकारी पार्टी के साथ करार सम्पन्न किया।

Loss due to late arrival of Wagons of Bananas at New Delhi Station

1839. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the numbr of such wagons as were loaded with bananas and were booked for the New Delhi Railway Station from Savda and Nimbhora Railway Stations of the Central Railway and which reached destination after the scheduled date during the period from 1st January to 30th June, 1968 ; and

(b) the approximate loss caused thereby to the Railway Administration ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Out of a total of 1495 wagons booked from Nimbhora and Savda stations and received at New Delhi during the period 1-1-1968 to 30-6-1968 twenty wagons exceeded the transit time normally taken by such traffic.

(b) Of the twenty wagons, thirteen were delivered on assessment of damages. So far, claims have been received in respect of nine of them and the total amount claimed is Rs. 31,453.

Export of Decorative products from Madhya Pradesh

1840. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the value of decorative and artistic articles of E.P.N.S. brass and stainless steel which were manufactured in Madhya Pradesh and exported during the year 1966-67 ; and

(b) the countries to which these articles were exported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Export statistics are maintained for Indian products as a whole and not statewise.

The total exports of these products during the year 1966-67 amounted to Rs. 243·13 lakhs.

(b) Decorative art products, including products manufactured in Madhya Pradesh, are generally exported to U.S.A., Belgium, U.K., Switzerland, West Germany, France, Hong-Kong, Malaysia, Canada, Aden, Saudi Arabia, Australia, Netherlands and East European countries.

Export of Metallic Products

1841. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of the firms which were granted licences for the export of goods manufactured from Copper, E.P.N.S. brass and stainless steel under the Export-Import Incentives Scheme in Madhya Pradesh since the beginning of the Second Five Year Plan till to date ;

(b) the names of the firms which have their own factories and workshops for this purpose ; and

(c) the names of the firms which export such goods under the aforesaid scheme but do not have factories and workshops of their own ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No export licence is required for export of articles of brass, copper, EPNS and stainless steel.

(b) and (c) : The names of the members of the Engineering Export Promotion Council, who generally export these items, is placed on the table of the House.

[Placed in the Library. See No. LT 1524/68]

Quota of Iron and Steel to Madhya Pradesh

1842. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the small scale industries in Madhya Pradesh have not been allotted quota of iron and steel according to their production capacity ; and

(b) if so, whether Government propose to allot more quota to these industries to enable them to utilise their full production capacity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) and (b) : With the removal of statutory control over price and distribution of all categories of steel no quota allocations as such for various categories of iron and steel are being made

by Government for various categories of iron and steel. It is, however, understood from the Joint Plant Committee who now regulate the distribution of steel, that they have not fo und it possible to accept indents from the various consuming sectors including small-scale industries in all States on the basis of their full production capacity for such categories of iron and steel as are in short supply. The anticipated production will be distributed by the Joint Plant Committee between the various consuming sectors in an equitabe manner after taking the various relevant factors into account.

Quota of Iron and Steel to Madhya Pradesh

1843. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quota of different varieties of iron and steel fixed for Madhya Pradesh during the year 1967-68 ;

(b) the actual quantity supplied to that State ; and

(c) whether it is a fact that the quantity supplied less in comparison to their requirements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) It is understood from the Joint Plant Committee that the ceilings for indents of scarce categories of steel fixed for 1967-68 for small-scale industries under the State Director of Industries, Madhya Pradesh, was as follows :

Categories	Quantities
Plates 8 mm and aboave	261 metric tonnes
B.P. Sheets 16-20G	2962 Metric tonnes
B.P. Sheets thinner than 20G	2304 Metric tonnes
Galvanised Sheets	2784 Metric tonnes

The above quantity excluded the ceilings fixed for industries located in Madhya Pradesh but are registered with the D.G.T.D., and for the other Governmental (Central and State) Projects Schemes and industries.

(b) The total despatches to the State of Madhya Pradesh during 1967-68 including some despatches against the ceiling allocations made by the Joint Plant Committee during 1967-68 were as follows :

Plates 8 mm and above	7590 Metric tonnes
B.P. Sheets 16-20G	2119 Metric tonnes
B.P. Sheets thinner than 20G	1148 Metric tonnes
Galvanised Sheets	2534 Metric tonnes

(c) As these categories of steel are in short supply, it has not been possible for the Joint Plant Committee to accept the indents beyond these ceilings for meeting the requirements of the different consuming sectors including Small Scale industries.

अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संस्था

1844. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संस्था से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें 19 मांगें की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा): (क) और (ख). अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य लिपिक संस्था की ओर से विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । उन पर विचार करके उपयुक्त कार्रवाई की गयी है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास संबंधी समन्वय समिति

1845. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे उद्योगों के विकास पर विचार करने के लिये हाल ही में नई दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित समन्वय की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी हां।

(ख) समिति ने सिफारिश की थी कि :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बसी विशाल जनसंख्या के विकास तथा रोजगार को सुनिश्चित करने के लिये लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में समुचित स्थान होना चाहिये ।

(2) विकास की दर प्रति वर्ष कम से कम 14 से 15 प्रतिशत प्राप्त कर लेने का लक्ष्य होना चाहिये और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये राज्य सरकारों को पर्याप्त धन जुटाना चाहिये । राज्य सरकारों को चाहिये कि वे बढ़े हुए व्यय को, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार की व्यवस्था तथा राष्ट्रीय आय में बढ़ाने जैसे कार्यों के लिये करें । लाइसेंस देने, उद्योगों को रक्षित करने, वित्तीय साधन जुटाने कच्चे माल का सम्भरण करने जैसी समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिये ।

(3) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिये पर्याप्त संस्थागत वित्त व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये । व्यक्तिगत उद्यमियों तथा कारीगरों के अतिरिक्त औद्योगिक सहकारी समितियों के न केवल काम चलाने के लिये अपितु पूंजीगत व्यय के लिये भी उदार शर्तों पर ऋण देने का ठोस कार्यक्रम होना चाहिये ।

(4) केन्द्रीय अभिकरणों की अपेक्षा राज्य लघु उद्योग निगमों द्वारा इस्पात सहित कच्चे माल के कारखाने से निकलते समय के मूल्य पर सम्भरण की सम्भावनाओं

का पता लगाना चाहिये । राज्य सरकारों को चाहिये कि वे कच्चे माल के दुरुपयोग को रोकें और ऐसे मामले केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लायें ।

(ङ) औद्योगिक सहकारी समितियों और विशेषकर पूर्वी क्षेत्रों में इनके प्रभावशाली गठन पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये और इस दिशा में काफी काम किया जाना चाहिये ।

(च) राज्य सरकारों को चाहिये कि वे औद्योगिक समितियों के विकास के लिये धन सुरक्षित रख दें और ऐसी प्रणाली बनाई जानी चाहिये जिससे योजना लागू करने वाले अधिकारी इसका आसानी से प्रयोग कर सकें । औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास के लिये आवंटित धन राशि का किसी अन्य क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

(छ) इन सिफारिशों की भारत सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

बड़े उद्योगों को लाइसेंस दिया जाना

1346. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या औद्योगिक विकास तथा सहकार-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों योजनाओं की अवधियों में राज्य वार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योगों के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) अब तक कितने लाइसेंसों के अन्तर्गत उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ग) शेष लाइसेंसों के अन्तर्गत उद्योग स्थापित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) लाइसेंसों के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा सहकार कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 8 मई, 1952 से 31 दिसम्बर, 1966 की अवधि में उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कुल 10,976 लाइसेंस जारी किये गये । लाइसेंसों का राज्यवार बंटवारा निम्न प्रकार है :—

राज्य	जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या
1. अन्डमान तथा निकोबार	5
2. आन्ध्र प्रदेश	368
3. आसाम	102
4. बिहार	551
5. देहली	212
6. गोआ	13
7. गुजरात	931

राज्य	जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या
8. हरियाणा	13
9. हिमाचल प्रदेश	8
10. जम्मू तथा काश्मीर	6
11. केरल	388
12. मध्य प्रदेश	269
13. मद्रास	1132
14. महाराष्ट्र	2983
15. मनीपुर	2
16. मैसूर	373
17. नेफा	1
18. उड़ीसा	141
19. पांडिचेरी	14
20. पंजाब	727
21. राजस्थान	193
22. त्रिपुरा	2
23. उत्तर प्रदेश	737
24. पश्चिमी बंगाल	1805
योग	10,976

(ख) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। फिर भी औद्योगिक लाइसेंस नीति की जांच समिति, जिसकी स्थापना इस मंत्रालय द्वारा की गई है, 1957 से 1966 की अवधि की जानकारी इकट्ठी कर रही है और यह समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर उपलब्ध होगी।

(ग) तथा (घ). लाइसेंस मंजूर किये जाने तथा उपक्रम की वास्तविक स्थापना में लगने वाले समय में सर्वदा कुछ अन्तर रहता है। लाइसेंस को कार्यान्वित करने में कई प्रकार के कारणों से विलम्ब हो सकता है जैसे धन की कमी, तकनीकी विवरण को अन्तिम रूप देने में विलम्ब, विदेशी सहयोग जहां कहीं हो, की शर्तों का तय होना, विशिष्ट ढंग से विदेशी मुद्रा का शामिल करना अथवा किसी विशिष्ट ऋण में इसकी व्यवस्था अथवा सरकार द्वारा मान्य शर्तों को तय किया जाना। अधिकांश मामलों में विलम्ब एक से अधिक कारणों के एक साथ होने से होती है।

सरकार अब लाइसेंसों को शीघ्र ही लागू करने में कड़ी निगरानी रख रही है और जहां कहीं प्रगति संतोषजनक नहीं होती लाइसेंसों को जल्दी से रद्द कर दिया जाता है। वास्तव में निष्फल लाइसेंसों को रद्द करने के लिये आवश्यक लम्बी वैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकताओं से बचने के लिये सरकार ने लाइसेंस की जगह "आशय-पत्र" जो निर्धारित अवधि तक ही वैध होते हैं, जारी करने की प्रणाली अपनाई है। यदि निर्धारित अवधि में प्रगति सन्तोषजनक न हो तो "आशय-पत्र" स्वतः ही रद्द हो जाते हैं।

नगरीय क्षेत्रों की औद्योगिक बस्तियां

1847. **श्री गाडलिंगन गौड** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से नगरीय क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिये प्रयत्न किये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है और राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्ष 1965–68 तक राज्य-वार प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन दिया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई सहकारी औद्योगिक बस्तियों की संख्या तथा भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	स्थापित की गई बस्तियों की संख्या	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनमें निर्माण कार्य हो रहा है	कुल	लाख रु० 27-2-68 को जीवन बीमा के ऋण
1. आन्ध्र प्रदेश	1	—	1	21.98
2. गुजरात	6	3	9	6.00
3. गोआ	—	1	1	—
4. महाराष्ट्र	22	36	58	57.93
5. मध्य प्रदेश	1	—	1	—
6. मद्रास	3	1	4	15.35
7. राजस्थान	1	—	1	4.10
8. उत्तर प्रदेश	1	—	1	—
	35	41	76	105.36

(ग) सहकारी औद्योगिक बस्तियों के लिये योजना में अलग से कोई धनराशि नियत नहीं की जाती। औद्योगिक बस्तियों के लिये योजना में जितनी अधिकतम राशि निर्धारित की जाती है उसी में से राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

कारखानों के लिए भवन

1848. **श्री गाडिलिंगन गौड**: क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है यद्यपि तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट उपबन्ध किया गया था कि छोटे उद्योगों के लिये उचित स्थानों पर विशेषत: बड़े नगरों तथा कस्बों के निकट केवल विकसित

स्थान ही दिये जायें, जिन पर छोटे पैमाने उत्क्रमी कारखानों के लिये अपने भवन निर्माण कर सकें तथापि इस मामले में कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की गई जिसके फलस्वरूप उत्क्रमियों का इस योजना के प्रति कोई उत्साह नहीं है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं। देश के विभिन्न राज्यों में 3268 विकसित स्थान दिये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों का विकास

1849. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों के विकास में सरकार की ओर से सब प्रकार से कमजोरी दिखलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में उनके विकास के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने का कोई कार्यवाही का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) यद्यपि सरकार की ओर से कोई ढिलाई नहीं है किन्तु ग्रामीण औद्योगिक बस्ती कार्यक्रम में उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी अपेक्षित थी। इसका मुख्य कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का अभाव है और वहां 'इन्फ्रा स्ट्रक्चर' की सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(ख) और (ग). जहां तक चौथी योजना का सम्बन्ध है विचार यह है कि और अधिक औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की बजाय जो कार्यक्रम हाथ में है उसे ही अच्छी तरह से पूरा किया जाये। कार्यक्रम की सफलता इस पर अधिक निर्भर करेगी कि राज्य योजनाओं में विशेष रूप से "इन्फ्रा स्ट्रक्चर" सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य प्रोत्साहन देने के लिये कितनी वित्तीय व्यवस्था की जानी है।

लघु उद्योग

1850. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों के विकास के लिये बहुत बड़ी संख्या में कारखाने जो स्थापित हो गये बताये गये हैं सरकार को अपने उत्पादन की सूचना नहीं दी है यद्यपि वे औद्योगिक बस्तियों में स्थापित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां तो ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है वे कहां कहां पर हैं और इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक बस्तियों में स्थित उन एककों की संख्या 679 है जिन्होंने अब तक 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त होने वाली अवधि की प्रगति रिपोर्ट के लिये उत्पादन के आंकड़े नहीं दिये हैं। उनके स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। जहां तक जानकारी भेजने का सम्बन्ध है इसके लिये कोई कानूनी विवशता नहीं है। कुछ लघु एकक नियमित रूप से रिकार्ड रखते भी नहीं हैं।

फिर भी औद्योगिक बस्तियों के प्रबन्धक इन एककों को समय से जानकारी भेजने के लिए बराबर समझाते बुझाते रहते हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1525/68]

इंजीनियरी उद्योग

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह: क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 में देश के 151 इंजीनियरी उद्योगों में से जिनमें लगभग 1,900 यूनिटें हैं, 51 उद्योग 60 प्रतिशत से कम क्षमता पर काम करते रहे हैं तथा केवल 47 उद्योग अपनी पूरी क्षमता पर काम कर सके हैं;

(ख) इस वर्ष के प्रथम छः महीनों में कितनी क्षमता बेकार रही है; और

(ग) क्या सरकार 19 जून, 1968 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुए इस मत से सहमत है कि वर्ष 1968 में भी उत्पादन गतिरोध रहेगा और यदि हां, तो चालू मंदी से उद्योग को निकालने के लिये पूंजी विनियोजन नीतियों में क्या-क्या परिवर्तन करने तथा क्या अन्य कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) उत्पादन का वर्तमान रुख उत्साह वर्द्धक है और वह इकानामिक टाइम्स के अनुमान को सिद्ध नहीं करता। सरकार स्थिति पर निरन्तर दृष्टि रखे हुए है और जब भी आवश्यक होगा सुधार सम्बन्धी पग उठाये जायेंगे।

बोकारो इस्पात कारखाना

1852. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह: क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने का पहले चरण निर्धारित समय से 18 महीने पीछे रह गया है तथा बोकारो के फ्लैट 1972 के मध्य से पहले बाजार में आने की सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस देरी से उस कारखाने के इस चरण को पूरा करने की अनुमानित लागत कहां तक बढ़ी है;

(ग) क्या इससे लागत पहले ही कम से कम 20 करोड़ रुपये बढ़ चुकी है;

(घ) देरी होने तथा लागत बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इस मामले में और देरी न ह इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) दिसम्बर 1966 में तैयार की गई निर्माण समय सूची के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने का प्रथम चरण मार्च 1971 तक पूरा हो जाना था और उत्पादन शुरू हो जाना था। यह कार्यक्रम बड़ा संकुष्ट था और इस आधार पर बनाया गया था कि सिविल इंजीनियरी और नीव का काम जनवरी 1967 में आरम्भ हो जायेगा। इस काम के लिए ठेकेदारों क चुनने में हुई कुछ देरी के कारण अक्तूबर 1967 में कार्यस्थल पर काम शुरू हो सका। चूंकि निर्माण-अवधि में इस देरी के पूरी हो सकने की कोई गुंजाइश नहीं थी, अत: निर्माण कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में दिसम्बर 1971 तक उत्पादन आरम्भ होगा।

सामान्यत: इस देरी का प्रायोजना की लागत पर यह प्रभाव पड़ेगा कि प्रायोजना की लागत उतनी बढ़ जाएगी जितना इस अवधि में अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय होगा। इसका अभी अनुमान नहीं लगाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रायोजना का काम संशोधित कार्यक्रम के अनुसार हो आयोजन और समय सूची तैयार करने का काम 'नेट वर्क टेकनिक' से किया जा रहा है और इस बात पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है कि सिविल इंजीनियरी और ढांचे तैयार करने का काम निश्चित समय पर पूरा हो और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और माइनिंग एण्ड ऐलाइड मशीनरीकारपोरेशन तथा निजी क्षेत्र में साज समान का निर्माण और उसकी सप्लाई ठीक समय पर हो।

Transfer of Doctors on Northern Railway

1853. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news published in "Patriot" of the 16th July, 1968 that large scale transfer of doctors on the Northern Railway has created a crisis ;

(b) whether it is a fact that many doctors have submitted their resignations as a result thereof and the remaining doctors have threatened to resign ;

(c) if so, the reasons other than transfers for these mass resignations ; and

(d) the steps being taken by Government to solve this crisis ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. However, no large scale transfers of doctors have been effected on the Northern Railway and there has been no crisis.

(b) No. Only five notices of resignations were received during the current year which were accepted. None of these resignations were due to transfers of doctors. No doctors have threatened to resign.

(c) and (d) Do not arise.

पक्षियों का निर्यात

1854. श्री स० अ० अगड़ी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पक्षियों का वाणिज्यिक आधार पर विदेशों को निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 के दौरान किन-किन देशों को पक्षियों का निर्यात किया गया और निर्यात किये गये पक्षियों की संख्या कितनी थी और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) किस उद्देश्य के लिये पक्षियों का निर्यात किया जाता है।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) पक्षियों का निर्यात ऐसे प्रयोजनों के लिये किया जाता है, जैसे पालने के लिये तथा चिड़िया घर में रखने के लिए, वास्तविक वैज्ञानिक गवेषणा के लिये।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1526/68]

वारिस अलीगंज रेलवे स्टेशन

1855. श्री लखन लाल कपूर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के वारिस अलीगंज और किऊल रेलवे स्टेशनों पर जो प्रबन्ध किये गये हैं वे नगर की जनता और महत्वपूर्ण मंडी के लिए बहुत अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि वारिस अलीगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कोई प्रतीक्षालय आदि भी नहीं हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां पर टिकट घर का शेड इतनी खराब हालत में है कि वर्षा ऋतु में उसको छत से पानी चूने लगता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्टेशन के विकास तथा सुधार के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। इस स्टेशन पर जितना यातायात होता है उसके लिए उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(ख) इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षा सम्बन्धी सुविधाएं पर्याप्त हैं जो इस प्रकार हैं : —

(i) पुरुषों के लिए 15′ × 16′ के माप का तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय है जिसमें महिलाओं के लिए 16 × 7′ का एक अलग कक्ष बना है।

(ii) 34′ × 22′ के माप का कोनकर्स

(iii) 50′ × 25′ के माप का प्लेटफार्म शेड

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

Theft of Iron, Copper and Brass at Jamalpur Workshop

1857. Shri Lakhan Lal Kapoor : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that theft of iron, copper and brass as also other material is taking place on a large scale at Jamalpur Workshop of the Eastern Railway and no effective steps are being taken to check it ;

(b) whether it is also a fact that some responsible officers of Jamalpur Workshop, watchmen of G.R.P. and local police and R.P.F. are behind this serious theft scandals ; and

(c) whether Government propose to set up a high powered enquiry commission to check the huge loss of national property ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) It is not a fact that theft of iron, copper and brass, as also other material is taking place on a large scale at Jamalpur Workshop of the Eastern Railway. No responsible officer of the Jamalpur Workshop is involved in any of the cases of theft.

A statement of value of property stolen, recovered and arrests made during 1966, 1967 and 1968 upto-date is given below :

	Value of property		Arrests	
	Stolen (in Rs.)	Recovered (in Rs.)	R.P.F.	Railway employees
1966	93,834	60,378	—	15
1967	66,469	26,322	6	21
1968 upto June)	19,707	13,205	1	4

(c) One of the terms of reference of the High Powered Committee already set up by the Ministry of Railways is to recommend measures conducive to better security and policing of the Railways.

पन्ना खानों में हीरों का उत्पादन

1858. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष में पन्ना खानों के हीरों का उत्पादन बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष कुल कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ग) हीरों का और अधिक उत्पादन करने के उद्देश्य से नवीनतम मशीनें लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) क्या ये हीरे विदेशों क बेचे गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(च) आगामी तीन वर्षों में हीरों का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख) जी, हां। यह 1966-67 के 2407 कैरट से बढ़ कर 1967-68 के दौरान 8088 कैरट हो गया है ।

(ग) सरकार ने राम खेड़िया और मझगावन खानों से प्रति वर्ष 23,250 कैरट उत्पादन प्राप्त करने की योजना को दिसम्बर, 1967 में स्वीकृति दी । अयस्क प्रसापन उपकरण की स्थापना की जा चुकी है और अन्य संयंत्र और मशीनरी प्राप्त की जा रही है ।

(घ) और (ङ) दिसम्बर 1965 से 22.60 कैरट औद्योगिक हीरे इंगलैंड की एक कम्पनी को 190 पौंड 2 शिलिंग 3 पैंस में बेचे गये थे।

(च) अगले तीन वर्षों में हीरों का अनुमानित उत्पादन निम्नलिखित होगा :—

1968	. . . .	16,000 कैरट ।
1969	. . .	23,500 कैरट ।
1970	. . . .	23,500 कैरट ।

Allotment of Wagons for Loading Goods

1860. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(i) the number of railway wagons demanded by the traders of the "Mandis" situated near the railway stations on the narrow gauge line in Districts Bhind, Morena and Gwalior in Madhya Pradesh during the last one year for sending the goods along with the names of the stations at the "Mandis" ;

(b) the number of wagons the demands for which was withdrawn on account of non-availability of wagons in time ; and

(c) the number of wagons allotted for loading of goods ?

Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) to (c) The required information is furnished in the statement attacheed.

[Placed in Library. *See* No. LT 1527/68]

Industrial Development of dacoit infested areas in M.P.

1851. **Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop industrially the dacoit infested area of Madhya Pradesh Bhind with a view to provide employment to the unemployed persons there and enabling them to give assistncee in solving the dacoit problem ; and

(b) the steps Government propose to take in this regard keeping inview the raw material, water and ebctricity being available from the Chambal Project in adequate quantity there ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Transport of Foodgrains lying at stations in Punjab and Haryana

1862. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that huge stocks of wheat were kept lying and rotting for a long time at every station of Punjab and Haryana and they could not be transported to their destinations consequent to which the farmers and the traders had to suffer heavy loss ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) and (b) There was no difficulty in ensuring supply of adequate number of wagons for loading wheat and other foodgrains from Punjab and Haryana. During the months of May and June 1968, 10.45 lakh tonnes of wheat and other foodgrains were cleared by rail, of which, 3.16 lakh tonnes was on trade account. This performance constitutes a record for the Northern Railway which has never in the past loaded so much foodgrains in such a short space of time. The Railways are not aware of any foodgrains rotting at places in Punjab and Haryana.

Trade with Iran

1863. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Governments of India and Iran have prepared any scheme for large-scale trade between the two countries ; and

(b) if so, the commodities likely to be exported and imported under the said scheme and the terms therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) India and Iran concluded a Trade Agreement in 1964, which is still in force. This agreement ensures Most-favoured-nation-treatment for either country. Trade Arrangements have also been entered into between the two countries from time to time the last one being operative since September 11, 1967. This Arrangement provides that "in the context of the plans already executed and those under implementation for industrial and economic development in the two countries, a considerable increase in the volume of exchange of goods which each country needs from the other is both likely and desirable ; and that the two Governments will facilitate this further expansion of trade from the present levels on mutually advantageous terms, within the frame-work of the rules, regulations and procedures in force in the two countries'. During the trade talks held in Tehran in November, 1967, certain industries were identified in respect of which co-operation between the two countries was considered feasible. Some Indian parties are exploring possibilities of collaboration in these industries.

(b) Major commodities of import from Iran are petroleum and petroleum products and dry fruits. On the export side, the major commodities from India are tea, iron and steel, ute goods, spices, machinery and transport equipment.

रेलगाड़ियों का देरी से पहुंचना

1864. **श्री गणेश घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष अप्रैल, मई और जून में कितने दिन 2 डाउन हावड़ा मेल, 64 डाउन तूफान एक्सप्रेस, 82 डाउन एयर कंडीशंड एक्सप्रेस और 12 डाउन हावड़ा एक्सप्रैस गाड़ियां हावड़ा में समय पर पहुंची तथा 1 अप मेल, 7 अप और 81 अप एक्सप्रैस गाड़ियां दिल्ली में समय पर दिल्ली में पहुंचीं;

(ख) कितने मामलों में रेलगाड़ियों का देर से पहुंचने का कारण उचित पाया गया;

(ग) अन्य मामलों के बारे में क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) गाड़ियां देरी से न चलें और वे समय पर पहुंचे इसके लिये क्या कारगर उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) अप्रैल से जून, 1968 तक की अवधि में 2 डाउन डाक, 64 डाउन एक्सप्रैस 82 डाउन वातानुकूल (सप्ताह में तीन बार) एक्सप्रैस, 12 डाउन एक्सप्रैस क्रमश: 33, 52, 13 और 49 बार समय पर ही बड़ा पहुंचीं जबकि 1 अप डाक, 7 अप एक्सप्रैस और 81 अप वातानुकूल (सप्ताह में तीन बार) एक्सप्रैस क्रमश: 33, 21 और 13 बार समय पर दिल्ली/नई दिल्ली पहुंची ।

(ख) और (ग). गाड़ियों के देर से चलने के दो कारण हैं :—

(i) वो कारण जो रेलों के नियंत्रण में हैं और (ii) अन्य कारण जैसे समाज-विरोधी तत्त्वों द्वारा गाड़ियों का रोक लिया जाना, खतरे की जंजीर का खींचा जाना, लाइनों में टूट-फूट आदि । गाड़ियों के रुके रहने के सभी मामलों की जांच की जाती है और जहां कर्मचारियों की गलती पायी जाती है उनके विरुद्ध पर्याप्त कार्रवाई की जाती है ।

(घ) गाड़ियों का देर से चलना रोकने और उनके समय-पालन में सुधार करने के लिए

(ii) रेलों पर अवर प्रशासी वेतन क्रम (1300–1600) रुपये -100 रुपये विशेष वेतन में चिकित्सा अधीक्षकों के चार और स्थायी पद बनाये गये हैं ।

(iii) 350–900 रुपये (श्रेणी iV) के वेतन क्रम में काम करने वाले सहायक चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति 700–1300 रुपये (श्रेणी I) के वेतन क्रम में मण्डल चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर करने के लिए 33/1 2 प्रतिशत के वर्तमान आरक्षित कोटे को बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है ।

इसके आलावा, रेलवे डाक्टरों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए इस समय कुछ और प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में अधिकारी

1865. श्री देवर सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में निदेशकों, उप-निदेशकों तथा सहायक निदेशकों की संख्या (राज्यवार) कितनी है;

(ख) इन अधिकारियों की भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यताएं क्या निर्धारित हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से अधिकतर लोग न्यूनतम योग्यता को पूरी नहीं करते; और

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रमाणन अनुभाग के लिये कुछ वरिष्ठ लेखा परीक्षक भर्ती किये गये हैं जो मैट्रिक पास भी नहीं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जापानी किस्म के लाल चन्दन की लकड़ी का निर्यात

1866. श्री जी० एच० रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 से 1968 तक की अवधि में जापानी किस्म के लाल चन्दन की लकड़ी के निर्यात से अब तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस लकड़ी के निर्यात के लिए अनेक बाजारों का पता लगाया है; और

(ग) इस दुलर्भ लकड़ी के लिये अधिक विदेशी बाजारों का पता लगाने तथा विस्तृत रूप से इसके बागानों में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जापानी किस्म के लाल चन्दन की लकड़ी के निर्यात का मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	मूल्य लाख रु० में
1965 .	. 0.04
1966 . .	. 0.35
1967 . .	. 1.34
1968 (15-7-68 तक	0.58

(ख) जी, हां।

(ग) इस लकड़ी के लिए और बाजारों का पता लगाने के लिये भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों तथा विदेश में राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। इस लकड़ी की बिक्री अन्य देशों को करने के लिये भी बातचीत चल रही है। यह देखते हुए की अंततोगत्वा इस लकड़ी का एक मात्र प्रयोग एक विशेष प्रकार के संगीत वाद्यों के निर्माण के लिए हो, विशेषत: जापान द्वारा, किया जाता है इसके उत्पादन में वृद्धि मुख्यत: नये बाजारों का विस्तार करने पर निर्भर रहेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"लंदन में मैसूर का एक व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त करने का कथित निर्णय"

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"लंदन में मैसूर का एक व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त करने का कथित निर्णय"

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : लंदन में मैसूर सरकार के व्यापार प्रतिनिधि का पद एक अर्से से है; मैसूर सरकार का कहना यह है कि पुरानी मैसूर रियासत ने

[श्री ब० र० भगत]

कोई पचास वर्ष पहले यह पद वहाँ बनाया था। इस पद को जारी रखने का सवाल 1953 में भारत सरकार के सामने विचारार्थ आया और यह निश्चय किया गया कि वर्तमान प्रबंध जारी रखना चाहिए। इस बात पर भी सहमति हो गई थी कि यह व्यापार प्रतिनिधि मोटे तौर से यूनाइटेड किंगडम स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के नियंत्रण में काम करेगा।

2. इस पद के अधिकारियों का वास्तविक चयन और नियुक्ति का कार्य हमेशा मैसूर सरकार पर ही छोड़ दिया गया है। इस समय इस पद पर श्री एल० आर० नायक हैं। जिनकी नियुक्ति 1959 में हुई थी। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने उन की जगह श्री एस० बी० मादप्पा को नियुक्त करने का निश्चय किया है जो कि मैसूर संवर्ग के आई० ए० एस० के अधिकारी हैं।

श्री हेम बरुआ : यह कहा गया है कि लंदन में मैसूर सरकार के व्यापार प्रतिनिधि का पद लगभग 50 वर्षों से चला आ रहा है परन्तु अब मालूम हुआ है कि श्री निजलिंगप्पा ने, जो पहले मैसूर के मुख्य मंत्री थे और अब कांग्रेस के प्रधान बन गए हैं, अपने दामाद को, जो भारतीय प्रशासन सेवा का एक बहुत कनिष्ठ अधिकारी है, नियुक्त किया था। मैसूर सरकार द्वारा लंदन में एक पृथक् व्यापार प्रतिनिधि की नियुक्ति से देश में राजनीतिक जटिलतायें पैदा होने की सम्भावना है। अन्य राज्य भी ऐसी माँग कर सकते हैं। उनकी यह माँग जायज होगी। क्योंकि भारत देश अखण्ड है। यह भी कहा गया है कि श्री निजलिंगप्पा का रिकार्ड भी ठीक नहीं है। वह राजनयिक पद पर जापान गये थे। परन्तु कुछ भी हो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मैसूर सरकार को यह कहने को तैयार है कि वह लंदन में एक पृथक् व्यापार प्रतिनिधि नहीं रख सकती तथा उसे वाणिज्य और वैदेशिक कार्य मंत्रालयों को छोड़कर सीधे केन्द्रीय वित्त मंत्री से इस मामले में बातचीत नहीं करनी चाहिए।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : हमें व्यक्तिगत निवेष का प्रश्न नहीं लेना चाहिए। यह प्रश्न किसी विशेष पद से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु इसे राज्य सभा में सत्तारूढ़ दल ने ही उठाया था।

श्री हेम बरुआ : उन का रिकार्ड साफ होना चाहिये। वह कांग्रेस के प्रधान हैं। यह कांग्रेसियों के लिये शर्म की बात है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के उत्तरार्द्ध का भाग का उत्तर दिया जा सकता है। उसमें श्री निजलिंगप्पा का प्रश्न नहीं आता है। श्री हेम बरुआ ने पूछा है कि क्या सरकार मैसूर सरकार को यह कहने को तैयार है कि चूंकि मैसूर भारत का एक अंग है इसलिये वह एक पृथक व्यापार प्रतिनिधि नहीं रख सकती है।

श्री हेम बरुआ : आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उप प्रधान मंत्री के लिये अपने लड़के को निजि सचिव बनाना उतना ही भर्त्सना के योग्य है जितना कि श्री निजलिंगप्पा के लिये अपने दामाद को लंदन में व्यापार प्रतिनिधि बनवा कर भेजना है।

श्री ब० रा० भगत : हमारे पास जो प्रश्न आया वह किसी विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति अथवा किसी पद को जारी रखने के बारे में नहीं था। चूंकि इस विशिष्ट-अधिकारी को, जिसे कुछ समय पहले वर्तमान व्यक्ति के स्थान पर नियुक्त किया गया था, वहाँ पर जाना था और चूंकि विदेश जाने वाले भारतीय विदेश सेवा के सभी अधिकारियों को नियमानुसार विदेशी मुद्रा पहले दे दी जाती है

इसलिये इस नये अधिकारी को 3,000 रुपये की विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में पहले से देने का प्रश्न उठा। अतः यह प्रश्न इस प्रकार पूछा गया। इस पद को जारी रखने के प्रश्न पर 1953 में विचार किया गया था तथा यह निर्णय किया गया था कि यह पद जारी रहेगा। विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिये अथवा नहीं इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय अन्तिम रूप से निर्णय करेगा। भविष्य में इस पद को रखने या न रखने के बारे में पुनर्विचार किया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा परन्तु श्री निजलिंगप्पा ने "दि हिन्दू" नामक समाचारपत्र में बयान दिया है कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने का केन्द्रीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री समर गुह (कन्थई) : यह अधिकार केवल मैसूर राज्य को पिछले लगभग 40 वर्षों से प्राप्त है जो उसको एक रियासत होने के कारण प्राप्त हुआ है। परन्तु इस बारे में आज तक कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अतः अब ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरे विचार से इसके तीन कारण हैं। एक तो यह है कि राजा दिनेश सिंह और कांग्रेस प्रधान श्री निजलिंगप्पा के बीच मुकाबला। दूसरा कारण है श्वसुर और दामाद के बीच समीकरण का प्रश्न तथा तीसरा कारण मैसूर में भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों और हाल में नियुक्त कनिष्ठ अधिकारियों के बीच इस असाधारण पद के लिये स्पर्धा की भावना। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मैसूर के वर्तमान मुख्य मंत्री ने यह बयान दिया है कि भारत सरकार इस बात से सहमत है कि लंदन में मैसूर के व्यापार प्रतिनिधि के पद को जारी रखना उचित है। यदि यह बात सही है तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह अधिकार अन्य ऐसे राज्यों को भी दिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या केरल सरकार पेकिंग में अपना व्यापार प्रतिनिधि भेज सकती है।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : *

अध्यक्ष महोदय : कोई बात कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेगी। मंत्री महोदय श्री समर गुह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री ब० रा० भगत : यह व्यवस्था इसलिये की गयी थी क्योंकि मैसूर सरकार का संदल की लकड़ी पर एकाधिकार है। उसका निर्यात पिछले वर्ष और भी बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि कुछ गैर-सरकारी पार्टियों को भी अपना कार्यालय वहाँ पर रखने की अनुमति दी गई है। परन्तु आपत्ति केवल मैसूर सरकार द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाने पर की गई है।

श्री समर गुह : अभ्रक और मोनाज़ाइट का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर और प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

---

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

** Not Recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1966-67 के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : श्री फखरूद्दीन अली अहमद की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक-प्रति :

(एक) वर्ष 1966-67 के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1506/68]

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति का अन्तिम प्रतिवेदन पेश करने की अवधि बढ़ाने संबंधी सरकारी संकल्प

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं सरकारी संकल्प संख्या सी 2–8 (7)-67-पी०टी० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति का अन्तिम प्रतिवेदन पेश करने की अवधि बढ़ाई गई (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1507/68]

भारत में खाद्य की स्थिति की समीक्षा (जुलाई 1968)

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं भारत में खाद्य की स्थिति की समीक्षा (जुलाई, 1968) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1508/68]

चाय बोर्ड के लेखों संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, चाय (संशोधन) नियम, 1967 तथा सूती कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) चाय बोर्ड के वर्ष 1965-66 के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चाय (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 799 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ा (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 968 की एक प्रति जो दिनांक 2 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1604 में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1509/68]

डाक घर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम, 1968

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से मैं, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 28 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1035 में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा-पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1510/68.]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि कीटनाशी, विधेयक, 1967 में लोक-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से राज्य-सभा अपनी 25 जुलाई, 1968 की बैठक में सहमत हो गई है ।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 8 मई, 1968 को पास किए गए भारतीय सिक्का टंकण (संशोधन) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 25 जुलाई, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने अपनी 25 जुलाई, 1968 की बैठक में विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 1968 को पास कर दिया है ।

(चार) कि राज्य सभा ने अपनी 25 जुलाई, 1968 की बैठक में सरकारी भूगृहादि (अवैध कब्जा निष्कासन) विधेयक, 1968 को पास कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गये

BILLS PASSED BY RAJYA SABHA LAID ON THE TABLE

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 1968

(2) सरकारी भूगृहादि (अवैध कब्जा निष्कासन) संशोधन विधेयक, 1968

सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक

GOVERNMENT (LIABILITY IN TORT) BILL

संयुक्त समिति नियुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए, श्रीमाली मरियप्पा के देहावसान के कारण हुई, रिक्तता में, श्री बैजानाथ कुरील को नियुक्त करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उस से संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए, श्रीमाली मरियप्पा के देहावसान के कारण हुई, रिक्तता में, श्री बैजनाथ कुरील को नियुक्त करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उस से संसक्त कतिपय मामलों का उपलब्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए सरदार रघबीर सिंह पंजहजारी द्वारा त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्तता में, राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करें और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्ति किए गए सदस्य का नाम इस सभा को बतायें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उस से संसक्त कतिपय मामलों का उपलब्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए सरदार रघबीर सिंह पंजहजारी द्वारा त्याग पत्र देने के कारण हुई रिक्तता में, राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करें और संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्ति किए गए सदस्य का नाम इस सभा को बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

शत्रु सम्पत्ति विधेयक

ENEMY PROPERTY BILL

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : Sir, I beg to move :

"That Enemy Property Bill, 1968 be taken into consideration."

The object of this Bill is to provide for the continued vesting of enemy property vested in the custodian of enemy property for India under D.I.R. 1962 and for matters connected with that. The hon. Members might have seen from the objects and reasons of this Bill that this Bill seeks to replace enemy property ordinance, 1968.

As the House is aware at the time of Chinese aggression in 1962 immovable properties, cash deposits and firms belonging to the Chinese nationals in India valued approximately at Rs. 28·85 lakhs were vested in the custodian of enemy property for India which was appointed under Defence of India Rules, 1962. In the same way at the time of India-Pakistan conflict in September 1965 all the immovable and some specified movable Pakistan properties in India, the approximate value of which was to the tune of Rs. 27 crores was also vested in the custodian of enemy properties under the powers derived from D.I.R. 1962.

When the proclamation of emergency was withdrawn w.e.f. 10th January, 1968 the powers under Defence of India Act and the rules made thereunder remained in force for six months *i.e.* upto 10-7-1968. Thus it became necessary to have fresh legal authority w.e.f. 10-7-1968 for the administration of the Chinese and Pakistani properties which were still vested in the custodian of enemy property for India. Hence an ordinance was issued because the Parliament was not in session at that time. That ordinance is now being replaced. The management of the said properties by the custodian of enemy properties is still necessary because it has not been possible to arrive at a settlement with those countries.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह अंग्रेजी में भी व्यक्त किया जाये ताकि हम सब उसे समझ सकें ।

श्री दिनेश सिंह : यहां पर साथ साथ अनुवाद करने की व्यवस्था की गई है । माननीय सदस्यों को उसका प्रयोग करना चाहिये ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपि, : मुझे हिन्दी तो आती है परन्तु मंत्री महोदय की हिन्दी इतनी कठिन है कि उसे समझना मुश्किल है ।

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : When Hindi as well as English have been accepted for the House then how one can be compelled to speak in the other language.

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : On a point of order, Sir....

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : (रायगंज) : संविधान में उपबन्ध है कि विधेयक का अंग्रेजी पाठ ही मान्यता प्राप्त समझा जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है पर विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री को अधिकार है कि वह हिन्दी में बोलें अथवा अंग्रेजी में ।

श्री समर गुह (कन्टाई) यह बात बहुत अनुचित है कि जब श्री रंगा जैसे वरिष्ठ सदस्य अंग्रेजी में कुछ शब्द कहने के लिये कहें तो इस प्रकार आपत्ति नहीं की जानी चाहिये ।

Shri Yajna Datt Sharma : On the suggestion of Shri Ranga, you have asked the Minister to speak in English, if he so desires. If a similar demand is raised to speak in Hindi, would you ask the Minister to repeat in Hindi.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गलती कर रहे हैं । मैं ने ऐसा नहीं कहा है ।

Shri Dinesh Singh : Mr. Deputy Speaker, Sir, the point raised by Shri Banerji...

श्री समर गुह : यह बात उचित नहीं है कि श्री रंगा जैसे वरिष्ठ सदस्य की बात न मानी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान में सदस्यों को अधिकार दिया गया है कि वे अंग्रेजी में अथवा हिन्दी में जिस भाषा में चाहें बोलें ।

मैं मंत्री को यह आदेश नहीं दूंगा कि वह अंग्रेजी में सार बतायें । यह उन की इच्छा पर निर्भर करता है ।

Shri Dinesh Singh : The practice so far has been that this business was allocated to the Ministry of Commerce and this is not a new development. A number of questions were also asked in this regard and those were replied by the Minister of Commerce.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत प्रतिरक्षा नियम, 1962 के अधीन भारत के शत्रुसम्पत्ति अभिरक्षक में निहित शत्रु, सम्पत्ति के निरन्तर निहित रखने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

श्री ब० ह० दास बेहरी (कूच बिहार) : मेरा अधीनस्थ विधान-सम्बन्धी एक व्यवस्था का प्रश्न है, इस विधान के अन्तर्गत जो अधिकार दिये गये हैं, उनका सम्बन्धित संसदीय विधि के पास कोई सम्बन्ध नहीं । यह संविधान के अनुछेद 110 तथा 117 के विरुद्ध है । ऐसे मामलों में प्रश्न यह है कि क्या संसद् के अधिकार के अन्तर्गत यह मामला अन्य किसी प्राधिकार को सौंपा जा सकता है । यह स्पष्ट नहीं है कि शुल्क लगाने तथा पंजीयन प्रभार निर्धारित करने का कार्य संसद् के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकार को सौंपा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक राष्ट्रपति की सिफारिश का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 110 तथा 117 के उपबन्धों के सम्बन्ध में संतुष्टि कर ली गई है । यदि अधीनस्थ विधान के अधिकार का दुरुपयोग किया गया अथवा अधिक अधिकार का प्रयोग किया गया तो संसद को इस पर आपत्ति करने का अधिकार है । इसलिये इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । अन्त में निर्णय सदन करेगा और यदि इसमें कोई सार हुआ तो अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति इस मामले को अपने हाथ में लेगी ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : यदि शुल्कों तथा करों में अन्तर को समझते हैं । यद्यपि इसे शुल्क कहा गया है तथापि वास्तव में यह एक कर है, क्योंकि अभिरक्षक चाहे कुछ न करे तो भी वह 2 प्रतिशत राशि वसूल कर लेगा । यह अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता । अतः

खण्ड 17 अथवा अन्य कोई खण्ड, जिसमें कर लगाने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान किया गया हो, संविधान के अन्तर्गत मिली शक्तियों से बाह्य है ।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि अभिरक्षक बिना कुछ किये यह शुल्क लेंगे । अभिरक्षक शत्रु की समूची सम्पत्ति का प्रबन्ध करेगा और उसके लिये कुछ शुल्क लिया जा रहा है । मेरे विचार में यह कर नहीं है ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : संविधान के अनुच्छेद 366 में कहा गया है :

"आय पर कर' में अतिरिक्त लाभ कर के रूप में कर शामिल है;"

इसलिये, यह शुल्क भी एक कर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभिरक्षक सम्पत्ति का प्रबन्ध करता है और उसके लिये कुछ शुल्क लिया जाता है । इस उप-धारा के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से कर के अन्तर्गत नहीं आता है । सम्पत्ति की देखभाल के लिये कुछ प्रशासनिक व्यय करना पड़ता है । इसलिये, अभिरक्षक शुल्क लगा सकता है । आप इसे कर नहीं कह सकते ।

श्री रा० रा० सिंह देव (बोलनगिर) : आरम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार अध्यादेश प्रख्यापित करने की बहुत आदी हो गई है । शत्रु सम्पत्ति अध्यादेश इसका स्पष्ट उदाहरण है । अध्यादेश को उचित ठहराने का कारण उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में दिया गया है जोकि बहुत ही असंतोषजनक है । उसमें दी गई जानकारी बहुत ही अपर्याप्त है । पाकिस्तान तथा चीन के अधिकार में पड़ी हुई भारतीय सम्पत्ति के ब्योरे सम्बन्धी आंकड़े नहीं दिये गये हैं ।

1965 में पाकिस्तानी आक्रमण की बहुत भारी सम्पत्ति हमारे अधिकार में थी । परन्तु हमने पाकिस्तानी राज्यक्षेत्र सहित सभी सम्पत्ति उसके इरादों पर विचार किये बिना एकतरफा कार्यवाही करके उसे दे दी है । ताशकंद समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने हमारी सम्पत्ति अपने अधिकार में रखी हुई है । प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की लगभग 101 करोड़ रुपये की सम्पत्ति पाकिस्तान के अधिकार में है । हमारे पास उस देश की केवल 27 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है । यदि ऐसा है, तो इस असंतुलन के लिये कौन उत्तरदायी है और ऐसा क्यों होने दिया गया ।

अन्त में अभिरक्षक के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार वह सम्पत्ति का प्रबन्ध कर रहे हैं उसके बारे में कई शिकायतें हैं । उन्हें इसका इस प्रकार प्रबन्ध करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि कोई शिकायत न प्राप्त हो । निजी सम्पत्तियों की देखभाल ठीक तरीके से की जानी चाहिये तथा शत्रु की फर्मों का भी ठीक प्रबन्ध होना चाहिये ताकि उनके लाभ की पिछली दर बनी रहे ।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय यह विधेयक स्वागत-योग्य है क्योंकि यह आवश्यक है कि शत्रु सम्पत्ति का प्रबन्ध देश के हित में किया जाये और यदि आवश्यक है कि उसे बेचा जाये तो उसे बेचा जा सकेगा ताकि सम्पत्ति का प्रयोग राष्ट्र निर्माण परियोजनाओं के लिये किया जा सके । इस सम्पत्ति के परिरक्षण के लिये भी यह विधेयक अनिवार्य है जो भारत के राष्ट्रिकों ने दूसरी ओर छोड़ी है ।

[श्री विक्रम चन्द महाजन]

पाकिस्तानियों की 27 करोड़ रुपये की सम्पत्ति तथा चीनियों की 28 लाख रुपये की सम्पत्ति अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजनों के अन्तर्गत आयेगी । परन्तु इस विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं । जम्मू तथा काश्मीर को इसके क्षेत्र से बाहर रखा गया है । अब समय आ गया है कि जम्मू तथा काश्मीर को संसदीय विधान के क्षेत्र से बाहर रखना बन्द कर दिया जाये । वास्तव में हम अपने देश के इस विशिष्ट भाग के साथ विशेष व्यवहार करके उनमें अलगाव की भावना पैदा करने के अपराधी हैं । इस उपबन्ध को विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये ।

इस देश से चले गये लोगों की सम्पत्ति का परिरक्षण करने की प्रक्रिया में हम भारत के नागरिकों की वैध सम्पत्तियों पर दावा करने के उनके अधिकार से उन्हें वंचित कर रहे हैं । पाकिस्तान अथवा चीन में चले गये व्यक्तियों के विरुद्ध कई भारतीय नागरिकों के मुकदमे चल रहे हैं । इन सम्पत्तियों से जिन्हें अभिरक्षक को सौंपा गया है, उनके दावों का समायोजन किया जाना चाहिये ।

मैं एक और खण्ड में भी संशोधन चाहता हूं । अभिरक्षक को दावे निपटाने की शक्ति दी गई है । इसका अर्थ यह है कि यह शक्ति उन प्रशासनिक अधिकारियों को मिल जायेगी जिनका समूचा दृष्टिकोण प्रशासनिक होगा । मेरा निवेदन है कि प्रशासनिक अधिकारियों से यह अधिकार ले लेना चाहिये और सामान्य न्यायालयों को दिया जाना चाहिये । इससे राज्य की सम्पत्ति को हानि नहीं होगी । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock

---

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

शत्रु सम्पत्ति विधेयक—जारी

ENEMY PROPERTY BILL—contd.

श्री त्रिविब कुमार चौधरी (बरहामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुभव करता हूं कि यह एक अति आवश्यक विधेयक है । परन्तु कुछ मामलों में इसकी पहुंच दूर तक नहीं है । सरकार ने हमें इसकी पृष्ठभूमि भी नहीं बताई है ।

यह तथ्य कि हमें इस प्रकार के विधेयक को जारी रखना पड़ रहा है और पाकिस्तान में भी ऐसा विधेयक जारी रखा जा रहा है, ताशकन्द समझौते का खेदजनक पहलू है । इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो वर्ष पश्चात भी दोनों देशों को एक दूसरे को अपना शत्रु समझना पड़ा ।

मैं नहीं जानता कि सरकार अथवा पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त वहां शत्र सम्पत्ति के अभिरक्षक द्वारा भारतीय सम्पत्ति के प्रबन्ध के बारे में कोई जानकारी रखते हैं अथवा नहीं ।

परन्तु ढाका से प्रकाशित होने वाले 'पाकिस्तान ग्राबज़र्वर' दिनांक 2 मई, 1968 में प्रकाशित हुग्रा है कि सरकार विदेशी मुद्रा लेकर शत्रु सम्पत्ति के बड़े एकक बेचने की सम्भावना पर विचार कर रही है। परन्तु क्या सरकार से इन सम्पत्तियों के मालिक भारतीय राष्ट्रजनों को कोई सहायता मिलेगी। पूर्वी पाकिस्तान में कई भारतीय ग्रौद्योगिक एकक चल रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान शत्रु सम्पत्ति प्रबन्ध बोर्ड ने कई भारतीय कपड़ा मिलें ग्रपने हाथ में ले ली हैं।

हमें भी इस मामले में पाकिस्तान जैसा रवैया ही क्यों नहीं ग्रपनाना चाहिये। क्या हम ग्रपनी सरकार से यह जानने के ग्रधिकारी नहीं हैं कि क्या हमारा उच्चायोग भारतीय राष्ट्रजनों की सम्पत्ति की स्थिति के बारे में ग्रपने को ग्रवगत रखता है या नहीं ?

जहां तक पाकिस्तान में भारतीयों की सम्पत्तियों का सम्बन्ध है उन्हें पाकिस्तान में शत्रु सम्पत्ति ग्रभिरक्षक द्वारा ग्रपने ग्रधिकार में ही नहीं लिया गया बल्कि उन्हें बेचा जा रहा है। लेकिन हमारे भारतीय नागरिकों को, जिनकी वे सम्पत्तियां थीं, सरकार ने कोई ग्राश्वासन नहीं दिया है कि उन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उनकी क्या स्थिति है।

निष्क्रांत सम्पत्ति ग्रधिनियम के ग्राधार पर किसी प्रकार का विधान बनाना ग्रावश्यक है ताकि उन लोगों को कुछ मुग्रावजा ग्रौर राहत मिल सके। इन मामलों में कुछ पारस्परिकता होनी चाहिये ग्रौर इसका कोई कारण नहीं है कि हमें इस सम्बन्ध में पाकिस्तान की नीति का ग्रनुसरण क्यों नहीं करना चाहिये ग्रौर शत्रु सम्पत्ति को बेच कर ग्रपने राष्ट्रजनों की क्षतिपूर्ति क्यों नहीं करनी चाहिये।

हमें बताया गया है कि भारत में पाकिस्तानी सम्पत्ति के कुल मूल्य का ग्रनुमान 27 करोड़ रुपये लगाया गया है। लेकिन यह स्पष्ट किया जाय कि क्या यह सभी पाकिस्तानी सम्पत्ति है या फिलहाल ग्रभिरक्षक में निहित सम्पत्ति है।

इस विधेयक के खण्ड 4 में निरीक्षकों की नियुक्ति का उपबन्ध है। फिर भी, हमें यह मालूम नहीं है कि क्या कोई निरीक्षक नियुक्त किया गया है, उनकी संख्या कितनी है, क्या निरीक्षकों को दी गई शक्तियों का इस बात का पता लगाने के लिये ठीक ढंग से प्रयोग किया गया है कि कौन सी शत्रु सम्पत्तियां वहां पर हैं ग्रौर क्या उन्होंने कोई उपयुक्त वस्तु-सूची तैयार की है ?

खण्ड 8 में निष्क्रांत सम्पत्ति ग्रधिनियम के ग्राधार पर कोई ऐसा उपबन्ध जोड़ा जाना चाहिये जिसके ग्रधीन उन निष्क्रांत लोगों को, जो भारत में ग्रा गये हैं, शत्रु सम्पत्ति के विक्रय, बंधक या पट्टे की रकम से मुग्रावजा देने की सरकार को शक्ति दी जाय। एक ऐसा उपबन्ध भी जोड़ा जाना चाहिये जिसके ग्रधीन निष्क्रांत सम्पत्ति ग्रभिरक्षक को सरकार को हर साल एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमन्, वाणिज्य मंत्रालय ने इस विधेयक का नाम गलत रखा है। वास्तव में हमारी न तो पाकिस्तान ग्रौर न ही चीन के साथ कोई लड़ाई है। इसलिये इस विधेयक के नामकरण से बाहर के लोग हमारी सरकार के, जिसकी घोषित नीति शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा ग्रन्य देशों के साथ सभी विवादों को निपटाना है, इरादों को गलत समझेंगे। इस विधेयक को कोई दूसरा नाम दिया जाना चाहिये था ग्रौर इसका नाम शत्रु सम्पत्ति विधेयक नहीं रखा जाना चाहिये था।

[श्री दी० चं० शर्मा]

सरकार ने पाकिस्तान और चीन द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का कम मूल्य आंका है। कहा गया है कि चीनियों ने 28.85 लाख रुपये की और पाकिस्तानियों ने 27 करोड़ की सम्पत्ति छोड़ी है। यह वक्तव्य गलत है।

मेरे विचार से अभिरक्षक ने अपना कार्य उचित ढंग से नहीं किया है। निरीक्षकों ने अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया है। उन्होंने हमें शत्रु सम्पत्तियों का सही मूल्यांकन नहीं दिया है।

एक बात और है कि अभिरक्षक को पूरी शक्तियां नहीं दी गई हैं। हम इन सम्पत्तियों की देखभाल कब तक करते रहेंगे। पाकिस्तान में महाकवि रवीन्द्र नाथ टैगोर के मकान को बेचने की बात भी सोची जा रही है। पूर्वी पाकिस्तान में उनके मकान की ठीक ढंग से देखभाल नहीं की गई और वह बड़ी गिरी हालत में है।

अभिरक्षक को केवल 2 प्रतिशत फीस देने का उपबन्ध है। ऐसे अभिरक्षक की कौन परवाह करेगा। अतः मेरे विचार से यह विधेयक गलत ढंग से बनाया गया है और इसका भारतीयों के हितों के लिये समुचित रूप में उपयोग नहीं किया गया है।

हमने पश्चिमी पाकिस्तान में 500 करोड़ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति छोड़ी है और हमें यहां 100 करोड़ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति मिली है। मेरे विचार से समय आ गया है कि शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के कार्यालय को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये और इस सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त धनराशि को भारत के उन राष्ट्रजनों को बांट देनी चाहिये जो पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति से वंचित हो गये हैं। यह स्थिति समाप्त होनी चाहिये। हमारी सरकार एक बनियाशाही सरकार बन गई है। सरकार शत्रु का काम कर रही है और शत्रु को देय धनराशि को वसूल करने के लिये कार्यवाही करती है। एक उपबन्ध यह भी है कि शत्रु की ओर से और उसके नाम में कोई ठेका करना और दस्तावेज तैयार करना। यह विधेयक भारत के उज्जवल नाम के लिये कलंक है। आप कहेंगे कि यह सब तो हमारे पंचशील में लिखा हुआ है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं परन्तु पंचशील भी एक निश्चित सीमा से आगे नहीं जा सकते। अतः मैं कहता हूं कि यदि ऐसा विधेयक लाया जाता जो पाकिस्तान अथवा चीन की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं अपितु भारतीयों की आवश्यकताओं के अनुकूल होता, तो अच्छा होता। यह विधेयक इस देश की सर्वसाधारण जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिये 3 घंटे का समय नियत किया गया है और हम एक घंटे से अधिक समय ले चुके हैं। हमें खण्ड वार विचार के लिये लगभग एक घंटे की आवश्यकता होगी। मेरी सदस्यों से प्रार्थना है कि वे 10 मिनट से अधिक समय न लें।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : This Bill was necessary after the lifting of emergency. Similarly the unlawfull Activities Bill was essential after the lifting of emergency. But I feel the most important question in this regard is that of implementation of such measures. We have found time and again that Government arms itself with vast powers by getting such laws enacted by Parliament, but afterwards forgets it.

Unlawful activities Bill was passed in last session, but it is not being applied, where it is necessary. Sheikh Abdullah is doing something, which is against the provisions of our constitution and the above Act. His speeches seditions and against the integrity of our country.

He is challenging the sovereignty of India and is saying that he would like to refer this matter to U.N.O. Now the question is that, how far Government is going to remain a passive spectator in such circumstances. Government should make use of powers at its command and curb the anti-social and anti-national elements throughout the country.

By this law Government is taking the powers of having full control on the property of enemy country. We have no objection in granting this power to Parliament but Government should ensure that this power would be properly made use of. We have Pakistan's property in our country, which is of the value of crores of rupees. Government should not release this property unless Pakistan releases our property. I would give an example. The Dalmiaji had some companies in Pakistan and that country had agreed to pay Rs. 4 crores but at the time of undeclared war of 1965, Pakistan took over those companies without paying a single penny. Now this matter is pending before International Chamber of Commerce. Apart from that Pakistan seized our property and cargo worth crores of rupees. Keeping in view all that our Government has not taken any retaliatory measures, which it could take. Now Government is going to have these powers in respect of enemy property. It should make use of powers at appropriate time and in appropriate manner.

Pakistan should be treated on reciprocal manner. It understands the policy of tit for that. We should not adopt a policy of appease in the case of this country. We are prepared to give as many powers to Government as it wants, but it should see that country's honour is not compromised. It should ensure the proper implementation of such like measures.

Our previous experience about the working of this Government is discouraging. Government has been following a weak kneed policy towards Pakistan. It has encouraged that country to become more and more hostile towards this country.

Another important point is that Kashmir has not been in cluded so far the application of this law is concerned. It is very ridiculous. We declare from house tops that Kashmir is an integral part of India, but we have not made applicable this Bill to that state of India. This state of affairs should end forthwith. Article 370 of the constitution should be removed from the constitution and the special status of that state should be ended. The entire country should be brought on the same footing.

Pakistan has forfeited the mills and other properties belonging to Indians in Pakistan. Our Government should follow suit and take over the property of Pakistani nationals. We should adopt a policy of reciprocity towards Pakistan and China. A large number of Pakistani nationals are staying in India and they are in possession of big properties. I would like Government to forfeit that property, as has been done by Government of Pakistan. There are certain areas in our country, where pro-Pakistani elements are very active. They should be kept under watch.

Government should adopt tough policy towards enemy countries. The annual Report of the custodian of enemy property should be presented to Parliament.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध अमैत्रीपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में यह विधेयक बहुत आवश्यक है।

इस बात से मझे दुःख हुआ है कि यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होगा। इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी समर्थक तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे विचार में यह विधेयक समूचे देश पर लागू होना चाहिये। खण्ड 6 में उपबन्ध किया जा रहा है कि जिस

[श्री :णवी : सिंह]

व्यक्ति को हस्तान्तरण किया जायेगा उसे अपील करने का अवसर दिया जायेगा। यह बड़ी आश्चर्य-जनक बात मालूम होती है। अभिरक्षक के पास सम्पत्ति अस्थायी रूप से रखी जायेगी। परन्तु अपील का अधिकार दिये जाने से मुकदमेबाज़ी को बढ़ावा मिलेगा जो इस मामले में ठीक नहीं होगा।

खण्ड 8 में प्रावधान किया जा रहा है कि शत्रु सम्पत्ति से होने वाली आय से भारत स्थित शत्रु देश के परिवारों आदि का भरण पोषण किया जायेगा। यह उचित नहीं है। हमें शत्रु देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाना चाहिये।

खण्ड 9 में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस प्रकार की सम्पत्ति को कुर्क करने का अधिकार होना चाहिये। सैकड़ों करोड़ रुपये की सम्पत्ति हमारे विस्थापित भाई पाकिस्तान में छोड़ कर आये हैं। पाकिस्तान ने उसे कुर्क कर लिया है। हमें भी शत्रु की सम्पत्ति को कुर्क करने का अधिकार सरकार को देना चाहिये। हां यह कुर्की उचित उद्देश्य के लिये होनी चाहिये। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस बारे में आवश्यक संशोधन लायें।

खण्ड 20 में दण्ड का जो उपबन्ध है वह बहुत कम है। यह केवल छः महीनों का है। इसे बढ़ा कर 3 वर्ष कर दिया जाना चाहिये। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभिरक्षक के संरक्षण में सम्पत्ति का रखा अस्थायी कार्य होना चाहिये। आज हमारे सम्बन्ध पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि इन में सुधार होगा। नहीं तो हमें शत्रु सम्पत्ति पाकिस्तान से आये विस्थापितों में प्रतिकर के रूप में बांट देनी चाहिये।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : I am pained to say that the properties under custodian are being distributed on political considerations. These are being given to in a spirit of nepotism. The legitimate claimants of properties have been denied.

The properties have been given to refugees. They have not been told in sure terms that these would remain with them on permanent basis. They are not certain about their ownership etc. Another important point is that properties of those persons who have not gone to Pakistan have also been taken over by the custodian. I would request the hon. Minister to place on the table of those properties that have been wrongly taken over like that.

The properties in whose case applications have been received should be restored. Those People are very much worried. It is the result of wrong actions on the part of officials.

I quote a many instances of Delhi, Rajasthan, Assam and U.P. where the properties of Indian citizens have been declared as evacuee properties. Then on such some plots or on land of graveyards building for Government offices have been built. Had it been done by some individual, it would have been easy to understand, but here this Government is guilty of this. Persons, who are Indian nationals are being subjected to inconvenience and difficulty. It is not proper.

There is no provision of in this Bill for appeal in courts. The appeal would have to be made to departmental officials. How can justice be expected from them ? I would appeal to the hon. Minister to make a provision for appeal to a civil court. A commission should be appointed to enquire into this matter and properties to the rightful owners should be restored.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : यह पहली बार है कि एक विधेयक प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने हिन्दी भाषा का प्रयोग किया है। संविधान के अनुच्छेद 349 के अनुसार सभी विधेयक अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किये जाने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : उक्त अनुच्छेद में विधेयक के पाठ के बारे में कहा गया है कि वह अंग्रेजी भाषा में होगा। प्रस्तुत करने वाला मंत्री चाहे तो हिन्दी भाषा का प्रयोग कर सकता है।

श्री चपलाकांत भट्टाचर्य : यह एक आवश्यक विधेयक है। इसे सभा को स्वीकार कर लेना चाहिये। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सम्पत्ति है जिसे विस्थापित छोड़ कर आये हैं। श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ने पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापितों द्वारा छोड़ी गई कुछ कपड़ा मिलों का उल्लेख किया है। उन्हें पाकिस्तान सरकार ने बिना किसी प्रकार के प्रतिकर के अपने कब्जे में कर लिया है।

जब हम काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं तो हमें अपने सभी कानूनों को उस राज्य पर भी लागू करना चाहिये। मेरे विचार में तो इस विधेयक को काश्मीर में लागू और भी अधिक आवश्यक है। क्योंकि वहां पर पाकिस्तान से पीड़ित बहुत लोग हैं। उन्हें शत्रु की सम्पत्ति के रूप में सहायता उपलब्ध की जा सकती है।

पाकिस्तानियों द्वारा लगभग 27 करोड़ रुपये की सम्पत्तियां छोड़ी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इनके द्वारा भारत में पाकिस्तानियों के परिवारों की सहायता कैसे करने जा रही है? सरकार को चाहिये कि पाकिस्तान से बातचीत करके उनको उस देश में भेजने की व्यवस्था करे।

सरकार को पाकिस्तान से आये विस्थापितों को उचित प्रतिकर देना चाहिये। इस बारे में वित्त मंत्रालय कुछ कार्यवाही कर भी रहा था। इस बारे में दोनों मंत्रालयों को संयुक्त रूप से प्रयत्न करने चाहियें। पूर्वी पाकिस्तान में गुरुदेव टैगोर के पैतृक भवन की हालत बहुत खराब होती जा रही है। इस भवन के महत्व को ध्यान में रख कर इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कराया जाना चाहिये। मुश्किल यह है कि पाकिस्तान सरकार टैगोर विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन दे रही है और गुरुदेव के प्रति लोगों की श्रद्धा को समाप्त करना चाहती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस ऐतिहासिक भवन और अन्य भारतीय सम्पत्तियों की देख रेख के लिये उचित व्यवस्था करे।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I do not understand that why controversy regarding the use of Hindi is raised here so often. It is a settled fact that Hindi is our national language.

[श्री रा० डी० भंडारी पीठासीन हुए
Shri R.D. Bhandari *in the Chair*]

I cannot understand as to why this Bill has been brought by the Minister of Finance. It should have been brought by the Minister of Home Affairs. The wording of this Bill seems to be defective. Many difficulties will arise at the time of interpretation of the provisions of this Bill.

The construction of sentences in clause 8(2) can be misconstrued in some other way also. This faulty English should be changed. It seems that the work of enemies is being taken over by Government itself. I feel this Bill should be withdrawn and it should be introduced after making necessary changes in it.

(Shri George Fernandes)

I want to know the break-up of enemy property in India. How much of it is in the form cash, immoveable property and in the name of companies etc. How much of goods were of perishable nature ?

[श्री तिरुमलराव पीठासीन हुए
Shri Thirumal Rao *in the Chair*]

Many irregularities have been committed in the matter of evacuee property during the last twenty years.

In this connection I want to name Mr. Grewal who is an I.C.S. officer in Punjab or Haryana. According to my information he has embezzled crores of ruppes in the matter of land and he uprooted many people when he was commissioner for Rehabilitation.

We have been told that we have with us property worth Rs. 27 crores pertaining to Pakistan and of Rs. 28 lakh belonging to China. But has Government ever told us as how much of our land is in the possession of China and Pakistan on the moment. I want to know as to what is being done about that.

15th August is approaching soon and as usual we will be celebrating it with a sort of drama. The same thing is done on 26th January also every year by spending lakhs of rupees. But have we ever resolved to get back our land from Pakistan and China.

In the Arab countries the youth there take a vow on 5th of every month that they would not rest content till they get back their land from the Israelis which they lost in the war. Do we also take any such vow ? Unless and until we do that such a bill as is the present one has no meaning.

I want the hon. minister to withdraw this Bill as according to Article 348 of the constitution there would be complication in it due to the language used in it. I want the hon. minister to place before the House a full account of all the property which is in their possession and bring before the House a new Bill which should be free from complications.

श्री समर गुह (कंटाई) : ऊपर से यह विधेयक एक सरल सा विधेयक दिखाई देता है परन्तु इससे लाखों लोगों का भाग्य सम्बन्धित है। पिंडी में राज करने वाला शासक वर्ग तो लड़ाई की बातें करता है परन्तु वहां की जनता का इन चीजों से सम्बन्ध नहीं है। 15 अगस्त 1947 को श्री औरोबिन्द घोष ने कहा था कि देश में विभाजन को हर स्थिति में समाप्त करना चाहिये। इस विधेयक के बारे में मेरा यह मत है कि "शत्रु सम्पत्ति विधेयक" नाम ही इसका गलत है। मेरा अनुरोध सरकार से यह है कि उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिये। हमारे लिये 27 करोड़ रु० का बहुत महत्व नहीं है। इसका उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। उनकी सम्पत्ति उन्हें वापिस कर दीजिये। हमें भविष्य पर विश्वास करना चाहिये। विभाजन बने रहने की कोई गारण्टी नहीं है। आप उनकी सद्भावना प्राप्त कीजिये और इस विधेयक को वापिस लीजिये। यह ध्यान अवश्य रखिये कि शत्रु कहीं जासूसी कार्य न कर सके। मुझे याद है कि एक रात 12 बजे जब देश का विभाजन हुआ तो मैं अपने ही देश में विदेशी बन गया। मुझे पूर्वी पाकिस्तान में जेल में रखा गया।

सब यह भूल गये हैं कि वहां 35 प्रतिशत लोगों के पास 81 प्रतिशत शहरी सम्पत्ति है।

1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अनुसार अल्पसंख्यकों को आने जाने की अनुमति दे दी थी और किसी पारपत्र की आवश्यकता नहीं रही थी। नेहरू-नून समझौते के अनुसार इसकी पुष्टि हो गई थी। परन्तु सीमा को अब बन्द कर दिया गया है। स्वतन्त्र रूप से आने जाने की अनुमति नहीं है। करोड़ों रु० की सम्पत्ति पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है।

1965 के युद्ध के समय से वहां की सरकार ने अल्पसंख्यकों के कपड़ा मिलों पर कब्जा कर लिया है। वहां उनकी बैंकिंग कम्पनियों पर भी कब्जा कर लिया है। उनके निदेशकों को जेल में बन्द कर दिया है।

भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि पूर्वी बंगाल से जो लोग आये हैं उन्हें उनके द्वारा छोड़ी सम्पत्तियों का मुआवजा देना चाहिये क्योंकि अब उनके वहां जाने की बहुत कम संभावना है।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati): Mr. Chairman this law applies not only to Indian citizens who live here but on those Indians too who live in other parts of the world. But Jammu and Kashmir has been kept out of the perview of this Bill. I cannot understand the logic of this.

Yesterday the hon. Speaker addressed us in the Central Hall about his tour of Soviet Union. He narrated how a citizens told him in Moscow that they supported us for 20 years on the question of Kashmir but have we done anything to indicate that this area belongs to us. The inhabitants of Jammu and Kashmir can come here and buy property and make houses in any part of India.But no Indian can buy land there. About six months back we discussed in this House that not even the President of India can purchase any land unless the Chief Minister of Jammu and Kashmir agrees to it. Then what for are we spending to much money on Jammu and Kashmir, Nagaland and other border areas ? When China attacked our country I also went to NEFA and later on we met Prime Minister Nehru. He informed that the People there had their own way of living and we do not want to distrurb them.

I have been told that the M.Ps. who have come here from Jammu and Kashmir also do not want Indian laws to be enforced there.

Shri Shinkre (Panjim): Sir, I support this Bill. I want to give one suggestion to the hon. Minister. It appears that you have in mind only China and Pakistan in the context of this Bill. But I want to tell you that Portuguese should also be included into this. The Portuguese have left Goa but their property is still in Goa. Similarly many citizens of India have property in Portugal and Portuguese colony of Mozambique. I want to tell that there are so many claims pending in that connection but not a single one has been settled. Therefore instead of having so many small custodians we should have a single custodian who may be having much authority to deal with such questions.

The custodians should have power not only to aquire property but also to deal with claims where people may have claims over the property left by them.

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : यह विधेयक देश के विभाजन के कारण आवश्यक हुआ है जिसमें लाखों ने लोगों अपना जीवन दान दिया।

मेरी समझ में खण्ड 8 नहीं आया जिसके अनुसार हम शत्रु के परिवारों की देख भाल करेंगे। यह भी ठीक नहीं है कि इसमें केवल उन लोगों को ही शामिल किया जाये जो अपनी सम्पत्ति

[श्रीमती इलापाल चौधरी]

1962 से पहले छोड़ कर आये थे। 1962 के बाद के लोगों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया।

आप ऐसी व्यवस्था रखें जिससे यदि लोगों को बाद में जब स्थिति में सुधार हो और पाकिस्तान जाना पड़े तो वह सम्पत्ति में अपना भाग प्राप्त कर सकें ।

टैगोर के घर को बहुत बुरी दशा में रखा हुआ है। उनकी सीढ़ी को रहने के लिये प्रयोग किया जा रहा है ।

शत्रु सम्पत्ति में से कुछ भाग उन लोगों को भी दिया जाये जो अपनी सम्पत्ति वहां पाकिस्तान में छोड़ आये हैं ताकि वे अपना गुजारा चला सकें ।

यह विधेयक आवश्यक था और मैं आशा करती हूं कि यह पास हो जायेगा।

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): Sir I am grateful to the hon. Member who have contributed their views in this discussion and I have been benefited by their views.

We all know how this country was partitioned and I have no pleasure in bringing this Bill either. Such matters as ennunciated in this Bill cannot be settled unilaterally. You all know that we have always been trying to settle these matters in a peaceful manner. So many empires have been built in the world and they have been destroyed too but the ideas which originated from our soil were of a different nature and they made their mark in the world and are still cherished by people.

Some hon. members have suggested that we should sell the enemy property to others here. But the present one is an extension of an old Act. Certain other hon. members have objected to the title of the Bill. My submission to them is that when these properties were those people were our enemy.

We have not been able to find any solution to our properties left in Pakistan.

Certain hon. Members mentioned about inclusion of Jammu and Kashmir. I may state that we have to work according to our constitution and if we include that state, we would be now involved in so many complications.

Shri Balraj Madhok: The Minister has stated that constitutional difficulties stand in the way of extension of this enactment to the state of Jammu and Kashmir. I would like to know the nature of such difficulties.

Shri Dinesh Singh: That difficulty will also be solved in due course.

I would like to tell shri Tridib Kumar Chaudhuri that the Pakistani property vested in the custodian of Enemy Property is amounting to Rupees 27 crores does not include the evacuee property. Shri S.K. Chari has been appointed the custodian of Evacuee Property.

I will examine the question of presentation of the report of the custodian in the House. Shri Shinkre has pointed out that the Bill be extended to Goa. The Portuguese property in Goa is already being looked after by the Government of Goa. This Bill related to the properties of such countries which have invaded India *i.e.* China and Pakistan. Shri Ishaq Sambali should give further information regarding construction of buildings on the graveyard to enable me to examine the question fully.

Shrimati Ila Pal Chaudhury has raised the question of the house belonging to Shri Rabindra Nath Tagore. That house is in East Pakistan. This matter should be taken up at every level. The Government will do her best in this matter.

Shri Lobo Prabhu has enquired about the arrangements in Pakistan in this direction. There is a similar law in Pakistan but we feel they have not properly managed the property of Indian citizens. We have written to Pakistan Government many times to hold talks regarding such properties but they have not given any satisfactory reply. We will, however, continue to manage those properties according to our rules and constitution.

A few hon. Members have referred to payments being made to the families of Pakistani nationals. A very small amount is being paid to those families for their maintenance and I would request the members not to press for stopping such payment.

This is a measure for continuance of the old enactment. I hope, a solution of this problem will be found soon. We had hoped that after the Tashkent Declaration, Pakistan will take steps for the solution of those problems, but unfortunately she has not adopted such a course. We should, however, not do anything which creates any difficulty in the soultion of those problems.

श्री समर गुह : पाकिस्तान में भी मुस्लिम यह अनुभव करते हैं कि हिन्दुओं के लिये शत्रु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। क्या आप भी "शत्रु" शब्द के प्रयोग के प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री दिनेश सिंह : हम किसी विशेष समुदाय को शत्रु नहीं कह रहे हैं।

श्री हो० ना० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : जब हमारे एक दूसरे के साथ राजनयिक सम्बन्ध है तो क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से एक दूसरे को शत्रु कह सकते हैं।

श्री दिनेश सिंह : हम किसी देश को शत्रु नहीं कह रहे हैं। हमने जिन सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति के रूप में छीना है, वह तब तक शत्रु सम्पत्तियां ही रहेंगी जब तक उनका कोई हल नहीं निकाला जाता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत प्रतिरक्षा नियम, 1962 के अधीन भारत के शत्रु सम्पति अभिरक्षक में निहित शत्रु, सम्पत्ति के निरन्तर निहित रखने तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2—(परिभाषायें)

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं। मैं "territories to which this Act extend" ["जिन राज्य क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू होता है" शब्दों के स्थान पर 'territories of India' [भारत के राज्य क्षेत्र"] शब्द रखना चाहता हूं ? इसका उद्देश्य इसे जम्मू तथा काश्मीर में भी लागू करना है। जम्मू तथा काश्मीर के मामले में मंत्रालय सदा यही उत्तर देता है कि इसमें कुछ संवधानिक कठिनाईयां हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें। भारत रक्षा नियमों की समाप्ति के पश्चात् तीन संभाव्य प्रविष्टियों के अन्तर्गत इस विधेयक को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। इन में से एक सूची 3, प्रविष्टि 41—परिरक्षण, सम्पत्ति का प्रबन्ध तथा निपटान (कृषि उद्योग भूमि

[श्री श्रीनिवास मिश्र]

सहित) है जिसे विधि द्वारा निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित किया गया है। यह निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं है। अतः यह प्रविष्टि इस बारे में लागू नहीं होती है; सूची 2 में भारत रक्षा प्रविष्टि तथा उसका प्रत्येक भाग, जिसमें रक्षा के लिये तयारी और वे सभी कार्य, जिनसे युद्ध के समय सहायता मिलती है तथा युद्ध समाप्त होने पर लामबन्दी की समाप्ति में सहायता मिलती है, शामिल है। इस मामले को उक्त प्रविष्टि अथवा प्रविष्टि 15—युद्ध तथा शान्ति के अधीन रखा जा सकता है। शत्रु सम्पत्ति तभी ली जाती है जब घोषणा के पश्चात् अथवा घोषणा के बिना भी युद्ध आरम्भ किया जाता है।

यदि राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत सूची 1 जम्मू तथा काश्मीर पर लागू होती है तो इस विधेयक के जम्मू तथा काश्मीर पर लागू होने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इस बारे में कोई संवैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है। सरकार अपनी भीरुता के कारण यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करना नहीं चाहती।

हाल ही में चुनाव सम्बन्धी मामलों में जम्मू तथा काश्मीर पर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू किया गया था। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में यह मामला उठाया है। शायद इसीलिये सरकार डर रही है। सरकार इस प्रकार यह बता रही है कि जम्मू तथा काश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक नहीं हैं।

श्री दिनेश सिंह : यह विषय संघ सूची की प्रविष्ट 97 के अन्तर्गत आता है, जो कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 सभा में मतदान के लिए रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 54, विपक्ष में 103

Ayes : 54 Noes : 103

संशोधन अस्वीकृत हुआ

The amendment was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 3 to 6 were added to the Bill.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा

DISCUSSION UNDER RULE 193

समाचारपत्रों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

Shri S.M. Joshi (Poona): The current strike by non-journalist employees of leading newspapers has created a problem for the general public and the trade union activities. I feel that the labour should resort to the strike as a last course. We cannot afford to stop work because our industrial progress is very slow. Our country is a poor country. We should avoid strikes as far as possible. I suggest that we should adopted the course of collective bargaining, so that industrial peace is maintanied. It will held in boosting production and the country will benefit by this. But may other alternative courses are adopted as constitution of the wage Boards. After a prolonged agitation by workers this Board was appointed. It took 2 years in submitting its report. The recommendations are yet to be implemented and we see the present agitation taking place. It is the duty of all concerned to go according to the recommendations of the Board, which has on it the members representing all interests.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
[Mr Speaker *in the chair*]

Here in the case of this Wage Board the employees are not implementing the unnaimous recommendations in regard to non-journalist employees of the newspaper industry. Utter disregard is being shown to the wage Board this is a serious threat to this trade union compaign. If this cotinues, people would lose faith and confidence in such Boards. An agrument has been reached with the employees P.T.I. and U.N.I. in this regard but the big papers are not complying with the reecommendations of the Board and therefore the workers had to restore to strike, because there was no alternative left for them. Now I wish to know the reaction of the Government thereto?

I have got figures of profits of big newspapers. They make huge profits every year. If they were to inplement the recommendations of Wage Board, they will not have to pay much to the workers. I cannot understand as to why they are not prepared to pay according to the recommendations of wage Board. Now the strike is going for the last 7 days. The worker are facing great difficulties in their day to day life. The employees are doing everything to harash the workers . I have received reports to this effect from Bombay. I want to know what this Government is doing in the matter. P.T.I. is making false propaganda and is saying that strike fizzing out. I want what steps are being taken by Government to meet the legitimate demands of workers. If there are any difficulties, these could be discussed and removed. Government should adopt a sympathetic attitute towards the workers. The A.I.R. broadcasts should also propagate industrial peace and not play up the propaganda of capitalists. Government can stop giving advertisement to defaulting newspapers. I want to know whether Government wants to help the poor workers or big capitalists in this matter?

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर): श्री जोशी ने कहा है कि मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट में मतैक्य था। वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। बोर्ड के सात सदस्य थे और रिपोर्ट पर पांच विमति टिप्पण थे। उनमें एक नि:पक्ष सदस्य श्री ब्रह्मय्या के टिप्पण को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि वे इस विषय के अच्छे जानकार हैं।

मजूरी बोर्ड ने अपने निदेशपद का ध्यान न करते हुए और उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों की परवाह न करते हुए कुछ सिफारिशें दी हैं। बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में समाचारपत्रों की परि-

स्थितियों की ओर ध्यान नहीं दिया है। दूसरे उन क्षेत्रों में तुलनात्मक मजूरी की दरों को ध्यान में रखना था। उसका भी विचार नहीं किया गया। समाचारपत्रों के और उनके समान मुद्रणालयों के जैसे सरकारी प्रेसों आदि के कर्मचारियों के वेतनमानों आदि में समता को ध्यान में रखना आवश्यक है। मजूरी बोर्ड ने इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया।

तीसरे इस बात की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि अमुक समाचार पत्र ऐसा भुगतान करने की क्षमता में भी है या कि नहीं। सरकार ने इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर के बहुत गलती की है। मजूरी बोर्ड ने मजूरी के ढांचे के बारे में बुनियादी सिद्धान्तों को छोड़ दिया है। इस में मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार मजूरी बोर्ड ने नये वेतनमानों के न्यूनतम को भी वर्तमान वेतनमानों की अधिकतम सीमा से भी अधिक नियत करने का सुझाव दिया है। जो सरासर अनुचित है इस सम्बन्ध में फ्री प्रेस के मोटर ड्राईवर स्टेटसमन के मोनो आपरेटर आदि के वेतनमानों का उदाहरण हमारे समक्ष है।

अमृत बाजार पत्रिका जैसे पत्रों पर मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने से बोझ बहुत बढ़ जायेगा और उनकी आय से अधिक उनको भुगतान करना पड़ेगा। अब सरकार ने बिना जिम्मेदारी का परिचय देते हुए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं।

अब उन समाचार पत्रों में भी हड़ताल हो गई है जो कि 70 प्रतिशत तक भुगतान कर रहे हैं। यह इस बारे में हुए समझोते को तोड़ना नहीं तो और क्या है? वर्तनामन नाजुक स्थिति में जो बातें हो रही हैं मैं उनके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता समाचार पत्रों वाले यूनिटवार बातचीत के लिये तैयार है परन्तु यह नहीं होना चाहिये उन समाचारपत्रों में भी हड़ताल कर दी जाये कि जहा समझौते के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

आज जिन समाचारों की प्रकाशित होने से रोका जा रहा है, वे बहुत महत्व की है। रूस और चेकास्लोवाकिया में क्या हो रहा है, हमें मालूम नहीं हैं। समाचार पत्रों वाले बातचीत के लिये तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में हड़ताल जारी रखने का कारण नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस मध्यस्थ निणय को सौंप दिया जाये।

श्री शांति लाल शाह (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मुझे समाचार पत्रों के बारे में व्यक्तिगत अनुभव हैं। मैं इस बीस वर्षों से उस सार्वजनिक न्यास का प्रबन्धक रहा हूं जिसके इस समय चार दैनिक समाचार पत्र तथा कई अन्य पर पत्रिकायें चल रही हैं। हमने पत्रकारों के और गैर पत्रकारों के मजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू कर दिया था और कोई मुशिकल खड़ी नहीं हुई थी। हां, इसके लिये हमें बड़ी हानि उठानी पड़ी। श्री जोशी को मालूम है कि समाचारपत्रों को कैसे चलाया जाता है। अपनी सिफारिशें देते समय मजूरी बोर्ड ने समाचारपत्रों में विभिन्न पदों के तूलनात्मक कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रैसों में जाब डिपार्टमेंट के कम्पोजीटर की हाथ से कार्य करने वाले कम्पोजीटरों के कार्य से कैसे तुलना की जा सकती है?

इसका परिणाम यह हुआ है कि छोटे समाचार पत्रों और जाब-डिपार्टमेंट में गैर-पत्रकारों को समान मजूरी देनी पड़ती है। मुझे अपने बम्बई कार्यालय से पता लगा है कि हमारे मजूरी बिल में 3,30,000 रुपये की वृद्धि हो गई है। जुलाई से हमें अतिरिक्त वार्षिक वृद्धियां देनी होंगी जिसके

परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 66,000 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । 31 मार्च, तक हमें 2,65,000 रुपये की हानि हो चुकी है ।

इस मजूरी बोर्ड ने यह नहीं बताया कि कितने घंटे काम करने के लिए कितनी मजूरी दी जानी चाहिये कुछ संस्थाओं में काम करने के आठ घंटे है कुछ में सात तथा अन्य संस्थाओं में छः घंटे ही काम लिया जाता है । क्या इन सभी संस्थानों में जिन में काम के घंटे अलग-अलग हैं, गैर-पत्रकारों को एक समान मजूरी दी जाती है ? इसका श्रम मंत्रालय ने भी कोई उत्तर नहीं दिया है ।

कम्पोजिटरों को उनके उत्पादन के अनुसार मजूरी दी जाती है । परन्तु मजूरी बोर्ड ने सभी प्रकार के प्रोत्साहन समाप्त कर दिये हैं । एक दक्ष तथा अदक्ष कम्पोजीटर की समान मजूरी मिलेगी ।

समाचारपत्रों का मुद्रन करने वाले 12 प्रेसों के अतिरिक्त बम्बई में 'जाब वर्क' करने वाले अन्य सौ प्रेस हैं । यदि इन प्रेसों से टैन्डर मंगाये जाते हैं जिन में अभी भी मजूरी पुराने दरों पर दी जाती ह तो हम प्रतियोगिता नहीं कर सकते । इस सत्र की समाप्ति पर इस विषय पर सोचना मेरा पहला काम होगा कि हम अपने प्रेस चलायें अथवा बन्द कर दें ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi): Newspapers play an important part in the democracy. But the newspapers are not being puplished in our country to-day as some disputes have arises between the workers and the proprietors. This is a sorry state of affairs.

The policy of the Government of appointing different wage boards for different industries whieh recommends different pay scales for same type of work is basically wrong. Present difficulties have arises due to this wrong policy of the Government. A National Wage Board should be appointed to fix minimum wages for all categories of workers. So far as the question of real wages is concerned that should be settled through negotiations. Efficient workers should be paid more as compared to the inefficient workers.

The recommendations of the Wage Board are not unanimous. An agreement was reached after negotiations. The Government should see that the recommendations of the wage Board are implemented. Proprietor or the worker whosoever is guilty should be punished. The Government should neither become a toy in the hands of capital ists nor in the hands of workers. The Government should work only in the interest of the country. If there is any difficulty in getting the recommendations of the Wage Board implemented this matter should be referred to arbitration and the award of the arbitrator would be binding on both sides.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

Paying capacity of the newspaper should also be taken into consideration before taking any decision. Efforts should be made to solve the present dispute through negotiations. If it is not solved through negotiations then it should be referred to arbitrator which should be asked to give its award within 24 or 48 hours so that newspaper can be puplished early.

श्री के० आर० गणेश (अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : मैं गैर-पत्रकारों की मांगों का समर्थन करने तथा नियोजकों के कठोर रवैये की निन्दा करने, जिन्होंने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है, के लिए खड़ा हुआ हूं । सरकार ने कर्मचारियों की मजूरी के प्रश्न पर करने के लिए एक उच्चस्तरीय मजूरी बोर्ड नियुक्त किया था । इस देश के मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों का यह अनुभव है कि मजूरी बोर्ड के गठन के बाद इसको निर्णय देने में दो अथवा तीन वर्ष लग जाते हैं और इसके बाद नियोजक प्रायः इस निर्णय के विरुद्ध अपील कर देते हैं चाहे वह

[श्री के० ग्रार० गरोश]

निर्णय सर्वसम्मत ही क्यों न हो। इससे समूचा मामला जटिल हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप हड़ताल हो जाती है। यह एक मूल समस्या है और सरकार को इसे हल करना चाहिये।

दूसरा मूल मामला यह है कि 23 ग्रप्रैल 1968 को इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपरज सोसायटी तथा ग्रखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी संघ के बीच एक समझौता हुग्रा था। नियोक्ता इस समझौते से ग्रसहमत हैं ग्रौर उनका कहना है कि समझौते पर ग्रमल करना उनके लिये ग्रनिवार्य नहीं है। इस समझौते के ग्रनुसार कर्मचारियों को दी जा रही मजूरी तथा मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई मजूरी में जो ग्रन्तर है उसके 70 प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिये। यह भी निश्चित किया गया था कि इसका भुगतान कब ग्रौर कैसे किया जाना है।

इसमें तीसरा मूल मामला उद्योग के भुगतान की क्षमता है। कुछ माननीय सदस्यों ने जो तर्क दिये हैं उससे यह सिद्ध होता है कि यदि इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता है तो उद्योग का दिवाला निकल जायेगा परन्तु सच यह है कि समाचारपत्रों के मुख्य संगठन ने 70 प्रतिशत का भुगतान करना स्वीकार किया है ग्रौर शेष 30 प्रतिशत के लिए बाद में बातचीत की जानी है। यह सम्भव है कि कुछ छोटे समाचार पत्रों में भुगतान की क्षमता न हो। परन्तु संगठन उनको छूट देने के लिए तैयार है। ग्रतः मैं सरकार से ग्रपील करूंगा कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कानून बनाया जाये।

श्री किरुतिनन (शिवगंज) : मैं हड़ताल कर रहे गैर-पत्रकारों की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुग्रा हूं। समाचार पत्र उद्योग विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग के माध्यम से हमें किसी राष्ट्र ग्रथवा क्षेत्र ग्रथवा समूचे विश्व में घट रही घटनाग्रों का पता लगता है।

पिछले एक सप्ताह से हमारा देश ग्रन्धकार में है क्योंकि हड़ताल के कारण ग्रधिकांश समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। ग्रधिकांश समाचार पत्र पूंजीपतियों द्वारा चलाये जा रहे हैं ग्रौर यही कारण है कि सरकार उनको कुछ निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकी।

मजूरी स्तर निर्धारित करने के लिए ही मजूरी बोर्ड का गठन किया गया था। मजूरी बोर्ड ने ग्रपना प्रतिवेदन दे दिया है। परन्तु समाचार पत्रों के मालिक तथा उनके प्रतिनिधि यह कहते हैं कि उसके प्रस्ताव वास्तविक नहीं हैं ग्रौर कि उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। समस्या को कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए मजूरी बोर्ड एक साधन बन कर रह गया है।

सरकार स्वयं ग्रपने कर्मचारियों के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में हिचकिचा रही है। ग्रतः सरकार गैर सरकारी नियोक्ताग्रों को मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए किस प्रकार बाध्य कर सकती है।

श्रम मंत्रालय ने लगभग 17 उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड गठित किये थे परन्तु उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। मेरा सुझाव है कि मजूरी बोर्ड की सिफा-रिशों को क्रियान्वित कराने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

श्रम मंत्री ने ग्रपने वक्तव्य में कहा है कि गैर पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कानून द्वारा क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता ग्रौर कि इनकी क्रियान्विति को परामर्श तथा बातचीत द्वारा

ही सुनिश्चित करना होगा। परन्तु मैं नहीं जानता कि इस समस्या में उनका परामर्श तथा बातचीत किस हद तक सफल होगी। अब भी यदि सरकार चाहे तो वह नियोक्ताओं को मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य कर सकती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मैं निवेदन करूंगा कि जो समाचार पत्र मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करते उनको विज्ञापन तथा अखबारी कागज का कोटा न दिया जाये।

श्री अनन्त राव पाटिल (अहमद नगर) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों को तीन महीनों में दो बार हड़ताल करनी पड़ती है। श्रम मंत्री ने दो वक्तव्य दिये हैं परन्तु उनसे किसी को संतोष नहीं हुआ है।

यह बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है कि गतिरोध अभी भी बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। इस विवाद को हल करने के लिये दोनों पक्षों को मिलाने हेतु सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है। मेरे विचार में वर्तमान गतिरोध के लिए सरकार तथा नियोक्ता दोनों ही जिम्मेदार हैं। मैं भी गत दस वर्षों से अपने समाचार पत्र को घाटे में चला रहा हूं इसके बावजूद हमने गैर-पत्रकारों सम्बन्धी 23 अप्रैल के समझौते की सिफारिशों को लागू करना शुरू कर दिया है। छोटे तथा मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार भुगतान करने की क्षमता नहीं है। परन्तु यदि पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों को समान मजदूरी नहीं दी जाती जैसा कि मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई है समाचारपत्र चलाना कठिन है। पत्रकारों के लिए जो सिफारिशें की गई थीं वे कानूनी तौर पर अनिवार्य थी अतः उनको शीघ्र ही क्रियान्वित कर दिया गया था। परन्तु गैर-पत्रकारों के मामले में ऐसा नहीं है।

जहां तक बड़े समाचार पत्रों का प्रश्न है उनके द्वारा प्रेस आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध विज्ञापनों के लिए 70 प्रतिशत स्थान का प्रयोग किया जा रहा है। उनके दर भी बहुत अधिक हैं। फिर भी वे कह रहे हैं कि वे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं।

जहां तक समाचार पत्रों के नियंत्रण तथा स्वामित्व का प्रश्न है प्रेस आयोग ने सिफारिश की थी कि ग्रुपों आदि को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। परन्तु सरकार ने गत 20 वर्षों में इस बारे में कुछ नहीं किया है।

श्री हो० वा० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): हमें देश में काफी दिन से लगातार अखबारों के न होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर विचार करना है। हमें क्या करना है, इस बारे में हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये।

यह एक शोध उदाहरण है कि पूंजीपति अपनी निरदेश शक्तियों से समाचार पत्र उद्योग के कर्मचारियों को दबाने की कोशिश कर रहा हैं। मजूरी बोर्ड की स्थापना हुए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं और नियोजक विलम्बकारी तरीके अपना रहे हैं और अपने किये गये वायदों से पीछे हट गये हैं। मजूरी बोर्ड की अन्तिम सिफारिश सितम्बर, 1962 में आई थी। सरकार ने नवम्बर, 1967 में नियोजकों के पक्ष में कुछ रुपभेद किये। नियोजकों ने गरीब कर्मचारियों के वेतन में थोड़ी सी वृद्धि रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसका परिणाम यह हुआ कि 24 जनवरी को एक सांकेतिक हड़ताल हुई। मार्च, 1968 में बातचीत असफल हो गई। 23 अप्रैल, 1968 को कुछ समझौता हुआ। परन्तु नियोजकों ने इस रूपरेखाओं को मानने से इन्कार कर दिया।

[श्री हो० ना० मुकर्जी]

कलकत्ता में सिनेमा के कर्मचारियों के मामले में भी ऐसा ही हुआ था और नियोजकों ने न्यायालय से अपने हक में फसला करा लिया। क्या सरकार द्वारा, बिरला, दालमिया, आदि जैसे पूंजीपतियों को, जो इस देश की मूलभूत राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाने देगी, क्या मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि यह शीघ्र ही एक समझाते कराने वाले हैं और एक कानून लाने वाले हैं ताकि गैरपत्रकार कर्मचारियों के मामले में मजूरी बोर्ड के फैसले को लागू किया जा सके। इस बीच यदि वर्तमान मजूरी और सिफारिश की गई मजूरी के अन्तर के 70 प्रतिशत का भुगतान करके किसी प्रकार का फैसला हो जाये और शेष के बारे में बातचीत होती रहे, तो मुझे आशा है कि कुछ किया जा सकता है, इन व्यक्तियों के कुटिल तरीकों को और अधिक सहन नहीं किया जा सकता। अतः सरकार वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कार्यवाही करे।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : यह लोकतन्त्र की परीक्षा का समय है। और जो भी व्यक्ति कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल भारतीय लोकतन्त्र की गरिमा को गिराता है तो वह देश के लिये बहुत घातक होगा।

यह मामला केवल कुछ कर्मचारियों का नहीं है। यह मामला भारतीय नागरिकों के निर्वाह का प्राप्त करने और वह मजूरी प्राप्त करने जिसक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मजूरी बोर्ड ने सिफारिश की है के मूलभूत अधिकार से सम्बन्ध रखता है।

अतः मेरा निवेदन है कि प्रत्येक बात को ध्यान में रखते हुए, मजूरी बोर्ड में बहुमत से दिये गये प्रतिवेदन को कानूनी रूप दिया जाये और अब इससे पीछे न हटा जाये। मेरा श्री हाथी से अनुरोध है कि वे समाचार पत्रों के मालिकों की धमकियों और कुटिल तरीकों के सामने न झुकें। ये बड़े समाचार-पत्र देश के लिये क्या कर रहे हैं। ये केवल भुगतान मुनाफा कमा रहे हैं। श्री हाथी दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश न करें। वह खुले आम स्पष्ट शब्दों में कर्मचारियों के पक्ष की बात करें।

श्री प० राममूर्ति (मदुरै): यह सच है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिश एकमत नहीं है। हमारा बहुमत की सिफारिश से सम्बन्ध नहीं है। श्री दांडेकर के विचारानुसार, श्री वृहमैया एक निष्पक्ष व्यक्ति है। वह अधिकतम व्यापार वर्ग में प्रसिद्ध है जिसमें उनका एक लेख परीक्षक के रूप में बहुत वर्षों से सम्बन्ध रहा है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि नियोजकों ने, जिनको न्याय कार्य मूर्ति कहा जाता है, नवम्बर, के महीने से जब सरकार ने मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन को स्वीकार किया था अब तक कुछ भी क्यों नहीं किया जिसके कारण हड़ताल हुई। ये लोग बेईमान और चालाक हैं। कर्मचारियों का यह सोचना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नियोजक चालाक व्यक्ति है जिनका एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है।

आज इन व्यक्तियों ने समस्त संसद सदस्यों को एक नोट परिचालित किया है उसमें लिखा है :

> "सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि इस उद्योग को मुनाफे पर अनुचित दबाव से इसको पूंजी लाभप्रद रोजगार में नहीं लगेगी और स्वयं पूंजी के निर्माण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः समाचारपत्रों का यह मत है कि समस्त उपलब्ध बचत का उपयोग बढ़ी हुई मजूरी की अदायगी के लिये नहीं किया जा सकता।"

इसका निर्णय कौन करेगा । बहुमत से दिये गये प्रतिवेदन में कहा गया है कि यह उनके मुनाफे पर अनुचित दबाव नहीं है । परन्तु ये लोग कहते है कि ऐसा है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि हम कोई अध्यादेश नहीं ला सकते हैं क्योंकि संसद की बैठक हो रही है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि सरकार इस मामले को कानूनी मान्यता देने के लिये कोई प्रस्ताव पेश करे तो यह सभा इसे पारित करेगी ।

यदि समाचारपत्रों के मालिक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से इन्कार करते हैं, तो सरकार को उन्हें विज्ञापन देना बन्द कर देना चाहिये । उसे यह कहना चाहिये कि जब तक वे कर्मचारियों से सामूहिक आधार पर बातचीत करने के लिये तैयार नहीं हो जायेंगे तब तक हम उन्हें कोई विज्ञापन नहीं देंगे ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): The Government is itself responsible for the present dispute. The Government appointed various Boards and Commissions but it did not implement those recommendations of the Boards and Commissions which were against the interest of the capitalist because these capitalist exerted pressure on the Government.

There is no doubt in it that the Member of Labour has tried his best to find a solution of the present bottl eneck but his efforts did not succeed.

It is not correct to say that the owners of newspapers cannot pay so much emoluments. If it is so, how the chain of newspapers has been in increasing day by day. In case, the owners of newspapers do not want to give emoulments to the employees, Government should stop circulation of 'chain' newspapers.

The recommendations of the Wage Board should be made binding upon newspaper monopolies by framing an appropriate legislation. Government should take immediate action in the matter.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाल): किसी सांविधिक दायित्व के अभाव क कारण मालिकों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया यह देखना सरकार का नैतिक उत्तरदायित्व है कि वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अमल में लाया जाये ।

श्रम मंत्री इस वर्तमान विवाद में मालिकों को इस बात के लिये सहमत न कर सके कि उन्हें इन सिफारिशों पर अमल करना चाहिये । वे उस समझाते से भी पीछे हट गये हैं जो कुछ महीनों पहले किया गया था । अब वे प्रत्येक एकक से समझाना करने के लिये कह रहे हैं । लेकिन जब इस प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिये मंत्री जी तथा कर्मचारियों के साथ सोसायटी की बैठक हुई और वह वेतनों में 70 प्रतिशत अन्तर देने के लिये सहमत हो गई तो उन्होंने उस समय यह प्रश्न नहीं उठाया । इस लिये अब ऐसा कहने का समय नहीं है ।

बड़े समाचार पत्रों को वेतन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने में कोई कठिनाई नहीं है । सिफारिशों को अमल में लाने पर भी उन्हें काफी लाभ होगा ।

वर्तमान स्थिति के लिये श्रम मंत्री की भी पूरी जिम्मेदारी है । इस तथ्य का हल किया जाना चाहिये था जब उन्होंने यह कहा था कि जो भी समझौता होगा वह अनिवार्य नहीं होगा बल्कि केवल सिफारिशी होगा । सरकार को भी उसी समय कुछ कदम उठाने चाहिये थे । लेकिन उन्होंने इस में विलम्ब किया है । यदि सरकार सिफारिशों को अमल में लाने के लिये कोई विधान पेश करेगी तो संसद उस का समर्थन करेगी ।

श्री पें वेंकटासुब्बया (नन्दयाल): मालिकों के लिये वेतन बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित करना अनिवार्य है । लेकिन वे पीछे हट गये हैं। इसके लिये उन्होंने कुछ बहाने बताये हैं जिन से हम संतुष्ट नहीं हैं। वेतन बोर्ड की सिफारिशों को पूरा पूरा अमल में लाया जाना चाहिये। मंत्रालय को अपनी सभी वैधानिक तथा कानूनी शक्तियों से उन सिफारिशों को कार्यान्वित कराना होगा ।

मंत्री महोदय को उन कर्मचारियों के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये जो छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों में काम करते हैं। यदि छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों की सहायता करने से उन में काम करने वाले कर्मचारियों के कामकाज की परिस्थितियों में सुधार हो सके, तो इस में कोई बुराई नहीं है ।

भविष्य में ऐसे भाषायी समाचापत्रों, छोटे पत्रों तथा मध्यम दर्जे के पत्रों को प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिये जिन से जनमत तथा देश के लोकतांत्रिक कार्यों का सही चित्तरण होता है । मंत्री महोदय को अवसर से लाभ उठाकर ऐसे बड़े समाचारपत्रों का एकाधिकार खत्म करने का प्रयास करना चाहिये जो देश के लिये हानिकारक है ।

श्री जी० मा० कृपालानी (गुना) : इस विवाद से सरकार का गहरा सम्बन्ध है। यह सब सरकार तथा इन पत्रों के बीच का षत्रयंत्र हैं । उन्हें इसमें दिलचस्पी है और इसलिये वे इस प्रश्न को हल नहीं कर रहे हैं ।

हम पूंजीपतियों तथा सरकार के बीच इस षडयंत्र को सहन नहीं कर सकते। वे विरोधी दलों का गला घोटना चाहते हैं ।

जब तक सरकार तथा पूंजिपति समाचारपत्रों के बीच इस सांठगांठ को समाप्त नहीं किया जाता तब तक यह प्रश्न हल नहीं होगा ।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कीलाबा) : मेरे सम्बन्ध में व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है। मुझे समय दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके विरूद्ध लगाये मये आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने की अनुमति दूंगा ।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे : मैं बैनट कोलमैन कम्पनी का अध्यक्ष हूं। मेरा कम्पनी में व्यक्तिगत वित्तीय हित नहीं है । 22 तारीख के शाम को यूनियन के सेक्रेटरी ने जनरल मैनेजर से मामले को हल करने के लिये बातचीत की । मुझे कर्मचारियों की कठिनाइयों की जानकारी है । मैं जनरल मैनेजर को यह सलाह देता रहा कि चाहे दूसरे समाचार पत्रों के साथ जो भी हों, हमें इस विवाद को हल करने का प्रयास करना चाहिये। इस कम्पनी में कार्य कर रहे 15 प्रतिशत कर्मचारियों पर मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं होतीं ।

यूनियन इन कर्मचारियों के मामले पर विचार करने का अनुरोध कर रही है । मैंने इस बारे में जनरल मैनेजर को सुझाव दिया है कि हमें इन कर्मचारियों के मामले पर भी किसी हद तक विचार करना चाहिये। यद्यपि प्रबन्धक इस बारे में पूरी तौर से विचार करने में समर्थ न हो।

मैं अपनी संस्था का मामला हल करने के लिये तैयार हूं। यूनियन के सेक्रेटरी ने जनरल मैनेजर को बताया था कि अब वह फैडरेशन से बात करें। जनरल मैनेजर ने कहा कि वह यूनिट स्तर पर बातचीत करने के लिये तैयार हैं । हमने पंजाब तथा 23 अप्रैल के समझौते को क्रियान्वित किया और 70 प्रतिशत दिया जा रहा है । अतः जहां तक हमारी संस्था का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोंडा) : बैनट कोलमैन कम्पनी में भारी असन्तोष है और यदि वह इसको हल करना चाहते हैं तो वह इसके लिये वातावरण उत्पन्न करें ।

श्री शिवाजीराव देशमुख : दो वर्ष पूर्व बैनट कोलमैन कम्पनी के निर्देशकों को 6,000 रुपया देना नियत किया गया था । निर्देशकों को दिये जाने वाली राशि 14 से 15 लाख रुपये हो सकती है जबकि गरीब पत्रकारों की मजूरी में पत्रकार मंजूरी बोर्ड पंचाट के आधार पर वृद्धि नहीं की जा सकती ।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : श्री कुन्टे ने बताया कि वे हड़ताल से एक दिन पहले, 22 जुलाई को बातचीत करने के लिये तैयार थे । 23 अप्रैल के समझौते के अनुसार गैर-पत्रकारों के लिये वेतन बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में विवाद को हल करने लिये बातचीत उस तारीख से एक महीने की अवधि के अन्दर पूरी की जानी थी । एक महीना पूरा होने से पूर्व बातचीत पूरी क्यों नहीं की जा सकती ? यदि वह अब भी तैयार है तो वह इस बात को घोषित करें कि वे वेतन बोर्ड की सिफारिशों को शत प्रतिशत क्रियान्वित करने के लिये तैयार हैं ।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे : मैं बातचीत करने के लिये तैयार हूं ।

श्री हाथी : आपको अब यह नहीं कहना चाहिये कि "मैं बातचीत करने के लिये तैयार हूं" अपितु यह कहना चाहिये कि मैं उन सिफारिशों को शत प्रतिशत क्रियान्वित करने के लिए तैयार हूं । समझौता एक महीने के अन्दर किया जाना था परन्तु इस बीच एक विवाद खड़ा हो गया वह केवल सिफारिशी होगा अनिवार्य नहीं । कर्मचारियों के संघ ने इस बात पर आपत्ति की और गतिरोध उत्पन्न हो गया ।

एक ओर तो आप राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी ओर आप यह कहते हैं कि वह अनिवार्य नहीं होगा । मैंने भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि जब दोनों केन्द्रीय संस्थाओं ने समझौते में भाग लिया है तो समझौता अनिवार्य होना चाहिये । लेकिन इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी ने कहा कि इसे कानून की कोई मंजूरी नहीं है । 17 जुलाई को इस बारे में फिर बातचीत आरम्भ की गई परन्तु वह असफल रही क्योंकि नियोजक केवल 75 प्रतिशत के लिये तैयार थे जब कि कर्मचारी इसके लिए तैयार नहीं थे ।

मुझे दुःख है कि मैं समझौता नहीं कर सका । मैंने मालिक और कर्मचारियों को राजी करने का प्रयास किया लेकिन मैं इसमें सफल न हो सका ।

हमारे यहां सात वर्गों के समाचार पत्र हैं । लेकिन यह झगड़ा केवल 1, 2 और 3 वर्गों, के बारे में है । वर्ग 4 से सात का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उन्होंने हड़ताल की है । वर्ग 4 से वर्ग 7 के बारे में कठिनाइयां हैं । प्रश्न केवल बड़े समाचार-पत्रों के बारे में है जिनकी रुपये बढ़ाने की क्षमता है पर वह देते नहीं । यदि वह मुझे अब भी विश्वास दिला सकें कि उनकी क्षमता नहीं है तो मैं अब भी कर्मचारियों को यह कहने के लिये तैयार हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये । लेकिन उनकी देने की क्षमता है ।

श्री दांडेकर ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या एक ही प्रदेश में और विभिन्न प्रदेशों में वेतन मान अधिक ऊंचे हैं । विभिन्न वर्गों में से केवल तीन या चार वर्गों के बारे में निर्णय किया गया है । इनमें से दो के मामले में संशोधन किया गया है क्योंकि हमने फिर इसकी जांच की थी ।

[श्री हाथी]

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हमने वेतन बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। यदि इस बारे में कोई कठिनाइयां हैं तो उन्हें बातचीत द्वारा दूर किया जा सकता है।

अमृत बाजार पत्रिका तीसरे दर्जे का समाचार पत्र है लेकिन उसने इसे क्रियान्वित किया है। अन्य वर्ग 4 से 7 तक के साचार पत्र समझौता करना चाहते हैं।

हम सबको सहयोग देना चाहिये ताकि हड़ताल वापिस ले ली जाये और कर्मचारी अपना कार्य आरम्भ कर दें।

वेतन बोर्ड एक गैर-सरकारी स विधिक वेतन बोर्ड है। ऐसा जानबूझ कर किया गया है। हमारे लगभग 22 मजूरी बोर्ड हैं। उनमें से 19 की हमें सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश के मामलों में इनको क्रियान्वित किया जा रहा है। जैसा कि श्री दांडकर ने सुझाव दिया कि यदि दो पक्ष बातचीत द्वारा निबटारा नहीं कर सकते तो सरकार के पास दूसरा रास्ता नहीं रहेगा और इसे सांविधिक बनाना पड़ेगा और शक्तियां अपने हाथ में लेनी पड़ेगी ताकि सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके।

प्रत्येक पक्ष को न्यायालय में जाने का अधिकार है। परन्तु इसके परिणाम स्वरूप आपस में कटुता पैदा होती है। अतः मेरा यही है अनुरोध है कि यदि ऐसा आवश्यक हो तो हम ऐसा करें परन्तु जहां तक हो हम समस्या का हल बातचीत द्वारा ही करें।

श्री कुन्टे को यह चाहिये कि वह यह घोषित करें कि वह मजूरी बोर्ड की शत प्रतिशत सिफारिशें क्रियान्वित कर रहे हैं। यदि मामले को न्यायनिर्णयन के लिये सौंपा जाये तो इसमें तीन, चार या पांच वर्ष लग जायेंगे और कर्मचारी इतनी देर प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जैसा कि श्री जोशी ने कहा कि इसे मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा जा सकता है बशर्ते वह बहुत शीघ्र और अन्तिम हो। परन्तु ऐसा न होने पर केवल एक ही रास्ता बच जाता है और वह यह कि सरकार शक्तियों को अपने हाथ में ले ले ताकि उन्हें क्रियान्वित किया जा सके।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं 23 अप्रैल को दोनो पक्षों में हुए समझौते की शर्तों को पढ़ रहा हूं इसमें कहा गया कि मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों से सम्बद्ध गैर पत्रकार कर्मचारियों के मामले का हल एक महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिये।

श्री हाथी : यह ठीक है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 31 जुलाई, 1968/9 श्रावण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wesdnesday, July 30, 1968/9 Sravana, 1890 (*Saka*).]

GM GIPND—LS III 1799(Ai) LS-5-2-69—500